राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अङ्क ६] तृतीय विधान सभा के छठे सत्र, १९६४ का ८० वां दिवस [संख्या १६

बुधवार, दिनांक २१ अक्टूबर, १९६४

———

विधान सभा की बैठक म. पू. ११.४ बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

———

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

(सार्वजनिक निर्माण, सहकारिता, पंचायत, उद्योग, वन, विद्युत् एवं शक्ति, पुनः संस्थापन, विकास, आयुर्वेद तथा श्रम-विभाग)

प्रश्न संख्या ४९८।

श्री अध्यक्ष : श्री दलपतसिंह।

(अनुपस्थित – कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या ४९९।

श्री मानिकचन्द सुराणा।

(अनुपस्थित – कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या ५००।

श्री भगराज चौधरी।

(अनुपस्थित – कृपया आगे देखिये)

श्री भीमसेन।

सेलेलाइट खनिज पदार्थ निकालने की लीज

५०१. **श्री भीमसेन** (लूणकरणसर) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(१) क्या यह सही है कि बीकानेर जिप्सम कं० को लूणकरणसर में सेलेलाइट खनिज पदार्थ को निकालने के लिये लीज़ इस शर्त पर दी हुई है कि उक्त कम्पनी प्लास्टर ऑफ पेरिस की फैक्टरी लगाये? अगर हां, तो यह लीज़ कब दी गई तथा इस शर्त को पूरा कराने के लिये अब तक क्या क्या प्रयास किये गये?

(२) फैक्टरी की स्थापना किये बिना ही उक्त खनिज को बाहर भेजने की अनुमति क्यों दी गई है?

Page No.2

उद्योग मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र) : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न चूंकि माइन्स डिपार्टमेन्ट से सम्बन्धित है इसलिये सम्बन्धित मिनिस्टर महोदय अपनी टर्न पर इसका जवाब देंगे।

प्रश्न संख्या ५०२।

श्री अध्यक्ष : श्री अब्दुल जब्बार।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या ५०३

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

श्री जुझारसिंह।

चराई की दरें

५०४. श्री जुझारसिंह (चेचट) : Will the Forest Minister please reply :—

(1) What are the grazing rates for camels grazing :—

(a) within district,

(b) Within the district adjoining their home district,

(c) within Rajasthan ?

(2) Are camels of one district permitted to graze in another district ? If so, on what conditions ?

(3) Is it a fact that the camel owners of tehsil Ramganj Mandi have applied to the D. F. O. Kotah, and Jhalawar to permit them to graze their camel in Dag area and that they have not received any repty for the last so many months ?

(4) Is it a fact that the area of grazing for camels in Tehsil Ramganj Mandi has very much been restricted on account of the settlement of displaced persons from Rana-Pratap Sagar on the jungle areas bordering the Raberi Dhanis ?

(5) Will the Government consider to provide these people facilities in places in other districts for grazing their camels.

वन मंत्री (श्री भीखाभाई) : (१) ऊंटों की चराई के लिये जंगलात विभाग ने प्रति जिले में रेंज बना रखे हैं और २) रू० प्रति ऊंट चराई लेकर उन्हें ऐसे ऐसे रेंजों में चराने की अनुमति दी जाती है। ऐसे ऐसे रेंजों से अधिक यानी पूरे राजस्थान में फोरेस्ट एनक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट की धारा ५६ के अन्तर्गत ५) रू० प्रति ऊंट चराने की फीस है तथा निर्धारित ब्लॉकों में ही ऊंटों की चराई हो सकती है।

(२) उत्तर प्रश्न एक पर दिया हुआ है।

(३) जी हां डिवीजन झालावाड़ के कार्यालय से प्रार्थना-पत्र एक मास पूर्व ही प्राप्त हो गया था परन्तु यह उन क्षेत्रों में चराई सदा से मुक्त हैं उनमें ऊंटों को चराने के लिये रामगंज मंडी तहसील के ऊंट मालिकों द्वारा डी०एफ०ओ०, कोटा को कोई प्रार्थनापत्र दिया जाना नहीं पाया जाता है।

(श्री भीखाभाई)

(४) रामगंज मंडी तहसील के खीमच (अ) ब्लॉक जो कि ऊंटों का चराई के लिये निर्धारित है उसके १२,२३७ एकड़ में से १०४२ एकड़ एरिया विस्थापितों को बसाने के लिये वन विभाग से निकाला गया है।

(५) यदि ये लोग अन्य जिलों की किसी भी रेंज के जंगलों में, जो ऊंटों की चराई के लिये निर्धारित हैं, ऊंट की चराई के लिये ले जाना चाहते हैं तो नियमानुसार फीस चराई देकर चरा सकते हैं।

श्री जुझारसिंह : आपका जबकि यह नियम है कि एक रेंज से दूसरे रेंज में जायें तो दो रेंज तक २) रू० फी ऊंट चराई फीस ली जाय, तो फिर ऊंट चराई के लिये रामगंज से डग में ले जाना चाहते थे उनको मना क्यों किया गया ? २ रुपया फीस देने पर चराने की इजाजत देने के नियम हैं, फिर रामगंज मंडी के ऊंटों को डग में जाने की इजाजत क्यों नहीं दी गई ? जो आपके आदेश हैं नियमानुसार उन आदेशों का वहां पर फोलो ओन क्यों नहीं किया गया ?

श्री भीखाभाई : मैंने बता दिया कि एक से दो रेंज तक एक ही फीस होती है, अगर दूसरा डिविज़न होता है, एडजोइनिंग रेंज नहीं होता है तो ५ रुपया फीस ली जाती है।

श्री जुझारसिंह : अध्यक्ष महोदय, रामगंज मंडी एक रेंज है और डग दूसरा रेंज है, एक रेंज से दूसरे रेंज में जाकर चराने की फीस २) रु० है। उन लोगों ने इजाजत भी ली हैं फीस भी देने को तैयार है, पर बहुत दिनों तक इजाजत नहीं दी। २) रुपया फीस दे चुके थे इसलिए फीस लेने का प्रश्न नहीं था। जिला डिफरेन्ट था पर दो रेंज थे, दो रेंज तक २) रु० फीस लेने का नियम है, नियमों में प्रावधान है कि दो रुपया जमा करा देने पर चराने की इजाजत दी जाय, फिर उन्हें इजाजत क्यों नहीं दी गई ?

श्री अध्यक्ष : इसका उत्तर मन्त्री महोदय ने दिया है कि डग में ऊंट को चराने के लिए रामगंज मण्डी तहसील के ऊंट मालिकों द्वारा डी. एफ. ओ., कोटा को कोई प्रार्थना पत्र दिया जाना नहीं पाया जाता।

श्री जुझारसिंह : झालावाड़ के डी. एफ. ओ को प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ है, यह मन्त्री महोदय ने कहा है।

श्री भीखाभाई : अगर आप कोई बात बताते हैं तो मैं देखूंगा। If something can be done, we will do it.

श्री जुझारसिंह : करीब १०-१२ हजार एकड़ एरिया ऊंटों की चराई के एरिया में से कम हो गया है, तो इसके लिए ऑल्टनेटिव फ़ेसिलिटी देने का सरकार ने क्या प्रबन्ध किया है ?

श्री भीखाभाई : That is a separate question, Sir, but it will also be looked into.

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : क्या राजस्थान भर में ऊंटों की चराई की सुविधा के लिए हर जगह जंगल निर्धारित कर चुके हैं ?

श्री भीखाभाई : इसका उत्तर दिया जा चुका है।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : जो ऊंटों के लिए चराई निर्धारित की गई है क्या उसे कम करने का राजस्थान सरकार विचार रखती है ?

श्री भीखाभाई : अभी तो रेट्स रेशनलाइज़ ही नहीं की। जो पहले थीं रेट्स वही हैं। फोरेस्ट इन्क्वायरी कमेटी की रिपोर्ट पर यह सुविधा दी गई है कि दो रेंज तक २) रु० फीस ली जाय और दूसरी जगह ऊंटों को चराने के लिए ले जाना चाहें तो कोई रोक नहीं होगी। एक डिवीज़न में ५) रुपया देने पर सारे राजस्थान में कहीं भी सारे जंगलों में ऐसी सुविधा उपलब्ध करा दी है। इसलिए जो आप सवाल करना चाहते हैं वह उठता नहीं है।

श्री गिरधारी लाल व्यास : क्या राजस्थान भर में सब जगहों पर ऊंटों की चराई के लिए सुविधा दी गई है" मैंने यह प्रश्न पूछा था। मन्त्री महोदय ने उत्तर दिया कि, "मैंने जवाब दे दिया है।" पर राजस्थान में कई जगह ऊंटों को चराने के लिए कोई सुविधा नहीं है। आपको निवेदन किया पर जो पहले जंगल थे, रियासतों और जागीरों के समय में, उनको भी आपने चराई से बन्द कर दिया है। तो अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय कॉन्ट्राडिक्टरी जवाब दे रहे हैं, उनसे पूछा जाय कि सब जगहों पर ऊंटों की चराई के लिये सुविधा है या खास जगहों पर ही रखी है ?

श्री भीखाभाई : Government is seized of the matter.

श्री अब्दुल जब्बार (निम्बाहेड़ा) : कुछ समझ में नहीं आया।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर): यह बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऊंटों की चराईके सम्बन्ध में सरकार के द्वारा कोई व्यवस्था नहीं हो पाई है। इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा नीति निर्धारित होनी चाहिए ताकि सारे राजस्थान में वह नीति कार्य रूप में परिणत हो सके। मैंने माननीय मंत्रीजी का एक-दो बार पहले भी ध्यान आकर्षित किया था, किन्तु खेद का विषय है कि वे इस समस्या पर विशेष रूप से विचार करने में असमर्थ रहे हैं।

श्री गणपतिलाल (मान्डलगढ़) : सरकार की ओर से कोई भैंस, बकरियों, ऊंटों को समाप्त करने की योजना है क्या ?

श्री भीखाभाई : दोनों सुझाव आ चुके हैं। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जहां तक तकलीफ का सवाल है वह कुछ भागों में है। उसके लिए मैं समझता हूं कि हमने एक दो बार विचार करके मीटिंग भी बुलाई थी, उसमें कुछ बातचीत भी हुई है कि आगे के लिए क्या किया जा सकता है। सुविधा होनी चाहिए, इसमें दो राय नहीं।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : आम रूप से शिकायत है कि जहां एक भी पत्ती चराने के लिए नहीं है वहां भी चराई का महसूल लिया जाता है, यह सर्वथा अनुचित है।

Page No.5

श्री गिरधारीलाल व्यास : यह सुविधा कब तक प्रदान करेंगे, इस प्रकार का कोई आश्वासन दिया जाय।

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : तब तक आप नहीं रहेंगे।

श्री गिरधारीलाल व्यास : हम नहीं रहेंगे, लेकिन ऊंट तो रहेंगे।

श्री भैरोंसिंह : मांडलगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने पूछा कि भेड़, बकरियों को समाप्त करने की कोई योजना तो नहीं है, उसका क्या जवाब है?

(कोई जवाब नहीं दिया गया)

श्री अध्यक्ष : श्री सम्पतिलाल बोहरा।

भोपालसागर शुगर मिल्स की जमीन

५०५. **श्री सम्पतिलाल बोहरा** (मावली): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(१) भोपालसागर शुगर मिल्स के पास कुल कितने एकड़ जमीन है?

(२) यह जमीन किस शर्त पर व किस प्रयोजन के लिए दी गई है? शर्तों की या एग्रीमेंट की एक कॉपी सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(३) गत तीन वर्षों में मिल ने किस किस जमीन में क्या क्या फसल बोई?

(४) क्या यह जमीन जिस प्रयोजन के लिए दी गई थी उसी की पूर्ति के लिए उपयोग में लाई गई? यदि नहीं, तो क्यों?

उप मंत्री, उद्योग (श्री चन्दनमल वैद): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रार्थना करता हूं कि इसे पोस्टपोन किया जाय, अभी जवाब नहीं आया।

प्रश्न संख्या ५०६

श्री अध्यक्ष : श्री मोहनराज

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

श्री रघुनाथ बिश्नोई।

पीने के पानी की व्यवस्था—तहसील फलौदी, सांचोर व शेरगढ़

५०७. **श्री रघुनाथ बिशनोई** (सांचोर) क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(१) फलौदी, सांचोर व शेरगढ़ तहसीलों में गत दो सालों में पीने के पानी के लिए कुल कितने कुए सरकार द्वारा बनाए गए?

(२) क्या सरकार पीने के पानी की कठिनाइयों को दूर करने के लिए इन तहसीलों के लिए कोई विशेष योजना बनाने का विचार रखती रही है? अगर हां, तो ऐसी योजना कब तक बन कर कार्य शुरू करा दिया जावेगा? अगर नहीं, तो क्यों नहीं?

पंचायत मन्त्री (श्री भीखाभाई) : (१) संबंधित पंचायत समितियों द्वारा कुल ८४ कुओं के लिए अनुदान दिया गया।

(२) राज्य सरकार द्वारा सभी क्षेत्रों में पानी पीने की समस्या को हल करने के लिए सर्वे की जाकर योजना बनायी जा रही है।

Page No.6

श्री रघुनाथ बिश्नोई : तीन तहसीलों के लिए सिर्फ ८४ कुएं जबकि पानी की वहां विकट समस्या है। ऐसे इलाकों के लिए रूरल वाटर सप्लाई स्कीम के अंतर्गत बोर्ड भी बना था। ऐसे इलाके जहां बहुत गहरा पानी है उस बारे में सरकार कोई विशेष विचार नहीं करेगी? इन तीन तहसीलों में पानी की बहुत कठिनाई है, पानी के लिए कई मीलों तक जाना पड़ता है, तो इस बारे में आपकी कोई विशेष योजना है ?

श्री भीखाभाई : पंचायतों की खुद की योजना होती नहीं है। उनके पास में जो बजट होता है वह थोड़ा सा होता है ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज के लिए, लेकिन राज्य सरकार ने एक योजना माथुर कमेटी के आधार पर बनाई है और उसको क्रियान्वित करने की कोशिश कर रही है।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : कमेटी की रिपोर्ट आ गई। स्कीम कब तक चालू किए जाने का विचार है? कब तक इम्प्लीमेंट होगी ?

योजना मंत्री (श्री मथुरादास माथुर) : इस स्कीम के मातहत पहले ही कार्यवाही की जा चुकी है और इस साल प्लानिंग कमीशन से ६३ लाख रुपये खर्च करने के लिए रूरल वाटर सप्लाई के लिए इन एडीशन जो हमको मिले थे, उससे ज्यादा मिले हैं। इसके लिए योजना प्लानिंग कमीशन से एप्रूव की जा चुकी है, उसमें इन तहसीलों का भी पूरा ध्यान रखा गया है।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : इन तहसीलों में, विशेषकर फलौदी और शेरगढ़ में, पानी बहुत गहरा उपलब्ध होता है और कुआं बनाने के लिए विशेष तौर से ज्यादा होता है। तो इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए आपने कोई केटेगोराइज़ेशन किया है ?

श्री मथुरादास माथुर : माथुर कमेटी की रिपोर्ट के मातहत जो स्कीम चल रही है उसमें आपको बहुत अच्छा अलॉटमेंट मिला है और उसके अलावा रूरल वाटर सप्लाई के अन्दर भी अच्छा अलॉटमेंट मिला है। इसलिए इस समस्या को समझते हुए डेज़र्ट बेल्ट का पूरा ध्यान रखा गया है, जैसे बाड़मेर, जैसलमेर, चूरू बीकानेर जो डेज़र्ट एरियाज़ हैं।

श्री अध्यक्ष : ६३ लाख रुपए इसी वर्ष आने की आशा है ?

श्री मथुरादास माथुर : ३०-३४ लाख की स्कीम सरकार की एप्रूव हो चुकी है। मैं उम्मीद करता हूं कि ६३ लाख रुपये इसी साल खर्च किए जाएंगे ताकि प्लान सीलिंग का जो टोटल खर्चा था अगले साल उसमें आबादी प्लान सीलिंग और रुपया मिलेगा। यह आश्वासन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फाईनेन्स मनिस्टर ने दे दिया है।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : क्या यह सही है कि ट्यूबवैल्स का काम जिस गति से होना चाहिए, वह इक्विपमेंट की कमी से नहीं हो रहा है ?

श्री मथुरादास माथुर : इस वक्त इस इलाके में छोटे-मोटे १२ रिग्स काम कर रहे हैं। केवल दस दिन पहले की मेरे पास रिपोर्ट है कि २१ ट्यूबवैल्स एक्सप्लोर किए जा चुके थे जिसमें से १३ सक्सेसफुल और

(श्री मथुरादास माथुर)

८ अनसक्सेसफुल निकले हैं। भारत सरकार ने यह भी आश्वासन दिया है कि जो अनसक्सेसफुल ट्यूबवैल्स निकले हैं उनका भी पूरा खर्चा भारत सरकार बर्दाश्त करेगी। इसके अलावा भारत सरकार से भी, जब वित्तमंत्री रावतसर आए थे, तो और रिग्स देने के लिए निवेदन किया था, जो भारत सरकार के विचाराधीन हैं।

श्री भीमसेन : क्या यह सही है कि, राज्य सरकार ने भारत सरकार को उस समय पर रेस्पोंस नहीं दिया और राज्य सरकार की शिथिलता की वजह से कुछ रिग्स चले गए ?

श्री मथुरादास माथुर : यह बहुत पुराना किस्सा है, चले भी गए और वापस भी आ गए। इस वक्त करीब करीब एक डज़न काम कर रहे हैं, वे भी थोड़े हैं। इसलिए हमने भारत सरकार से निवेदन किया है कि १२ से काम नहीं चल सकता, उसके लिए बाहर से खरीदने पड़ेंगे। वित्तमंत्री ने आश्वासन दिया है कि वे इस मामले पर सहानुभूति पूर्वक विचार करेंगे और हमें ज्यादा रिंग्स देने की कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा है कि अगर ज्यादा ट्यूबवैल्स भी खोदने पड़ेंगे और जो अनसर्वेड एरिया है उसका सर्वे कराया जाय, तो भी वे इस पर विचार करेंगे।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : गुजरात स्टेट ने बहुत ट्यूबवेल्स बनाए हैं और जो उसका पड़ौसी इलाका सांचोर का है वहां एक भी ट्यूबवेल सक्सेसफुल नहीं गया। यह रिग पूरी तरह से २,००० फीट अन्दर जाकर एक कुए का पानी नहीं निकाल पाते हैं।

मथुरादास माथुर : सांचोर का हिस्सा ही ऐसा है; तीन डिस्ट्रिक्ट्स में रिग्स काम कर रहे हैं, खास तौर से पहले बीकानेर में जहां जोर का अकाल पड़ता है वहां काम कर रहे हैं। पूरा सर्वे करवाया जा रहा है उसमें आपका भी हिस्सा है। बाकी रूरल वाटर सप्लाई के लिए जो ६३ लाख रुपए दिए गए हैं उसमें आपको भी अलॉटमेंट मिल रहा है। पंचायत समिति का १।३ शेयर है। जहां डेज़र्ट एरिया में लोग नहीं दे सकते वहां उनको माफ किया है।

श्री भीमसेन : बीकानेर जिले से बी. डी. ओ. के द्वारा कोई रिपोर्ट नहीं दी गई है ?

श्री मथुरादास माथुर : It is under Plan surveyed scheme.

श्री भीमसेन : वह सिर्फ कागजों में हो सकता है।

श्री मथुरादास माथुर : बीकानेर डिस्ट्रिक्ट के अन्दर तीन रिग्स अलॉट किए गए हैं. I am subject to correction, but I think 3 rigs have been allotted to Bikaner.

श्री अध्यक्ष : कुमारी उमा माथुर।

गबन आदि के आरोप

५०८. **कुमारी उमा माथुर** (रामगढ़) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(१) क्या यह सही है कि सन् १९५७ सन् १९६१ तक के परीक्षण का सहायक

(श्री कुमारी उमा माथुर)

परीक्षक स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, जयपुर के पत्र संख्या ७५८६, दिनांक २७-३-६२ के अनुसार सरपंच ग्राम पंचायत बहादुरपुर, जिला अलवर के खिलाफ करीब १५ हजार का गबन, अल्पकालीन गबन, रोकड़ पुस्तिका का खो जाना आदि अनेक गंभीर आरोप लगाए गए हैं ?

(२) क्या यह सही है कि उपरोक्त सरपंच श्री हजारीलालजी से इन सब आरोपों का जवाब तथा धन-राशि आठ दिन के अन्दर जमा करा देनी चाहिए थी किन्तु नहीं कराई गई ?

(३) क्या यह सही है कि अभी तक उपरोक्त सरपंच के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई और वे बदस्तूर सरपंच का कार्य कर रहे हैं ? यदि हां, तो इसके लिए कौन अधिकारी दोषी हैं और सरकार इस विषय में क्या कार्यवाही कर रही है ?

पंचायत मंत्री (श्री भीखाभाई) : (१) जी हां। लगभग ६ हजार पांच सौ रुपए के गबन एवं दुरुपयोग का संदेह, रोकड़ पुस्तिका खो जाने इत्यादि के आक्षेप ऑडिट रिपोर्ट में बताए गए थे।

(२) जी हां।

(३) जी नहीं। कार्यवाही की गई है। सरपंच कार्य कर रहे हैं। स्थाई समिति ऑडिट आक्षेपों पर निर्णय ले चुकी है और राजस्थान पंचायत अधिनियम सन् १९५३ की धारा ६७ (५) (ए) के अन्तर्गत कलेक्टर द्वारा कार्यवाही की जा रही है।

कुमारी उमा माथुर : सन् ६१ से अब तक कितना रुपया वसूल हुआ और क्या कार्यवाही हुई ?

श्री भीखाभाई : कलेक्टर ने कार्यवाही की तो सरपंच ने रेवेन्यू अपीलेट ऑथोरिटी के पास अपील कर दी और उसके ऑर्डर के खिलाफ रेवेन्यू बोर्ड में रिवीज़न कर दिया तो रेवेन्यू बोर्ड ने उसके हक में यह लिख कर भेजा कि जो वसूली के लिए ऑर्डर था उसको रद्द किया जाता है और एस. डी. ओ. के पास में और तथ्यों की जांच के लिए भेजा जाता है।

कुमारी उमा माथुर : कितना धन अब तक रिकवर किया गया ? केसेज़ तो एक आध आइटम के बारे में चल रहे हैं, बाकी कितना रुपया रिकवर किया गया ? आठ दिन का नोटिस दिया गया था लेकिन उस नोटिस का जवाब तक नहीं दिया है।

श्री भीखाभाई : मैंने आपको उत्तर दे दिया है। लेकिन दूसरा मामला है। सरपंच हजारीलाल के खिलाफ १४२०)रुपये, खर्चे के ६५०) इसमें डालने हैं और २५०) से अधिक इसमें और हैं; इनके दुरुपयोग के सम्बन्ध में अधिनियम की धारा १७ (४) के अन्तर्गत कार्यवाही चल रही है।

कुमारी उमा माथुर : यह गबन है। गबन का मामला सन् ६१ से अब तक कन्टीन्यूअसली चला आ रहा है और अब तक इसके खिलाफ और भी गम्भीर आरोप हैं,

(कुमारी उमा माथुर)

उनमें एक आध के विषय में कोर्ट में केसेज़ चल रहे हैं, बांकी के मामलों में सरकार ने उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया है ? मेरी जानकारी यह है कि आरोपों का पूर्ण रूप से सही उत्तर तक नहीं दिया है ।

श्री भीखाभाई : मैंने कहा कि १७ (४) के अन्तर्गत नोटिस दिया है । इन्क्वायरी की रिपोर्ट अभी आनी बाकी है ।

श्री तेजाराम गहलोत (सोजत) : इससे रिकवरी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है ।

श्री भीखाभाई : बीज और खाद का मामला अलग चल रहा है । रिकवरी का मामला अलग है । रेवेन्यू ऑथोरिटी के पास अपील की और उसके खिलाफ रेवेन्यू बोर्ड में रिवीज़न कर दिया तो उन्होंने यह कहा कि इसको फर्दर क्लेरिफाई किया जाय ।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : आपका यह कहना है कि गबन हुआ है तो पलिस को मामला क्यों नहीं दिया ?

श्री भीखाभाई : गबन हुआ, यह नहीं कहा है मैंने । ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार जिस रुपये के बारे में कहा गया है कि गबन हुआ है, रिकवरी उससे की जाय....

श्री भैरोंसिंह : मेरा क्वेश्चन रिकवरी का नहीं है । ऑडिट रिपोर्ट से आपके कहने के हिसाब से एम्बेज़लमेन्ट हुआ, तो यह मामला पुलिस को क्यों नहीं दिया ?

श्री भीखाभाई ; मैंने यह बात बतायी कि ऑडिट ऑब्जेक्शन हुआ, उसमें जो बात उन्होंने बतायी, कितनी रिकवरी करने लायक था ।

श्री भैरोंसिंह : एम्बेज़लमेन्ट का कम्पाउन्ड और रिकवरी का केस नहीं बनता है तो it must go to the police.

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक) : २७-३-६६ की ऑडीटर की रिपोर्ट है । उसके बाद गवर्नमेन्ट ने उसको सस्पेन्ड नहीं किया । गवर्नमेन्ट की यह ढिलाई की नीति क्यों है ? सरकार की ढीली नीति के कारण सरकारी धन का दुरुपयोग कर दिया गया । इस प्रकार की ढीली नीति से चोरों को प्रोत्साहन देना ही है ।

श्री अध्यक्ष : १७ (४) के अन्तर्गत नोटिस कब दिया ?

श्री भीखाभाई : तारीख नहीं है ।

श्री राधाकृष्ण : कुछ भी तो नहीं है ।

कुमारी उमा माथुर : धारा १७(४) का नोटिस कब दिया ?

श्री अध्यक्ष : मेरा भी यह प्रश्न था ।

श्री भैरोंसिंह : या तो आप इस क्वेश्चन को पोस्टपोन करिये या बताइये कि कब नोटिस दिया गया ?

श्री भीखाभाई : पोस्टपोन करने की जरूरत नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : पोस्टपोन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको कार्यवाही करने की जरूरत है।

कुमारी उमा माथुर : अध्यक्ष महोदय, सरकार ने धारा १७ (४) का नोटिस दिया, इस में भी संदेह है। आपने बताया कि केस चल रहे हैं। ऑडिट रिपोर्ट में तीन तरह के एलींगेशन्स लगाये गये हैं : (१) एम्बेज़लमेन्ट (२) शॉर्ट टर्म एम्बेज़लमेन्ट और रिकार्ड नहीं रखना, रोकड़ नहीं रखना। ये गम्भीर आरोप थे और इन आरोपों में कुछ एम्बेज़लमेन्ट के खिलाफ एक आध केस चल रहा है। एम्बेज़लमेन्ट में आठ दिन में अमाउन्ट रिकवर करने का था लेकिन अब तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। मेरा मन्त्री महोदय से निवेदन है कि वे बतायें कि उन केसेज़ में क्या एक्शन लिया गया?

श्री भीखाभाई ; अध्यक्ष महोदय, मैंने निवेदन कर दिया। आज उस केस को और देखूंगा और जो कुछ हो सकेगा करूंगा।

श्री अध्यक्ष : इन ग्राम पंचायत चुनावों से पहले।

प्रश्न संख्या ५०६

कुंवर श्री महेन्द्रसिंह

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या ५१०

श्री मथुरेशबिहारी माथुर

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

श्री नत्थीसिंह।

मेव परिवारों को जमीनों व मकानों की वापसी

५११. श्री नत्थीसिंह (गोविन्दगढ़) : क्या पुनः संस्थापन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) अलवर व भरतपुर में ऐसे कितने मेव परिवार हैं जिनको उनकी जमीन व मकान वापिस नहीं प्राप्त हुए ?

(२) इनको अब तक इनके मकान व जमीन वापिस क्यों नहीं किये गये ?

(३) क्या अब सरकार इनके मकान व जमीन दिलाने का विचार रखती है ? अगर हां, तो कब तक ?

पुनः संस्थापन मन्त्री (श्री भीखाभाई) : (१) अलवर जिले में १६१ मेव परिवारों को २२५१ बीघा ५ बिस्वा और भरतपुर जिले में १८१० परिवारों को २६१३१ बीघा रकबा देना शेष है। जहां तक मकानों का सवाल है अलवर में घर सब मेवों को वापिस दिये जा चुके हैं। भरतपुर में जिन मेव परिवारों को मकान वापिस नहीं मिले हैं उन्हें राजस्थान राज्य सरकार द्वारा १००) रु० प्रति परिवार मुफ्त दिये जा चुके हैं।

(२) अलवर जिले में सम्बन्धित मेव दूसरे ग्रामों में भूमि लेने को तैयार नहीं थे और उनके ग्रामों में भूमि देने को उपलब्ध नहीं थी। इसी प्रकार भरतपुर जिले में मेव परिवारों के वापस लौटने पर जो मकान व जमीन उनकी खाली थी वह उनको दे दी

(श्री भीखाभाई)

गई। खाली न होने की सूरत में उनके क्लेम के अनुसार वहां पर दूसरी जगह जितनी खाली थी वहां पर बदले में दे दी गई और मकान खाली न होने की सूरत में उनको प्रति परिवार १००) रु० की फ्री ग्रान्ट दी गई है।

(३) मकानों के लिए १००) रु० प्रति परिवार के हिसाब से दिया जा चुका है। जमीन खाली होने पर मेव परिवारों को देने का विचार सरकार द्वारा किया जा सकता है।

जिलाधीश अलवर ने समस्त तहसीलदारों को आदेश दे दिया था कि जिन मेवान की कमी पूरी करनी है उनकी सूची बना ली जावे तथा उनकी मांग दूसरे पास के या तहसीलों में जमीन उपलब्ध होने पर पूरी कर दी जावे। इस तरह की विस्तृत सूची तहसीलों के सूचना पट पर लगा दी गई थी ताकि ऐसे मेवान मालूम कर सकें कि उनकी भूमि की कमी कहां पूरी की जा रही है ?

श्री नत्थीसिंह : अध्यक्ष महोदय, जब से मेव वापिस आये हैं तब से यह प्रश्न चल रहा है और हाउस में कई बार आया है और इस तरह इसको टाल देते हैं। हमारे यहां १०० से ऊपर मेव फैमीलीज़ हैं, उनमें से किसी को भी नहीं मिला है और अलॉटमेन्ट होता है तो जमीन इधर-उधर हो जाती है। मन्त्री महोदय यह बतायें कि गोविन्दगढ़ में कितनों को जमीन दी गई।

श्री भीखाभाई : गांव-वार मेरे पास लिस्ट नहीं है। मेरे पास तहसील की लिस्ट में कुछ सूचना है। अलवर, बारां, लक्ष्मणगढ़ इनमें मेव बसे हैं। इन परिवारों को कितनी-कितनी जमीन देना, कितनी-कितनी दी जा चुकी है उसकी सूचना उपलब्ध है, लेकिन गांववाइज़ मेरे पास सूचना नहीं है।

श्री नत्थीसिंह : लक्ष्मणगढ़ को ही बता दीजिये। लक्ष्मणगढ़ तहसील में गोविन्दगढ़ भी आ जाता है।

श्री भीखाभाई : लक्ष्मणगढ़ में २१८ मेव परिवार हैं। इनको जमीन देनी है वह २२०८.८२ है उसमें से ५२ परिवारों को जमीन दी गई है वह है २२१.६ और भूमि देनी है उनको बाकी है वह १६८० बीघा।

—**श्री नत्थीसिंह** : यह कब तक पूरी होगी ? कब तक यह स्थिति रहेगी ? पहले प्रश्न आया था उस वक्त आपने फरमाया था कि वे बाहर जाने के लिये तैयार नहीं हैं और वे उसी तहसील में ही लेना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि उनको कहीं भी जमीन दे दीजिये। बाकी जमीन कब तक दे देंगे ? बार बार आश्वासन तो देते हैं लेकिन जमीन देने की कार्यवाही करते नहीं।

श्री भीखाभाई : राज्य सरकार की ओर से तमाम तहसीलदारों को आदेश दे दिया है कि जितनी जमीन जहां है वह बतादें, जितनी जमीन दी जा सकती है वह दे दें और जमीन कोई रबड़ तो नहीं है जो खींचने से बढ़ जावेगी। जमीन की कमी है और जमीन उपलब्ध नहीं है, यह प्रश्न है। माननीय सदस्य सहयोग दे सकते हैं और बता सकते हैं कि यह जमीन है और वह नहीं दी जा

(श्री भीखाभाई)

रही है तो पूरी कोशिश सरकार की ओर से की जायगी कि उनको जमीन मिले ।

श्री नत्थीसिंह : अध्यक्ष महोदय, अलॉटमेन्ट कमेटी बैठती है और सिवाय चक में से जमीन देती है लेकिन निजी जमीन की पूर्ति नहीं होती है । वे लोग हर जगह जाने के लिये तैयार हैं कि कहीं भी उनको जमीन दी जाय, भूमिहीनों को जमीन मिल जाती है । इनकी निजी बिस्वेदारी की जमीन थी, सन् ४७ में इधर-उधर हो गये, इसलिए वह जमीन गड़बड़ी में पड़ गयी और इसलिए उनको जमीन नहीं दे रहे हैं । आप उनको कहीं पर भी जमीन दे दें ।

श्री अध्यक्ष : श्री नत्थीसिंह ।

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर): जो परिवार की सूची बताई है उनमें से कितने ऐसे परिवार हैं जिनको दूसरी जगह जमीन लेने की ऑफर दी हो और उन्होंने मना कर दिया हो ?

श्री भीखाभाई : जहां जमीनें चाहीं वहीं मिल गई । इसकी डिटेल्ड सूचना मेरे पास नहीं है अभी, जहां उन्होंने चाहा है वहां ऑप्शन दिया है । पर यह तथ्य है कि जमीन की कमी है वहां पर । पर जहां है वहां उनके ऑप्शन देने की सूचना तहसीलदार के पास भेज दी गई है ।

श्री नत्थीसिंह (गोविन्दगढ़) : आपने मकान नहीं दिये, सौ रुपये दिये, यह किस आधार पर दिये ?

श्री भीखाभाई : यह सवाल कई बार उठाया गया है । कच्चे मकानों के तौर पर दिया गया था ।

श्री नत्थीसिंह : ये सौ रुपये दिये ही नहीं गये साहब । लक्ष्मणगढ़ में दिये ही नहीं गये, यह मैं कह सकता हूं । जिसकी एक लाख की बिल्डिंग थी उसको सौ रुपया आप देना चाहते हैं और वह भी नहीं मिला । मैं सही कहता हूं, आपकी इन्फॉर्मेशन गलत है । हमारे यहां किसी को सौ रुपया नहीं मिला । अध्यक्ष महोदय, पिछली बार जब पूछा गया तो मन्त्री महोदय ने यह फरमाया था कि मकानों का मसला हमारे पास नहीं । इसका सम्बन्ध सेन्टर से है, उसी को रेफर करेंगे । अब कहते हैं सौ रुपये दे दिये ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : सौ रुपये की बिल्डिंग के लिए एक लाख भी तो ये दे देते हैं ।

श्री नत्थीसिंह : और वे सौ रुपये भी नहीं मिले ।

श्री भीखाभाई : अगर ऐसी बात है, तो इस मामले को और देखा जावेगा ।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना): सवाल यह है कि जिनका मकान गया है, उसको कम्पेन्सेशन दिया जावे । चाहे आप दें, चाहे सेन्टर से लड़कर दिलाये । तो क्या यह क्षतिपूर्ति देने का सरकार का इरादा है ?

श्री भीखाभाई : माननीय सदस्य ने जो प्रश्न उठाया है, मैं उसकी डिटेल में नहीं जाकर यह कहना चाहता हूं कि वहां पर रुपया दिया गया है। अब वह नहीं मिला तो इसकी छानबीन की जा सकती है।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न टाल दिया गया है। या तो इसे 'हां' में कहें या 'ना' में कहें। साफ उत्तर दें कि जिनके मकान चले गये उनको आप उनके मकान का पूरा मुआवजा देने की बात स्वीकार करते हैं या नहीं? आज १७-१७ वर्ष हो गये। आप तय नहीं कर पाये इस मसले को। तो आखिर उनको कोई सहारा मिल सकेगा या नहीं, यह तो कहें।

ग्राम बेदला तहसील गिरवां के कृषक को तकावी न मिलने की जांच

५१२. **श्री जोधसिंह चौहान** (गिरवा) : क्या विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि ग्राम बेदला तहसील गिरवां में नाथू कुम्हार पिता मोडा कुम्हार को ३०००) रुपये की तकावी दी गई है?

(२) क्या यह सही है कि वह रकम उसके पास नहीं पहुंची और सारे कागजात की पूर्ति कर ली गई है?

(३) क्या यह भी सही है कि उसने रकम नहीं मिलने के बाबत कोई दरख्वास्त बी. डी. ओ. जिलाधीश, सचिव, जिला परिषद्, उदयपुर और इन्सपेक्टर एन्टी-करप्शन उदयपुर के पास पेश की है? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है?

(४) क्या गिरवां तहसील के और भी इस प्रकार के मामले सरकार के ध्यान में आये हैं? यदि हां, तो नामों सहित सूची सदन की मेज हर रखने की कृपा करें।

विकास मंत्री (श्री भीखाभाई) : (१) रेकॉर्ड में ३०००) रुपये की तकावी दिया जाना पाया जाता है।

(२) जी हां, प्रारम्भिक जांच से ऐसा पाया गया है।

(३) जांच के दौरान दरख्वास्त पेश की गई थी व उस पर वसूली के आदेश स्थगित कर दिये हैं।

(४) जी हां, सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : (आवाज स्पष्ट सुनाई नहीं देने पर) माननीय मंत्रीजी जवाब दें तो सुनाई नहीं देता, यह माइक पर दिया करें। यह उनका डिफेक्ट नहीं है माइक का डिफेक्ट है। हमें कुछ सुनाई नहीं देता।

श्री भीखाभाई : मैं तो बहुत स्पष्ट कहता हूं।

श्री अध्यक्ष : ये आपके लिये नहीं कह रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह : आप तो बहुत तेज बोलते है, आपकी आवाज बुलंद हैं, स्पष्ट हैं, पर बदकिस्मती हमारी है । माइक की इस आवाज को हम सही प्रकार से समझ नहीं पाते । हम तो केवल अन्दाज लगाते हैं उनके हिलते हुए होठ देखकर कि उनके मुंह में से क्या शब्द निकले हैं ।

श्री रामकिशन (वैर) : आपकी तो बगैर माइक के भी आवाज सुनाई देती है ।

श्री सम्पतिलाल बोहरा (मावली) : तीन हजार रुपये उसको नहीं दिये गये और दूसरे को दे दिये, इसलिये इसकी वसूली स्थगित कर दी गई तो ठीक है, पर फिर उसकी वसूली जिसको दी गई उससे करने के लिए या अन्य क्या कार्यवाही की गई ? यह तीन हजार किस प्रकार वसूल किया जा रहा है ? जिसको दिये उससे क्यों नहीं मिले ? जिन्होंने देने में गलती की उनके खिलाफ आप क्या एक्शन ले रहे हैं ?

श्री भीखाभाई : यह मामला जांच में है । कुछ आदमियों को सस्पेंड किया गया है । डिप्टी कमिश्नर इन्क्वायरी के यह मामला सुपुर्द कर दिया गया है । इसलिए रुपया अभी वसूल नहीं किया जा रहा है । कुछ केसेज़ और आये हैं ।

श्रीं भैरोंसिंह : यह रुपयों का पेमेंट किस अधिकारी ने किया था ?

श्री भीखाभाई : That has yet to be established.

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक) : तीन हजार की जांच को केस इन्क्वायरी में चला गया, तो फिर उसने क्या इन्क्वायरी की अगर यही मालूम नहीं हुआ कि किसने यह पेमेंट किया ? यह तो पहला काम था पुलिस को आप देते, यह क्रिमिनल केस था ।

श्री भैरोंसिंह : डिप्टी कमिश्नर, जांच इन्क्वाइयरी कर रहा है । जिस समय पेमेंट किया गया जनरल फाइनेन्स रूल्स के अनुसार यह नियम है कि तीन हजार जैसी रकम का पेमेंट किया जावे तो उस पर बड़े से बड़े अधिकारी द्वारा अटेस्टेशन के सिग्नेचर होते हैं, तो उस पर उस समय के किसके सिग्नेचर हैं ? यह तो रेकॉर्ड देखने की बात थी, इस में तो कोई इन्क्वायरी की जरूरत नहीं है ।

श्री भीखाभाई : All the details are not with me.

सम्बन्धित अधिकारियों को आरोप-पत्र दिये गये थे । आरोप-पत्रों की कार्यवाही के बाद यह मामला विभागीय जांच कमिश्नर के सुपुर्द किया गया है ।

श्री भैरोंसिंह : किन किन अधिकारियों को आरोप-पत्र दिये गये ?

श्री अध्यक्ष : सम्बन्धित अधिकारियों को ।

श्री भीखाभाई : नाम ये हैं :

(१) श्री दलपत सिंह........

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, सुनाई नहीं देता आपका जवाब । आप इतने तेज

Page No.15

(श्री भैरोंसिंह)

बोलते हैं। ये जो जवाब दें वह आपके थ्रू हमारे पास आ जावे, ऐसी व्यवस्था हो तो अच्छा है।

श्री अध्यक्ष : मुझ पर बहुत ज्यादा भार डाल रहे हैं यह तो।

श्री भीखाभाई : (२) जगन्नाथ शर्मा, विकास अधिकारी

(३) पदमसिंह

(४) रतनलाल

(५) ब्रजलाल

श्री भैरोंसिंह : इस विभागीय कमिश्नर की जांच से पहले डिपार्टमेंटल इन्क्वायरी हुई थी उस में यह गबन होना माना गया था, पुलिस के पास भी रिपोर्ट भेज दी थी। इसके बाद में आगे जाकर कह दिया कि क्योंकि ये सब लोग इन्वोल्व्ड हैं इसलिए अलग अलग विभागीय जांच करा लें कमिश्नर के थ्रू। तो पुलिस में किसको एन्टी-करप्शन को दिया गया था यह मामला या सिविल पुलिस को?

श्री भीखाभाई : यह इन्फोर्मेशन मेरे पास नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : सिविल पुलिस में या एंटी-करप्शन (डिपार्टमेंट) पुलिस में कहीं यह केस रजिस्टर हुआ?

श्री भीखाभाई : ये सारी डिटेल्स मेरे पास इस समय मौजूद नहीं हैं।

श्री भैरोंसिंह : फिर यहां आने का कष्ट ही क्यों फरमा रहे हैं? डिटेल आपके पास हैं नहीं और क्वेश्चन का जवाब देने यहां यों ही खड़े हो जाते हो।

श्री भीखाभाई : जो जवाब पूछा गया है उसका उत्तर मैंने दिया है। इसके बाद सप्लीमेंट्री की सारी इन्फोर्मेशन मेरे पास हो, यह जरूरी नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : यह फिर आप पढ़ लीजिए, क्वेश्चन के पार्ट तीन को। क्या यह सही है कि उसने रकम नहीं मिलने के बाबत कोई दर्ख्वास्त बी. डी. ओ., जिलाधीश, सचिव जिला परिषद्, उदयपुर और इंसपेक्टर एंटी-करप्शन, उदयपुर के पास पेश की है? यदि हां, तो इस सम्बंध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है?

यह शायद नहीं पढ़ा होगा आपने?

श्री भीखाभाई : मैंने कहा कि उसके लिए जांच करवाई गई है।

श्री अब्दुलजब्बार (निम्बाहेड़ा): पुलिस में एफ० आई० आर० किसने दी, यह तो मामूली बात है।

श्री अध्यक्ष : श्री श्रवणलाल।

श्री भैरोंसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक इस बात की जांच कर ली जाये कि माननीय मंत्री महोदय के हाथ में यह डिपार्टमेंट सुरक्षित है या नहीं।

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : ८ व्यक्तियों को इस प्रकार रुपया दिया गया है और उनको रुपया नहीं मिला है। कितना रुपया किस-किस को दिया गया, यह बताने की कृपा करें ?

श्री भीखाभाई : मैंने कहा कि यह बात मैंने कही थी कि दूसरे केसेज़ भी हैं इसके साथ में। कितना रुपया है, वह सूची आपको दी गई है, शायद आपको मिली होगी।

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : रुपये की सूची नहीं है।

श्री भीखाभाई : उसमें रुपया नहीं लिखा है, इसलिए बता नहीं सकता हूं।

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : इस पंचायत समिति में एक के बाद एक इस तरह के गबन के केसेज़ है और आज दिन तक उसके ऊपर कोई कार्यवाई नहीं हुई है। ९ केसेज तो ऐसे है जिसमें रुपया लिया गया है और उन व्यक्तियों के पास रुपया नहीं पहुंचा है जिनको दिया गया है। इससे ज्यादा और शर्म की क्या बात हो सकती हैं ?

श्री भैरोंसिंह ; शर्म किसी को आती ही नहीं है ?

श्री अध्यक्ष : श्री श्रवणलाल।

बाणगंगा नदी पर पुल, मंडावर

५१३. **श्री श्रवणलाल** (हिन्डौन) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या महुआ से मंडावर जाने वाली सड़क पर बाणगंगा पर कोई पुल बनाने की योजना बनाई गई है ?

(२) यदि हां, तो वह योजना कब आरम्भ होगी और नहीं बनाई गई है तो कब बनायी जायेगी ?

(३) क्या यह सच है कि महुआ से मंडावर जाने वाले रास्ते में बाणगंगा नदी पड़ती है ?

(४) क्या यह भी सच है कि मंडावर एक मुख्य मण्डी है और व्यापारिक कस्बा है ?

(५) क्या यह भी सच है कि बरसात में इस मण्डी का यातायात रुक जाता है ?

(६) क्या यह भी सच है कि मुख्य मंत्री ने इस क्षेत्र की जनता को इस पुल के निर्माण का आश्वासन दिया था ?

(७) यदि हां, तो सरकार इस नदी पर पुल कब तक बनवाने जा रही है ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र) : (१) जी नहीं।

(२) निश्चित नहीं कहा जा सकता।

(३) जी हां।

(४) जी हां।

(५) जी हां, अधिक वर्षा होने पर।

(श्री हरिश्चन्द्र)

(६) इस विभाग को ऐसी जानकारी नहीं है।

(७) प्रश्न नहीं उठता।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : क्या आपने मुख्य मंत्रीजी से जानकारी ली है कि उन्होंने कोई इस प्रकार का आश्वासन दिया या नहीं ?

श्री हरिश्चन्द्र : मैंने कोई जानकारी नहीं ली।

श्री श्रवणलाल : आपने भी चुनावों के सिलसिले में जनता के समक्ष इस तरह का भाषण दिया है कि मैं चुनावों के बाद यहां से सीट कामयाब हो गयी तो जल्दी से जल्दी इस पुल को बनवाने की कोशिश करूंगा ?

श्री हरिश्चन्द्र : जी नहीं।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार का आश्वासन चाहेंगे कि मंत्री-गण आश्वासन तो इस प्रकार के चुनावों के समय दे देते हैं लेकिन बाद में वे उनको पूरा नहीं करते। तो या तो वे चुनावों के समय दौरा न करें और इस प्रकार के आश्वासन न दें इस संबंध में आपकी तरफ से कोई रूलिंग होनी चाहिए।

श्री राधाकृष्ण गोयल : अध्यक्ष महोदय, यह हमारे लिए शोभनीय बात नहीं है।

श्री विजयसिंह झाला : इसके लिए आपकी कोई रूलिंग होना चाहिए।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंह नगर) : इसी तरह के आश्वासन देकर ही तो जीतते हैं।

योजना मंत्री (श्री मथुरा प्रसाद माथुर) : आपके पास और है ही क्या ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : हमारे पास तो सिवाय बददुआओं के और क्या है ?

श्री अब्दुलजब्बार : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न का जो भाग ४ है उसके संबंध में मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इसमें आपने मन्जूर किया है कि वह मण्डी है, व्यापारिक कस्बा है, तो क्या सरकार आश्वासन दे सकती है कि इसकी इम्पोर्टेंस को देखते हुए, व्यापार को बढ़ावा देने के लिए और जनहित को देखते हुए इस पुल को बनाने के लिए सरकार आश्वासन दे सकती है ?

श्री हरिश्चन्द्र : अभी मैं कोई आश्वासन नहीं दे सकता।

श्री रामकिशन (गैर) : अध्यक्ष महोदय, तीसरी पंचवर्षीय योजना में इस तरह के प्रावधान किये गये हैं कि मुख्य मुख्य कस्बों को, जिनको पुलों से नहीं मिलाया है, वे इसमें मिलाये जायेंगे, तो क्या ऐसी कोई योजना है ?

श्री हरिश्चन्द्र : अभी कई ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं कि जो आलवेदर रोड से नहीं मिले हैं और फिर गांव हैं उनकी बात आती है, वहां आॅल वेदर रोड बनाई जायेगी। यह फिलहाल आश्वासन नहीं दे सकता कि जो

Page No.18

(श्री हरिश्चन्द्र)

पांच हजार या तीन हजार की आबादी के गांव है वहां इस प्रकार के पुल बनवा देने का आश्वासन नहीं दे सकता।

श्री रामकिशन : जयपुर से हिन्डौन यह सड़क जाती है और यह एक कस्बे से दूसरे कस्बे को जोड़ती है, जयपुर से करौली जाने वाले भी यहां से जाते हैं।

श्री हरिश्चन्द्र : आश्वासन नहीं दे सकते, विचार कर सकते हैं।

श्री अब्दुलजब्बार (निम्बाहेड़ा) : प्रायोरिटी में तो ले सकते हैं। पुल से अनेक फायदे हैं; मण्डी का डेवलमेन्ट होता है, व्यापार की आमदानी होती है और इम्पोर्टेन्स बढ़ती है। उस इम्पोर्टेन्स को देखते हुए जहां जिले का कहा और डिवीज़न को या तहसील को मिलाने का, कहा इस संबंध में मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि उदयपुर से निम्बाहेड़ा तक जो दुर्दशा सड़क की है............

श्री हरिश्चन्द्र : This is not relevant to the question.

श्री अब्दुलजब्बार : अध्यक्ष महोदय, मैं उसूल की बात कहता हूं।

श्री हरिश्चन्द्र : तो उसके लिए आप अलग से प्रश्न कर लें। यह प्रश्न कहां का है और आप बात कहां की कर रहे हैं ?

श्री अब्दुलजब्बार : यह प्रश्न का भाग (४) है। यहां मण्डी है, कस्बा है, व्यापार होता है; तो क्या सरकार जरूरी समझती है कि यहां पुल बनाना आवश्यक है या नहीं ?

श्री श्रवणलाल : जैसा मंत्री महोदय ने प्रश्न के भाग (४) और (५) में साधनों की कमी के कारण, मण्डी के अभाव के कारण इतना यातायात रुक जाता है कहा है तो क्या इस आभाव के कारण मंत्री महोदय आश्वासन दे सकते हैं कि अगली योजना में इस पुल के निर्माण की स्वीकृति के लिए विचार किया जायेगा ?

श्री हरिश्चन्द्र : उसके बारे में मैं अभी कोई आश्वासन नहीं दे सकता जब तक कि मुझे यह न मालूम हो कि कितनी धन राशि मिलेगी।

श्री विजयसिंह झाला : आप तो पंचायतों के चुनावों के समय दौरा करने पर ही आश्वासन दे देना।

श्री अध्यक्ष : श्री हरिप्रसाद शर्मा।

केशवरायपाटन में बिजली की मांग

५१४ **श्री हरिप्रसाद शर्मा** (पाटन) : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि बूंदी जिले में केशवराय पाटन कोटा से ७ मील दूरी पर है जिसकी आबादी करीब ५ हजार है और नगरपालिका का प्रशासन है ?

Page No.19

(श्री हरिप्रसाद शर्मा)

(२) क्या यह सही है कि वहां की जनता ने लम्बे अर्से से बिजली लेने की मांग रखी है और करीब ३०० प्राइवेट कन्ज्यूमर, ४ आयल मिल्स व ५ फ्लोर मील्स इस समय मौजूद है जो बिजली लेना चाहते हैं ?

(३) क्या यह सही है कि जल प्रदाय योजना के लिये भी बिजली की आवश्यकता है तथा ये क्षेत्र चम्बल प्रोजेक्ट एरिया के मध्य में है जहां कई प्रकार के उद्योग खुलने की सम्भावना है ?

(४) बूंदी जिले के कौन से कस्बे व ग्रामों में कब तक बिजली देने की व्यवस्था की जा रही है ?

उप-मंत्री, विद्युत (श्री चन्दनमल) **वैद** :

(१) जी नहीं, यह ८ मील की दूरी पर है ।

जी नहीं, आबादी ५००० से कम है ।

(२) जी नहीं ।

(३) इस सम्बन्ध में कोई भी प्रार्थना-पत्र उपलब्ध नहीं है । यह ठीक है कि यह चम्बल एरिया के अन्तर्गत है परन्तु उद्योगों के लिये हमारे पास कोई प्रार्थना-पत्र उपलब्ध नहीं है ।

(४) बूंदी जिले के नैनवा ग्राम में अगले वर्ष बिजली देने की सम्भावना है ।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैंने आपने प्रश्न में पूछा है कि केशवरायपाटन कोटा से सिर्फ ७ मील है और मंत्री महोदय ने ८ मील बताया है, तो यह तो केवल १ मील का अन्तर है । तो एक मील ज्यादा होने से शायद आप बिजली नहीं दे सके, यह आपने एडमिट किया है और आपने कहा कि आबादी भी ५ हजार नहीं है, तो क्या आप बता सकते हैं कि केशवरायपाटन की कितनी आबादी है और कोटा से इतनी सी दूर होने के बावजूद भी क्यों नहीं बिजली दी गई ?

श्री चन्दनमल वैद : इसकी आबादी ४,७०० है ।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : अध्यक्ष महोदय, सिर्फ ३०० की जन संख्या कम होने के कारण नहीं दी गई बिजली ?

योजना मंत्री (श्री मथुरादास माथुर) : आप आबादी बढ़ाने की जल्दी कोशिश करें ।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : आपने यह एडमिट किया है कि ५ हजार तक की आबादी के कस्बे को बिजली की योजना में सम्मिलित किया जायेगा । अब कोई कस्बा ऐसा हो सकता है जिसकी आबादी दो सौ कम हो, चार सौ कम हो तो क्या उसको कन्सीडर नहीं करोगे ।

विद्युत मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र) : इसके लिये कहना चाहता हूँ कि केशवरायपाटन के बारे में प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार हो रही है, लेकिन हम

(श्री हरिश्चन्द्र)

कोशिश करेंगे, परन्तु इसके लिए कोई कमिटमेन्ट नहीं कर सकता ।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : पांच हजार से ऊपर के जितने भी कस्बे हैं उनमें भी बिजली कुछ को नहीं दी गई, इसका क्या कारण है ?

श्री हरिश्चन्द्र : ५ हजार से ऊपर के जितने भी कस्बे हैं उनके लिए आप बता दें कि किनको नहीं दी गई ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : अध्यक्ष महोदय, सरकार क्या इस बात की कोशिश करेगी सदन को इन्फोर्म करने की जो टार्गेट्स बनाये थे १९६२-६३ में वहां पहुंचेंगे और १९६३-६४ में वहां पहुंचेंगे और आपने जो डिटेल्स बनाई थीं उसकी पूर्ति कहां कहां हो गई और कहां कहां नहीं हुई है इस तरह का स्टेटमेंट सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : और १९६४-६५ में कहां तक पहुंचेंगे ?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : ईयरवाइज़ आपने जो टार्गेट्स डिक्लेयर किये हैं उनका स्टेटमेंट सदन की मेज पर रखें। बेचारे लोग तीन-तीन साल तक इन्तजार करते हैं और बिजली नहीं पहुंचती है। आप जो टार्गेट्स डिक्लेयर करते हैं और आपका इस सम्बन्ध में जो स्टेटमेंट है उन टार्गेट्स के माफिक आप कितने पीछे हैं और कितने आगे बढ़े हैं और किन २ जगहों पर बढ़े हैं और जहां बढ़े होंगे वह जगह भी बड़ी पर्टीकुलर होगी। इसलिए इस तरह का एक स्टेटमेंट सदन की मेज पर कम से कम रखा जाये ।

श्री हरिश्चन्द्र : मेरा ख्याल है कि ऐसा कोई भी उदाहरण नहीं होगा जहां लोगों को तीन-तीन साल इन्तजार करना पड़ा हो ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मैं कह सकता हूं, खुद मेरी कॉन्स्टीट्यूएन्सी में आपकी महरबानी से नसीराबाद एक साल के बाद पहुंची है ।

श्री हरिश्चन्द्र : तो एक साल और तीन साल में तो बहुत फर्क है ।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : कांग्रेस के सदस्य में तो इतना अन्तर रहेगा ही।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : आपके टार्गेट्स फेल हो रहे हैं और योजना के अनुसार पूरे नहीं हो सके; इसलिए मैं चाहता हूं कि आपने जो टार्गेट्स बनाये हैं उनकी एक कम्पेरेटिव लिस्ट सदन की मेज पर रख दी जाय ।

श्री चन्दनमल बैद : यह प्रश्न बिल्कुल भिन्न है ! केशवरायपाटन से इसका कोई ताल्लुक नहीं है । वहां पर आबादी ५ हजार से कम है । वह इससे बिल्कुल भिन्न है ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, सवाल नहीं पूछ रहा हूं ।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, तीसरी पचवर्षीय योजना प्रारम्भ होने से पहले क्या सरकार या इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने

(श्री भैरोंसिंह)

बूंदी जिले के लिए इस प्रकार का ड्राफ्ट तैयार किया था कि बूंदी जिले में अमुक–अमुक कस्बे में जनसंख्या ५ हजार से ज्यादा होगी तो उनको बिजली दी जायगी और क्या उनमें केशवरायपाटन का नाम था ?

श्री हरिश्चन्द्र : ५००० से ज्यादा का तो एक नैनवा ही गांव है और वहां पर बिजली पहुंचाने के लिए प्रबन्ध किया जा रहा है। नैनवा में दो जगह से बिजली जा सकती है, या तो जा सकती है नगर या उनियारा के पास से या आपके पास देही से आ सकती है। उसके लिए सर्वे करा चुके हैं। केशवरायपाटन का सवाल है तो उसका लोड सर्वे आने के बाद लोड डेवलप हो सकता है, उसमें गुन्जाइश होगी तो we will take, bup that, but to give assurance today is not possible. If the load survey gives a justification, we will certainly get it included.

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : ६१ में जनगणना हुई है और आपके अनुसार यह ५ हजार की आबादी होगी सन् ६१ में, तो ६३ के बाद में तीन साल में आप यह महसूस नहीं करते हैं कि वहां पर ३०० की आबादी नहीं बढ़ सकती है।

श्री हरिश्चन्द्र : We have to take a certain basis. It has to be taken on the basis of the Census of 1961.

श्री मुरलीधर व्यास : प्लानिंग में परसेन्टेज के आधार पर आबादी बढ़ती है। उस परसेन्टेज को आपको मानना पड़ेगा।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : क्या यह सही है कि ५००० की कम की आबादी में भी बिजली दी गई है कहीं ?

श्री अध्यक्ष : Order please! Next.

नमक उत्पादन हेतु भूमि का अलॉटमेंट

५१५. **श्री हनुमानसिंह चौधरी** (नावां): क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) सरकार ने राजस्थान में नमक उत्पादन हेतु आज तक कितनी एकड़ भूमि अलॉट की है ?

(२) उक्त अलॉटमेंट कौन से नियमों के अन्तर्गत किया गया है ?

(३) क्या यह सही है कि उक्त भूमि राजस्व विभाग द्वारा बिना हस्तान्तरित किये उद्योग विभाग ने अलॉट कर दी ?

(४) क्या यह सही है कि सारगोठ (तहसील नावां) के खारेड़ में करीबन ३०० एकड़ भूमि विभिन्न पार्टियों को राजस्थान सॉल्ट अलॉटमेंट रूल्स प्रभावशील होने से पूर्व ही अलॉट कर दी गई ? यदि हां, तो क्यों ?

(५) क्या यह भी सही है कि जसवन्तगढ़ के खारड़े में भी पृथ्वीराज गगड़ नाम की एक पार्टी को भूमि अलॉट की गई है? यदि हां, तो कितनी भूमि कितने समय के लिए और कौन से नियम के अन्तर्गत अलॉट की गई है ?

(श्री हनुमानसिंह चौधरी)

(६) क्या यह भी सही है कि उक्त भूमि का अलॉटमेंट, सम्बन्धित भूमि को सेलाइन क्षेत्र घोषित किये बिना, नियम बनाये बिना, प्रार्थना–पत्र आमन्त्रित किये बिना व संबंधित भूमि को राजस्व विभाग से हस्तांरित कराये बिना ही, कर दिया है ?

(७) क्या इस प्रकार का अलॉटमेंट गैर कानूनी था ? यदि हां, तो सरकार उक्त अलॉटमेंट को खारिज करने का इरादा रखती है ?

उप मंत्री, उद्योग (श्री चन्दनमल वैद) : (१) करीबन १०,२७५ एकड़ भूमि अलॉट से की है।

(२) ५६–६० में बापरिण में, सन् ६२ में कुचामन खारड़े में जिन रूल्स के अनुसार अलॉटमेंट हुए हैं उन रूल्स की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गई है। सन् ६३ में जो अलॉटमेंट हुए हैं वे राजस्थान लैंण्ड रेवेन्यू (सेलाइन एरिया अलॉटमेंट) रूल्स, १६६२ के अनुसार हुए हैं।

(३) नहीं।

(४) हां। यह भूमि भारत सरकार द्वारा सन् ४८ में प्रकाशित प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार सन् ५७ में अलॉट की गई थी। राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू (सेलाइन एरिया अलॉटमेंट) रूल्स, १६६२ में बने हैं।

(५) हां। ४६ बीघा ११ बिस्वा भूमि नमक बनाने के लिए प्रयोगिक आधार पर दी गई थी, समय की अवधि नहीं दी थी।

(६) यह अलॉटमेंट राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू (सेलाइन एरिया अलॉटमेंट) रूल्स, १६६२ के बनने के पहले किया गया था अतः रूल्स के तहत की जाने वाली कार्यवाहियों को करने का प्रश्न नहीं उठता।

(७) नहीं। प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री हनुमानसिंह चौधरी : बापरिण के लिए पर्टीक्यूलरली अलग रूल्स बनाने के लिए कैसे नौबत पैदा हुई है ?

श्री चन्दनमल वैद : जो सेलाइन एरिया अलॉटमेंट रूल्स बने हैं वे ६२ में बने हैं उससे पहले जो अलॉटमेंट्स हुए हैं वे किन रूल्स के तहत हुए हैं, उसका पूछा था इस लिए ऐसे रूल्स की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी है।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : रूल्स बनने के कितने दिन पहले किया था अलॉटमेंट ? ६२ के रूल्स बनने के कितने पहले उस जमीन का अलॉटमेंट किया था ?

श्री चन्दनमल वैद : कौन सी का पूछ रहे हैं ?

श्री भैरोंसिंह : बापरिण का। यह ६२ के रूल्स से कितने दिन पहले किया था ?

श्री चन्दनमल वैद : निश्चित तारीख तो मैं अभी नहीं दे सकता हूं। रूल्स के तहत अलॉटमेंट जुलाई, ६३ में हुए हैं, यह काफी पहले हो गया था।

Page No.23

श्री भैरोंसिंह : रूल्स ६२ में गजट में प्रकाशित हुए हैं और ६२ के दिसम्बर महीने तक जमीन का अलॉटमेंट किया गया था क्या ?

श्री चन्दनमल वैद : मैं निश्चित तारीख तो नहीं कह सकता हूँ। हां, छापर और जसवन्तगढ़ में जहां कि आज तक नमक नहीं निकला था तो कुछ पार्टीज़ ने आकर यह कहा कि प्रयोग के आधार पर वे नमक बनाना चाहते हैं और जमीन वहां पर सरकारी फालतू पड़ी हुई थी और वे १५ रुपये एकड़ उसका देना चाहते थे, तो हमने सोचा कि पार्टीज़ एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर नमक बनाना चाहती है तो एक्सपेरिमेंटल तौर पर जमीन अलॉटकरने में कोई दिक्कत नहीं है, और अध्यक्ष महोदय, यह खुशी की बात है कि कई जगह पर हजारों मन नमक पैदा हुआ है और सैकड़ों आदमियों को रोजगार मिला है।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि ६२ के अन्दर डाइरेक्टर ऑफ इन्डस्ट्रीज़ ने उन सारे आदमियों की दर्ख्वास्तों को खारिज कर दिया कि सरगेठा, कुचामन के खारड़ों की जमीन के अलॉटमेंट की एप्लीकेशन्स के लिए नये रूल्स बनने वाले हैं उनके मातहत दी जायं और जितनी भी दर्ख्वास्तें आई उनको वापिस कर दिया है ?

श्री चन्दनमल वैद : सुजानगढ़ के लिए जुलाई, ६२ में यह आदेश दिये गये थे कि रूल्स बनने के बाद, रूल्स के तहत अलॉटमेंट होगा इसलिए रूल्स के तहत अलॉटमेंट किया गया, लेकिन जसवन्तगढ़ और छापर की बात आप कहना चाहते हैं तो केवल इन्हीं लोगों की एप्लीकेशन्स रूल्स बनने के पहले आई थीं, तो सर्वे कराया गया कि सचमुच में जो पार्टीज़ कह रही हैं वे सत्य भी हैं। सर्वे के आने के बाद में यह किया गया है।

श्री भैरोंसिंह : रूल्स बने जुलाई, ६३ में और दिसम्बर, ६२ तक जिन लोगों ने एप्लीकेशन्स दीं वे एप्लीकेशन्स यह कह कर लौटा दीं कि जल्दी ही रूल्स बनने वाले हैं और नये रूल्स के आधार एलॉटमेंट किये जायेंगे इसलिए इन दर्ख्वास्तों पर विचार नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार के आदेश डाइरेक्टर ऑफ इन्डस्ट्रीज़ ने उन एप्लीकेन्ट्स को, सब को, लिख कर अलग अलग दिये हैं।

श्री चन्दनमल वैद : मैं समझता हूं कि मेरी जानकारी में ऐसा नहीं है और ऐसा नहीं किया है।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि रूल्स गजट में प्रकाशित हुए और सरकार ने जिस समय उन पर निर्णय लिया यानी जिस दिन गजट में पब्लिकेशन हुआ और सरकार के ऑर्डर्स जिस दिन फाइनल हुए, गवर्नमेंट ने फाइनल पॉलिसी ले डाउन की है, उस बीच के अर्से के अन्दर नमक के प्लॉट अलॉट किये गये हैं ?

श्री चन्दनमल वैद : मैं समझा नहीं।

श्री भैरोंसिंह : जिस दिन गवर्नमेंट ने डिसीज़न लिया कि रूल्स बनेंगे और रूल्स बने और गजट में पब्लिकेशन के लिए दे दिये, लेकिन अनफ़ाचुनेटली हमारे यहां प्रेस

Page No.24

(श्री भैरोंसिंह)

में ज्यादा टाइम लगता है। तो जिस दिन यह डिसीज़न लिया और जिस दिन गजट में रूल्स पब्लिश हुए इस बीच में अलॉटमेंट किया गया है क्या ?

श्री चन्दनमल वैद : रूल्स बनाने की बात ६२ में चल रही थी, इसलिए यह कहना कि रूल्स बनाने की मन्शा और रूल्स बनने के बीच में अलॉटमेंट हुए हैं वह मैं अभी निश्चित तौर से नहीं कह सकता हूँ।

श्री भैरोंसिंह : मेरा सवाल यह नहीं है। मेरा सवाल यह है कि गवर्नमेंट ने रूल्स के ड्राफ्ट को फाइनली एप्रूव्ड कर लिया और एप्रूव्ड करने के बाद गजट में पब्लिकेशन के लिए भेज दिया, तो गवर्नमेंट के फाइनल एप्रूवल से लगा कर गजट में एक्चुअली जिस दिन पब्लिकेशन हुआ उस बीच में जमीनें अलॉट की गई हैं ?

श्री चन्दनमल वैद : जब तक सारी तारीखें मौजूद नहीं हों उस समय तक बिल्कुल केटेगोरिकली ऐसा हुआ है, मैं नहीं कह सकता हूं।

श्री भैरोंसिंह : क्या आप बता सकते हैं कि फाइनल डिसीज़न कब लिया गया रूल्स फ्रेम करने का ?

श्री चन्दनमल वैद : जब तक सारी तारीखें मौजूद नहीं हों तब तक मैं निश्चित उत्तर नहीं दे सकता किस दिन निर्णय लिया गया और किस दिन गजट में प्रकाशित हुआ है; उस समय तक केटेगोरिकली कहना मुनासिब नहीं है मेरे लिए।

श्री भैरोंसिंह : केबीनेट ने जिस दिन डिसीज़न लिया है क्या उस डिसीज़न के बाद में कोई भी अलॉटमेंट नहीं किया जा सकता था ?

श्री चन्दनमल वैद : यह मैं नहीं कह सकता जब तक मेरे सामने तारीख नहीं हो, क्योंकि रूल्स जो बने हैं उनका फाइनल डिसीज़न केबिनेट से हुआ है, कौंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से हुआ है। इस वास्ते जब तक मेरे सामने तारीख मौजूद नहीं हो कि कौंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने किस तारीख को डिसीज़न लिया है, तब तक निश्चित रूप से कहना मेरे लिए सम्भव नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : मैं तारीख की बात नहीं कहता हूं, मैं सेक्रेटेरियेट मेनुअल और प्रोसीजर की बात कहता हूं। जिस दिन गवर्नमेंट ने एक डिसीज़न लिया उसके बाद में कोई भी जमीन का अलॉटमेंट नहीं होगा, वह रूल्स के अन्तर्गत ही होगा।

श्री चन्दनमल वैद : माननीय सदस्य चाहें तो अलग से सूचना दे सकता हूं, इस समय नहीं कह सकता हूं। मैं समझता हूं कि ऐसा नहीं हुआ है।

श्री भैरोंसिंह : केबिनेट मिनिस्टर बतायेंगे कि केबिनेट डिसीज़न के बाद क्या कोई ऐसा एक्शन लिया जा सकता है ?

Page No.25

श्री चन्दनमल वैद : मेरी समझ में ऐसा नहीं हुआ है। इस समय मैं इस स्थिति में नहीं हूं कि केटेगोरिकली यह स्टेटमेंट दूं कि हुआ है या नहीं हुआ है।

श्री भैरोंसिंह : मैं केवल एक क्वेश्चन के बारे में पूछ रहा हूं। केबिनेट ने जो डिसीज़न ले लिया कि रूल्स बनेंगे और जमीन का अलॉटमेंट नहीं करेंगे तो रूल्स बने या नहीं बने, उस डिसीज़न के बाद उस डिसीज़न को एक्शन में इम्लीमेंट किया जा सकता है या नहीं, यह क्वेश्चन है।

श्री उद्योग मन्त्री (श्री हरिश्चन्द्र) : मैं समझता हूं कि केबिनेट ने जो डिसीज़न ले लिया है वह फाइनल है और उसमें तरमीम करने का सवाल नहीं है जब तक कि फिर वह केबिनेट में नहीं जाय। लेकिन जो माननीय सदस्य ने कहा इसके बारे में ऐसे कोई फेक्ट्स लाये जायं जिसके जरिये से यहां इस बात की जांच की जा सकती है कि क्या हुआ, क्या नहीं हुआ ऐसी हालत में we will certainly look into the case.

(१२ मध्यान्ह)

श्री भैरोंसिंह : मैं मंत्रीजी से इस बात के लिये निवेदन करना चाहूंगा कि व स्वयं इस बात को देखलें, हम भी फेक्ट्स देंगे लेकिन वे स्वयं देखते कि केबिनेट डिसीज़न के बाद गजट नोटिफिकेशन से पहले अलॉटमेन्ट हुआ है ?

श्री चन्दनमल वैद : मेरे ख्याल से ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन माननीय सदस्य कहते हैं तो हम फिर देख लेंगे।

श्री हनुमानसिंह चौधरी: जसवन्तगढ़, खारड़ा में पहले एलॉटमेंट कैसे हुआ ?

श्री चन्दनमल वैद : रूल्स बनने से पहले एक्सपेरिमेन्टल बेसिस पर हुआ। एक्सपेरिमेन्ट के तौर पर जो फालतू जमीन पड़ी थी वह अलॉट कर दी गई ?

श्री हनुमानसिंह चौधरी : कितने समय के लिये अलॉट कर दी गई ?

श्री चन्दनमल वैद : बाद में उसको रेग्यूलराइज कर दिया गया। रूल्स में १० साल के लिये प्रावधान है।

श्री हनुमानसिंह चौधरी : पर्टीक्युलर्ली न तो इसके लिये एप्लीकेशन्स कॉल की गईं, न इसको डिमार्केट किया गया, न रेवेन्यू डिपार्टमेन्ट से सेलाइन एरिया डिक्लेयर कराया गया; उसके पहले ही जमीन कैसे अलॉट कर दी गई ?

श्री चन्दनमल वैद : मैं पहले ही कह चुका हूं कि रूल्स बनने से पहले एक्सपेरिमेन्ट के लिये अलॉट कर दी गई थी इसलिये रूल्स के अन्तर्गत सेलाइन एरिया डिक्लेयर करने का और दूसरी कार्यवाही करने का प्रावधान है उसको अमल में लाने की जरूरत नहीं थी।

श्री हनुमानसिंह चौधरी : यह सब इल्लीगल हुआ है। न तो एप्लीकेशन्स मांगी गईं, न सेलाइन एरिया डिक्लेयर किया गया और अलॉट कर दी गई। मैं मंत्री महोदय से चाहूंगा कि बाकायदा इसकी इन्क्वायरी करके उत्तर दें।

श्री अध्यक्ष : स्थगित प्रश्न संख्या ३२०, श्री अब्दुलजब्बार ।

स्थगित प्रश्न

(१६–८–६४)

बारूद बनाने के कारखाने में विस्फोट से प्रभावित व्यक्तियों को मुआवजा।

३२०. **श्री अब्दुलजब्बार** (निम्बाहेड़ा) : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(१) क्या यह सही है कि मई, १९६४ में निम्बाहेड़ा में बारूद बनाने के कारखाने में विस्फोट हुआ था ?

(२) क्या यह भी सही है कि उसमें सात मजदूर जख्मी हुये और उसमें पांच महिलायें थीं ?

(३) क्या यह भी सही है कि जख्मी मजदूरों में से तीन महिलायें बहुत अधिक जल गई थीं और चोटें भी उनके अधिक आई थीं और वे अस्पताल में ही मर गईं ? और क्या यह भी सही है कि वे तीनों महिलायें एक ही कुटुम्ब की थीं उनमें एक मां और दो बेटियां थीं ?

(४) क्या यह सही है कि इस घटना की जांच श्रम विभाग ने नहीं की ? यदि नहीं, तो जांच की रिपोर्ट सदन की मेज पर रखें ।

(५) क्या यह सही कि जख्मी मजदूरों को राज्य की ओर से मुआवजा दिलाने संबंधी कोई कार्यवाही नहीं की गई ? यदि हां, तो क्यों ?

(६) क्या यह सही है कि यह बारूद बनाने का कारखाना बगैर लाइसेन्स के चलता है ? यदि नहीं, तो लाइसेन्स किसके नाम है और श्रम विभाग को उसने दुर्घटना की रिपोर्ट दी या नहीं ?

श्रम मंत्री (श्री भीखाभाई) : (१) जी हां ।

(२) जी हां, इस विस्फोट में ६ मजदूर जख्मी हुए जिसमें ५ महिलायें थीं ।

(३) जी हां ।

(४) यदि दुर्घटना फेक्ट्रीज़ एक्ट के अन्तर्गत रजिस्टर्ड फेक्ट्री में होती तो जांच फेक्ट्री इन्सपेक्टर द्वारा की जाती । चूंकि यह कारखाना फेक्ट्रीज़ एक्ट में नहीं आता । अतः श्रम विभाग द्वारा जांच कराने का प्रश्न नहीं उठता ।

(५) श्रमिकों को मुआवजा दिलाने की कार्यवाही क्षतिपूर्ति अधिनियम के अन्तर्गत तभी आरम्भ होती है जब कि आश्रित अथवा जख्मी व्यक्ति अपना क्लेम क्षति पूर्ति आयुक्त की अदालत में पेश करें । इस अधिनियम की धारा १० (ए) के अन्तर्गत मालिक श्री अहमदनूर वल्द अल्लानूर को नोटिस दिनांक २९.६.६४ को दे दिया गया था जिसमें मालिक से दुर्घटना की जानकारी व आश्रितों को मुआवजा देने की अपनी जिम्मेदारी के सम्बन्ध में पूछा गया था । प्रश्न का पहला भाग इस कार्यालय से सम्बन्धित नहीं है ।

(६) दुर्घटना की कोई सूचना मालिक ने इस कार्यालय को नहीं दी ।

Page No.27

(श्री भीखाभाई)

(७) वर्कमेन्स कम्पन्सेशन एक्ट के अन्तर्गत श्रमिकों के आश्रितों के क्लेम पेश होने पर वर्कमेन्स कम्पनसेशन कमिश्नर द्वारा उक्त कानून के अन्तर्गत आगे कार्यवाही की जायेगी !

श्री अब्दुलजब्बार : क्या एक्सप्लोज़िव इन्सपेक्टर ने निम्बाहेड़ा जाकर इस एक्सप्लोज़न का मुआयना किया है ? जो आग लगी है उसका मुआयना इन्सपेक्टर ने किया है और उसकी रिपोर्ट राजस्थान सरकार को दी है क्या ?

श्री भीखाभाई : मुझे इस प्रकार की जानकारी नहीं है ।

श्री अब्दुलजब्बार : इसमें जो मजदूर जले और मौत हुई, क्या श्रम विभाग ने अपनी जिम्मेदारी महसूस करते हुए इन्सपेक्टर को भेजकर इसकी जांच कराई है ?

श्री भीखाभाई : श्रम विभाग को सुओमोटो कार्यवाही करने का अधिकार है, उसके अनुसार १० (ए) के अन्तर्गत नोटिस दिया है । उसमें वर्कमेन्स कम्पन्सेशन अधिनियम २३ (क) का मुलाहिज़ा करें तो मालूम होगा कि इसमें जो कार्यवाही सब सेक्शन (ए) के द्वारा की जानी चाहिए थी वह की, लेकिन इसके अतिरिक्त ३ और क्लॉज़ेज़ हैं उनके अनुसार भी कार्यवाही की, उसके बाद डिस्क्लेम किया मालिक ने तब पुलिस की मार्फत नोटिस दे या वह कार्यवाही करना चाहे तो वर्कमेन्स कम्पन्सेशन एक्ट में रेगुलर क्लेम पेश कर दें ।

श्री अब्दुलजब्बार : अहमदनूर को नोटिस दिया था क्या ? वह अहमदनूर है या अलानूर है, लाइसेन्सी कौन है और उसने नोटिस का क्या जवाब दिया ?

श्री भीखाभाई : हमारे पास जबाब आया है, वह अहमदनूर पुत्र अलानूर का है ।

श्री अब्दुलजब्बार : क्या अहमदनूर भी जख्मी हुआ था जो लाइसेन्सी है ?

श्री भीखाभाई : मैंने कहा कि अहमदनूर पुत्र अलानूर को नोटिस भेजा ।

श्री अब्दुलजब्बार : मेरा कहना यह है कि लाइसेन्सी भी जख्मी हुआ है क्या ?

श्री भीखाभाई : मैंने कहा था कि वह जख्मी हुआ है ।

श्री अब्दुलजब्बार : अध्यक्ष महोदय, वहां पर बगैर लाइसेन्स के बारूद बनता है । मैं लेबर डिपार्टमेन्ट के बारे में कहना चाहता हूं कि न तो उनका प्रतिनिधि जाता है और न जांच कराई जाती है । बस्ती के बीच में बारूद बनता है; पास में कोर्ट है, स्कूल है, सरकार इस तरह से निराराजनक उत्तरदायित्व रखती है इसलिये निवेदन करना है आपके द्वारा सरकार से कि महरबानी करके जांच करावें और मजदूरों की तरह दूसरों को मारने की कोशिश न करें ।

श्री भीखाभाई : माननीय सदस्य की पैरवी अधूरी है, अधूरी इसलिये कि वर्कमेन्स कम्पन्सेशन एक्ट की तहत जो कार्यवाही करनी थी वह कर दी । आप फरमावें तो रूल्स

(श्री भीखाभाई)

पढ़ दूं । लेकिन इसमें सदन का टाइम व्यर्थ जायेगा । इसके बाद वर्कमेन्स कम्पन्सेशन एक्ट के अन्तर्गत जो आश्रित है उनको क्लेम पेश करने चाहिए।

श्री अब्दुलजब्बार : क्लेम तो होता रहेगा, उसके लिये आप निश्चित रहें। जोधपुर से नोटिस आ गया है और कार्यवाही चल रही है । मेरा कहना यह है कि वहां पर जो घटना हुई वैसी ही दूसरी न हो जाय इसलिये कहता हूं कि आपके एग्जीक्युटिव कर्मचारी तमाम हाथ मिलाकर काम करने वाले हैं, महरबानी करके आप इसकी जांच करें।

श्री भीखाभाई : माननीय सदस्य बहुत अच्छा कह रहे हैं, लेकिन मैं आदर से कहना चाहता हूं कि पैरवी पूरी करनी उनको चाहिए, अधूरी पैरवी वे कर रहे है. जो कार्यवाही कानूनी है वह राजस्थान सरकार नहीं कर सकती भारत सरकार कर सकती है । कानून के अन्तर्गत जो कार्यवाही राजस्थान सरकार कर सकती है वह की गई है।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : क्या इस प्रकार की कार्यवाही करने से पहले श्रमिक इस प्रकार जल जाय , बिना लाइसेन्स बारूद रह जाय, तो पुलिस विभाग श्रमिकों की रक्षा की दृष्टि से भी कार्य कर सकती हैं। मजदूरों को बिना पैसे के लाभ नहीं मिलता इसलिये कम्पन्सेशन दिलाने के लिये आप कुछ कार्यवाही करें तभी कुछ उनको मिल सकता है, वरना नहीं मिल सकता।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : क्या यह सही है कि फैटल एक्सीडेन्ट की रिपोर्ट किसी भी फेक्ट्री ओनर को, श्रम विभाग को करनी चाहिये और इस केस में रिपोर्ट नहीं की गई ?

श्री भीखाभाई : नहीं साहब, ऐसा है कि फेक्ट्री एक्ट में न तो यह मामला आता है, इसलिए प्रोसीक्यूट करने का सवाल नही आता है। कम्पन्सेशन एक्ट के अन्तर्गत कार्यवाही करने का प्रश्न है उसने अपनी लाएबिलिटी से इन्कार कर दिया । अब अपील करने का सवाल है, कम्पन्सेशन के बारे में, अगर अपील करेंगे तो कार्यवाही करना चाहेंगे और फैसला कर सकेंगे । दूसरी बात माननीय सदस्य चाहते हैं कि एक्सप्लोसिव्ज़ के सम्बन्ध में कार्यवाही करने की है वह राज्य सरकार करेगी ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उसको फेटल एक्सीडेन्ट्स की रिपोर्ट करनी चाहिये । अगर रिपोर्ट नहीं करता है तो गवर्नमेन्ट को चालान करना चाहिये । अगर कोई फेक्ट्री ओनर फेक्ट्री एक्ट के तहत अपने को रजिस्टर नहीं करता है तो फेक्ट्री एक्ट के तहत रजिस्टर नहीं कराने का चालान होना चाहिये और फैटल एक्सीडेन्ट्स की रिपोर्ट नहीं करने का चालान करना चाहिये । आपने इस केस के अन्दर कोई कार्यवाही की है या नहीं ? और अगर नहीं की है, तो क्यों नहीं की है ?

श्री भीखाभाई : यह अलग से प्रश्न है। यह फेक्ट्री एक्ट के तहत नहीं आता है इसलिए रजिस्टर कराने की जरूरत नहीं है । जो बिना पॉवर से चलती हैं उनमें दस आदमी

(श्री भीखाभाई)।

होते हैं और पॉवर से चलने वाली में बीस होनी चाहिये। इसलिए फैक्ट्री एक्ट में आने का प्रश्न नहीं है। जो आपने प्रश्न पूछा है वह कम्पेन्सेशन से सम्बन्धित है, उस पर पूरी पूरी कार्यवाही की है।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : कम्पेन्सेशन के मामले को आप तय कर देंगे, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि वे किस कानून के अन्तर्गत कर देंगे और कब तक कर देंगे ?

श्री भीखाभाई : जब तक क्लेम पेश नहीं करेंगे तब तक तय नहीं होगा।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : अध्यक्ष महोदय, वाटर टाईट कम्पार्टमेंट की तरह जवाब दिया जा रहा है। वर्कमेन्स कम्पन्सेशन एक्ट के तहत आपने एक्शन लेने के लिये कहा है। लेकिन जो मजदूर मरे हैं, लाइसेन्स बगैर जो बारूद इकट्ठा किया गया है, इसको मर्डर का केस बनाना चाहिये और डिप्टी होम मिनिस्टर को जिम्मेदारी से देखना चाहिये कि वहां पर बारूद जैसी चीज इकट्ठी की जाय और आग लग जाय और पुलिस उसका ध्यान नहीं रखे, उसके ऊपर कोई कानून लागू नहीं हो और आदमी मर जायें। उसके लिए लेबर डिपार्टमेंट पैसा दे, कम्पन्सेशन दे दे। लेकिन अनआँथोराइज्ड तरीके से बारूद इकट्ठा किया, उसके लिए पुलिस को ३०४ का केस बनाना चाहिये, इन्टेशनल मर्डर करने के ख्याल से किया गया है, इसकी रिपोर्ट होनी चाहिए।

श्री रामकिशन (वैर) : बारूद के कारखाने के लिए श्रम मन्त्रीजी जवाब दे रहे थे कि दस मजदूर हों तो कानून लागू नहीं होता है। मैं समझता हूं कि बारूद के कारखाने के सम्बन्ध में श्रम विभाग को कानून में परिवर्तन करना चाहिए कि अगर पचास-साठ मजदूर नहीं हों और पांच-सात हों तो कानून लागू करना चाहिए। मैं इसको जनरलाइज़ नहीं करना चाहता, लेकिन भरतपुर में दो कारखाने हैं जहां एक-एक करके ३०-३२ आदमी भर चुके हैं, लेकिन ये श्रम कानून के तहत नहीं आते हैं क्योंकि लेबर की उतनी संख्या नहीं है जितनी कि लेबर डिपार्टमेंट चाहता है। इसलिए क्या सरकार इस पर विचार करने के लिए तैयार है कि बारूद के कारखाने हैं उनको श्रम विभाग के कानून के आधीन ले ले।

श्री भीखाभाई : यह एक्सप्लोज़िव एक्ट है, यह सेन्ट्रल एक्ट है। उसके अनुसार ही कार्यवाही की जाती है। इस सम्बन्ध में राजस्थान का श्रम विभाग कोई कार्यवाही नहीं कर सकता। यह बात ठीक है कि इसमें कोई संशोधन होना चाहिए। वह अलग प्रश्न है, इसलिए विधान सभा में कोई एश्योरेन्स नहीं दे सकता।

श्री राधाकृष्ण गोयल : पुलिस डिपार्टमेंट को कार्यवाही करनी चाहिए।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या लेबर डिपार्टमेंट ने सेन्ट्रल गवर्नमेंट को और होम डिपार्टमेंट को मूव किया है कि इस तरह कुछ लेबर अनआँथोराइज्ड बारूद रखने से मर गये हैं और लेबर को क्षति हुई है, उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए और क्रिमिनल एक्शन

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

होना चाहिए ? क्या लेबर डिपार्टमेंट अपनी जिम्मेदारी महसूस करता है, अगर करता है, तो आपने क्या किया ?

श्री भीखाभाई : The Labour Department takes action according to labour laws.

श्री रामकिशन : ऐसे मामले में मालूम पड़ता है कि आप बहुत शुष्क हृदय पुरुष हैं। कौन कहता है कि श्रम कानून के तहत कार्यवाही करें ? भविष्य में तब करें जब इसके लिए राजस्थान सरकार कोई कानून में परिवर्तन करे। आप एक ही गीत गाये जा रहे हैं।

श्री राधाकृष्ण गोयल : श्रम विभाग को मालूम नहीं है, श्रम मन्त्री से सम्बन्धित नहीं है और अब तक वैसे ही जवाब दे दिया ? पुलिस विभाग का मामला है क्योंकि उसके पास लाइसेंस नहीं है। अगर वे उसका जवाब देते तो····

श्री अध्यक्ष : अगर गृह मन्त्री से पूछा जाता तो वे कोई न कोई कार्यवाही अवश्य कर लेते।

प्रश्न समाप्त हुए।

श्री अब्दुल जब्बार : ५०२ रह गया ?

श्री अध्यक्ष : और भी रह गए हैं।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तरों के लिए कृपया परिशिष्ट २ देखिए)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

सड़क संबंधी सर्वे कार्य—तहसील रेवदर

४६८. **श्री दलपतसिंह** (आबू) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) सिरोही डिस्ट्रिक्ट में रेवदार तहसील में करेली नदी पर अभी तक सर्वे व टेन्डर हो जाने पर भी सड़क सम्बन्धी कार्य शुरू क्यों नहीं हुआ ?

(२) अगर सब टेक्नीकल बातें पूरी हो गई हैं तो कब तक कार्य शुरू हो जायगा ?

उत्तर

(१) कॉज़वे का सर्वे हो चुका है टेन्डर आमन्त्रित नहीं किये गये हैं।

(२) एस्टीमेट की तकनीकी स्वीकृति तथा टेन्डर आमन्त्रित किया जाना शेष है।

सहकारी कृषि

४६९. **श्री मानिकचन्द सुराणा** (कोलायत) : क्या सहकारी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

सहकारी कृषि को प्रोत्साहन देने के लिये राज्य सरकार ने गत वर्ष क्या प्रयत्न किये और उसका नतीजा क्या रहा ! उसका ब्यौरा सदन की मेज पर रखें।

(श्री सहकारी मंत्री)

उत्तर

सहकारी कृषि आन्दोलन को प्रोत्साहन देने के लिये वर्ष ६३-६४ में १०० सहकारी कृषि समितियों को योजना के तहत लेकर उन्हें आर्थिक सहायता देने का लक्ष्य रखा गया था; इस कार्य हेतु पॉयलट प्रोजेक्ट के तहत ६० सहकारी कृषि समितियों तथा नॉन पॉयलट योजना के तहत ४० सहकारी कृषि समितियों का लक्ष्य रखा गया था। पॉयलट की योजना के तहत दी जाने वाली सहकारी कृषि समितियों को ऋण व अनुदान देने के लिये ५,७६,०००) रु० संलग्न सूची (परिशिष्ट—क) में अंकित पंचायत समितियों को हस्तान्तर किये गये थे।

इसी प्रकार नॉन-पॉयलट योजना के तहत ४० सहकारी कृषि समितियों को ऋण व अनुदान देने के लिये ३,८४,०००) रु० संलग्न सूचि (परिशि अष्ट—ख) में कित पंचायत समितियों को हस्तान्तर कर दिये गये थे।

उपरोक्त सहकारी कृषि समितियों को ऋण व अनुदान के अलावा प्रत्येक सहकारी कृषि समिति के लिये २०००) रु० हिस्सापूंजी के लिये देने का भी प्रावधान रखा गया था। यह धन-राशि भी सहकारी विभाग के मार्फत इन समितियों को गत वर्ष दिला दी गई थी।

गत वर्ष अर्थात् ६३—६४ में पॉयलट योजना के तहत ६० सहकारी कृषि समितियों के लक्ष्य में से ५६ सहकारी कृषि समितियों का लक्ष्य पूरा हो गया। नॉन-पायलट के तहत ४० सहकारी समितियों का लक्ष्य था जो पूरा कर लिया गया है।

इसकी एक प्रति सदन की मेंज पर रख दी गयी है।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

सरपंच, ग्राम पंचायत पलासनी द्वारा धन का दुरुपयोग एवं गबन

५००. श्री भगराज चौधरी (रानीवाड़ा): क्या पंचायत एवं सामुदायिक विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि लूनी पंचायत समिति द्वारा पलासनी ग्राम पंचायत को अपनी आर्थिक स्थिति के सुधारने के लिये साधन जुटाने हेतु एक ट्रेक्टर खरीदने के लिये ११,०००) की धन-राशि अनुदान के रूप में दी गई है?

(२) क्या यह भी सही है कि उपरोक्त वर्णित दीगई रकम को न तो ग्राम पंचायत पलासनी द्वारा नियत कार्य हेतु खर्च ही किया गया है और न रकम पंचायत की रोकड़ बही अथवा पंचायत के नाम किसी बैंक में जमा है?

(३) यदि हां, तो क्या उक्त धन-राशि का दुरुपयोग एवं गबन नहीं किया गया है?

Page No.32

(श्री भगराज चौधरी)

(४) यदि गबन किया गया है तो सम्बन्धित ग्राम पंचायत के सरपंच के विरुद्ध सरकार कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो वह कब तक और क्या ?

उत्तर

(१) जी हां, ११,१५१) रुपए दिए गए हैं।

(२) रकम नियत कार्य पर व्यय नहीं की गई, रकम पंचायत की रोकड़ में जमा है।

(३) जिस कार्य के निमित्त रकम दी गई उस कार्य पर व्यय नहीं की गई।

(४) दण्डनीय (Penal) ब्याज सहित रकम वसूली की कार्यवाही तथा सरपंच के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ है।

हैल्थ सेंटर्स खोलने हेतु गांव वालों द्वारा दिये गये रुपये का उपयोग

५०२. श्री अब्दुल जब्बार (निम्बाहेड़ा): क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि पंचायत समिति, निम्बाहेड़ा द्वारा बाड़ावली व कैली (तहसील निम्बाहेड़ा) में प्राइमरी हैल्थ सेन्टर बनाने का आश्वासन दिया गया था ?

(२) क्या प्रधान, पंचायत समिति, निम्बाहेड़ा इन सेंटर्स के भवन निर्माण हेतु ग्राम बाड़ावली व कैली की दोनों जगह के ७००), ७००) रुपये गांव वालों से लाये थे और उसे तीन साल हो गये हैं ? यदि हां, तो तीन सालों में उन रुपयों को कहां रखा गया ?

(३) जब हैल्थ सेंटर्स के लिये रुपया लिया गया था तो आज तक धन का उपयोग इसी काम पर क्यों नहीं हुआ ?

उत्तर

(१) पंचायत समिति द्वारा कनेरा प्राइमरी हैल्थ सेन्टर के अन्तर्गत ग्राम बड़ावली, अरनोदा व कैली में सब-सेन्टर खोलने का निर्णय लिया गया था। किन्तु बाद में ग्राम बड़ावली में सब-सेन्टर खोलने का निर्णय बदल दिया।

(२) जी नहीं।

(३) प्रश्न ही नहीं उठता।

कच्चा ताम्बा व जिंक का कोटा

५०३. श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत (भीम) : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि कच्चा ताम्बा, जिंक वगैरह के माल के राज्य को दिये जाने वाले कोटे में तीन वर्षों में कोई वृद्धि नहीं हुई है ?

Page No.33

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत)

(२) क्या यह भी सही है कि इन तीन वर्षों में उद्योगों में वृद्धि हुई है और उसी कोटा में से इन नये उद्योगों को भी बांटा जा रहा है?

(३) क्या सरकार के ध्यान में है कि कन्ट्रोल माल की कमी के कारण राज्य के उद्योग पनप नहीं पा रहे हैं?

(४) यदि हां, तो विशेष कोटा प्राप्त क्यों नहीं हुआ और प्राप्त करने के लिये विशेष प्रयास क्यों नहीं किये गये?

उत्तर

(१) जी हां।

(२) जी हां।

(३) यह सही है।

(४) भारत सरकार को समय समय पर इस विषय में वस्तु-स्थिति से अवगत कराया जाता रहा है?

बिजली के मिनिमम चार्जेज़ में भिन्नता

५०६. श्री मोहनराज (बाली) : क्या विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) राज्य के ग्रामों और शहरों में बिजली उपभोक्ताओं से वसूल होने वाले मिनिमम चार्जेज़ क्या हैं? क्या यह सही है कि मिनिमम चार्जेज़ की दरों में भिन्नता है?

(२) क्या भारत के अन्य राज्यों में भी मिनिमम चार्जेज़ वसूल किये जाते हैं? यदि हां, तो कृपया उनकी दरों की सूची देने की कृपा करें।

उत्तर

(१) बिजली उपभोक्ताओं से वसूल किये जाने वाले न्यूनतम चार्जेज़ का आधार ग्राम और शहर नहीं हैं, भिन्न भिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिये, चाहे वो शहर में रहते हों या गांव में, भिन्न-भिन्न दरें हैं जो टेरिफ में दी गयी हैं जिसकी प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) जी हां, भारत के अन्य राज्यों में भी न्यूनतम चार्जेज़ वसूल किये जाते हैं ये दरें उपलब्ध नहीं हैं। सूचना एकत्रित की जा रही है।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

ग्राम पंचायत किशोरपुरा की बैठक

५०६. कुंवर श्री महेन्द्रसिंह (दीगोद) : क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत किशोरपुरा की बैठक किशोरपुरा हैडक्वार्टर पर न होकर जाखाडौद सरपंच के यहां की जा रही है? यदि हां, तो क्यों?

Page No.34

(कुंवर श्री महेन्द्रसिंह)

(२) क्या स्थानीय ग्रामवासियों ने इस पर कोई एतराज पंचायत समिति, सुल्तानपुर में भेजे हैं ? यदि हां, तो कब व उन पर पंचायत समिति ने क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं की, तो क्यों ?

उत्तर

(१) जी नहीं।

(२) जी हां. ग्रामवासियों का एतराज़ पंचायत समिति में दिनांक १६ अगस्त, १६६१ को प्राप्त हुआ था। पंचायत समिति द्वारा ग्राम पचायत की बैठक ग्राम पंचायत के मुख्यावास किशोरपुरा में ही रखने का निर्णय लिया।

ग्राम बसवा में बिजली

५१०. श्री मथुरेशबिहारी माथुर (बांदीकुई) : क्या विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या तहसील बसवा के बसवा ग्राम में बिजली लगाने की जो स्वीकृति होकर १६६३–६४ के बजट में रकम निर्धारित हो चुकी है, उसमें से बिजली का सामान खरीदा जा चुका है ? यदि हां, तो कितनी रकम का ?

(२) स्वीकृति हो जाने के बाद व सामान खरीदा जाने के बाद बसवा कस्बे में बिजली अब तक क्यों नहीं लगाई गई ? अब कब तक बिजली लगायी जावेगी ?

उत्तर

(१) जी हां।

८० हज़ार का सामान खरीदा जा चुका है।

(२) लाइन पर काम चालू है और यह काम दिवाली तक पूरा हो जाने की आशा है।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

जलाने के लिये लकड़ी लाने की सुविधाएं—गिरवां क्षेत्र

११२. श्री जोधसिंह चौहान (गिरवां) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) गिरवां क्षेत्र, उदयपुर में गांव वालों और आदिवासियों को लकड़ी जलाने के लिये लाने की जंगलात से क्या सुविधायें हैं ?

(२) क्या यह सही है कि उदयपुर रेंज सर्कल में उदयनिवास जंगल के आसपास जो करीब २० गांव हैं उन्हें फोरेस्ट विभाग की एक विज्ञप्ति के अनुसार जंगल की लकड़ी लाने की सुविधा नहीं मिल रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार वहां के गांव वालों को लकड़ी की सुविधा पहुंचाने के लिये कोई इन्तज़ाम करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(१) गिरवां क्षेत्र उदयपुर में गांव वालों एवं आदिवासियोंको वन बन्दोबस्त अधिकारी

Page No.35

(श्री वन मन्त्री)

द्वारा जिन जिन वन क्षेत्रों से जलाऊ लकड़ी सिर बोझ तथा धीसासान द्वारा लाने के अनुसार उनको फ्री जलाऊ लकड़ी लाने के अधिकार दिये हुये हैं, उसीके अनुसार सुविधा दी जा रही है। इसके अतिरिक्त राजस्व पत्र की दरों पर रायल्टी वसूल कर बैलगाड़ी, ऊंट, टट्टू आदि के द्वारा जलाऊ लकड़ी निजी उपयोग के लिये लाने की व्यवस्था है।

(२) जी नहीं। विज्ञप्ति व हक-हकूकों के अनुसार सुविधा दी जा रही है।

ग्राम वन योजना

११३. श्री जुझारसिंह (चेचट) : Will the Forest Minister please reply:—

(1) How much amount was allotted by the State Government for the plantation o village forests in the year 1962-63 and 1963-64 respectively and how was it to be utilized ?

(2) Is it a fact that most of this amount could not be utilized n account of the lack of interest of the department concerned and non-co-operation among the inter-department agencies ?

(3) What steps would the Government take to encourage village forest scheme in future ?

उत्तर

(१) सन् १९६२-६३ में ६०,५०० रु० पंचायत समितियों को ग्राम वनों के प्लान्टेशन हेतु अलॉट किए गये थे। सन् १९६३-६४ में कोई रुपया इस हेतु पंचायत समितियों को नहीं दिया गया।

(२) जी नहीं।

(३) ग्राम वनों को बढ़ाने के लिये राज्य सरकार के पास आया हुआ सब्सिडी बढ़ाने का प्रस्ताव विचाराधीन है। पंचायत समितियों को भी हिदायत की जावेगी जिससे वे इस स्कीम का पूरा उपयोग कर सकें

पंचायत समिति क्षेत्र सांगोद में वन सुधार

११४. श्री जुझारसिंह (चेचट) : Will the Forest Minister please state:—

(1) How many "Babool Radis" are in possession of the Forest Department in Tehsil Sangod (including the former Tehsil KANWAS) and how are they being used for cultivation ?

(2) What is the income from these 'रांडी' (groves) ? Please give the details for each during the last five years.

(3) What steps have been taken and are proposed to be taken to improve the Forest in Panchayat Samiti Sangod area ?

(श्री वन मन्त्री)

उत्तर

(१) तहसील सांगोद (भूतपूर्व कनवास तहसील सहित) में कुल ५ बबूल राडियां है, इन राडियों से काश्तकारों को विज्ञप्तिके अनुसार कृषि यंत्रों के लिये लकड़ी परमिट द्वारा दी जाती है,तथा घास, सूखी गिरी लकड़ी सरबोझ द्वारा मिलती हैं। पातड़ा मवेशियों की चराई के लिये मिलता रहता है, तथा बबूल का गोंद भी आवश्यकतानुसार प्राप्त करते रहते है।

बबूल राडियों की गत ५ वर्षों की आय का विवरण संलग्न है।

(३) पंचायत समिति सांगोद क्षेत्र में वन सुधार हेतु निम्न कदम उठाये गये हैं, तथा उठाने का विचार है।

(क) समस्त कटे हुये कूपों का फैन्सिंग किया गया है, तथा भविष्य में भी किया जावेगा।

(ख) काश्तकारों के लिये इमारती लकड़ी की आवश्यकता की पूर्ति हेतु वर्किंग प्लान के प्रावधान के अनुसार प्रतिवर्ष बबूल राडियों में से जितना क्षेत्रफल काटा जाता है उतने क्षेत्र पर प्रतिवर्ष इन राडियों में बबूल प्लान-टेशन किया जा रहा है।

(ग) चरागाह सुधार हेतु ग्रेजिंग पेडोक्स प्रतिवर्ष बनाये जाने की योजना है। अब तक ६०० एकड़ ग्रेजिंग पेडोक्स किशोर सागर पर बनाया जा चुका है।

(घ) काली सिन्ध नदी के दोनों किनारों पर भू-संरक्षण कार्य किये जाने की योजना है, अब तक झालावाड़ डिवीज़न के अंतर्गत २०० एकड़ डाबरी पर व कोटा फोरेस्ट डिवीज़न के अन्तर्गत २०० एकड़ राडी खड़गांव व घुलेट पर भू संरक्षण का कार्य प्लान्टेशन के रूप में किया जा चुका है।

(ङ) सन् १९६५-६६ में झालावाड़ फोरेस्ट डिवीजन के अंतर्गत १०० एकड़ व कोटा फोरेस्ट डिवीज़न के अंतर्गत ३०० एकड़ प्लान्टेशन किये जाने की योजना है।

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिये)

मकान बनाने हेतु चद्दर पेटी—मकराना

११५. श्री जेठमल बरवड (परबतसर) : क्या पंचायत एवं विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

क्या यह सही है कि मकराना पंचायत समिति को मकान बनाने के लिए चद्दर पेटी पिछले ३ वर्षों में दी गई थी? यदि हां, तो उनमें से कितनी पेटियां अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों को दी गई?

उत्तर

पिछले तीन वर्षों में कृषि कार्य हेतु ४११ चद्दर पेटियों का अलॉटमेन्ट हुआ। जिनमे से ११ पेटियां अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को दी गई।

विकास कार्य—पंचायत समिति, जिला जयपुर

११६. श्री दुर्गालाल बाढ़दार (हवा-महल, जयपुर) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) जयपुर जिले की किस २ पंचायत समिति को गत ५ वर्षों में कितना कितना रुपया वास्ते विकास दिया है ?

(१) प्रत्येक पंचायत समिति ने जितने विकास कार्यों की योजना बनाई थी क्या वे सब कार्य पूर्ण कर दिए गए हैं ? यदि नहीं, तो कितने कार्य अपूर्ण हैं और उनके अपूर्ण रहने के क्या कारण हैं ?

(३) पंचायत समितियों द्वारा प्रस्तावित कितने विकास कार्य उत्पादन की दृष्टि से प्रारम्भ किए गए हैं तथा कितने विकास कार्य की दृष्टि से ?

(उत्तर सरकार से प्राप्त नहीं हुआ)

पारसोला—नटाऊवा सड़क

११७. श्री उदयलाल वर्दिया (लसा-ड़िया) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या पारसोला से नटाऊवा सड़क कार्य जो अधूरा है, उसको शीघ्र पूरा कराया जायगा ?

उत्तर

पारसोला से नटाऊवा तक की सड़क योजना में स्वीकृत नहीं है और न इस सड़क पर कार्य आरम्भ कराया गया है ।

धरियावद—सलूम्बर सड़क

११८. श्री उदयलाल वर्दिया (लसा-ड़िया) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(१) क्या यह सही है कि धरियावद-सलूम्बर की सड़क के कार्य को जो प्रथम व दूसरी पंच-वर्षीय योजना में चालू रहा उसे तीसरी पंचवर्षीय योजना में सम्पूर्ण कर देने की योजना थी ?

(२) क्या यह सही है कि अब तक वह सड़क पूरी नहीं हो पाई है ?

(३) क्या अब इस सड़क को पूरा कराया जा रहा है ?

उत्तर

(१) जी हां।

(२) ग्रेवल रोड बन चुकी है ।

(३) प्रश्न नहीं उठता।

धरियावद—पारसोला सड़क

११९. श्री उदयलाल वर्दिया (लसा-ड़िया) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

धरियावद से पारसोला सड़क निर्माण कार्य जो अधूरा है, कब तक पूरा हो जायेगा ?

Page No.38

(श्री सार्वजनिक निर्माण मन्त्री)

उत्तर

यह कार्य-योजना में स्वीकृत नहीं है। अर्थाभाव के कारण निश्चत नहीं कहा जा सकता।

पारसोला–लोहागर सड़क

१२०. श्री उदयलाल वर्दिया (लसाड़िया) : क्या सार्वजनिक निर्माण-मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

पारसोला से लोहागर सड़क कार्य जो अभी अधूरा है कब तक पूरा हो जायगा ?

उत्तर

पारसोला से लोहागर सड़क का कार्य योजना में स्वीकृत नहीं है। और न ऐसी सड़क इस विभाग की जानकारी में अधूरी है।

यात्री-कर की वसूली

१२१. श्री श्रवणलाल (हिण्डौन) क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(१) यात्री-कर की वसूली योग्य कितनी कितनी रकम किस किस जिले में बकाया रही है ?

(२) जिन व्यक्तियों अथवा पार्टियों में २ हजार रुपये से ज्यादा की रकम बकाया है, उनकी सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ?

(३) यात्री-कर की वसूली किस तरीके से की जाती है ?

(४) नियमानुसार यह वसूली कब तक करली जानी चाहिए थी और वसूली न होने के क्या कारण हैं ?

(५) वसूली के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

उत्तर

(१) यात्री व माल कर (Passenger & goods tax) की निर्धारित (assessed demand) राशि में से ३० जून, १९६४ को बकाया की जिलेवार सूची सदन के समक्ष प्रस्तुत है।

(२) यात्री कर की निर्धारित राशि (assessed demand) में से ३० जून १९६४ को जिन व्यक्तियों अथवा पार्टियों में दो हजार रुपये से ज्यादा की रकम बाकी है उनके नामों की सूची सदन के समक्ष प्रस्तुत है।

(३) यात्री कर बस मालिकों के जरिये से वसूल किया जाता है। सामान्यतया बस मालिक स्वयं यह रकम राज्य कोष में जमा कराता है। यदि पूरा वाजिब कर बस मालिक ने जमा न कराया हो तो डिमांड निर्धारित हो जाने पर उसके सम्बन्ध में डिमांड नोटिस बस के मालिक को दिया जाता है और उसके आधार पर उससे वसूली की जाती है। यदि बस-मालिक डिमांड-नोटिस की रकम जमा कराने में विशेष विलम्ब करता है तो एसेसिंग आँथोरिटीज़ कमिश्नर से अनुमति

(श्री वित्त मन्त्री)

लेकर बस को अटेच कर सकते हैं। यदि इस जरिए से भी पूरी वसूली की आशा न हो तो रिकवरी सर्टिफिकेट कलेक्टर के नाम पर भेज कर Land-Revenue Act के मातहत बकाया रकम की वसूली कलेक्टर के द्वारा कराई जाने की कोशिश की जाती है।

(४) निर्धारित डिमांड वसूली के लिए कानूनन कोई समय निर्धारित नहीं है। वसूली जल्दी से जल्दी की जानी चाहिए और यही कोशिश की जाती है। इसी उद्देश्य से गत वर्ष कानून में यह संशोधन किया गया था कि जरूरी होने पर ऐसेसिंग ऑथोरिटीज़ कमिश्नर की मन्जूरी लेकर बस को अटेच करने की कार्यवाही कर सकते हैं। पिछले वित्तीय साल की बकाया की वसूली की कोशिश का नतीजा यह हुआ कि साल के शुरू में जो बकाया १२.६४ लाख रु० थी उसमें से मार्च, ६४ तक ६.८६ लाख रु० वसूल हो गये।

(५) वसूली के लिए प्रश्न ४ के उत्तर में दिये गये अधिकारों का उपयोग किया गया था लेकिन बस मालिकों की तरफ से कुछ कानूनी मुद्दों को लेकर हाई कोर्ट में बड़ी तादाद में रिट पिटिशन्स दाखिल किये गये जिनकी सुनवाई आज-कल चल रही है। उन रिट पिटिशन्स के आधार पर हाई कोर्ट ने बहुत से केसेज़ में स्टे ऑर्डर्स दे रखे हैं।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

औद्योगिक सहकारी समितियां-जिला-चित्तौडगढ़

१२२. श्री चतुर्भुज उपाध्याय (चित्तौडगढ) : क्या सहकारी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या चित्तौड़गढ़ जिले में कोई औद्योगिक सहकारी समितियां हैं? अगर हैं, तो कितनी और किन किन उद्योगों की?

(२) क्या राज्य सरकार द्वारा इनको अनुदान के रूप में धन-राशि दी गई? अगर हां, तो कितनी?

(३) क्या यह सही है कि उद्योगों को बल देने हेतु राज्य सरकार द्वारा चित्तौड़गढ़ जिले में औद्योगिक संघ का निर्माण किया गया है? अगर हां, तो कब? और क्या उसको कोई अनुदान भी दिया गया है? अगर हां, तो कितना और कब?

(४) इस संघ की अब तक क्या प्रगति रही है? अगर प्रगति नहीं हुई है, तो क्यों?

(५) क्या भविष्य में राज्य सरकार द्वारा सब प्रकार के उद्योगों को पनपाने हेतु इस जिले के लिए कोई सर्वेक्षण किया जाने वाला है? अगर हां, तो किस रूप में?

उत्तर

(१) चित्तौड़गढ़ जिले में १२४ औद्योगिक सहकारी समितियां हैं जिनकी सूची परिशिष्ट (क) संलग्न है। प्रत्येक समिति के

(श्री सहकारी मन्त्री)

नाम के आगे उसके द्वारा किये जा रहे उद्योग का विवरण कॉलम नम्बर ४ में दे दिया गया है।

(२) जिन जिन समितियों को राज्य सरकार द्वारा अनुदान राशि स्वीकार की गई उसका विवरण संलग्न सूची के कॉलम नम्बर ५ में किया गया है।

(३) जी नहीं। प्रश्न ही नहीं उठता।

(४) प्रश्न ही नहीं उठता।

(५) निकट भविष्य में इस प्रकार के सर्वेक्षण कराने की कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

निर्विरोध पंचायत बन जाने पर अनुदान

१२३. श्री चतुर्भुज उपाध्याय (चित्तौडगढ) : क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि निर्विरोध पंचायत बन जाने पर सरकार द्वारा कुछ अनुदान मिलता है? अगर हां, तो पंचायत समिति चित्तौडगढ़ की कुल कितनी पंचायतों को ऐसा कितना अनुदान दिया गया है?

(२) क्या यह सही है कि इस प्रकार के अनुदान को पंचायत केवल स्थानीय विकास कार्यों के लिए ही खर्च कर सकती है, प्रशासन में नहीं?

(३) क्या पंचायत समिति चित्तौड़गढ की पंचायतों द्वारा इन अनुदानों को सही तरीके से खर्च किये जाने बाबत ऑडिट द्वारा जांच हो चुकी है?

उत्तर

(१) जी हां! पंचायत समिति चित्तौड़गढ की १७ पंचायतों को ७५११) रु० की धनराशि दी गई।

(२) जी नहीं! अनुदान की रकम प्रशासनिक अथवा विकास कार्यों में खर्च की जा सकती है।

(३) सन् १९६२—६३ का ऑडिट हो चुका है। सन् १९६३—६४ का ऑडिट बाकी है।

पंचायत समिति, चित्तौड़गढ़ को लघु-उद्योगों के लिए अनुदान

१२४. श्री चतुर्भुज उपाध्याय, (चित्तौडगढ़) : क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) पंचायत समिति चित्तौडगढ़ को किन किन लघु उद्योगों के लिए राज्य सरकार द्वारा अनुदान किया गया और कब?

(श्री चतुर्भुज उपाध्याय)

(२) जिन व्यक्तियों को पंचायत समिति द्वारा यह अनुदान दिया गया है, क्या उन्होंने उसका सही उपयोग कर लिया है? यदि हां, तो उन व्यक्तियों की आय में कितनी वृद्धि हुई है?

उत्तर

(१) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) जी हां। आय में वृद्धि होने का सर्वेक्षण नहीं किया गया है।

(कृपया परिशिष्ट ४ देखिए)

विकास कार्य हेतु धनराशि—पंचायत समिति चाकसू

१२५. श्री नाथूलाल करोल (चाकसू): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) पंचायत समिति चाकसू, जिला जयपुर के द्वारा पंचायत कुम्हारियावास में जनवरी, १९६१ से अब तक किन किन ग्रामों में कितने कितने व्यक्तियों को कुल कितनी राशि तकावी के रूप में दी गई है?

(२) उक्त पंचायत समिति द्वारा कितना कितना रुपया किस किस ग्राम में विकास कार्य हेतु दिया गया है?

(३) विकास कार्य कितने पूरे हुए हैं और कितने अधूरे पड़े हुए हैं? सूची देने की कृपा करें।

उत्तर

(१) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(३) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

आबादी भूमि में मकान बनाने हेतु प्रार्थना-पत्र, पंचायत क्षेत्र गरमपुरा

१२६. श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन): क्या विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत गरमपुरा, तहसील केशोरायपाटन की जन संख्या करीब ६,००० है?

(२) क्या यह सही है कि इस आबादी में औद्योगिक क्षेत्र होने से अधिकतर मजदूर वर्ग कम वेतन पाने वाले व अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति के लोग रहते हैं?

(३) क्या यह सही है कि करीब ५०० व्यक्तियों ने गरमपुरा पंचायत क्षेत्र में बेकार पड़ी हुई आबादी की भूमि में मकान बनने हेतु जमीन गरमपुरा पंचायत से प्राप्त करने के लिए प्रार्थना-पत्र वर्षों से दे रखे हैं?

Page No.42

(श्री हरिप्रसाद शर्मा)

(४) यदि हां, तो इस क्षेत्र में ऐसी कौन सी भूमि है जहां आबादी बनाई जा सके और उसे मजदूर व अन्य वर्ग को कीमत लेकर देने में क्या बाधायें हैं ?

उत्तर

(१) जी हां।

(२) जी हां।

(३) जी हां।

(४) पंचायत क्षेत्र में पड़त भूमि को आबादी में परिवर्तित करने की कार्यवाही चालू है। इसके बाद ही ग्राम पंचायत मकान बनाने की स्वीकृति दे सकेगी।

एम्प्लॉयमेंट एक्सचेन्ज के जरिए नौकरियां

१२७. श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) राजस्थान में कितने एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज किन किन स्थानों पर कायम किये हुए हैं ? और उक्त कार्यालयों में पिछले ३ वर्षों में कुल कितने व्यक्तियों ने नाम रजिस्टर करवाये हैं ? जिलेवार तालिका सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) जितने व्यक्तियों के नाम रजिस्टर करवाये हैं उनमें से कितने व्यक्तियों को नौकरी मिल सकी है ?

उत्तर

(१) राजस्थान में १८ एम्प्लॉयमेंट एक्सचेन्ज निम्न स्थानों पर कायम किये हुए हैं:—

१. अजमेर २. अलवर ३. बांसवाडा ४. भरतपुर ५. भीलवाड़ा ६. बीकानेर ७. चित्तौड़गढ़ ८. जयपुर ९. झुंझुनूं १०. जोधपुर ११. कोटा १२. नागौर १३. पाली १४. सवाई मधोपुर १५. सीकर १६. सिरोही १७. श्री गंगानगर १८. उदयपुर।

(२) इन कार्यालयों में पिछले तीन साल में नाम रजिस्टर कराने वालों की तथा इनकी सहायता से नौकरी पाने वालों की संख्या संलग्न तालिका में दी गई है।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

एम्प्लॉयमेन्ट एक्सचेंज के अधिकारियों के तबादले

१२८. श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) एम्प्लॉयमेन्ट एक्सचेंज के अधिकारियों को साधारणतया कितने अर्से के बाद एक स्थान से दूसरे स्थान पर बदला जाता है ?

(२) ऐसे कितने अधिकारी हैं जिनको इस नियमित अवधि से अधिक समय तक एक

(श्री हरिप्रसाद शर्मा)

ही जगह पर रखा जा रहा है ? तालिका सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(१) स्थानान्तरण करने की कोई अवधि निश्चित नहीं हैं किन्तु साधारणतया दो साल से पहले स्थानान्तरण नहीं किया जाता ।

(२) जो अधिकारी २ साल से अधिक एक ही स्थान पर हैं उनके नाम नीचे तालिका में दिये गये हैं:—

क्रम संख्या	नाम व पद		नियुक्ति की जगह	तारीख जबसे वर्तमान जगह पर है ।
१.	श्री आनन्द स्वरूप,	जिला नियोजन अधिकारी	अलवर	१-४-४७
२.	श्री आर० ए० भण्डारी,	,, ,, ,,	पाली	१४-१०-५७
३.	श्री जे० एन० मलहोत्रा,	,, ,, ,,	कोटा	१४-१०-५८
४.	श्री एस० एल० औदिच्य	,, ,, ,,	जोधपुर	६-७-६०
५.	श्री आर० सी० पालीवाल	सहायक नियोजन अधिकारी	जयपुर	१२-७-६०
६.	श्री डी० पी० शर्मा,	जिला नियोजन अधिकारी	सीकर	१२-१-६१
७.	श्री टी० एल० बाफना,	,, ,, ,,	उदयपुर	१६-६-६१
८.	श्री एल० एल० पुरोहित,	,, ,, ,,	भीलवाडा	१०-६-६१
९.	श्री जे० एन० पारीक,	सहायक नियोजन अधिकारी	जयपुर	१७-३-६२
१०.	श्री शंकरसिंह,	उपक्षेत्रीय नियोजन अधिकारी,	जयपुर	२३-१०-५८
११.	श्री तेजसिंह मेहता	,, ,, ,,	जयपुर	८-६-५९
१२.	श्री सी० एम० अग्रवाल,	,, ,, ,,	अजमेर	१०-४-६१

Page No.44

(१२.१५ म० प०)

अनुपस्थिति हेतु अनुमति

श्री अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारम्भ होने से पूर्व में सदस्यों की जानकारी के लिए सूचित करना चाहता हूं कि श्री महेन्द्रसिंह ने दिनांक १६-१०-६४ से सत्र के अन्त तक सदन से अनुपस्थित रहने के लिए प्रार्थना की है।

क्या सदन की अनुमति है कि उन्हें सदन से अनुपस्थित रहने की आज्ञा प्रदान की जाय।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : कारण नहीं बताते हैं कि किस कारण से अनुपस्थित रह रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : उनकी घरेलू परिस्थितियां हैं, पिताजी अस्वस्थ हैं और भी कई प्रकार के कारण हैं, इसलिए अनुपस्थित रहना चाहते हैं।

श्री रामकिशन (वैर) : किसकी है ?

श्री अध्यक्ष : श्री महेन्द्रसिंह की।

श्री रामकिशन : श्री प्रतापसिंह या श्री महेन्द्रसिंह ?

श्री अध्यक्ष : श्री महेन्द्रसिंह ! श्री प्रतापसिंह का अभी नहीं आया है।

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई।

(१२.१७ म० प०)

कोटा इत्यादि में दशहरे के अवसर पर शिक्षण संस्थाओं से फर्नीचर इत्यादि लेने विषयक स्थगन-प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष : कुछ स्थगन-प्रस्ताव थे जिन पर आज निर्णय दिया जायगा।

एक स्थगन-प्रस्ताव की सूचना माननीय कृष्णकुमार गोयल (कोटा) ने दी है जो कलेक्टर एवं सिटी मजिस्ट्रेट, कोटा द्वारा कोटा में दशहरे के अवसर पर कॉलेजों के प्रिंसिपल और स्कूलों के प्रधानाध्यापकों से फर्नीचर इत्यादि लेने के सम्बन्ध में अशोभनीय व्यवहार करने के सम्बन्ध में है। मंत्री महोदय, कृपया इस पर एक वक्तव्य दें।

श्री निरंजननाथ आचार्य (उप-मंत्री, गृह एवं शिक्षा) : स्टेडियम निर्माण कमेटी कोटा ने गत वर्ष के अनुसार स्टेडियम बनाने के लिए धन-संग्रह हेतु दशहरे के अवसर पर दिनांक १६-१०-६४ से २०-१०-६४ तक रामलीला मैदान में इस वर्ष भी सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया था। दर्शकों में किसी प्रकार असंतोष न होने पावे, इसलिये स्टेडियम कमेटी ने यह निर्णय लिया कि सभी श्रेणी के दर्शकों एवं विशेष अतिथियों के लिये बैठने हेतु कुर्सियों व बैंचों का प्रबन्ध किया जावे। चूंकि दर्शकों का भारी संख्या में आने का अनुमान था, अतः सभी सरकारी कार्यालयों से व शिक्षण संस्थाओं से कुर्सियों व बैंचों की मांग की गई थी। किन्तु प्रिंसिपल, गवर्नमेंट कॉलेज, कोटा ने कुर्सियां देने में असहमति प्रकट की जिसका कारण १६ एवम् २० अक्टूबरको कॉलेज खुला रहना बतलाया गया। उक्त असुविधा को दूर करने के लिए

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

कॉलेज आरम्भ होने से पूर्व कुर्सियां-मेज देना एवम् कॉलेज के समय समाप्ति पर कुर्सियां ले जाने का विश्वास दिया गया।

उक्त सुझाव के आधार पर जिलाधीश, कोटा ने आग्रहपूर्वक प्रिंसिपल महोदय को फर्नीचर तुरन्त भेजने का पत्र भेजा, जिस पत्र को प्रिंसिपल ने वाइस-प्रिंसिपल के पास पालनार्थ भेज दिया और वे चार दिन की छुट्टी पर बाहर चले गये।

६०० से अधिक कुर्सियां कॉलेज से रामलीला मैदान में ले जाई गई और इसके अतिरिक्त भी विशेष आवश्यकता की पूर्ति में और भी बैंचें बाजार से किराये पर ली गई। कॉलेज की सुविधा को ध्यान में रखा जाकर तारीख १९ अक्टूबर को कॉलेज आरम्भ के समय पूर्व कुर्सियां वापिस लौटा दी गई किन्तु वाइस-प्रिंसिपल ने टी. डी. सी. और पी. यू. सी. की कक्षाओं के लिये छुट्टी कर दी जिसके फलस्वरूप विद्यार्थियों में कुछ असंतोष उत्पन्न हुआ किन्तु जिलाधीश, कोटा ने विद्यार्थियों को स्थिति का ज्ञान कराते हुए उसी दिन समझाइश की, जिस पर विद्यार्थियों ने हड़ताल जैसे किसी कदम को न लेने का निश्चय किया।

अब तक की जानकारी के आधार पर जिलाधीश का कुर्सियां प्राप्त करने में अनुचित दवाब या अपमानजनक व्यवहार का प्रयोग करना नहीं प्रतीत हुआ और न इस सम्बन्ध में पुलिस को ही काम में लिया गया। फर्नीचर की देख-भाल के लिए तीन पुलिस के सिपाहियों को तारीख १९ अक्टूबर, १९६४ को तैनात किया गया था ताकि सुरक्षित रूप से फर्नीचर कॉलेज में रखा जा सके।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : माननीय अध्यक्ष, इस गंभीर स्थिती पर मैं माननीय मंत्रीजी से यह आशा कर रहा था कि उनके पास दोनों विभाग, शिक्षा विभाग और गृह विभाग हैं, इसलिए इस मामले पर पूर्णतया विचार करके वक्तव्य देंगे और जिन्होंने इस प्रकार की कार्यवाही की है उनके खिलाफ कदम उठायेंगे। मगर उन्होंने जो वक्तव्य दिया है वह तथ्यों के विपरित दिया है। कोटा की स्थिति यह है अध्यक्ष महोदय, कि जब कोटा कलेक्टर ने प्रिन्सीपल को फर्निचर के लिये लिखा.........

श्री निरंजननाथ आचार्य : Point of order, Sir, आप बजाय भाषण देने के मुझ से इस पर प्रश्न पूछिये। आप तो भाषण देने लग गये।

श्री कृष्णकुमार गोयल : मैं वही बता रहा हूं। जब कोटा कलेक्टर ने प्रिन्सिपल को फर्नीचर देने को कहा तो उन्होंने उसके लिये अपनी मजबूरी जाहिर की और कहा कि मेरे पास १०० बैंचें स्पेयर हैं, बाकी फर्नीचर मैं नहीं दे सकता। क्या यह सच नहीं है कि उन्होंने रिक्विज़िशन वारन्ट भेजा ? क्या यह सच नहीं है कि सिटी मजिस्ट्रेट कोटा वहां पर गये ? क्या यह सच नहीं है कि जब अवस्थी कॉलेज में गये तो उनके साथ ४ कांस्टेबिल मौजूद थे। क्या यह सच नहीं है कि सबसे पहले अवस्थी मय कांस्टेबलों के प्रिन्सिपल

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

के कमरे में गये ? क्या यह सच नहीं है कि उन्होने वहां जाकर प्रिन्सिपल को यह कहा कि मि० प्रिन्सिपल आप अपने आपको गिरफ्तार समझें ? क्या यह सच नहीं है कि अवस्थी ने प्रिन्सिपल को कुर्सी से हटाया ? क्या यह सच नहीं है कि अवस्थी ने यह कहा कि अगर प्रिन्सिपल किसी प्रकार का हस्तक्षेप करते हैं तो उनको गिरफ्तार कर लिया जावे और उसके बाद जबरदस्ती फर्नीचर वहां से उठा कर ले जाया गया ? जो सामान कॉलेज से हटाया गया उसकी रसीद तक भी नहीं दी गई और उसके बाद १८ तारीख को जब प्रिन्सिपल आये तो कलेक्टर ने धौंस दी कि उनको अधिकार है कि वे उनको गिरफ्तार कर सकते हैं। यह तो एक कॉलेज की स्थिति है।

दूसरा गुमानपुरा मल्टीपर्पज़ हायर सेकन्डरी स्कूल..........

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैं इन सब प्रश्नों का उत्तर एक साथ नहीं दे सकूंगा। मुझे पहले इसका उत्तर देने दीजिये फिर मल्टी पर्पज़ स्कूलों पर आजाइये ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : इस प्रकार से कोटा कलेक्टर ने उसको अपमानित किया है क्या आप उसको गंभीर नहीं मानते ? इस परिस्थिति से भयभीत होकर कोटा के प्रिन्सिपल ने आकर यहां पर डिपार्टमेंटल शिकायत की है कि ऐसी स्थिति में मेरा वहां पर रहना और कन्ट्रोल करना मुश्किल है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने निवेदन किया कि फर्नीचर के लिए कलेक्टर ने पत्र लिखा और प्रिन्सिपल ने असहमति प्रकट की फर्नीचर देने के लिये। उसका आधार यह हो सकता है और है कि वे अपने फर्नीचर को डेमेज होने से बचाना चाहते थे। १६ और २० तारीख को छुट्टियां नहीं थीं और वे कॉलेज के समय में फर्नीचर नहीं देना चाहते थे। कलेक्टर ने उसको कहा कि वे १६ तारीख को कॉलेज के समय फर्नीचर वापिस लौटा देंगे और कॉलेज टाइम के बाद में वापिस ले जायेंगे। मेरी जानकारी के आधार पर उनको यह बात उचित नहीं लगी और प्रिन्सिपल छुट्टी पर चले गये और यहां पर भी आये। ऐसी स्थिति में मेरे पास जो अभी तक रिपोर्ट आई है वह रेडियोग्राम से या टेलिफोनिक मेसेज से आई है और वह भी अपर्याप्त सूचना होते हुए भी मैंने उन तथ्यों को सदन के सामने रखा है। दोनों तरफ के तथ्य क्या हैं; अभी मेरे पास नहीं हैं इसलिये इससे अधिक मैं कुछ नहीं कह सकता। मैं यह भी नहीं कह सकता कि दरअसल प्रिन्सिपल को गिरफ्तार किया गया या नहीं, सिटी मेजिस्ट्रेट वहां गये या नहीं, वारन्ट आफ रिक्विज़िशन की आज्ञा प्रसारित की गई या नहीं या कोई अपमानजनक स्थिति पैदा हुई या नहीं। ये ऐसे तथ्य हैं कि इन पर जब तक पूरी जांच नहीं कि जावे तब तक मैं कोई साफ तौर से स्थिति सदन में रखने की हालत में नहीं हूं।

आपने जो प्रश्न उठाये हैं और मेरे दिमाग में जो स्थिति है, जहां तक शिक्षक

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

और प्रिन्सिपल के सम्मान का प्रश्न है, उसको सामने रखते हुए राज्य सरकार ने चेअरमैन रेवेन्यू बोर्ड को इस सारी स्थिति की जानकारी करने के लिये आज आदेश दे दिये हैं। ऐसी स्थिति में माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि आगे की स्थिति के संबन्ध में मैं इस समय कोई कमिटमेंट करने की हालत में नहीं हूं कि कौन गलती पर है। यह तो उनकी रिपोर्ट आने पर ही तय होगा। मैं समझता हूं कि माननीय सदस्यों को जो मैंने कहा है उससे संतोष होगा।

श्री कृष्णकुमार गोयल : अध्यक्ष महोदय, इससे भी अधिक खराब स्थिति गुमानपुरा और रामपुरा हायर सेकन्डरी स्कूलों की है। वहां के हैडमास्टर को कहा गया फर्नीचर देने के लिये, तो उन्होंने अपनी मजबूरी जाहिर की। तो उनके वारन्ट आफ रिक्विज़िशन जारी किये गये और यहां तक कि ताले तुड़वाये गये।

(विपक्ष की ओर से "शेम शेम")

श्री निरंजननाथ आचार्य : मुझे सुना ही नहीं और शेम शेम कर दिया।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर) : कलेक्टर है वह अपनी गलती को बार बार दोहराता जा रहा है। इस पर भी सरकार इस तरह से दलीलें देती है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या आप इस बारे में जो कुछ हुआ है उससे संतुष्ट हैं?

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैं बिल्कुल संतुष्ट हूं क्योंकि यह अधूरी ही बात है।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : यह सही है कि आपने इसकी जांच करने के लिये चेयरमेन, रेवेन्यू बोर्ड को मुकर्रर किया है। मगर यह बात तो सही है कि उन्होंने प्रिन्सिपल को फर्नीचर देने के लिये पत्र लिखा और उन्होंने देने से इन्कार कर दिया। मगर उसके इन्कार करने के बावजूद भी फर्नीचर वहां से गया। जब प्रिन्सिपल, गवर्नमेंट कॉलेज, कोटा ने इन्कार कर दिया तो कलेक्टर को क्या पॉवर्स थे कि वहां से सामान ले जाते? यह ठीक है कि वे सामान वहां से ले गये और पुलिस को भेजकर ले गये, मगर उनको कानून में ऐसा पॉवर था क्या?

श्री निरंजननाथ आचार्य : जांच कराई जा रही है।

श्री मुरलीधर व्यास : आप जांच क्या करवाते हैं? यह तो सही है कि प्रिन्सिपल के मना करने पर भी वह सामान ले गये। यह तो स्पष्ट है। फिर उसकी आप क्या जांच कराना चाहते हैं, आप यह तो बता दीजिये कि यह ठीक है या नहीं?

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : आप दो बातें बता दें। एक तो यह कि स्टेडियम निर्माण कमेटी के लिये कोई नियम बने हुए हैं या नहीं और यह ऑफिशियल कमेटी है? दूसरा यह कि जो प्रिन्सिपल यहां आये वे आपके पास आये। आपने जैसा

Page No.48

(श्री भैरोंसिंह)

कहा कि वे यहां आये, क्या वे आपसे मिले और उन्होंने क्या कहा ? यदि आपको नहीं कहा तो उन्होंने आपके डिपार्टमेंट वालों से क्या कहा ?

श्री निरन्जननाथ आचार्य : यह कमेटी सेमी ऑफिशियल है। इसके चेयरमेन कलेक्टर हैं और सिटी मजिस्ट्रेट मंत्री हैं। स्टेडियम बनाने के लिये कमेटी ने सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया था। यह कमेटी स्टेडियम बनाने के लिये प्रयत्न कर रही है।

अब प्रश्न यह है कि प्रिन्सिपल यहां आये और मुझसे मिले या नहीं। मुझसे नहीं मिले, डिप्टी सेक्रेट्री से मिले उन्होंने मौखिक उनसे कहा। इसके अलावा लिखित में कुछ नहीं है।

अब प्रश्न यह है कि जो लेटर लिखा गया है वह डी० ओ० हैं या वारन्ट ऑफ रिक्विज़िशन है। कमेटी को पॉवर्स थे या नहीं और जो कुछ हुआ यह उचित था या नहीं, इसके लिये चूंकि एक अधिकारी को पूरी जांच करने के लिये नियुक्त किया गया है इसलिये मैं इस स्थिति में नहीं हूँ कि इस पर कहूं क्योंकि उससे जांच पर क्या प्रक्रिया हो। इसलिये मैं अपना वक्तव्य देकर इन्क्वायरी पर असर डालना उचित नहीं समझता और माननीय सदस्य भी यही उचित समझते हैं कि जो इन्क्वायरी हो रही है उस पर कोई असर नहीं डाला जाय। मैं मौन रहना ही उचित समझता हूँ।

इसलिये मैं आपके आदेश से इस सम्बन्ध में मौन रहना उचित समझूंगा।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : जहां तक सरकार ने जो कोटा कॉलेज में दुर्घटना हुई उस सम्बन्ध में एक्शन लिया है, उस सम्बन्ध में मेरी सहानुभूति है। उस सम्बन्ध में विशेष चर्चा करने की आवश्यकता हो, ऐसा मैं महसूस नहीं करता। प्रिन्सिपल से भी मंत्री महोदय, नहीं मिले। मैं जानना चाहूँगा कि क्या मंत्री महोदय कलेक्टर से मिले हैं, कलेक्टर से नहीं मिले हैं तो क्या आप आवश्यक समझते हैं कलेक्टर से यह पूछना कि बार बार एक जगह, दूसरी जगह, फिर तीसरी जगह इस प्रकार के आर्बिट्रेरी ऑर्डर्स देकर मनमानी नादिरशाही कैसे अख्त्यार की ?

श्री निरन्जननाथ आचार्य : लीडर ऑफ दी ऑपोज़िशन का जवाब दे दूं। प्रिन्सिपल यहां आये उसकी जानकारी मुझे बाद में मिली।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : प्रिंसिपल का प्रश्न नहीं। कलेक्टर से मिले या नहीं, यह सीधा सा प्रश्न है, इसका सीधा सा जवाब दीजिये।

श्री निरन्जननाथ आचार्य : मैं एस० पी० से मिल चुका जैसा कि मिलने का माध्यम होता, फोन से। कलेक्टर से नहीं मिल सका, प्रयास किया परन्तु वे मिल नहीं सके, ए० डी० एम० से मिला, वाइस-प्रिन्सिपल से भी मिल लिया। उनसे बातचीत

Page No.49

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

होने के बाद मैंने इन तथ्यों को तैयार किया। इसके बाद भी कई बातें माननीय सदस्यों के मस्तिष्क में, मेरे मस्तिष्क में भी हैं। अध्यापकों, प्राध्यापकों की प्रतिष्ठा को ऊंचा उठाने के सम्बन्ध में मुख्य मंत्रीजी ने बार बार कहा है। दूसरे विद्यालयों के सम्बन्ध में हमारे पास कोई शिकायत नहीं है, जानकारी करने की कोशिश की गई उससे ऐसी स्थिति दूसरे विद्यालयों के सम्बन्ध में प्रतीत नहीं हुई।

श्री विजयसिंह झाला (नाथ द्वारा) : गृह विभाग और शिक्षा विभाग दोनों ही आपके पास हैं, शिक्षा विभाग पर अन्याय हुआ है, इसका सही रूप से उत्तर आप नहीं दे सकते, शिक्षा मंत्रीजी दें क्योंकि आपके सामने शिक्षा विभाग और गृह विभाग दोनों की प्रतिष्ठा का प्रश्न उपस्थित होता है।

श्री निरन्जननाथ आचार्य : दोनों डिपार्टमेंट अलग हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जोहरी बाजार जयपुर) : It is the Chief Minister who is the Home Minister....

श्री अध्यक्ष : अब इस पर कोई बहस आवश्यक नहीं है। मन्त्री महोदय ने स्पष्ट कह दिया है कि उच्च अधिकारी मामले की जांच कर रहा है। यह सरकार ने उचित ही कदम उठाया है कि सारे मामले को जांच की जाय, पूरी जांच हो जाने के बाद सरकार निर्णय कर लेगी कि किसकी गलती है, किसकी नहीं है। सब इस पर बहस नहीं होगी। अब दूसरे प्रस्ताव पर बहस होगी।

नेशनल बॉलबियरिंग फेक्टरी, जयपुर में हड़ताल विषयक स्थगन-प्रस्ताव

दो स्थगन-प्रस्तावों की, नेशनल बॉल बियरिंग फैक्टरी की हड़ताल के सम्बन्ध में माननीय सदस्य श्री भैरोंसिंह और श्री मुरलीधर व्यास ने सूचनायें दी थीं। इस सम्बन्ध में श्रम मंत्री जी ने वक्तव्य देने का आश्वासन दिया था। वे कृपया वक्तव्य दें।

श्री भीखाभाई (श्रम मंत्री) : नेशनल इन्जिनियरिंग इन्डस्ट्रीज़, जयपुर की श्रम स्थिति के बारे में वस्तु स्थिति निम्न प्रकार है :— जयपुर में नेशनल बॉल बियरिंग फेक्टरी में कुछ श्रमिकों ने कम्पनी के श्रम कल्याण अधिकार को निकाले जाने की मांग लेकर तारीख २६-८-६४ से टूल डाउन हड़ताल की। इसके उपरांत तारीख ११-६-६४ से कम्पनी के व्यवस्थापकों ने लॉक आउट कर दिया, लेकिन ता० २३-६-६४ को लॉक आउट उठा लिया गया। इस के बाद लगभग २५०-३०० मजदूर काम पर आ गये और शेष श्रमिकों ने हड़ताल जारी रखी व पिकेटिंग द्वारा मजदूरों को काम पर जाने से रोका। कानून व व्यवस्था बनाये रखने के लिये तथा सुरक्षा के लिये पुलिस को उचित कार्यवाही करनी पड़ी। बाद में शान्ति भंग करने वाले ३४४ पुरुष श्रमिकों को १०७, १५१. सी आर० पी० सी० में गिरफ्तार किया गया, जिन्हें दो तीन दिन बाद में रिहा कर दिया गया। इस समय पुलिस पर मजदूरों द्वारा पत्थर भी फेंके गये। विवश होकर पुलिस को स्थिति को काबू में लाने के लिये भीड़ को तितर-बितर करना पड़ा। फिर २८-६-६४

Page No.50

(श्री भीखाभाई)

को स्थिति बिगड़ गई जब कि मजदूरों ने पुलिस पर पत्थर फेंके और इस कारण ३३ पुलिस कर्मचारी और १० अन्य व्यक्ति घायल हुए। तत्पश्चात् ता० ४-१०-६४ को फिर स्थिति तनावपूर्ण हो गई जब कि धरना देने वाले मजदूरों ने फेक्ट्री के ट्रक को भीतर करने से रोका और पुलिस पर पत्थर फेंके। इस पर भीड़ को तितर-बितर कर दिया गया। इस समय ७ व्यक्ति गिरफ्तार किये गये। तारीख १५ व १६-१०-६४ को फेक्टरी के बाहर फिर पिकेटिंग होने के कारण क्रमश: ८६ व ६ व्यक्ति गिरफ्तार किये गये।

औद्योगिक विवाद कानून के अनुसार श्रम कल्याण अधिकारी व अन्य किसी अधिकारी को हटाने का प्रश्न औद्योगिक विवाद नहीं है, फिर भी हड़ताल या तालाबन्दी के प्रश्न पर श्रम विभाग द्वारा दोनों पक्षों से बात-चीत की कोशिश की गई। क्योंकि इन प्रश्नों का कोई हल नहीं निकला। सरकार ने टूल डाउन स्ट्राइक तथा लोक आउट की औचित्यता के प्रश्न को ४-१०-६४ को लेबर कोर्ट के सुपुर्द कर दिया; अन्य मामले जैसे वेतन, बोनस, ग्रेच्युटी आदि के प्रश्नों को इन्डस्ट्रियल ट्रिब्यूनल को रेफर कर दिया गया। इसके उपरान्त भी कुछ श्रमिकों द्वारा हड़ताल जारी रखी गई।

माननीय मुख्य मंत्री ने भी समय समय पर श्रमिकों व व्यवस्थापकों के प्रतिनिधियों से बातचीत कर झगड़े को सलटाने की बहुत कोशिश की। तारीख १४-१०-६४ को माननीय मुख्य मंत्रीजी ने दोनों पक्षों के सामने श्री सिन्हा का मामला कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी के सुपुर्द करने का सुझाव रखा। इसे व्यवस्थापकों ने मान लिया किन्तु श्रमिकों के प्रतिनिधि श्री सिन्हा को पहले श्रम कल्याण अधिकार के पद से हटाने के प्रश्न पर जोर देते रहे।

इस पर भी श्रमिकों व व्यवस्थापकों के प्रतिनिधियों से सम्पर्क बनाये रखा गया। तारीख १७-१०-६४ को मंत्री की हैसियत से मेरी ओर से श्रमिकों के नाम एक अपील प्रसारित की गई जिसमें राष्ट्रीय उत्पादन में वृद्धि तथा मजदूरों की आर्थिक दशा को देखते हुए मानवीय दृष्टिकोण से यह कहा गया कि यह आवश्यक है कि सोहद्र पूर्ण वातावरण उत्पन्न किया जाये, मजदूर वापिस कार्य पर चले जायं और प्रबन्धक उनकी उचित शिकायतों को शीघ्र दूर करें तथा सद्भावना बढ़ाने में हाथ बंढ़ावे। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि श्रमिकों ने इस अपील की भावना को ध्यान में रखकर ता० १६-१०-६४ को प्रातःकाल हड़ताल समाप्त कर दी। कल की सूचना के अनुसार १४४५ मजदूर कार्य पर जाने लगे हैं और यह आशा की जाती है कि शेष मजदूर भी, जिनमें से अधिकांश शायद जयपुर से बाहार चले गये थे, शीघ्र ही काम पर लौट आयेंगे।

श्रमिकों में फूट डालने से तथा पुलिस सहायता मालिकों को देने की बात बिल्कुल निराधार है। जिला प्रशासन व सरकार द्वारा इस सारे मामले में प्रबन्धकों व श्रमिकों में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं रखा गया।

(श्री भीखाभाई)

शान्ति व व्यवस्था बनाये रखने के लिए यथोचित कार्यवाही बिना भेदभाव के की गई ।

प्रारम्भ से लेकर इस स्थिति को सुलझाने हेतु सरकार द्वारा शांति व्यवस्था बनाये रखने के लिए सतर्कता बरती गई और दूसरी और माननीय मुख्य मन्त्री और श्रम विभाग व मेरे द्वारा इन प्रश्नों को कानून के अनुसार सुलझाने का समय-समय पर पूर्ण प्रयत्न किया गया।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : अध्यक्ष महोदय, माननीय श्रम मन्त्री महोदय ने जो वक्तव्य दिया है उसके सम्बन्ध में दो बातें स्पष्ट करना चाहता हूँ। सबसे पहले मन्त्री महोदय ने यह कहा कि एक व्यक्ति को यानि लेबर वेलफेयर ऑफिसर को निकालने के लिए श्रमिकों द्वारा मांग की गई और उस आधार पर हड़ताल की गई। मन्त्री महोदय ने यह नहीं बताया कि मांग क्यों की गई । एक लेबर को वेलफेयर ऑफिसर ने बुरी तरह से मारा और घायल कर दिया। इतनी बुरी तरह से मारा कि उसके ४० चोटें लग गई जिसकी मेडिकल रिपोर्ट के बारे में मन्त्री महोदय को मालूम है। मन्त्री महोदय इस बात को चबा गए। जिस लेबर वेलफेयर ऑफिसर को लेबर की रक्षा करनी चाहिए उसने दूसरों से लेबर को पिटवाया और इस पिटाई में उसका खुद का हाथ था। यह इतनी लम्बी हड़ताल चलाने का कारण यह है कि हमारे देश में राष्ट्रीय एकता की बात की जाती है, पर मालिक लोग दूसरी स्टेट्स से मजदूरों को यहां बुला लेते हैं और मजदूरों को आपस में लड़ाते हैं। यहां पर कुछ मजदूर बिहार से लाए गए हैं क्योंकि लेबर ऑफिसर सिन्हा, बिहार के हैं। उन्होंने मजदूरों को इस तरह से रखा है कि जब वह मजदूरों को आपस में लड़ाना चाहें तो एक गुट एक तरफ हो जाता है और दूसरा दूसरी ओर। यह परिस्थिति बुरी है। जिन्होंने मारपीट की, वे लोग ऐसे ही थे।

दूसरी पाइंट यह है कि हमेशा के लिए शांति कैसे हो, कोई स्पष्ट वक्तव्य मंत्री महोदय की तरफ से नहीं है। मंत्री महोदय कहते हैं कि उन्होंने अपील की और उसके आधार पर स्ट्राइक खत्म हुआ। मैं पूछना चाहता हूं कि अभी भी बहुत से मजदूर जो सस्पेंड किये गए थे वे आज भी सस्पेंडेड हैं या काम पर चले गए। अगर नहीं गए तो यह मामला विक्टीमाइजेशन का है और ऐसी परिस्थितियां आगे हड़ताल का रूप धारण कर सकती हैं।

तीसरी बात यह है कि जिस लेबर ऑफिसर ने श्रमिक को इस तरह से पिटवाया और जिस मुद्दे पर हड़ताल हुई तो क्या उस लेबर ऑफिसर को जिसने यह गलत काम किया, जो श्रमिकों के हित के लिए है, उसने श्रमिकों के हित के खिलाफ काम किया है, तो आपने मालिकों को आदेश दिया है कि उस लेबर ऑफिसर को न रखें। इस संबंध में अगर कोई निर्णय हो गया है और इस बारे में बातचीत हो गई है तो भविष्य में शांति हो सकती हैं, परंतु ये परिस्थितियां नहीं हैं। मजदूर सस्पेंडेड भी हैं, काम पर भी नहीं हैं। जब तक मंत्री महोदय इन दो बातों को स्पष्ट

श्री मुरलीधर व्यास)

नहीं करेंगे तो भविष्य में भी इस प्रकार की अशांति हो सकती है ।

चोथी बात यह है कि पहले गृह मंत्री ने आश्वासन दिया है कि जब भी मालिक-मजदूर के झगड़ने का सवाल आएगा तो हमारी पुलिस कभी नहीं जायगी और किसी प्रकार हस्तक्षेप नहीं करेगी । मैं पूछना चाहता हूं कि अगर कोई शांतिमय तरीके से मजदूर धरणा करता (देता) है मालिकों की विक्टीमाइज़ेशन के खिलाफ, तो वहां पर आपकी पुलिस जाकर गिरफ्तारियां करें, तो मैं समझता हूं कि लेबर के ऊपर प्रहार है । लेबर के पास और कोई हथियार नहीं है । होना तो यह चाहिए कि जहां मालिक मजदूर को दबाए, प्रेशर टेक्टिक्स करे वहां सरकार मजदूर की मदद करे, किन्तु मदद तो नहीं करे, उसके बजाय पुलिस वहां जाय और शांतिमय धरणा देने वालों को गिरफ्तार करे, उनको दबाए, तो उससे मजदूरों का विक्टीमाइज़ेशन होता है ।

पांचवी बात यह है कि आपने कहा कि ५१ दिन की हड़ताल के बाद आपने अपील की और उसको मान लिया गया और फैसला हो गया । तो इतने दिन हड़ताल हुई, राष्ट्रीय नुकसान हुआ, तो क्या यह अपील पहले जिस समय हड़ताल हुई, तो इस तरह की अपील नहीं हो सकती थी ? उस समय भी फैसला हो सकता था । तो ऐसा मालूम पड़ता है कि या तो आप स्वयं मालिक से मिले हुए हैं या इंटक ....

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री): वक्तव्य के बाद क्या भाषण शुरु हो गया ?

श्री हरिराम चौहान (तिजारा): आप लाठियां चलाओ और ये भाषण भी न दें ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : भाषण करने से इन्कार नहीं है । सवाल यह है कि एडजॉनमेंट मोशन के सम्बन्ध में जो रुल्स हैं उनके अनुसार होना चाहिए और कोई इन्फोर्मेशन...

श्री मुरलीधर व्यास : मैंने कहा था कि पुलिस ने मालिकों की मदद की और आपने कहा कि ऐसा कोई इरादा नहीं है । मैं कहता हूं कि गृह मंत्री ने आवश्वासन दिया था कि पुलिस मालिक–मजदूर के झगड़े के बीच में नहीं जायगी । लेकिन क्योंकि यह बिड़ला का कारखाना है, बिडला का संबंध सरकार से है इसलिए हमेशा इस प्रकार से सरकार उनके साथ हो जायगी, हम दबेंगे । जामसर के मामले में भी सरकार मालिकों के साथ मिल गई । दो महीने तक हम जेल में रहे, मामला रेफर तक नहीं किया गया, आखिर नन्दाजी के हस्तक्षेप से रेफर हुआ ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : Point of order, ये माननीय सदस्य वक्तव्य पर वक्तव्य देते जा रहे हैं तो यह कहां तक ठीक है ? मैं केवल प्रार्थना करूंगा कि आप क्लेरीफाई करें ।

श्री मुरलीधर व्यास : यह काम अध्यक्ष का है, आपका नहीं है मुझे शिक्षा देना ।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द): यह कानून के बिल्कुल विपरीत है कि एडजॉर्नमेंट मोशन के बाद भाषण ...

श्री मुरलीधर व्यास : आप अपने को सबसे बड़ी ऑथोरिटी समझते हैं। मुझे जैसे स्पीकर आदेश देंगे मैं करूंगा, आप बीच में क्यों बोलते हैं ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य से यह निवेदन है कि इस समय कोई विशेष रूप से या विस्तृत रूप से चर्चा हो, यह प्रश्न नहीं है, न ही हम करना चाहेंगे, न समय ही है। वक्तव्य दिया गया है उसमें संक्षेप में आप स्पष्टीकरण मांग सकते हैं दो-चार मिनट में, क्योंकि और भी माननीय सदस्य पूछना चाहेंगे, इससे बहस लंबी बढ़ेगी।

श्री मुरलीधर व्यास : मैं समझता हूं कि यदि आपकी तरफ से यह बात है तो मैं मानने को तैयार हूँ।

तो मैं कह रहा था कि हमेशा मजदूर ऐसे ही मुद्दों पर विक्टीमाइज़ होते हैं। बाहर से अगर १०० आदमी आए और यहां मजदूरों को लड़ाया गया तो वह बहुत बुरा है। हम मजदूरों की युनिटी चाहते हैं, उसमें भी नुकसान होगा। इसलिए मंत्री महोदय इन पांच-सात बातों का स्पष्टीकरण करेंगे।

श्री भैरोसिंह (किशनपोल, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, इस संबंध में माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जिस गेंदीलाल मजदूर की पिटाई को लेकर सारा झगड़ा हुआ वह मामला पुलिस में रिपोर्ट किया गया, उस पुलिस केस में अब तक क्या हुआ ? पुलिस की केस के अन्दर ढिलाई क्यों हुई ? इस पिटाई की बात को लेकर ही झगड़ा जोर पकड़ता गया और अंत में यह स्थिति आई कि लोक आउट भी करना पड़ा, पुलिस को वहां पहुंचना पड़ा और शांति बनाए रखने के गिरफ्तारियां करनी पड़ीं, कई बार पुलिस को लाठी-चार्ज करनी पड़ी और गिरफ्तारियां करनी पड़ीं, पहली तो यह पोइंट है।

दूसरा पॉइन्ट जो आता है, जैसा आपने सिन्हा का मामला, बोनस का मामला और लॉकआउट का मामला, ये तीनों इंडिस्ट्रीयल ट्रिब्यूनल को रेफर कर दिए हैं। इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल को आपने सिन्हा का मामला रेफर किया जिसमें उनको रखना चाहिए या नहीं। उस केस के साथ यह मामला जुड़ा हुआ है; पिटाई की गई या नहीं। एक तरफ पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी, दूसरी तरफ आपने इण्डस्ट्रियल ट्रिब्यूनल को रेफर कर दिया है। ये दोनों ही एक दूसरे के विपरीत चलेंगे। क्या पोज़ीशन रहेगी ? पुलिस देखेगी या इण्डस्ट्रियल ट्रिब्यूनल देखेगा कि शुरू से लेकर अंत तक पिटाई के मामले में कौन कितना जिम्मेदार है ? पुलिस ने अब तक उस मामले को क्यों रोका ? जिन लोगों ने पीटा है उनका चालान क्यों नहीं किया गया है और यह भ्रम बनाकर क्यों रखा कि पुलिस दबाने का प्रयास कर रही है।

मुझे खुशी है कि माननीय मंत्री, मुख्यमंत्री के प्रयासों को भी बाईपास कर गए। जो काम मुख्य मंत्री नहीं कर सके वह श्रम मंत्री कर सके। मैं जानकारी करना चाहता हूँ कि आपने जो अपील निकाली जिसमें दोनों पार्टियों को काम चालू रखना और शांति

Page No.54

(श्री भैरोंसिंह)

बनाए रखने के लिए कहा है उसमें कोई अंडरग्राउंड या अंडरहैंड कुछ कन्डीशन्स एप्लाई किए कि दोनों पार्टियों ने उसको मान लिया ? मजदूरों से आप जितनी अपेक्षा करते थे, उन्होंने तो कर दिया, लेकिन मालिकों के लिए इन शब्दों का प्रयोग नहीं किया तो मुझे ऐसा लगता है कि वे आपकी अपील को रेस्पोंड नहीं कर पाए। यह आप तब ही स्पष्टीकरण कर सकते थे, जब आपने स्पष्ट किया कि यह स्ट्राइक तब ही समाप्त हुई जब अपील में शब्द लिखे हुए थे, बाकी अन्डर हैंड कोई बात तय नहीं हुई थी। यह बताने के बाद ही मूल्यांकन किया जा सकता है कि इस अपील का कितना मिल मालिकों ने स्वागत किया और कितना मजदूरों ने स्वागत किया। आपने अपने सारे भाषण में और अपने स्टेटमेंट में चतुराई से एक बात कही थी। पुलिस कोभीड को तितर--बितर करना था। मौके पर पहुंचे हैं। आपने कभी यह कहा कि लाठी चार्ज हुआ ? कम से कम आप बतायें। समाचार-पत्रों में यह आया है कि लाठी चार्ज हुआ है लोगों ने अपनी आंखों से देखा है कि लाठी चार्ज किया गया है। ऑफिसर्स की कॉन्ट्राडिक्टरी रिपोर्ट भी हुई है। कोई कहता है, लाठी चार्ज हुआ है और लोग घायल होकर गिर गये हैं। वास्तविक तथ्य क्या हैं ? लाठी चार्ज हुआ या नहीं ? लाठी चार्ज हुआ तो क्या वह वाजिब था ? लाठी चार्ज के कारण मजदूरों में प्रोवेकेशन हुआ था। इसका स्पष्टीकरण करदें तो स्थिति में सुधार हेतु अवश्य मदद मिलेगी।

श्री अध्यक्ष : श्री रामानन्द अग्रवाल।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा श्रम मंत्री से जानना चाहूंगा कि २६-८-६४ को टूल डाउन स्ट्राइक होने से पहले क्या यह सही नहीं है कि जुलाई के पहले सप्ताह में उन्हीं सिन्हा साहब के मामले को लेकर टूल डाउन स्ट्राइक हुई ? क्या यह भी सही नहीं था कि एस. पी., जयपुर ने इन्हीं सिन्हा साहब के बारे में यह रिपोर्ट कलेक्टर और एडमिनिस्ट्रेशन को दी कि यही सिन्हा गुन्डा टाइप एलीमेंट है और यह यहां पर ट्रबल क्रियेट करेगा नम्बर तीन, ५ जुलाई को टूल डाउन स्ट्राइक मजदूरों की तरफ से वापिस ली गई। कलेक्टर और मजदूरों के प्रतिनिधियों की आपस में बात हुई। कलेक्टर ने यह एश्येरेन्स दिया मजदूर प्रतिनिधियों को कि सिन्हा साहब को यहां से फौरन हटा दिया जावेगा और बाद में उसको इस कारखाने में नहीं आने दिया जावेगा ? और क्या यह सही नहीं है कि गवर्नमेंट अपने इस आश्वासन को कैरी आउट नहीं करा सकी ? और चूंकि सिन्हा साहब ने दुबारा उस कारखाने में ड्यूटी रियूम की और इस कारण मजदूरों को दुबारा उस आश्वासन को पूरा कराने के लिए २६-८-६४ को से टूल डाउन स्ट्राइक जारी करनी पड़ी। इसके अलावा क्या यह सही नहीं है कि २३-९-६४ को जब मिल मालिकों ने सिन्हा साहब को काम पर लगा कर और लाक आउट वापिस लेकर काम चलाना शुरू किया तो मजदूरों ने उस तरीके से जिस तरीके २६-८-६४ को भी पीसफुल पिकेटिंग के जरिये टूल डाउन स्ट्राइक किया था उस २३-९-६४ को भी पीसफुल पिकेटिंग के जरिये

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

शान्ति जारी रखनी चाहिये, लेकिन पुलिस के द्वारा उन पर बड़ी बेरहमी से लाठी चार्ज किया गया और धरना दिये हुए औरतों और मजदूरों पर पुलिस ने लाठी चार्ज ही नहीं किया, बल्कि घोड़े दौड़ाये गये जिससे बहुत से लोग जख्मी हुए। कइयों को अस्पताल में दाखिल होना पड़ा ? क्या यह बात सही नहीं है कि आँल इन्डिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के कॉमरेड मोहन पूनिया को इस स्ट्राइक की वजह से डी० आई० आर० के तहत नजरबन्द किया गया और जब परसों स्ट्राइक कॉल ऑफ किया गया तो उनको परसों रिहा किया गया ? जब डी० आई० आर० सरकार ने पास किया था तो सरकार ने आश्वासन दिया था कि इसको खास तौर से देश की सुरक्षा, सेफ्टी ऑफ दी कन्ट्री के काम में लागू किया जायगा और मालिकों और मजदूरों के बीच झगड़ों के लिए इसको प्रयोग में नहीं लाया जायगा ? तो क्या मजदूरों के संगठन को मजदूरों करने के लिए, उनको डिमोरेलाइज़ करने के लिए, मजदूरों के लीडर को डी० आई० आर० के अन्तर्गत गिरफ्तार किया जाय, इसको गवर्नमेंट उचित समझती है ? इसके अलावा आपने मालिकों और मजदूरों को अपील की। आपकी अपील पर मजदूरों ने सत-प्रतिशत एक्ट किया। आपने अपील की, आपने मजदूरों के प्रतिनिधियों से बात की, आपने मालिकों से भी अवश्य बात की होगी और करनी चाहिये भी, ऐसी मान्यता रख कर चलते हैं तो क्या मालिकों की ओर से यह आश्वासन दिया गया था कि सिन्हा को वहां से हटा दिया जावेगा और मजदूरों का किसी प्रकार विक्टिमाइजेशन नहीं होगा ? क्या यह सही है कि ५४ मजदूरों को सस्पेन्शन नोटिस दिया गया था वह अभी तक वापिस नहीं लिया गया और अभी तक वे सस्पेन्डेड हैं ? मैं चाहूँगा कि इस बारे में सरकार पूरी तरह से जानकारी करे और यह भी बताये कि जब सरकार की यह मन्शा थी और यह कहना था था कि मालिकों और मजदूरों के झगड़े में पुलिस किसी तरह से हस्तक्षेप नहीं करेगी जब तक कि लॉ एन्ड आर्डर की प्रोब्लम क्रियेट नहीं हो जायेगी तो फिर २३-९-६४ को जिस बेरहमी से लाठी चार्ज किया और घोड़े दौड़ाये, गवर्नमेन्ट ने अपने डिक्लेरेशन का वायोलेशन किया, तो क्या गवर्नमेन्ट ने अपनी नीति में परिवर्तन कर लिया है ?

श्री हरिराम चौहान (तिजारा) : अध्यक्ष महोदय, यह जो बयान दिया गया है श्रम मंत्री की तरफ से, मैं समझता हूं, यह बिल्कुल ही अधूरा बयान है। जिस तरह का जुल्म मजदूरों के ऊपर इस सरकार ने किया, जिस तरह का पुलिस का उपयोग खुल्लम खुल्ला बिड़लाजी के पक्ष में किया, सुरक्षा कानून का उपयोग भी उन्हीं के पक्ष में किया, जो सुरक्षा कानून मजदूरों की रक्षा नहीं कर सका उस सुरक्षा कानून के द्वारा एक मिल मालिक की रक्षा करने के लिए आप वहां गये। सरकार ५१ दिन तमाशा देखती रही। सरकार ने किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं किया और यहां तक कि एक एक महीने तक तन्ख्वाह नहीं दी गई। अगस्त महीने की तन्ख्वाह मिलनी चाहिये थी वह एक महीने के बाद उनको दी गई। ऐसा मालूम होता था वहां पर कि जैसे कोई सरकार ही न हो, सरकार की ओर से वहां कोई व्यवस्था नहीं, शान्ति

Page No.56

(श्री हरिराम चौहान)

के नाम पर, व्यवस्था के नाम पर जुल्म लिये गये, अन्याय किये गये।

वह जुल्म मजदूरों पर किया गया। चार बार लाठी चार्ज किया गया और चारों बार ही बगैर मजिस्ट्रेट की मर्जी के किया गया। इस स्टेटमेन्ट में यह बात नहीं दिखाई देती कि सरकार इसे तस्लीम करती है या नहीं।

(१. ०० म० प०)

लाठी चार्ज से कितनों को चोट लगी है? एक दूकानदार पर दूकान पर लाठी चार्ज किया। उसकी आंख फूट गई; बाहर निकल आई उसकी आंख और उसका इस स्टेटमेन्ट में जिक्र नहीं।

इसमें यह भी जिक्र नहीं कि सरकार झगड़े की जांच करेगी। इसका भी जिक्र नहीं कि जिस सिन्हा की वजह से इतनी जबर्दस्त हड़ताल लड़ी गई उसको हटाने के लिये आज भी यह सरकार कुछ नहीं जोर डाल रही है, न आश्वासन ही दे रही है कि उसको हटा दिया जावेगा।

अब भी जब कि सरकार की अपील पर मजदूरों ने काम पर जाना स्वीकार किया उसका स्वागत किया, लेकिन इसके बावजूद भी ये सरकार के लोगपक्ष मिल मालिक का ही लेंगे। आज यह समझ में नहीं आती कि जहां मजदूरों ने शान्ति बनाये रखने की अपील को स्वीकार किया तो दूसरे पक्ष के लोगों की तरफ से आप कुछ भी कहने को तैयार नहीं हो। बिल्कुल आप उनके नौकर बन रहे हो इस मामले में तो। उनके सामने हाथ जोड़ रहे हो, जैसे यह सरकार कोई जनता की या कांग्रेस की सरकार न हो, कोई बिड़ला की कठपुतली सरकार हो। बिड़ला मांग करता है तो उसके लिये तो बंदूकें चली जाती हैं, लाठियां भी चली जाती हैं, हर कानून का दुरुपयोग किया जाता है, सुरक्षा कानून का तो खुल कर दुरुपयोग किया जाता है।

मैं पूछना चाहूंगा इस सरकार से कि मिल मालिक ने तालाबन्दी की वह किस कानून के तहत की और बगैर नोटिस के की? इसके लिये आपने क्या किया? फिर तालाबन्दी खुल गई तो उसके लिये भी क्या किया? जब मर्जी आई उसके तालाबन्दी कर दी, जब मर्जी आई खोल दी, जब मर्जी आई जितने मजदूरों को चाहा हटा दिया; आज भी स्टेटमेन्ट में यह जिक्र नहीं है कि उनको ले लिया जावेगा या क्या किया जायेगा उनका जिनको हटा दिया गया है। यह स्टेटमेन्ट तो महज एक घटना की रिपोर्टिंग है। हालाकि इससे अच्छी रिपोर्टिंग तो पत्रकारों ने ही की है। यह कोई श्रम मन्त्री का स्टेटमेन्ट है, जिम्मदार सरकारी मन्त्री का स्टेटमेन्ट है, ऐसा कतई नहीं लगता।

जिस बहादुराना तरीके से मजदूरों ने यह लड़ाई लड़ी है, यह आपके खयाल में रहे कि जिस तरह आज सरकार की अपील पर सरकार पर विश्वास करके मजदूर काम पर चले गये हैं तो कोई शान्ति कायम हो गई है। शान्ति तभी कायम रह सकेगी जब आप मजदूरों के साथ ठीक बर्ताव करेंगे, कानून के साथ चलेंगे,

Page No.57

(श्री हरिराम चौहान)

मिल मालिकों से उनकी वाजिब मांगें मनवाएंगे और सिन्हा को वहां से हटावेंगे। तमाम जितने झूठे मुकदमे बनाये हैं उनको वापिस लेंगे।

आपने दूसरी इन्टक पैदा की है वहां पर। आपको इस बात में बड़ा मजा आता है कि एक यूनियन में दूसरी यूनियन पैदा की जावे और आपने इस आन्दोलन के दौरान में उसके दावे को मान्यता दी है।

(समय-समाप्ति सूचक घण्टी)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री हरिराम चौहान : यह सरकार उनको मीटिंगे देती है और उनको गलत तरीके से पनाह देती है। इसलिए दर्ख्वास्त करूंगा कि एक जिम्मेदार सरकार की हैसियत से इस मामले पर पूरी तरह से देखें और खास करके श्रम मन्त्री से कहूंगा कि अगर आपसे यह मसला हल नहीं हो सकता है तो फिर श्रम मन्त्रीपना छोड़ दीजिए और जिस तरह आज सुखाड़ियाजी साहब बिड़लाजी की मैनेजरी कर रहे हैं अगर आपने नहीं छोड़ा तो आपको भी फिर कहा जावेगा कि आप भी बिड़ला जी की मैनेजरी कर रहे हैं और उनके इशारों पर नाच रहे हैं; उनके इशारों पर सुरक्षा कानून का आप प्रयोग कर रहे हैं। कुछ मजदूरों को हथकड़ियां पहना कर उनकी न्यायोचित मांग को निर्दयतापूर्वक दबाकर रखने की आपकी मनोवृत्ति जो है यह बात किसी प्रजातन्त्री सरकार को शोभा नहीं देगी।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय,....

श्री भीखाभाई (श्रम मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, यह तो बहुत समय हो गया; मैंने जो समय स्टेटमेंट देने में लिया उससे पाँच गुना, सात गुना टाइम इन स्पीचों में हो जावेगा।

श्री अध्यक्ष : आप भी इतना समय ले लेना जवाब देते समय।

श्री भीखाभाई : इस तरह के एड्जोर्नमेन्ट मोशन में स्टेटमेन्ट हो जाता है और थोड़ा पूछ लिया जाता है। इतना समय नहीं लिया जाता।

श्री रामानन्द (अलवर) : The chair knows better than you.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : हम ज्यादा समय लेते हैं तो आप जहां एक घण्टा हनुमानजी के सामने बैठकर बिताते थे वहां अब दो-ढाई घन्टे बैठते हैं।

अध्यक्ष महोदय, नेशनल इन्जीनियरिंग इन्डस्ट्रीज का और मजदूरों का जो विवाद खड़ा हुआ व जिन परिस्थितियों में वह खड़ा हुआ, और जिन बातों को लेकर खड़ा हुआ, वे कारण इतने नगण्य हैं, मैं समझता हूं, कि वह दोनों के लिए ही शोभा की बात नहीं है।

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

पर सबसे बड़ी लज्जा की बात यह है कि राज्य सरकार इतने छोटे से मामले को भी हल नहीं कर पाई और इसको इतना तूल पकड़ने दिया कि ५१ दिन तक देश की बेसिक इन्डस्ट्री कही जाने वाली इन्डस्ट्री ठप्प पड़ी रही। सारे झगड़े की बुनियाद इतनी थी केवल, एक आदमी को पीटा जाना और उसकी पुलिस में रिपोर्ट दर्ज न करना और उसको अस्पताल में भर्ती भी नहीं करना ; केवल मात्र इतनी सी बुनियाद थी। अगर उस मजदूर को पीटने के बाद उसकी एफ० आई० आर० दर्ज कर ली गई होती और उसे अस्पताल में भर्ती कर लिया गया होता और उस मिल मालिक का प्रभाव पुलिस के सारे थानों पर, पुलिस अधिकारियों पर और अस्पताल के अधिकारियों पर नहीं चला होता तो मैं समझता हूं कि यह हड़ताल चालू नहीं होती इस मौके पर।

लेकिन ये चीजें दोनों नहीं हुईं, इसका कारण, इस छोटी सी बात का कारण या यों कहना चाहिए कि इस छोटे से प्रभाव और दबाव के कारण प्रशासन ने स्वयं ने यह स्थिति पैदा कर दी कि एशिया का सबसे बड़ा उद्योग महीनों बन्द रहा, लाखों का नुकसान हुआ, ढ़ाई हजार कर्मचारियों को महीनों भूखा मरना पड़ा, वे अपनी आंखें फड़वाते रहे, लाठियां खाते रहे, घोड़ों के नीचे रोंदे जाते रहे। मैं पूछना चाहता हूं इस राज्य सरकार से कि अक्टूबर १, १९६४ को आपने सारा मामला इन्डस्ट्रियल ट्रिब्यूनल को सौंपा। हड़ताल यह २६ अगस्त को हुई, लॉक आउट १२ सितम्बर को हुआ, २३ सितम्बर को उसे उठा लिया और उसके बाद भी एक अक्टूबर तक झगड़ा चलता रहा। तो एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि एक अक्टूबर तक सरकार ने क्या कदम उठाये ? ३० सितम्बर से १ अक्टूबर तक सरकार क्या करती रही, क्यों सोती रही, क्या सरकार मालिक को सेती रही ? क्या चुनावों के लिए आपको पैसा चाहिये था हनुमानगढ़ के लिये ? नहीं तो ३० सितम्बर से लेकर १ अक्टूबर तक सरकार चुपचाप क्या देखती रही ? मैं पूछना चाहता हूं, क्यों मालिकों को सहलाती रही ?

इन्डस्ट्रियल कानून में स्पष्ट है कि महीने की हर १० वीं तारीख तक पिछले महीने की तनख्वाह बंट जानी चाहिए। अगर नहीं बांटता है तो लेबर विभाग आपका बीच में आता है ; तनख्वाह जबर्दस्ती बंटवा सकता है, कागजात जब्त कर सकता है, मालिकों को मजबूर कर सकता है। मैं पूछना चाहता हूं कि १० सितम्बर तक जब तनख्वाह नहीं बंटी तो ११ सितम्बर से लेकर डिपार्टमेंट ने क्या किया, आपके इन्सपेक्टर ने क्या किया, चीफ इन्सपेक्टर ने क्या किया, लेबर कमिश्नर ने क्या किया ? ११ सितम्बर को क्यों नहीं तनख्वाह बंटवाई गई? लोक आउट होने के पहले क्यों नहीं बंटवाई गई ? मेरा दावा है कि अगर ११ सितम्बर या १२ सितम्बर को तनख्वाह बटवा दी गई होती, लेबर डिपार्टमेंट ने ईमानदारी से काम किया होता, मालिक के हाथ बिके हुओं की तरह काम नहीं किया, होता बल्कि लेबर की भलाई के लिए काम किया होता तो सम्भव है आगे की परिस्थिति नहीं बिगड़ती। पर सारी बातें ऐसी हुईं, सरकार एक प्रकार का नाटक करती रही इस सारे झगड़े में। सारी कार्यवाहियां करती रही। मजदूरों पर एक तरफ लाठियां बरसाती रही,

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

दूसरी तरफ कोई यह न कह दे कि यह सरकार तो बिड़ला की पिट्ठू है, मिल मालिक की खरीदी हुई, उसके इशारों पर नाचने वाली सरकार है, या यह सोच कर कि मालिक को भी थोड़ा रौब में रखना चाहिए, मिल मालिकों के तीन बड़े आदमियों को भी पकड़ लिया। पकड़ कर ले गये। कोर्ट ने जमानत देने के लिये कहा। उन्होंने कह दिया, हम तो जमानत नहीं देते, तो सरकार के हाथ पांव फूल गये। उसने उनको रिहा कर दिया, छोड़ दिया। मैं पूछना चाहता हूं रौब दिखाने का ढोंग करने वाली इस सरकार से कि जब जमानत देने से इन्कार कर दिया तो क्यों नहीं सेन्ट्रल जेल में उनको भेज दिया? क्यों रिहा कर दिया? क्यों उसी वक्त रिहा कर दिया? क्यों तो पकड़ा और फिर क्यों छोड़ दिया? क्योंकि वे फैक्टरी मैनेजमेन्ट के टॉप आदमी थे। बिड़लाजी तो अपनी जगह बैठे हैं। चन्दा देने का काम तो उन्हीं का है, वे ही चन्दा देते हैं। बिड़लाजी तो यहां रहते नहीं। तो मैं पूछता हूं कि किस साहस के बलबूते पर आपने उनको गिरफ्तार करने का नाटक रचा? गिरफ्तार न करते तो न करते। किसने कहा कि गिरफ्तार करो। किया तो फिर कानून का पालन करते, सेन्ट्रल जेल भेज देते उनको। पर सेन्ट्रल जेल भेजने की इनकी हिम्मत कहां थी? जो सरकारी अधिकारी, जिस किसी से भी पूछते इस मामले में, लेबर विभाग के अफसरों से लेकर पुलिस विभाग के अफसरों तक, वे इस मामले में हर बात के लिए ऊपर की तरफ देखते रहे।

आज श्री भीखाभाई कहते हैं मेरी अपील से सब कुछ होगया। आज हो गया। श्री भीखाभाई उस समय कहां थे? २९ अगस्त से १ अक्टूबर तक आपकी अपील कहां छिप गई थी? मजदूरों पर जब लाठी चार्ज हुआ तब आपने अपील नहीं निकाली? अपील इतने दिनों तक दबाये क्यों बैठे रहे? तो जो कुछ है यह स्थिति, यह आपकी अपील निकालने से नहीं हुई।

आज इस सरकार की अदूरदर्शिता के कारण, उसकी अन्डरहैण्ड टेक्टिक्सके कारण, जिनके कारण यह इन्डस्ट्रियल डिस्प्यूट इतना तूल पकड़ गया, मैं समझता हूँ सबसे बड़ा कारण है यह कि आपकी अपील नहीं निकली उस समय। जयपुर शहर में, मैं समझता हूं कि किसी ने अगर एक बोरी गेहूं ले जाने की हिम्मत की, पांच या दस किलो चीनी कहीं से लेकर आने की हिम्मत की तो उसे इस सरकार की पुलिस छापा मारकर पकड़ लेती है और तरह तरह की छानबीन और जिरह करती है; कहां से लाये; ब्लैक से लाये, पर मैं पूछता हूं उसी सरकार से और उनके अधिकारियों से कि पुलिस डिपार्टमेंट कहां सोता रहा था उस समय जब बिड़ला की इस फेक्टरी में मिल का मैनेजमेंट अन्दर रहे हुए लोगों के लिए पांच पांच सौ मन गेहूं की बोरियों में भर कर ले जा रहा था; २५ बोरी चीनी की ले,जा रहा था? कैसे स्टॉक रक्खा उसने फेक्टरी में, कहां से लाया वह २५ बोरी चीनी? कहां से ले आये, कहां से परमिट ओब्टेन किया और इस तरह से लोगों को कब्जे करने की कोशिश की।

शायद मैं समझता हूं कि सरकार की इन्टक का और आइटक का यह झगड़ा है। आपकी इन्टक की यूनियन फेल हो गई तो यह भी सही है कि आइटक वाले पेल नहीं हुए, ताकत से

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

वे चल रहे थे : अपनी कमजोरी से फेल नहीं हुए। आपकी इन्टक यूनियन के एजेन्ट मिल मेनेजमेंट से मिले हुए थे और मालिक से मिल कर मजदूरों के बीच खड़े न रह सके, तो इसमें दूसरा क्या करे? यूनियन तो फिर दूसरी पनपेगी ही। उनकी यूनियन को फेल कराने का यह तरीका नहीं है जो आप मिल मेनेजमेंट से मिलकर काम में ला रहे हैं। इन्टक के अन्दर जागृति करिये, मजदूरों में उसे पांपूलर बनाइये, मजदूरों के हित में अपना हित देखने की बुद्धि पैदा करिये, इन हथकण्डों से, मेनेजमेंट से मिलकर इसको मजबूत बनाने का सपना मत देखिये। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह नेशनल इन्जीनियरिंग इन्डस्ट्रीज़ में जो लेबर डिस्प्यूट हुआ है यह इतने छोटे से कारण से हुआ है कि शायद दुनिया के इतिहास में–इतने छोटे से रीजन पर कि एक एफ० आई० आर० दर्ज नहीं की और हॉस्पिटल में एड्मीशन नहीं किया–नहीं मिलेगा। यह सरकार की अदूरदर्शिता है और इसमें सरकार की बराबर साजिश रही है और फेक्टरी मेनेजमेंट के सामने जो दबने की चेष्टा की है इससे लेबर का बड़ा भारी अहित हुआ है। आपको सारी बातें सोचना चाहिए था और सारी प्रोब्लम को सोचनी चाहिए था। मुझे अध्यक्ष महोदय, अफसोस इस बात का है कि मुख्य मंत्रीजी के इतनी दिलचस्पी लेने के बाद और बारबार उनके गुड ऑफिसेज़ को यूज़ करने के बाद में और मजदूरों को आश्वासन देने के बाद भी जो मुख्य मंत्री मेनेजमेंट के छोटे छोटे अधिकारियों को इस बात के लिए प्रिवेल नहीं कर सके कि सिन्हा को वहां से हटा दें, सस्पेन्ड कर दें; मैं मानता हूं इस बात को कि कोई न कोई रास्ता इसका निकल सकता था।

आज गवर्नमेंट ऑफिसेज़ में भी तो आर० ए० एस०,आई० ए० एस० ऑफिसर्स को सस्पेन्ड किया जाता है, डिसमिस भी किया जाता है। यहां आई० जी० पी० भी सस्पेन्ड होते हैं, तो सरकार ने क्यों नहीं फारसाइटेडनैस रखी? वह क्यों नहीं उनको प्रिवेल कर सकी? आज हमारे यहां पर इन्डस्ट्रियलिस्ट्स सरकार के माथे पर बैठ कर जैसा चाहें चलते रहें। अध्यक्ष महोदय, मुझे अफसोस होता है और उस समय मुझे तो ऐसा लगता था कि जैसे फेक्टरी एरिया में कोई आ-जा नहीं सकता था। सात सात दिन तक बिल्कुल वह एरिया बाकी के भागों से कट हो रहा था। ऐसा लगता था जैसा वह नेफा और लद्दाख का इलाका हो। वहां पर खाना नहीं पहुंच सकता था, दवा नहीं पहुंच सकती थी, ब्रैड और बटर नहीं पहुंच सकते थे। कोई अपने नातेदारों और रिश्तेदारों से मिलने नहीं जा सकता था और ऐसा लगता था कि जयपुर शहर में कोई गवर्नमेंट ही नहीं है। मानों इन लोगों ने अपने हाथ में सारा शासन ले रखा हो।

(समय-समप्ति-सूचक घंटी)

ऐसी स्थिति वहां पर बनी हुई थी। यह स्थिति बड़ी विचित्र है। इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए और दो-तीन मुद्दे जो मैंने उठाये हैं उनके लिए श्रम मंत्री महोदय से चाहूंगा कि वे बतायें कि इतने दिनों तक उन्होंने क्यों नहीं स्टेप लिया, लोक आउट का नोटिस नहीं दिया तो क्या कदम उठाया, लिफ्ट किया गया तो क्या कदम उठाया और मैनेजमेन्ट की इच्छा पर जो वहां पर सारी पुलिस

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

रही और उनका खर्चा हुआ उसको मैनेजमेन्ट से वसूल करने के बारे में क्या कार्यवाही की गई ? इन सब बातों के बारे में हमारे श्रम मंत्री जवाब दें।

श्री भीखाभाई (श्रम मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैंने जो अपील की वह अपील बहुत लम्बे अर्से के बाद क्यों की, इस प्रश्न को यहां पर पूछा गया। जब मैंने देखा कि हड़ताल बहुत लम्बी चली जा रही है और उससे देश के अन्दर,उत्पादन के अन्दर क्षति पहुंचने की आशंका तो हो ही गई थी, लेकिन साथ ही साथ मजदूरों की स्थिति भी बिगड़ती हुई चली जा रही थी और मैंने अनौपचारिक रूप से उनसे बात करके, श्रमिकों से, तथा और और लोगों से बात करके यह निर्णय किया कि मैं अपील करूं। अभी यहां कहा गया कि मुख्य मंत्रीजी की अपील पर जो काम नहीं हो सकता था वह श्रम मंत्रीजी की अपील ने काम कर दिया और इस तरह मुख्य मंत्रीजी की प्रतिष्ठा की बराबरी मेरे साथ करने की कोशिश भी यहां की गई। मैं तो कहूँ कि मैं तो छोटा मंत्री हूं और छोटा मंत्री छोटा काम कर सकता है, तो मुख्य मंत्री तो उससे भी बड़े काम कर सकते हैं।

यहां सिन्हा को लेकर जो बात हुई उसके बारे में निवेदन करना चाहता हूं कि जहां तक लेबर वैलफेयर ऑफिसर का सवाल है उसके बारे में जो सिन्हा का इन्डस्ट्रियल डिस्प्यूट है उसको रिमूव करने के लिए या उसको डिस-मिस करने के लिए अगर सरकार कर सकती थी या सरकार इस प्रकार के गुड ऑफिसेज़ रखती थी तो मैं सदन के सामने कह सकता हूं कि मुख्य मंत्रीजी ने उसके बारे में बहुत प्रयास किया। यहां तक प्रयास किया कि गवर्न-मेन्ट ने उसके खिलाफ मुकदमा चलाया। जिस गैंदीलाल के मुकदमे की बात कही जाती है उसमें एफ. आई. आर. के अन्दर सिन्हा के नाम का कहीं जिक्र नहीं है।

श्री हरिराम चौहान (तिजारा) : उसके अन्दर लिखा नहीं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : थाने में से धक्के देकर निकाल दिया, मैं साथ था।

श्री भीखाभाई : जहां तक पुलिस का सवाल है, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो एफ. आई. आर. उन्होंने दर्ज कराई उसकी इनवेस्टीगेशन हुई और ३ अगस्त को उस केस को चलाने के लिए कोर्ट में पेश कर दिया। जहां तक सिन्हा के व्यक्तिगत व्यवहार या जो उसके बारे में बातें कही गईं, मैं यह समझता हूं कि यह प्रश्न मेनेजमेन्ट का है। क्योंकि मेनेजमेन्ट ही उसको नियुक्त कर सकता था और मेनेजमेन्ट ही उसको हटा सकता था। उसके बारे में हमारी मेनेजमेन्ट से बात हुई थी और जिसका जिक्र जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने किया है, उन्होंने कहा था कि पहले गैंदीलाल के केस में यह बात कही गई थी उस समय वह छुट्टी पर गये थे और उस समय में कुछ अण्डरस्टैंडिंग हुई। उसमें यह भी एक अण्डरस्टैंडिंग थी कि वर्कर्स उसके खिलाफ स्पेसिफिक एलीगेशन्स पास करेंगे और उसकी डोमेस्टिक इन्क्वायरी

(श्री भीखाभाई)

मेनेजमेंट करेगा, तो जनरल तरीकों पर मेनेजमेंट ने उसकी कोशिश की, लेकिन जहां तक एलीगेशन्स, स्पेसिफिक एलीगेशन्स का सवाल है वह आज तक, अभी तक उसके खिलाफ रेकॉर्ड में न तो सरकार के पास आये हैं और न मेनेजमेंट के पास पहुंचे हैं। यह बात अलग है, यह कहना कि वह आदमी ठीक नहीं है, वह काफी नहीं है। मेनेजमेंट की ओर से पत्र लिखा है, उनकी कॉपियां राज्य सरकार के पास भेज दी गई हैं। जब हमारे मुख्य मन्त्रीजी के यहां इस बात पर विचार किया गया कि इसको कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी में किया जाये तो भी, अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि श्रमिक नेतागण इस बात से सहमत नहीं हुए और उन्होंने एक ही बात कही कि सिन्हा को रिमूव किया जाये। लेकिन अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहूं कि हटाने का प्रश्न उस समय तक पैदा नहीं होता जब तक कि उसके खिलाफ चार्जेज़ न हों और जब तक चार्जेज़ न हों तब तक आज की डेमोक्रेसी में किसी को हटाना कतई सम्भव नहीं है, यह मैं निवेदन करना चाहता था; जहां तक सिन्हा का सवाल है, उसके बारे में जहां तक राज्य सरकार का सवाल है, फिर भी हमने यह लिखा, हमारी टर्म्स एण्ड रेफरेन्स में जिसको लेबर कोर्ट के पास रेफर किया: उसके अन्दर लिखा कि क्या स्ट्राइक जो रेकॉर्ड किया गया था वह लीगल है या नहीं, लोक-आउट का रेफरेन्स हो चुका है।

तो जहां तक कानूनी कार्यवाही का सवाल है सक्रिय रूप से लेबर डिपार्टमेंट ने इसमें कार्य किया है। पुलिस विभाग की ओर से जिस समय लाठी चार्ज की बात कही, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मैं स्थिति पर मौजूद नहीं था, लेकिन जो रिपोर्ट हमको मिली है उसके अनुसार मैं कह सकता हूँ कि २३ सितम्बर के दिन जिस समय पिकेटिंग शुरू हुआ था और उसके अन्दर जयपुर के कई जगह के मजदूर और कई यूनियन के मजदूर वहां पहुंचे थे और उन्होंने कई जगह पत्थरों से काम किया था, पत्थर लगाने का और भीड़ को तितर-बितर करने के लिए लाठी चार्ज का सवाल नहीं था। लाठी इधर-उधर लगती है तो वह लाठी चार्ज के रूप में नहीं आता है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि लाठी चार्ज का सवाल नहीं है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर): लाठी चार्ज की डेफिनिशन क्या है?

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा (रायसिंहनगर): लाठियां उन्होंने नहीं चलाई थीं, लाठियां खुद ही चल गई थीं।

श्री भीखाभाई: लाठी चार्ज मजिस्ट्रेट के रूबरू होता है, मजिस्ट्रेट की आज्ञा से होता है।

श्री विजयसिंह भाला (नाथद्वारा): लाठी चार्ज की एक डेफिनिशन आपने बता दी की मजिस्ट्रेट की आज्ञा से होती है वही लाठी चार्ज कहलाता है और जो बिना मजिस्ट्रेट की आज्ञा से होती है उसे क्या कहते हैं?

श्री भीखाभाई : केवल उनको अलग करने के लिए जहां पर कॉसटेबल रहते हैं और भीड़ इतनी बढ़ जाती है तो........

श्री विजयसिंह झाला : उसको आप लाठी चार्ज नहीं कहते है जो वगैर मजिस्ट्रेट की आज्ञा से होता है।

श्री भीखाभाई : लाठी चार्ज नहीं हुआ है।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : Are you prepared to institute a judicial enquiry for that ?

श्री भीखाभाई : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सिन्हा को लेकर जो बात हुई है तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जब दो बार मेनेजमेंट की ओर से और सरकार की ओर से यह बात रखी गई है उसके खिलाफ अगर मान लिया जाय कि सरकार के किसी अधिकारी ने किसी बात को सप्रेस किया है और उसके खिलाफ पुलिस की फर्स्ट इन्फोर्मेशन रिपोर्ट के अन्दर सप्रेस हुआ है और किसी इन्क्वायरी को सप्रेस किया गया है तो आम तौर पर सरकार कोर्ट ऑफ एन्क्वायरी रखने को तैयार है। उसके बारे में इस बात के लिए वह स्वीकार नहीं की गई तो उसको कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी में रखने का प्रश्न उठता नहीं है।

जहा तक सवाल है मजदूरों के सम्बन्ध में तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि जहां तक लॉ एण्ड ऑर्डर का सवाल था उनको अरेस्ट किया गया था और आज जितने भी ऐसे आदमियों को अरेस्ट किया गया है, उनके खिलाफ जितने भी केसेज़ थे उनमें विद्ड्रा कर लिया गया है और विद्ड्रॉ करके मैं समझता हूं कि उनको छोड़ दिया गया होगा, ऐसी मेरी धारणा है।

जहां तक हारमोनियस वर्किंग ऑफ इन्डस्ट्री और पीसफुल रिलेशनशिप का सवाल है, अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि सरकार की यह नीति रही है कि किसी प्रकार से, जिस प्रकार से नोर्मेलाइज़ेशन ऑफ वर्क था, नोर्मल कन्डीशन एस्टेब्लिश हो जायं उसके पश्चात् जहां तक मेनेजमेंट की ओर से क्या किया जा सकता है उसके बारे में भी कुछ विचार किया जा सकता है। हमने मेनेजमेंट को अपील की है, गवर्नमेंट की ओर से जो अपील की गई है वह मानवीय दृष्टिकोण से की गई है, वह कोई लीगल अपील नहीं है, हमने कहा है कि सरकार यह महसूस करती है कि जो मजदूरों की स्थिति है उसको देखते हुए मजदूरों को चाहिए कि वह काम पर चले जायं और मेनेजमेंट के जो लोग हैं वे उसके कॉजेज़ ऑफ डिस्कन्टेन्टमेंट हैं उनको रिमूव करके, उसी प्रकार का वातावरण पेश करें कि जिससे हारमोनियस रिलेशनशिप हो सके। इस प्रकार की स्थिति, मैं यह समझता हूं कि हम यहां पर लम्बे विवाद करके कुछ एक अच्छा वातावरण बने, सौहार्द्रपूर्ण वातावरण बने और शान्तिपूर्ण तरीकों से हम कुछ मामले को सुलझा सकें, मैं समझता हूं, उससे बिल्कुल नहीं बनता है। जिस प्रकार के भाषण हुए हैं उनको देखने से यह लगता है कि उससे किसी न किसी एक तरफ के पक्ष को चोट पहुंचती है और चोट पहुंचती है तो

Page No.64

(श्री भीखाभाई)

उसका दिमाग ठीक नहीं रहता है। इसलिए मैं, अध्यक्ष महोदय, निवेदन करना चाहता हूँ कि सदन में इस पर कम विचार होता और केवल क्लेरिफिकेशन कराने के लिए ही कुछ प्रश्न पूछे जाते तो ज्यादा अच्छा होता। मैं समझता हूं कि ज्यादा रोशनी इस पर डालने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह आवश्यक नहीं है कि जो कुछ हो गया है उस पर क्या करना चाहिए, बल्कि भविष्य में क्या करना है उसका ध्यान रखने की जरूरत है। स्थिति को देखते हुए हम भविष्य बिगाड़ सकते हैं तो हमारे लिए वह कोई अच्छा काम नहीं होगा। इसलिए मैं समझता हूं कि इन्डस्ट्रियल पीस को जिस प्रकारसे चलाया जाय और जिस प्रकार की नोर्मलाइजेशन ऑफ कन्डीशन्स लाना चाहते हैं तो, अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि जैसे ही हड़ताल बन्द हुई तो मजदूर काम पर आ गये। कल एक हजार के बीच में आ गये थे और आज १४४५ आदमी काम पर हैं और शाम को मैं समझता हूं कि उससे भी अधिक लोग काम पर आ जायेंगे। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रश्न को लेकर जिस प्रकार की भी चाहें फायरी स्पीच हो सकती है, मैं कभी इन्कार नहीं करता हूं, हो सकता है, लेकिन मैं समझता हूं कि वातावरण इस बात का बनाना चाहिए कि इन दो पक्षों में किसी प्रकार से अच्छा वातावरण पैदा हो और एक दूसरे के नजदीक हम उनको ला सकें जो कि उस अपील की स्प्रिट में है। मैं यह निवेदन करूंगा कि आप भी माननीय सदस्य जिनका कि प्रभाव है वे भी प्रयत्न करें। हम खरीदे हुए आदमी नहीं हैं, ठेकेदार आदमी नहीं हैं। हमने निष्पक्षता पूर्वक इसमें काम किया है। हम जो हैं बिड़लाजी के आदमी हैं या अमुक के आदमी हैं या बिड़लाजी से चन्दा लेते हैं, ऐसा निराधार प्रश्न उठता नहीं है और न ऐसी बात हुई है। मैं यह दावे के साथ कह सकता हूं कि इस प्रकार की बात नहीं हैं और न होंगी, फिर भी इस प्रकार से आक्षेप या प्रत्याक्षेप करने की जरूरत आती है तो उचित नहीं होता है। अध्यक्ष महोदय, इस लिए मैं इन सारी बातों, का, आरोपों, का प्रति उत्तर देकर और बात कहना चाहता हूं तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : नोर्मेलाइज़ेशन ऑफ वर्क के सम्बन्ध में, ५४ आदमियों के खिलाफ सस्पेन्शन ऑर्डर को विद्ड्रॉ करना नोर्मेलाइज़ेशन ऑफ वर्क में मानते हैं ?

श्री भीखाभाई : जहां तक ५६ आदमियों का सवाल है इसमें हमारी जो अन्डरस्टेंडिंग है उस अन्डरस्टेंडिंग के अनुसार कार्यवाही की जायेगी। जहां तक उनकी इन्क्वायरी का सवाल है मेनेजमेंट उसकी इन्क्वायरी करेगा और जो कुछ इसमें सहूलियत हो सकती है और जो कुछ उनका काम हो सकता है, उसमें कोशिश की जायगी। उस प्रकार की एक अन्डरस्टेंडिंग है। वर्कर्स के प्रतिनिधियों ने उसको माना है और उसके अनुसार बराबर कार्यवाही की जायगी। इस बारे में आगे बढ़कर बात करना मेरे लिये उचित नहीं होगा।

अन्य स्थगन-प्रस्तावों विषयक

श्री अध्यक्ष : कुछ स्थगन-प्रस्ताव और

(श्री अध्यक्ष)

हैं जिनके बारे में निर्णय आगे दिया जायगा। राजस्थान पंचायत लॉज़ (एमेंडमेंट) बिल, १९६४ पर प्रवर समिति की रिपोर्ट।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरे एडजोर्नमेंट मोशन के बारे में भी हो जाय। उसके कारण से बेचैनी फैल रही है।

श्री अध्यक्ष : बीज के सम्बन्ध में ?

श्री भैरोंसिंह : जी हां।

श्री अध्यक्ष : मन्त्री महोदय हैं नहीं आज।

श्री भैरोंसिंह : कुछ तो जवाब दिया जाय, ताकि लोगों को पता लगे कि बीज के लिए क्या व्यवस्था हो रही है।

श्री अध्यक्ष : (मुख्य मन्त्री महोदय से) बीजों के सम्बन्ध में स्थगन-प्रस्ताव है। चने के बीज और व दूसरे बीज इस समय बोने के लिए चाहिए और पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं हैं, उनके बारे में पूरे फेक्ट्स वगैरह मंगाये हैं कि कितना बीज है और कितना नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : उसमें जल्दी की जाय। लोग ज्यादा कीमत पर लेकर बीज डाल देंगे उसके बाद गवर्नमेंट सप्लाई करेंगी तो उससे काम ठीक होने वाला नहीं है। गवर्नमेंट पोज़ीशन बता दे कि कितनी आवश्यकता है, किस तरह से यह डिस्ट्रीब्यूशन की व्यवस्था कर रही है। बाकी रहेगा तो किस तरह से उसको निकालने की व्यवस्था करेगी ताकि किसानों को यह पता लग जाय कि गवर्नमेंट क्या व्यवस्था कर रही है। इस सम्बन्ध में स्पष्टीकरण जल्दी से जल्दी होना चाहिए।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अध्यक्ष महोदय, तलवाड़ा साइट बांध की दीवार गिर रही है और राजस्थान कैनाल के भी बैंक्स गिरते चले जा रहे हैं और ६ मील में पड़ा हुआ पानी सारा हनुमानगढ़ क्षेत्र की तरफ भागने की कोशिश में है।

श्री अध्यक्ष : मैं समझता हूँ कि पूरी जानकारी कर लेंगे उसके बाद वक्तव्य दिया जायगा।

श्री भीखाभाई : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान पंचायत विधि........

श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) : अध्यक्ष महोदय, बूंदी जिले में जो १० लाख की कीमत का गन्ना खड़ा हुआ है उस गन्ने की फसल में कीड़ा लग गया है उसके बारे में मेरा स्थगन-प्रस्ताव था।

श्री अध्यक्ष : उस सम्बन्धी वक्तव्य कृषि मन्त्रीजी देंगे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कीड़ा तो सरकार में लग गया है।

श्री भीखाभाई : आप में भी।

(१.३० म० प०)

राजस्थान पंचायत विधि (संशोधन) विधेयक १९६४

(प्रवर समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन)

श्री भीखाभाई अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान पंचायत' विधि (संशोधन) विधेयक पर प्रवर समिति का प्रतिवेदन, असहमति-पत्रों सहित उपस्थापन करता हूँ।

राजस्थान सार्वजनिक-भू-गृहादि अप्राधिकृत अधिवासियों की बेदखली) विधेयक, १९६४

(विचार-विमर्श एवं पारित)

श्री अध्यक्ष : राजस्थान पब्लिक प्रेमिसेज़ (एविक्शन ऑफ अनऑथोरइज्ड ऑक्युपेन्ट्स) बिल।

[इस विधेयक पर निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत हुएः—

(१) **श्री सतीशन्द्र अग्रवाल** (जौहरी बाजार, जयपुर) :

प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित राजस्थान सार्वजनिक भू-गृहादि (अप्राधिकृत अधिवासियों की बेदली) विधेयक,१९६४ को तीन माह के लिए जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाये।

(२) **श्री दुर्गालाल बाढ़दार** (हवा महल-जयपुर) :

प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित राजस्थान सार्वजनिक भू-गृहादि (अप्राधिकृत अधिवासियों की बेदखली) विधेयक, १९६४ को पुनः एक नवीन प्रवर समिति के सुपुर्द किया जावे जो अपना प्रतिवेदन एक सप्ताह में सदन के समक्ष करे (समिति के प्रस्तुत सदस्यों की नामावली बाद में प्रस्तुत करदी जावेगी)।

(३) **श्री रामानन्द अग्रवाल** (अलवर):

श्री मथुरेशविहारी माथुर (बांदीकुई):

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) :

श्री रामकिशन (वैर):

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक) :

प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित राजस्थान सार्वजनिक भू–गृहादि (अप्राधिकृत अधिवासियों की बेदखली) विधेयक, १९६४ को तीन माह। एक सप्ताह। एक माह के लिए जनमत जानने हेतु परिचालित किया जावे।"

(४) **श्री अब्दुल जब्बार खां** (निम्बाहेड़ा) :

श्री गंगासिंह (जायल) :

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) :

श्री डूंगाराम राजोरिया (जमवा रामगढ़) :

प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित राजस्थान सार्वजनिक भू-गृहादि (अप्राधिकृत अधिवासियों की बेदखली) विधेयक, १९६४ को पुनः एक नवीन प्रवर समिति के सुपुर्द किया जावे जो अपना प्रतिवेदन तीन माह/तीन दिवस/एक सप्ताह में सदन के समक्ष प्रस्तुत करे (समिति के सदस्यों की नामावली बाद में प्रस्तुत करदी जावेगी) "]

श्री अध्यक्ष : श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

(विराम)

मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि समय समाप्त होने से पूर्व इस विधेयक पर कार्यवाही हो जाय तो जो सरकारी संकल्प है उस पर भी कार्यवाही कर सकेंगे।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : इस संकल्प को पहले ही ले लिया जाय।

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय हैं नहीं यहां।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : कहां गये साहब ?

श्री अध्यक्ष ; थोड़ा सा समय बाद में भी हो जायगा। अब राजस्थान पब्लिक प्रेमिसेज़ (एविक्शन ऑफ अनऑथोराइज्ड ऑक्युपेन्ट्स) बिल, १९६४।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान पब्लिक प्रेमिसेज़ (एविक्शन ऑफ अनऑथोराइज्ड ओक्युपेंट्स) बिल, १९६४, १२ अगस्त १९६४ को इस सदन में पेश किया गया और पेश करने के बाद २० अगस्त, १९६४ को इस पर काफी वाद-विवाद हुआ और उसके बाद यह बिल प्रवर समिति को भेजा गया। यह बिल कितना महत्वपूर्ण है, इस सम्बन्ध में सदन में अनेक माननीय सदस्यों ने बहुत विचार प्रकट किये और उसके बाद राज्य सरकार ने भी यह महसूस किया कि इस विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय जो सारी कानूनी व्यवस्थाओं पर विचार करके अपनी रिपोर्ट सदन में पेश करे।

अध्यक्ष महोदय, प्रवर समिति भी इस सम्बन्ध में बनी। उस प्रवर समिति के १५ सदस्य थे और इस विभाग के उप मन्त्री, श्री परसरामजी इसके सभापति थे। प्रवर समिति ने जो रिपोर्ट इस बिल पर विचार करने के बाद सदन के सामने पेश की है, जिस पर अभी विचार हो रहा है, उस प्रवर समिति ने अपनी एक बैठक की और वह एक बैठक भी उस समय की जिस समय सदन का सत्र चल रहा था और सदन का सत्र चलने के कारण अनेक वे माननीय सदस्य जो अपने विचार प्रवर समिति के सामने रखना चाहते थे वे उसमें उपस्थित नहीं हो सके। यह मैं उस आधार पर कह रहा हूं जिस आधार पर प्रवर समिति के एक माननीय सदस्य ने उस प्रवर समिति की रिपोर्ट के सम्बन्ध में अपना असहमति-पत्र संलग्न किया है। उन्होंने इसमें इस बाद का स्पष्टतः उल्लेख किया है कि सत्र चलने के कारण वे सदन में व्यस्त रहे। और भी अधिकांश सदस्य इसीलिए प्रवर समिति में भाग नहीं ले सके, इसलिये अनेक महत्व-पूर्ण विषयों पर चर्चा नहीं हो सकी। इस कारण उन्होंने अपना असहमति पत्र लगाया है। वे सदस्य हैं श्रीमान् भैरोंसिंहजी। लेकिन मैं यह पूछना चाहता हूं माननीय मन्त्री महोदय से कि यदि मानें कि कोई सदस्य बैठक में उपस्थित नहीं थे, लेकिन जिस समय विधेयक पर सदन में विचार हुआ था उस समय जो भावना प्रकट की गई थी, खास तौर से

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

कच्ची बस्तियों के बारे में, जहां तक मुझे याद है, मैंने भी अपने विचार प्रकट करते समय अनेक तथ्य रखे थे और इस बात के महत्व पर प्रकाश डाला था कि यह कानून देखने में बड़ा भोला-भाला लगता है, कहने के लिए बड़ा सीधा-सादा है, इस कानून के लिये सरकार की तरफ से एक ही उत्तर दिया जायगा कि सेन्टर में भी ऐसा ही कानून बना है, केन्द्र के कानून की हमने नकल की है और नकल करके हम यहां पर कानून पेश कर रहे हैं। यह बात आप कोई नई नहीं कह रहे हैं। इस सदन में अनेक बार सरकार की तरफ से कहा गया है कि अमुक कानून केन्द्रीय कानून की नकल है; यह कानून इसलिये पेश कर रहे हैं कि मद्रास के कानून की नकल है, यह कानून इसलिये पेश कर रहे है कि बम्बई के कानून की नकल है, यह कानून इसलिये पेश कर रहे है कि यह पंजाब के कानून की नकल है, यह कानून जो सरकार पेश कर रही है वह बंगाल के कानून की नकल है। यह कोई नया नारा सरकार का नहीं है। यह सरकार तो नकल पर चलती है, क्योंकि स्वयं उसमें अक्ल नहीं है इसलिये दूसरों की नकल करके नित नये कानून पेश करने से राज्य की स्थित पर क्या असर पड़ेगा, इस पर किया जाना चाहिये। कानूनों को लागू करना राज्य सरकार का रवैया बन गया है और मुझे अफसोस इस बात का होता है कि राज्य सरकार कानून बनाती है और उसकी तहत कार्यवाही नहीं होती। मैं मन्त्रीजी से पूछना चाहता हूं, कि राजस्थान में इस प्रकार का कानून सन् ४९ में था या नहीं? और यदि सन् ४९ में कोई कानून था तो क्या यह सही है कि उसका संशोधन सन् ५२ में विधान सभा में हुआ। यदि यह सही है तो ४९ से ६४ तक, १५ साल तक वह कानून रद्दी की टोकरी में क्यों पड़ा रहा? कौनसी कार्यवाही की और कौनसा कदम उठाया और उसका कौनसा उपयोग राजस्थान में किया और कौनसी राजस्थान की जनता को बहबूदी दी; ४९ के कानून का कैसा उपयोग किया।

अध्यक्ष महोदय, ४९ का कानून रद्दी की टोकरी में पड़ा रहा, सरकार की कानूनी किताबों में छिपा रहा, लॉ डिपार्टमेंट की लाइब्रेरी में १५ साल तक कानून की संख्या बढ़ाता रहा। १५ साल से आज तक सरकार ने इस कानून का कोई उपयोग नहीं किया। अध्यक्ष महोदय, क्या यह कानून बनाने की मंशा है? क्या इसीलिये सत्र बुलाया जाता है? क्या इसीलिये समय ज़ाया किया जाता है? क्या निश्चित समय में कानून पास करना अनिवार्य है? क्या कांस्टीट्युशन में यह लिखा है कि इतने कानून पास करने चाहिये वरना राज्य सरकार रहने के काबिल नहीं है या हर मन्त्री को इतने कानून पेश करने चाहिये नहीं तो वह काबिल नहीं है? मैं पूछना चाहता हूं कि आवश्यकता क्या है इसकी?

कानून जो पास किया जा रहा है उसके लिये मंत्रीजी कहेंगे कि कानून जो पहले का है वह रद्द नहीं कर रहे हैं, बल्कि कुछ धाराएं रद्द कर रहे हैं। ११ धारा है वह इसलिये रद्द कर रहे हैं क्योंकि कलकत्ता हाई कोर्ट और पंजाब हाई कोर्ट ने इसके खिलाफ फ़ैसला दिया है। सन् ५६ में पंजाब हाई कोर्ट ने फैसला दिया; इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सन् ५८ में

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

इसके खिलाफ फैसला दिया। सन् ६१ में पंजाब हाई कोर्ट का फैसला और हुआ है, उसके आधार पर सरकार यह कहेगी कि इस कानून की धारा ११ केन्द्रीय कानून में बराबर है और क्योंकि उस धारा को इलाहबाद हाई कोर्ट ने और दूसरे हाई कोर्ट्स ने गैर कानूनी करार दे दिया है इसलिये इसको अमेन्ड कर रहे हैं। केन्द्र में ५८ में कानून बना था आप ६ साल तक क्यों सोते रहे ? ५८ से ६४ तक क्यों नहीं पास किया विधान सभा में यदि वह कानून गैर-कानूनी करार दिया जा चुका था तो ? मैं यह पूछना चाहता हूं कि हमारे यहां ४९ का कानून है उसको आपने देखने कि कोशिश की है क्या. और राजस्थान हाई कोर्ट द्वारा उसको चैलेन्ज किया गया है क्या ? उसके बारे में रिट पेश की गई थी क्या ? इलाहाबाद हाई कोर्ट ने और दूसरे हाई कोर्ट्स ने उसको अल्ट्रा वायर्स करार दिया, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि राजस्थान हाई कोर्ट ने उसको अल्ट्रा वायर्स करार दिया है या उसका कोई इस तरह का फैसला है क्या ? उसका कोई फैसला नहीं। मंत्रीजी इसकी जानकारी दें और बतावें कि राजस्थान हाई कोर्ट ने अल्ट्रा वायर्स करार दिया है क्या ? यदि नहीं करार दिया है, अवरोध नहीं आया है तो इसके यहां क्यों पेश किया जाता है ? पंजाब और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसके खिलाफ फैसला दे दिया होगा, यह जरूरी नहीं कि जो कुछ इलाहाबाद और पंजाब में हो वह राजस्थान में भी होना चाहिये। कुछ बातों में जहां होना चाहिये वहां नहीं होता। पंजाब में कैरों जाते हैं, लेकिन राजस्थान में सुखाड़िया जी नहीं जाते हैं। वहां पर जांच कमीशन बैठाया जाता है, यहां पर नहीं बैठाया जाता। वहां पर भ्रष्टाचार को समाप्त किया जाता है, वहां पर चोर और डाकुओं को पकड़ा जा रहा है और यहां पर चोर और डाकुओं को आगे लाया जा रहा है। यदि पंजाब की नकल करनी है तो अच्छी बातों में करें, लेकिन उनमें नकल नहीं करेंगे।

मैं पूछना चाहता हूं कि राजस्थान हाई कोर्ट ने क्या किया ? जब तक राजस्थान हाई कोर्ट इसको अवैध करार नहीं, जब तक सुप्रीम कोर्ट इस कानून को अवैध करार नहीं दे तब तक आप दूसरी हाई कोर्ट के फैसलों को मानने के लिए बाध्य नहीं हैं और तब तक यह कानून जायज़ कानून है, यह कानून कॉन्स्टीट्यूशनल कानून है। इस संशोधन कानून को लाने की कार्यवाही आपने पन्द्रह साल तक नहीं की है तो कुछ दिन और मत कीजिये। आप कानून के तहत एक्शन लीजिये, उसके तहत में कार्यवाही कीजिये। आप मामले को हाई कोर्ट में जाने दीजिये। इसके ऊपर फैसला आने दीजिये। फैसला आने के बाद देखा जायेगा कि संशोधन करना चाहिए या नहीं। और अगर संशोधन करना पड़े तो उस समय सदन में विचार कर लिया जाएगा और सदन का समय ज़ाया कर लें। पहले से यह बात मान कर चलें तो यह अच्छी बात नहीं है। और आपकी बात को मान लिया जाय कि संशोधन करना जरूरी है, नया कानून बनाना जरूरी है तो मैं माननीय मंत्री महोदय, आपसे पूछता हूं कि सरकार ने इस सदन में जो आश्वासन दिये थे, क्या उन आश्वासनों को इस कानून

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

में इनकोर्पोरेट किया है ? जिन कच्ची और गन्दी बस्तियों के बारे में मैंने इस सदन में पिछली बार कहा था उसे फिर कहता हूं। यह कानून क्या है ? यह कानून यह है कि राज्य सरकार, नगरपालिकाएं, नगर परिषद, नगर सुधार प्रन्यास यानी अर्बन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, म्यूनिसिपल बोर्ड, म्यूनिसिपल कौंसिल्स और राज्य सरकार–इनकी जमीन–जायदाद, मकान–दूकान, जितनी भी चीजें हैं, ये सारी प्रेमिसेज, ये पब्लिक प्रेमिसेज हैं और इनको राज्य सरकार, नगर परिषद्, नगरपालिका और अर्बन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट जब चाहेगी, जिस दिन इच्छा होगी, जिस दिन आवश्यकता होगी, जिस दिन मन में बात आयेगी उस वक्त यह होना है कि जो व्यक्ति किरायेदार है जिसने किरायानामा लिखा होगा, जिसके पास पचास साल की लीज होगी, ६० साल की लीज होगी, पांच साल की लीज होगी, किराये पर ले रखा होगा, उस व्यक्ति को नोटिस देंगे और वह सारी पब्लिक प्रेमिसेज नगरपालिका, नगर परिषद और नगर सुधार प्रन्यास वापिस ले सकती है, इस बिना पर कि वह अनऑथोराइज़्ड कब्जा है, वह गैर कानूनी कब्जा है ....

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : कैसे होगा ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह लिखा है, गिरधारीलालजी। आप सोचिये, विचार कीजिये, इस पर बोलिये और सदन में समां पैदा कीजिये।

श्री गिरधारीलाल व्यास : किरायानामा लिखा होगा तो अनऑथोराइज़्ड डॉक्यूमेंट कैसे होगा ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मंत्रीजी से पूछिये, मुझसे क्या पूछते हैं ?

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : अनएफेक्टेड रहेगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : या तो आपने कानून नहीं पढ़ा है और अगर पढ़ा है तो समझा नहीं है और अगर समझा है तो आप बोलते नहीं हैं।

श्री गिरधारीलाल व्यास: आप समझा दीजिये।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : आप बताइये।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं अपील करूंगा, मैं समझा दूँ और आप समझ जाए तो वोट देने के वक्त वोट मेरे साथ देना।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : समझाइये।

श्री रामकिशन (वैर) : आज वायदा है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : और अगर मैं न समझा सकूं और मेरी बात गलत निकले तो मैं आपके साथ वोट दूंगा।

आप यह कह रहे हैं—सत्यमेव जयते इसके सामने आप झूंठ नहीं बोल सकते हैं

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

अनऑथोराइज्ड आक्यूपेन्ट्स को डेफीनिशन है ;

" 'Unauthorised occupation' in relation to any public premises......"

अंग्रेजी में पढ़ूं या हिन्दी में ?

श्री गिरधारीलाल व्यास : चाहे किसी में पढ़िये ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : "Unauthorised occupation' in relation to any public premises means the occupation by any person of the public premises without authority for such occupation, and includes......"

बस यहीं मार दिया है।

andincludes the continuance in occupation by any person of the public premises after the authority (whether by way of grant or any other mode of transfer) under which he was allowed to occupy the premises has expired or has been determined for any reason whatsoever."

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : इससे क्या हुआ ? आपका मतलब है वह नहीं बनता है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इससे मतलब यह हुआ है वह वही है । माननीय उप-मंत्री जी खड़े होकर इस सदन में यह आश्वासन दे दें कि नगरपालिका, नगर परिषद्, अर्बन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट और राज्य सरकार ने जिन लोगों को एक बार ऑथोरिटी से कब्जा दे दिया है, रेंट वसूल कर लिया है, उसके बाद यह कानून उन पर लागू नहीं, होगा तो मैं अपना प्रस्ताव वापिस ले लूंगा और अपना भाषण भी समाप्त कर दूंगा ।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : एक्सपायरी के बाद होगा ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं आपसे नहीं पूछता, मैं माननीय उप-मंत्री से पूछता हूं ।

श्री परसराम मदेरणा (उप-मंत्री, सामान्य प्रशासन) : मैं इस सदन में इस प्रकार के कन्वेन्शन एस्टेब्लिश नहीं करना चाहता कि वार्तालाप के जरिये, डिबेट के टाइम पर हरएक बात के लिए कहा जाय कि यह बता दीजिये, यह बता दीजिये । अन्त में मैं रिप्लाई दूंगा, उस समय सब बातों का स्पष्टीकरण कर दूंगा । आप यह कहें कि यह बता दीजिये तो आप प्रस्ताव विद्ड्रॉ कर लेंगे ? तो यह आपके प्रस्ताव को ही विद्ड्रॉ करने का मामला नहीं है । दूसरे माननीय सदस्य भी हैं जो डिबेट में पार्टीसिपेट करना पसन्द करेंगे । सब माननीय सदस्यों की बातों का अन्त में मैं जवाब दूंगा ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मुझे मालूम नहीं है । आपके छुट-भैये ही कह रहे हैं कि यह कानून लागू नहीं होगा । यही पोइन्ट वाद-विवाद का है ।

आप अधिकार दे रहे हैं अनऑथोराइज्ड ऑक्यूपेंट के लिए, उसमें दूसरा मसला है कि गवर्नमेंट की जमीन पर कच्ची झोंपड़ियों में बसे हुए लोग हैं, वे इसके आगे चले गये हैं, उन्होंने किराया दे दिया है, उनसे आपने रेंट डीड लिखा ली है, किरायानामा उनसे लिखा लिया है, ऑथोरिटी से उनका कब्जा है, लेकिन उस कब्जे को खत्म करवा सकते हैं, रेंट डीड को खत्म करवा सकते हैं, नोटिस देकर उनके राइट को खत्म करवा सकते हैं "for any reason whatsoever" कोई और कारण नहीं है, पब्लिक पर्पज़ेज़ सिर्फ लिखा है। कोई और कारण होता तो समझ में आता।

आज हालत क्या है, अध्यक्ष महोदय, जिसके कारण मैं इसका विरोध करता हूं। राजस्थान में आज आपकी म्युनिसिपल कौंसिल और बोर्ड हैं, यह बात सही है कि कुछ म्युनिसिपल कमेटी विरोधी पार्टी की हैं। अब अर्बन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट हैं, अर्बन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट में जो मेम्बरान हैं वे यह सोचें कि अमुक कॉन्स्टीट्यूएन्सी में से यह विरोधी जीत कर आया है या यह कहना चाहिए कि अमुक व्यक्ति जमीन पर कब्जा करके बैठा हैं, यह अमुक पार्टी को सपोर्ट करता है, तो जब चुनाव के समय में वह उसे सपोर्ट कर रहा है तो उससे कहा जायगा कि तुम इन विरोधियों को सपोर्ट मत करो, हमारी पार्टी को सपोर्ट करो। वह आपकी पार्टी को सपोर्ट करे तो ठीक है। अगर कभी नहीं करता है तो उसको किरायानामा खत्म करने का नोटिस दे दिया जायगा और उसका पज़ेशन अनऑथोराइज्ड हो जायगा। जब उसका पजेशन अनऑथोराइज्ड हो जायगा तो इस कानून की जितनी धारायें हैं वे सब उस पर लागू हो जायेंगी। मैं माननीय उप-मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, माननीय उप-मंत्री महोदय केटेगौरीकली इस हाउस में यह एश्योरेन्स दें कि जिन लोगों का एक बार कब्जा हो गया है, जो कानून की परिधि में एक बार एन्टर हो गये हैं, जिनसे रेंट डीड लिखा लिया है, जो किरायेदार हो गये, जिनको अधिकार-पत्र मिल गया है, जिनको लाइसेन्स दे दिया गया है, चाहे वह दूकान हो और चाहे वह मकान हो या जमीन का किराया दे दिया हो, ऐसी कोई भी प्रेमिसेज जिसे अर्बन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, म्युनिसिपल बोर्ड या राज्य सरकार ने एक बार किसी व्यक्ति को किराये पर दे दी हो और एक बार किराया वसूल कर लिया हो—ऐसे केसों के लिए सरकार खड़ी होकर कहे या माननीय उप-मंत्री जी अपने जवाब के अन्दर यह कहें कि ऐसे लोगों को डिस्टर्ब नहीं किया जायगा, ऐसे किरायेदारों को खत्म नहीं किया जायगा, उनसे कब्जा वापिस नहीं लिया जायगा और उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की जायगी। तो जहां तक इस बात का सवाल है, मैं उनकी बात मान लूंगा। लेकिन उनके कह देने से क्या होता है, उनके एश्योरन्स देने से क्या होता है क्योंकि जो कानून है वही कानून है। कानून वही है जैसा कि अदालत उसका मतलब निकालती है। आप अपने लॉ डिपार्टमेंट से और अपने विधि विभाग से इसकी जांच करा लें कि जो मैं इन्टरप्रिटेशन दे रहा हूं वह सही है या नहीं है, यह धारा उचित है या नहीं है। अगर दोनों माननीय सदस्य चाहें, तो मेरा समय भले ही ज्यादा

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

लग जाय लेकिन मैं हाईकोर्ट की ऑथोरिटीज़ आपके सामने पेश कर सकता हूं, जिसमें ऐसा है कि पचास साल की लॉज़ कानून के अनुसार डिटर्मिन कर दी गई, पचास साल से किरायेदार हैं, पचास साल की दी हुई लीज़ थी—यहां पर राजस्थान में तो ९९ साल की लीज़ हैं, जिनके ऊपर आदमियों ने कार्यवाही करके कन्स्ट्रक्शन करा लिया है, ९९ साल की लीज ले ली थी, फिर भी आप उनसे प्रेमिसेज़ खाली करा लें, आपको रात को सपना आ जाय और सबेरे आप एस्टेट ऑफिसर्स से नोटिस दिलवा दें-यह क्या वाजिब है, ये क्या कानून सही है, यह क्या न्याय संगत होगा, इस प्रकार नोटिस देकर किरायेदारी खत्म करके, कब्जा देकर कब्जे को अवैध मानना। आपने काश्तकारों को खातेदारी हक देने के नियम और कानून बनाये हैं कि जिसने एक फसल की है, जिसका एक बार कब्जा हो गया, जिसका जमीन पर कब्जा हो गया, उनको खातेदारी अधिकार देने का संशोधन इसी सदन में पास किया है और उनको खातेदारी के अधिकार दिये हैं, और शिकमी काश्तकार को खातेदारी के अधिकार दिये हैं। जो ट्रेसपासर्स थे, और संवत् २०१२ में शिकमी काश्तकार के रूप जिनका नाम लिखा हुआ था, उनको हमने कानून के द्वारा, इस सदन में संशोधन कानून पास करके राहत दी है और खातेदारी के अधिकार दिये गये हैं। एक तरफ आप ऐसा कानून बनाते हैं कि काश्तकारों को खातेदारी के हकूक दें और शिकमी काश्तकारों को खातेदारी के हकूक दें और इतना ही नहीं, माननीय उप-मंत्री, राजस्व यहां बैठे हैं, वे जानते हैं कि जिन लोगों ने सिवाय चक जमीन पर कब्जा किया था १९६१ तक, राज्य सरकार ने सामाजिक न्याय के आधार पर वह जमीन दी है। आखिर जमीन को लोगों में ही बांटेंगे, कोई उप-मंत्री, राजस्व अपने घर तो ले नहीं जायेंगे, राजस्व मंत्री अपने घर जमीन नहीं ले जायेंगे। यह भले ही हो कि उदयपुर में दस, बीस बीघा फार्म के लिए ले ली हो, खेती करने के लिए ले ली। इससे ज्यादा तो जमीन सुखाड़ियाजी भी अपने फार्म के लिए नहीं ले सकते। आखिर जमीन तो काश्तकारों में ही बंटेगी। सारी जमीन लोगों में ही बंटेगी। यह हो सकता है कि कोई जमीन सवाई चक की हो और वह किसी को मिल जाए, यह हो सकता है कि कुछ फार्मस कुछ अपने लोगों को मिल जाएं या कांग्रेस के लोगों को कुछ फार्म्स मिल सकते हैं या कांग्रेस के चोटी के नेता या प्रान्तीय अध्यक्ष शिड्यूल्ड कास्ट के नाम से जमीन लेकर अपना बंगला बना सकते हैं, बाकी सारी जमीन तो लोगों में ही बंटेगी। सरकार ने ऐसी आज्ञा प्रसारित कर दी है कि दिसम्बर, ६१ तक अगर किसी ने गैर-कानूनी ढंग से कब्जा कर लिया हो और जो भूमिहीन हों उनको १५ बीघा तक की जमीन का अलॉटमेंट करके उसे रेगुलराइज़ कर दिया जावे। एक तरफ तो हम लोगों को इस प्रकार की राहत देना चाहते हैं और दूसरी तरफ यह कहते हैं कि अनाधिकृत कब्जा होगा, आपने रेन्ट डीड लिखवा कर उस व्यक्ति को कब्जा दिया, आप उससे किराया वसूल करते हैं उसको भी आप हटाना चाहते हैं। क्योंकि राज्य पलट गया, नये मंत्री आ गये। नये हाकिम आ गये, पुराने हाकिमों ने उसको किराये पर जमीन दी थी। आप कहते हैं कि

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

यह तो पुराने हाकिम ने लिखी है, हम पुराने हाकिम के किरायेनामे को रद्द करेंगे। मैं यह कहूँगा कि यह किसी भी प्रकार से न्याय संगत नहीं हो सकता। आज आप उस प्रकार के अधिकारों को न्याय संगत करना चाहते हैं। आप यह अधिकार किसको दे रहे हैं? राज्य सरकार यह अधिकार नहीं ले रही है, यह अधिकार अर्बन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट को दे रहे हैं। नगरपालिका के इक्वल रैंक के अधिकारी हैं, वे कौन हैं? आपके गर्दन हिलाने से काम नहीं चलेगा।

श्री परसराम मदेरणा : "Whatsoever" relates to the terms and conditions of the lease and agreement.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : "...has been determined for any reason whatsoever..." The word "whatsoever" qualifies the word "reason". Go and enquire.

रीजन्स आपने इसमें स्पेसिफाई नहीं किये हैं। आपने जो अभी गर्दन हिलाई एस्टेट ऑफिसर्स के बारे में तो आपने बताया है :

"(a) appoint such officers, being Gazetted Oificers of Government, or officers of equivalent rank of the Municipal Board, or Councii or Improvement Trust,..."

इक्वल रैंक का कौन होगा? इंजीनियर होगा, रेवेन्यू ऑफिसर होगा या जमादार होगा या और कोई होगा? आपने कहीं भी इसे डिफाइन नहीं किया, सेन्ट्रल एक्ट में यह पोजीशन पैदा नहीं होती। अब राज्य सरकार ने सोचा कि क्या किया जावे। कौन इक्वल रैंक के आदमी हैं यह आपने स्पेसिफाई नहीं किया?

अब आप यह अधिकार राजस्थान अर्बन इम्प्रूवमेंट बोर्ड को देने जा रहे हैं। अब तक राजस्थान में कानून में इस प्रकार का प्रावधान नहीं था, मगर अब आप यह अधिकार उनको देने जा रहे हैं, मगर उसका क्या असर होगा यह मैं आपको बताना चाहता हूँ। आज राजस्थान सरकार विधान सभा के लिए जिम्मेदार है। सदन में तीन-चार बार प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जवाब तलब किया जा सकता है। सरकार में कहीं भी गैर-जिम्मेदारी का काम होता हो या भ्रष्टाचार हो तो उसका इलाज हो जाता है क्योंकि यहां पर इलेक्टेड मेम्बर्स हैं और विरोधी दल हैं। मगर अर्बन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट में विरोधी लोग नहीं हैं। वहां पर ज्यादा इलेक्टेड लोग ही है। एक दो जगहों को छोड़ दीजिए। बाकी सभी जगह पर आपके नोमिनेटेड लोग हैं और वे कैसे लोग हैं, माननीय अध्यक्ष, यदि उसके लिए अर्बन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के नकशे को राजस्थान में देखा जावे तो आपको मालूम होगा कि राजस्थान अर्बन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट बड़े बड़े शहरों में बनाया है, उनकी हालत मैं आपको उदाहरण के तौर पर कहना चाहूंगा। यह ट्रस्ट जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और अजमेर में भी है। उदयपुर में शायद मन्डी कमेटी बनाई है और २२ नवम्बर, ६३ को आपने आज्ञा दी है।

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

(१.५४ म. प.)

(राव श्री नारायणसिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

जयपुर शहर के अर्बन इम्प्रूवमेंट ट्रस्टी का नाम मैं आपको बताना चाहता हूं कि कौन ट्रस्टी हैं। जयपुर में ५ लाख की जनता के ट्रस्टी हैं वे जिनको पांच लाख जनता में से ८ हजार वोट मिले हैं। जयपुर शहर के वे आज ट्रस्टी हैं!

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : एक लाख में से मिले हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : फिर भी वे एक तिहाई जनता का भी विश्वास प्राप्त नहीं करते हैं। ऐसे व्यक्ति सारे जयपुर शहर के लिए ट्रस्टी बने हुए हैं।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : इन्टेलीजेन्स कहां इफेक्ट करती है?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं तो डेमोक्रेसी के सिद्धान्तों की बात कहता हूं। यह इन्टेलीजेन्स का सवाल नहीं है। आपने उस व्यक्ति को जयपुर शहर का ट्रस्टी बनाया जिसको एक तिहाई वोट प्राप्त नहीं। यह एक सिद्धान्त का प्रश्न है इस पर आप विचार करें। आम श्री रामकिशोर व्यास चुनावों में हार गए, उनको आपने जयपुर शहर का ट्रस्टी बना दिया। मैं यह कहूँगा कि कोई पिंजरा पोल तो नहीं है कि कोई बूढ़ा बैल काम नहीं करता है तो उसको उसमें लाकर डाल दिया जाए। मगर यह उनके लिए पिंजरा पोल है, उसमें उनको भर्ती करेंगे और उनको वहां पर खाने, पीने और चरने का अधिकार है।

अब आप रामकिशोरजी को छोड़ दें, दूसरे हैं सुन्दरशाहजी भाटिया। १९४८-४९ में जिस समय यहां पर कांग्रेस अधिवेशन हुआ उस समय यहां पर गांधीनगर में दूकानों के लिये बहुत भारी तादाद में चद्दरें टीन की आई थीं। जब कांग्रेस अधिवेशन समाप्त हुआ तो वे चद्दरें शरणार्थियों को पुन: बसाने के लिये दे दी गईं और यह कहा गया कि १।।) रू० या २) रू० में उनको चद्दरें दे दी जाएं। आपको यह सुन कर ताज्जुब होगा कि सारे कांग्रेस अधिवेशन की चद्दरें रुपये, ड़ेढ़ रूपये में नहीं बेच कर आपने ५।।) रु० में बेच कर लाखों रुपये पैदा किये। इसकी रिहेबिलिटेशन कमीशन ने जांच की और इसकी फाइल भी आपको रिहेबिलिटेशन विभाग में मिलेगी। डाइरेक्टर तो इस विभाग के, मुख्य मंत्रीजी के संबन्धी श्री कांताप्रसादजी को, जो भी संबन्धी बने हैं पहले नहीं थे, वह फाइल रिहेबिलिटेशन डिपार्टमेंट में पड़ी है। जिसके लिये चद्दरें दी गईं उनका दुरूपयोग किया गया। खादीवाला मामला मध्यप्रदेश में हुआ तो यहां पर राजस्थान में टीन की चद्दरों वाला भी पैदा हो गया। ऐसे व्यक्ति को सरकार क्या कहती है कि आप ट्रस्टी बन जाएं जयपुर शहर के, क्योंकि आप ही आपके विश्वासपात्र हैं और आपके सिवाय दूसरा कोन विकास कर सकता है? मैं उनसे फिर पूछना चाहता हूं, एक ट्रस्टी, रामकिशोरजी व्यास, जिनको एक तिहाई वोट नहीं मिले और दूसरे ट्रस्टी ऐसे

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

हैं जो जयपुर शहर की ४३ म्युनिसिपेलिटीज़ के सदस्य वार्डों के माने जावें तो एक वार्ड का भी विश्वास प्राप्त नहीं कर सके। आप आदर्शनगर से म्युनिसिपल चुनावों में हार गये। आपको दो परसेन्ट या ढाई परसेन्ट जनता का विश्वास प्राप्त है। परीक्षा में भी पास होने के लिये ३३ परसेन्ट मार्क चाहिये। अगर २८ परसेन्ट आवें तो ५ परसेन्ट ग्रेस देकर भी उसको पास कर दिया जाता है। लेकिन यहां पर जो व्यक्ति २॥ परसेन्ट नम्बर भी नहीं लाया उसको आपने जयपुर शहर का ट्रस्टी बना दिया कि तुम जयपुर शहर का विकास करो। जयपुर शहर का क्या ऐसे लोग विकास कर सकते हैं ? ये जयपुर शहर की समस्याओं को कभी नहीं सुलझा सकते। मैं इसका विरोध करता हूं।

(२.०० म० प०)

अलवर ट्रस्ट का मैंने पिछली बार जिक्र किया। श्री शोभाराम के बारे में जो मत्स्य के मुख्यमंत्री थे, वे इस बार हार गए, उनको भी ट्रस्टी बना दिया। उसके बारे में हाई कोर्ट का फैसला है,

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

जस्टिस छागानी का। उसने कहा है कि जो कांग्रेस के अध्यक्षों का सम्मेलन अलवर में हुआ था उस समय नेहरू फंड में पैसा इकट्ठा किया गया था। उसकी दुहरी-दुहरी रसीदें बनाई, उनका अकाउंट नहीं है, उसमें गड़बड़ है और श्री शोभाराम भी उस घोटाले से दूर नहीं हैं। ऐसा बढ़िया आदमी नेहरू फंड में गबन करने वाला, हजम करके भी डकार नहीं लेने वाला, अलवर शहर का ट्रस्टी है। यह आपके ट्रस्टियों का नक्शा है। ऐसे लोगों को आप अधिकार देना चाहते हैं कि जयपुर की कच्ची बस्तियों में जो ७५ हजार लोग रहते हैं, जिन पर देवी प्रकोप आ जाय, बरसात आ जाय, झोंपड़ी मिट जाय और राज्य सरकार जिनको १००) रुपये सहायता दे, जिनको टीन की चद्दरें नसीब न हों, ऐसे लोगों को आप अधिकार देते हो कि जब चाहें अर्बन इम्प्रूवमेंट उनको नोटस दे दे कि खाली करो।

हसनपुरा, गंगा टाकीज़ के पीछे, जेल के पास, घाट गेट बस स्टेशन के पास, फतह टीबा की बस्ती, ये जितनी भी कच्ची बस्तियों में रहने वाले लोग हैं उनके लिए सरकार कहती है कि नाजायज़ कब्जा कर रखा है। पट्टा कहां है ? पट्टा तो जयपुर शहर में हजारों के पास नहीं है। हसनपुरा चले जाइये, बापूबाजार, जेल के पीछे, घाट गेट बस स्टेशन, गांधीनगर, बापू नगर, फतहटीबा में जाइये वहां लोगों की चार चार पीढ़ियां बीत गईं, कोई पट्टा नहीं हैं। जिन्होंने अपने मकान बनवाये, जिन्होंने अपने धंधे चलाए, जिन्होंने अपने जीवन में कई बरसातें और सर्दियां देखी हैं, ऐसे ७५ हजार लोगों पर इस कानून का दुरुपयोग होगा। मैं सिर्फ जयपुर की बात नहीं कहता, सारे राजस्थान में होगा। मैं उन सब बंधुओं से इस सदन में निवेदन करता हूँ जो पिछड़ी जाति वालों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो रिज़र्व्ड सीटों पर जीत कर आए हैं, उनके वोट मिले हैं, उनको आज खड़े होकर इस कानून का विरोध करना चाहिए कि हम अपने गरीब भाइयों की झोंपड़ियों को उजाड़ने नहीं देंगे, उनको लूटने नहीं देंगे। दूसरी तरफ सरकार चाहे जैसे कानून के खिलाफ नोटिस देकर जमीनों पर कब्जा कर

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

ले, फिर आप मुआवजा देंगे। आपने यहां किसानों की जमीन ली है, अर्बन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट ने १ रु या गज के मुआवजे में, लेकिन लोगों को बेचती है १५ रु० गज में। यह है समाजवादी सरकार यह वेलफेयर स्टेट है। गरीब किसान से एक रुपये में लो और लोगों को १५ रु० में बेचो! यह मुनाफाखोर सरकार जमाखोरों को गालियां देती है। यह गरीब लोगों के साथ अन्याय है। इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि यह एक गंभीर कानून है। इसकी व्यवस्थाएं सोचने लायक हैं।

हमारे स्वायत शासन मंत्री से कई बार जिक्र किया कि जयपुर शहर में अर्बन इम्प्रूवमेंट बोर्ड जब चाहे मकान तुड़वा देता है, विकास के नाम पर विनाश करता है। अमीरों के विकास के लिए गरीबों का विनाश! हमने जयपुर शहर में विरोध किया। हमारा शिष्ट मंडल मुख्यमंत्री और स्वायत शासन मंत्री से मिला। उन्होंने आश्वासन दिया इतने संघर्ष के बाद कि जयपुर शहर में कोई झोंपड़ी तब तक नहीं तोड़ी जायगी जब तक उनको दूसरी जगह जमीन नहीं दी जायगी। मैं इस निर्णय के लिए उनकी सराहना करता हूं कि सरकार ने इस बात को माना। मैं पूछना चाहता हूं कि इस कानून में उन आश्वासनों को क्यों नहीं लिख देते कि गरीबों को उनकी जगहों से, बालू की दीवारों में से तब तक नहीं हटाएंगे जब तक उनको दूसरी जगह नहीं देंगे। जब तक यह आप नहीं करेंगे, यह कानून अधूरा है और इसका दुरुपयोग होगा। अब एस्टेट ऑफिसर्स मुकर्रर होंगे, वे एस्टेट ऑफिसर्स कौन होंगे? आज हम राजस्थान में जुडिशियरी और एग्ज़ीक्यूटिव को अलग करना चाहते हैं, एग्ज़ीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स को अलग करना चाहते हैं और उसके बाद.... (समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

यह सारे राजस्थान की बात है, उसमें अजमेर जिला भी आता है, उसमें मसूदा भी आता है, मसूदे में भी कच्चे घर हो सकते हैं, वहां पर घर गिराए जा सकते हैं। यह बात दूसरी है कि उपमंत्री महोदय जो आज हैं, पता नहीं वे कन्टीन्यू करेंगे या कल कोई दूसरा आ जाय, तो यह सवाल उठ सकता है एस्टेट ऑफिसर्स के बारे में जो आपने लिखा है, इनको ही सारे अधिकार दिए हैं, एस्टेट ऑफिसर्स कौन होंगे? या तो आर. ए. एस. ऑफिसर्स होंगे या जो एस. डी. ओ. या बी. डी. ओ. हैं, वे भी आर. ए. एस. ऑफिसर हैं वह तो आपके ही कहने पर चलेगा, वह मुन्सिफ तो नहीं है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट तो नहीं है, डिस्ट्रिक्ट जज तो नहीं, जो हाई कोर्ट के अंडर में हों। एस्टेट ऑफिसर किसी को हैरेस करना चाहेगा, किसी को विक्टीमाइज़ करना चाहेगा, आपके इशारों पर होने वाले चुनावों और उपचुनावों में किसी को विक्टीमाइज़ करना चाहेगा, उन्हें अधिकारों के द्वारा विक्टीमाइज़ करेगा।

आज जो सरपंच लाखों का घोटाला कर रहे हैं उनको आप सस्पेंड नहीं करते क्योंकि आपके आदमी हैं और दूसरों को बिना किसी अपराध के सस्पेंड कर देते हैं, हैरेस करते हैं। मालपुरा में मासु के सरपंच को आपने सस्पेंड किया, नाथूरामजी ने उसे बहाल कर दिया, फिर नन्दवाना साहब आये और उनको दामोदरजी ने कहा क्योंकि उस सरपंच से उनकी दुश्मनी थी तो नन्दवानाजी ने उसको फिर सस्पेंड कर दिया। मामला हाईकोर्ट में गया तो हाई कोर्ट ने कहा कि एक बार फैसला

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

हो चुका है, एक बार बहाल कर दिया है तो अब सस्पेंड नहीं कर सकते, फिर उसे बहाल करना पड़ा। अब चूंकि एक महीने बाद चुनाव होने वाले हैं तो उसको फिर से सस्पेंड कर दिया गया है। इस प्रकार इन अधिकारों का आप दुरुपयोग करते हैं। क्या अधिकारों का यह चाकू आपको इसलिए दिया गया था कि जो भी आपके पास आये उसी की नाक काट लें, रास्ते चलते हुए लोगों के कान काट लें, क्या यह चाकू आपको इसलिए दिया गया था कि रास्ते चलते लोगों के पेट में भोंक दें। यह चाकू आपको इसलिए दिया गया था कि जो आपके पास आये उसके लिये इससे डबल रोटी काटें और उस पर मक्खन लगावें। सदन सद्भावना के साथ आपको जो अधिकार देता है उन अधिकारों का आप इस प्रकार दुरुपयोग करते हैं! उप-मन्त्री महोदय आश्वासन दे सकते हैं कि हम इन अधिकारों का दुरुपयोग नहीं करेंगे, पर मन्त्रियों का आश्वासन मैं नहीं मानता, क्योंकि मन्त्रियों का कोई पट्टा नहीं है, इन मकानों पर तो फिर भी तीन पीढ़ी का पट्टा है, पर मन्त्रियों का कोई पट्टा नहीं है।

अब कुंभारामजी आये हैं, पता नहीं कौन जायेगा, ऊपर से नीचे सब इन्तजार में बैठे हैं, सब सोचते हैं अब तो मेरा पत्ता कटा, हरिभाऊजी भी सोचते हैं अब तो मेरा पत्ता कटा, कई अपने बोरिये-बिस्तर बांधने में लगे हैं, बच्चों के एडमीशन शिफ्ट करवा रहे हैं और इधर-उधर एम. एल. एज़. से मिलना शुरू कर दिया है।

हां, आपका प्रोमोशन हो सकता है क्योंकि आपने हनुमानगढ़ में बहुत परिश्रम किया है, आज तक कौल साहब के मातहत रह कर आपने बहुत दुख पाया है, प्रसव वेदना सही है, अब सब कष्ट दूर हो जायेंगे। इसलिए मैं आपके आश्वासनों पर नहीं चलना चाहता। आप हनुमानगढ़ चुनाव में गये। हनुमानगढ़ जंक्शन पर वोट लेने के लिये बिना इजाजत लिये सैकड़ों मकान बना दिये, आपमें हिम्मत है तुड़वायेंगे?

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर): कितने घन्टे और बोलेंगे?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: आप कहां आ गये बीच में, दाल-भात में मूसलचन्द?

श्री रघुनाथ बिश्नोई: इस तरह इर्रिलेवेन्ट बातें कह कर सदन का समय लेते हैं....

एक माननीय सदस्य: इसके लिए आसन सशक्त है, आपको आवश्यकता नहीं।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर): मूसलचन्द, के शब्द बड़े आपत्तिजनक हैं।

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक): यह तो मारवाड़ी कहावत है; बीच में ही बिना बुलाये आ टपकता है उसके लिये।

श्री रघुनाथ बिश्नोई: इनको छूट है, चाहे सो यूज़ कर सकते हैं।

श्री भैरोंसिंह: आप खुद स्वीकार करते हैं तो मुझे कोई एतराज नहीं है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इनको आपत्ति है, उनको 'मूसलचन्द' में कोई आपत्ति नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : भाषण जारी रखें।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह बात मैं मानता हूं कि सच्चाई की मजाक अच्छी नहीं होती।

श्री उपाध्यक्ष : कल के वायदे को याद दिलाना चाहता हूं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप विश्वास रखें कि जो वादा किया है वह पूरा करेंगे, चाहे भाषण बीच में ही समाप्त कर देंगे, हम इस समय निकम्मी सरकार की तरह नहीं हैं कि आपको आश्वासन दे देते हैं और कुछ नहीं करते। हम आज की कार्यवाही समाप्त करके ही जायेंगे। चाहे ५ बज जायं; चाहे ६ बज जायं। मैं एक घण्टे तक भी बोलता रहूँगा तो सभी आध-आध घण्टा बोल कर रह जायेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, आज इतनी युनिटी हैं ऑपोज़ीशन में, इसीलिये घबराहट लगी है सरकार को, पंजाब से बड़े बड़े लोगों की फौजें लाई, लाखों रुपया खर्च करके सरकार फौजें लिये खड़ी है। रूट्स का नेशनलाइजेशन किया और ५० हजार रुपया खा गये और फौरन स्टे कर दिया, पर इन बातों में मैं नहीं जाना चाहता।

इस दृष्टि से सरकार सारे सवाल पर विचार करेगी, और यह मसला ऐसा है कि राजस्थान में लाखों लोग ऐसे हैं जिनके जीवन को यह प्रभावित करेगा इसलिये यह आवश्यक है कि जनमत जानने के लिये इस कानून को प्रसारित किया जाय।

आज लाखों लोग कच्ची बस्तियों में रहते हैं। स्लम क्लियरेन्स का काम यह सरकार इतने वर्ष बीत जाने के बाद भी आज तक नहीं कर पाई है, इससे बढ़कर इस सरकार के लिये शर्म की बात और क्या हो सकती है? १७ साल होने आये दिल्ली की बस्तियों का सवाल तय नहीं हो पा रहा है। हमारी सरकार को भारत सरकार कहती है कि स्लम क्लियरेन्स के लिये आधा रुपया हम देंगे, पर वह रुपया हमारी सरकार की ढिलाई और अकर्मण्यता के कारण लैप्स हो जाता है। तीन करोड़ रुपये भारत सरकार द्वारा दी जाने वाली ग्रान्ट के लेप्स हो गये। आधा भारत सरकार देती, कुछ म्युनिसिपैलिटीज़ से लेते, कुछ सरकार अपने पास से देती तो गन्दी बस्तियों में, कच्ची बस्तियों में रहने वाले हमारे बन्धु-बान्धवों की हालत हमारी समाजवादी सरकार के लिए कलंक है वह कलंक कभी का धुल गया होता और जयपुर के इस गुलाबी शहर में ये लोग भी फिट-इन हो जाते। आज आप इन बस्तियों के अन्दर जाकर देखें इन बस्तियों के अन्दर की गलियों में कोई मर जाय तो वहां गलियां ऐसी टेढ़ी-मेढ़ी, तंग और छोटी-छोटी हैं कि मुर्दे को काठी पर या खाट पर लेकर नहीं जा सकते, गोदी में लेकर घसीट कर मुर्दे को निकालना पड़ता है। ये सारी बस्तियां समाजवाद का ढिंढोरा पीटने वाली इस कांग्रेस सरकार के लिये कलंक हैं। इस मानवीय दृष्टि से विचार करें और एक लाख जनता इस

Page No.80

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

प्रकार की गन्दी बस्तियों में निवास कर रही है उसकी दयनीय हालत को सामने रखें। आज सरकार की एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी अत्यधिक करप्ट हो गई है; खास करके गजटेड ऑफिसर्स की जितनी मशीनरी है वह एकदम करप्ट हो गई है, पोलिटिकल लेवल पर करप्शन चल रहे हैं। उस दृष्टि से निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार के कानून का बड़ा दुरुपयोग होगा। बड़े बड़े अधिकारी के खिलाफ एस. डी. ओ. के खिलाफ मैंने अभी हाई कोर्ट का जजमेंट पढ़ कर सुनाया, हाई कोर्ट के जज ने लिखा है कि एस. डी. ओ. साहब ने कानून की धाराओं का मिसयूज़ करके कॉन्सटीट्यूशन की अवहेलना करके, अदालत के पॉवर्स का मिसयूज़ करके, यह फैसला दिया है। भयंकरतम, अधिकतम, बुरे से बुरा, निकृष्टतम दुरुपयोग अगर किसी ने किया है तो वह इन एस. डी. ओ. साहब ने किया है। इनके खिलाफ कार्यवाही करने के लिये हाईकोर्ट ने कॉपी भेजी है कि कार्यवाही की जाय, पर कार्यवाही नहीं की गई क्योंकि, उनके भाई, सगे भाई हैं मिनिस्टर, दोनों एक बाप के लड़के हैं। मैं ला मिनिस्टर साहब से पूछना चाहूंगा कि जस्टिस बापना ने जजमेंट दिया है उस सम्बन्ध में आपने क्या कार्यवाही की है····

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : उन मिनिस्टर साहब का नाम भी बतावें।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उन मिनिस्टर साहब से आपका बड़ा झगड़ा रहता है। अब तो आप समझ गये होंगे।

इतना ही नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, इन सारी हालतों में मैं निवेदन करूंगा कि मैंने काफी समय लिया और काफी समय मुझे आपने दिया, उसके लिये धन्यवाद। इस विधेयक के सम्बन्ध में मैंने प्रस्ताव किया है कि इसको जनमत जानने के लिए प्रसारित किया जाय। इस विधेयक में और कई कमियां हैं। अपील की मयाद १५ दिन की रखी गयी है। सेन्ट्रल एक्ट में ३० दिन की मयाद रखी गई है। १५ दिन में बात मालूम नहीं पड़ सकती, ३० दिन रखने चाहिये थे। इतनी नकल करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान ने आपको बुद्धि दी है, मिनिस्टरों में तो बुद्धि नहीं है, नेशनल बॉल बियरिंग के बिड़लाजी ने जैसा चाहा कह दिया, लेकिन आप तो डिप्टी मिनिस्टर हो; काइनेन्सेज़ के बारे में, पैनेल्टी के बारे में, और ओब्टेनिंग इन्फोर्मेशन–११–१२–कहां है ?

श्री परसराम मदेरणा (उप-मन्त्री, विधि) : सेन्ट्रल एक्ट ६३ में अमेन्ड हो गया है। आपकी लाइब्रेरी ५८ वाली होगी।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मेरी लाइब्रेरी पुरानी नहीं है, स्पीकर (उप-मन्त्री) साहब की लाइब्रेरी पुरानी होगी।

इस दृष्टि से, उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि मैंने यह प्रस्ताव रखा है कि इस,राजस्थान पब्लिक प्रेमिसेज़ (एविक्शन ऑफ अनऑथोराइज़्ड ऑक्यूपेन्ट्स) बिल, १९६४ को तीन माह के लिए जनमत जानने के लिये प्रसारित किया जाय और जनता के

Page No.81

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

राय देने के बाद फिर सदन में कानून पास किया जाय। ऐसी जल्दी नहीं है। १६४६ का कानून ५२ में संशोधित किया हुआ मौजूद है और उसे राजस्थान की हाईकोर्ट ने अल्ट्रा वायर्स करार नहीं दिया है। ६ महीने में क्या बिगड़ेगा? कौनसा टैक्सेशन का मामला है, पैसेन्जर गुड्स टेक्सेशन का मामला है जिसके लिये पहले सदन में आये थे और कहा कि करोड़ों रुपयों का सवाल है, हाईकोर्ट ने इल्लीगल करार दे दिया है उससे उनको रुपया वापिस देना पड़ेगा। आप सदन के सामने आये और सदन ने वेलिडेटिंग बिल पास कर दिया। अब क्या जरूरत है, क्या अर्जेन्सी है कि कानून पास किया जाय। इसलिए इसको प्रतिष्ठा का सवाल न बनायें, जैसी नेशनल बॉल बियरिंग कम्पनी के मामले में बनाया, जैसा बिड़लाजी ने चाहा कह दिया; आपका दिमाग तो डेमोक्रेटिक रहना चाहिये। डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन्स बनाये रखने के लिए इसे जनमत जानने के लिए भेज दीजिये। आगामी बजट सैशन में संशोधनों के साथ इसको पारित किया जाय। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामानन्द अग्रवाल। मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि कल इस प्रकार से तय हुआ था ...

अनेक माननीय सदस्य : पास हो जायेंगे साहब।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : उपाध्यक्षजी, इस बिल को जनमत जानने के लिए प्रसारित किया जाय, ऐसा संशोधन मैंने पेश किया है।

जो बिल सदन के समक्ष पेश किया गया है इसके विषय में माननीय मन्त्रीजी ने बताया कि यह बिल जो पहले राजस्थान प्रमिसेज़ (रिक्विज़िशन एन्ड एविक्शन) ऑर्डिनेन्स....

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : लिस्ट में तो श्री दुर्गालाल बाढ़दार का नाम है।

श्री उपाध्यक्ष : It is not there.

श्री मुरलीधर व्यास : पहला नाम मेरा है।

श्री राधाकिशन गोयल (टोंक): Your's is at page 3.

श्री रामानन्द अग्रवाल : जो उद्देश्य इस बिल को पास करने के सम्बन्ध में दिया गया है वह यह है कि राजस्थान प्रेमिसेज़ (रिक्वीज़िशन एन्ड एविक्शन) ऑर्डिनेन्स, १६४६ की जो ११ वीं धारा थी उसके सम्बन्ध में हाईकोर्ट के कई डिसिज़न्स के कारण कुछ संदेह पैदा हो गया जिसके कारण जो कार्य राज्य सरकार करना चाहती थी उनकी कानूनी पोज़िशन जो है वह ऐसी संदेहास्पद हो गयी, इसलिए वह कार्य जो उस ऑर्डिनेन्स की धारा ११ के जरिये सरकार अभी तक संपादन करती थी उस कार्य को ज्यादा स्टेड-फास्टली, करेक्टली और लीगली करने के लिये यह बिल सरकार ने पेश किया है। परन्तु यदि हम धारा ११ जो ऑर्डिनेन्स की है जिसको रिपील करने की सिफारिश की गई है और

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

उसको और इस तमाम बिल के जो क्लॉजेज़ हैं उनका मुकाबिला करके देखें तो यह साफ दिखाई देता है कि उस बिल का उद्देश्य केवल धारा ११ में जो कमियां थीं उनको पूरा करने तक ही सीमित नहीं रहता है; बल्कि इस बिल के जरिये बहुत वाइड पॉवर्स, कॉम्प्रि-हेन्सिवली, होरीजेन्टली और वर्टीकली भी इस बिल के जरिये अपनी पॉवर्स को एक्स्टेन्ड करने का प्रयत्न कर रही है। उपाध्यक्षजी, यदि केवल कलकत्ता हाई कोर्ट या पंजाब हाईकोर्ट के डिसिज़न्स के कारण जो संदिग्ध स्थिति पैदा हो गई थी उसी के कारण इस बिल को लाया गया होता और उन मुद्दों तक इसको सीमित रखा गया होता जो इस धारा ११ में दिया गया है, उस धारा का जो टाइ-टल है उसको पढ़ देता हूं :

"Power to evict from Government premises for breach of terms of tenancy."

मतलब यह है कि जो लोग टिनेन्ट्स के रूप में किसी पब्लिक प्रेमिसेज़ को ऑक्युपाई कर रहे हैं, गवर्नमेन्ट उनको निकालना चाहती है उनकी टर्म खत्म हो गई पर उनको निकालने के लिए दिक्कत पेश आती है, उसके लिए यह धारा है लेकिन अब जो यह बिल राजस्थान पब्लिक प्रेमिसेज़ (एविक्शन ऑफ अनऑथोराइज़्ड ऑक्यू-पेंट्स) बिल, १९६४ हमारे सामने पेश है इसको मैं समझता हूँ माननीय मंत्रीजी ने गौर से देखा होगा, उन्होंने इस बिल को बनाया है, तो इसका जो एक्स्टेन्ट है वह न केवल इस प्रकार की पब्लिक प्रेमिसेज़ जिनका पुराने ऑर्डिनेन्स की धारा ११ से ताल्लुक है, उसी तक सीमित है बल्कि इस एक्ट के जरिये सरकार सारे के सारे राजस्थान में, सब किस्म की जमीनों पर और मकानों पर जिनके ऊपर सरकार का अधिकार है, जिससे सरकार का सम्बन्ध है, उन तमाम पर लागू कर देती है। इसका मतलब यह हुआ कि बिल जो लैंड टिनेन्सी एक्ट या लैंड रेवेन्यू एक्ट के जरिये गवर्न होती है या जो धारायें लैंड रेवेन्यू एक्ट में ९१ व ९२ हैं जिनके तहत ट्रेस्पासर्स के निकालने के प्रोविज़न्स हैं उनको भी ओवर राइड करके यह बिल सरकार के हाथ में पॉवर्स देता है, मैं समझता हूं यह शायद इनएडवर्टेन्स हो, शायद इस बात की सरकार को कोई आवश्यकता नहीं। इसलिये इसमें जो प्रेमिसेज़ की डेफिनिशन दी है उससे यह साफ जाहिर है कि इसमें वह लैंड जो कहीं भी सिचुएटेड है वह तमाम आती है, यह सही है। लैंड की डेफिनिशन इसमें नहीं दी गई है। लैंड की डेफिनिशन नहीं होने से यह साफ जाहिर है कि इसमें एग्री-कल्चर लैंड भी या रेज़िडेन्शियल लैंड भी इसमें सब की सब कवर हो जाती है, इसलिये यह सदन और माननीय मंत्रीजी इसको गंभीरता से महसूस करें कि इस बिल के जरिये एक स्ट्रोक ऑफ पैन से लैंड रेवेन्यू एक्ट की तमाम धाराओं और टीनेन्सी एक्ट की तमाम धाराओं को ओवर राइड करके, इस एक्ट के हम समेरी प्रोसिजर से गवर्नमेन्ट को पॉवर देना चाहते हैं जिसके जरिये ये वह लोगों को एविक्ट कर सकें। उपाध्यक्षजी, मैं सम-झता हूँ, सरकार अपनी जो भी नीति बता रही है और इस बिल के जरिये जो नीति प्रदर्शित होती है वह सार्वजनिक दृष्टिकोण से

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

आज के सामयिक न्याय के दृष्टिकोण से बिलकुल बे-मेल है, क्योंकि आज देश में आजादी आने के बाद आम लोगों को आशा तो यह थी कि जो बे घरबार थे; उम्मीद तो यह करते थे कि आजादी का नतीजा यह मिलेगा कि हमें मकान मिलेगा हमें खाने को मिलेगा, हमें रोजगार मिलेगा, और हमको सहुलियतें मिलेंगी। पर अगर आज सरकार इस तरह का कानून बना कर जो कहीं आबाद थे, उनको यह कहकर कि आप अपना बैनामा या पट्टा दिखावें कि आपके बाप दादों ने किससे जमीन खरीदी थी; यह पेश न कर सकने पर क्लाज़ २ पार्ट (ई) के अन्दर अन ऑथोराइज़्ड डिक्लेयर करके एविक्ट करने का प्रोवीज़न इससे हो जाता है।

आप अन्दाज लगाइये इससे कितना बड़ा तबका प्रभावित होगा ? मै दावे से कह सकता हूं कि रुरल एरिया में जिनके पक्के मकान भी हैं, पर किन्होंने अभी रीसेन्टली बनाये हैं, बे तो पट्टा प्रोडयूस कर सकते हैं पर किन्हीं के वे मकान पचास साल पहले के भी हैं, किसी भी शख्स के पास उसका कोई पट्टा या ऑथोराइजेशन की चीज नहीं मिलेगी जिसकी बिना पर आपका यह कानून अपनी मंशा पूरी कर सके।

गांवों में लोगों के काफी अर्से से बाड़े आदि बने हुए हैं, नोहरे हैं; मैं पूछता हूं कि किसी भी सिविलाइज़्ड सरकार को उनको बसाये रखना चाहिये, इस तरह का कानून बनाना चाहिए यां कानूनी अड़चन निकाल कर उनको उजाड़ना चाहिए ? मैं महसूस करता हूं कि यह बिल बड़ी बेरहमी के साथ सरकार को उन्हें उजाड़ने की पॉवर देता है। इससे सरकार के प्रति लोगों में अविश्वास पैदा होगा।

कॉम्प्रीहेन्सिवली रुरल एरिया में भी इसका असर पड़ेगा। जहां नगरपालिका नहीं है, इम्प्रूवमेन्ट बोर्ड नहीं है उनको कम से कम आप इस बिल से मुस्तस्ना कर दें क्योंकि उनके लैंड के लिए टीनेन्सी एक्ट में काफी प्रावधान हैं, रेवेन्यू एक्ट में भी हैं और मैं समझता हूं कि उस ऑर्डिनेन्स का, जिसका रेफेरेन्स करके यह बिल बनाया गया है, भी यह मकसद इस तबके को एफेक्ट करने का नहीं था।

उपाध्यक्ष महोदय, दूसरी बात जो में निवेदन करना चाहता हूं वह यह है कि न केवल रुरल एरिया में, बल्कि जो टाउन्स है, शहर हैं, जहां नगरपालिकायें हैं, इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट्स हैं उनमें भी काफी बड़ी ऐसी बस्तियां हैं, जैसे मेरे से पूर्व वक्ता ने भी कहा है। आप-को यह मानकर चलना चाहिए कि राजस्थान बहुत सी फ्यूडल स्टेटों के एमलगेमेशन से बना है और उन राजाओं और जागीरदारों के समय में कोई कानून नहीं था, उनकी जुबान और हुकम ही कानून होते थे और उनके उस पुराने काले सामन्ती इतिहास के कारण कई बस्तियां उनके नगरों में बसी हुई हैं; जैसे भंगियों की, चमारों की, खटीकों की राजाओं व जागीर-दारों के मन में आ गया तो कह दिया यहां हमारे महल आदि बनेंगे, तुम यहां से दूसरी जगह जाकर बस जाओ। मैं इसके लिए अलवर शहर की मिसाल दे सकता हूं। जयसिंहजी ने

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

अपने जमाने में खोहरा बस्ती के नाम से एक बस्ती किसी जमाने से बसी हुई थी, ८० ९० साल या इससे भी अधिक अर्सा उसको हो गया था; तो जयसिंहजी ने कहा कि यहां से हट जाओ, यहां मैं अपने महल बनाऊँगा, तो अपने महल बनाने, बिल्डिंग्ज़ बनाने, बाग बनाने के लिए वह जमीन सारी ले ली और उनको वहां से उठाकर कह दिया कि वहां जाकर बस जाओ। वे वहां से हटकर वहां जाकर बस गये जहां बताया था। आज इस सरकार की तरह से उन लोगों को नोटिस निकाला जा रहा है कि आप अपनी डीड बताओ, पट्टा बताओ। पचास-पचास, साठ-साठ साल के लोग मौजूद हैं उनके पास वे नहीं हैं। आज उन पर मुकदमे चल रहे हैं। इनसे सैकड़ों फेमिलीज़ प्रभावित हैं और सरकार की तरफ से अभी तक उनके बारे में फैसला नहीं हुआ। वहां पर बहुत लोगों के पचास-पचास, सत्तर-सत्तर वर्षों के पक्के मकान भी मौजूद हैं, कमेटी की पक्की सड़क मौजूद है। इधर-उधर से कोठियां बन गई पर बीच में बेचारे गरीब लोग बसे हैं पुराने जमाने से। तो उनको इस प्रकार के नोटिस दिये गये हैं। मेरे ख्याल से यह स्थिति जयपुर में भी होगी, जोधपुर में भी होगी, उदयपुर में भी यही स्थिति होगी क्योंकि काफी लोग लम्बे अर्से से जो गरीब थे, ऐसी गन्दी जगहों पर नगरों से बाहर जहां पर बड़े लोग जाना पसन्द नहीं करते थे बस्तियों से दूर बसाये गये थे। और अब जब नगरों का विस्तार बाहर तक हो गया तो फिर उनके साथ वही बर्ताव यह सरकार करना चाहती है। कहती है, वे अनऑथोराइज़्ड ऑक्युपेन्ट्स हैं, डीड उनके पास नहीं हैं। तो आज भी यह सरकार उनको हटाने की चेष्टा कर रही है तो यह कानून पास करके तो हम उस पर एक नई मोहर और लगा देंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, ऐसी बात भी नहीं है कि सरकार ने इतने पुराने आबाद लोगों को बेदखल न किया हो। अभी सरकार ने खेती की जमीनों पर अनधिकृत कब्जों को रेगुलराइज़ करने के नियम बनाये। उससे पहले जिन लोगों को खातेदारी हक दिये जाने चाहिये थे टीनेन्सी एक्ट की धारा १५ के तहत, उसमें यह वास्तविकता है कि राजस्थान के लाखों किसानों को इस बुनियाद पर धारा १५ के तहत खातेदारी हक नहीं दिये जबकि उनको टीनेन्ट के रूप में साबित नहीं किया जा सका क्योंकि वे टाइटल या पट्टा इस तरह की चीज पेश नहीं कर सके। इसलिए रेवेन्यू कोर्टों ने, तहसीलदारों ने होल्ड किया कि ये ट्रेस्पासर्स हैं और इस तरह से जो लाखों किसान धारा १५ के तहत खातेदारी हक के हकदार थे वे वंचित कर दिये गए उससे, और ट्रेस्पासर्स करार दिये गये। उनमें से बहुत से बेदखल भी कर दिये गए और कुछ लोगों को इन नियमों की ओट में रेगुलराइज़ किया गया और कर रहे हैं।

उपाध्यक्षजी, मैं दूसरा निवेदन यह करना चाहूँगा कि शहरों में भी कस्बों, में भी जहां टाउन इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट्स हैं या कौंसिल्स हैं या म्युनिसिपल बोर्डस हैं वहां पर इसको इस तरह से जो ओपन पॉवर्स दी हैं वे न दी जाकर सरकार को निर्णय करना चाहिए कि अनऑथोराइज़्ड आक्युपेन्ट्स कौन हैं और मैं तो यह सुझाव दूंगा कि जिन लोगों के कब्जे १२ वर्ष से अधिक के हैं उनको इस डेफीनिशन के

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

जरिये अनआँथोराइज्ड आँक्युपेन्ट्स नहीं मानना चाहिए, उनको उसमें से निकाल देना चाहिए क्योंकि जो इससे पहले के बसे हुए लोग हैं उनको तो आथोराइज्ड सरकार टेन्टेटिवली आँथोराइज़्ड मानें। आखिर प्राइवेट आदमियों को भी एडवर्स पजेशन का लिमिट एक्ट के जरिये माना है और १२ वर्ष तक किसी का आँक्युपेशन रह जाये तो सिविल एक्शन के सारे पॉवर्स उस आदमी के खत्म हो जाते हैं। मैं समझता हूँ कि सामाजिक न्याय की दृष्टि से राज्य सरकार को को यह निर्णय लेना चाहिए कि कम से कम १२ वर्ष जो लिमिटेशन एक्ट में प्राइवेट पर्सन के लिए है उस मयाद को तो सरकार कम से कम अपना ले और अपने लिए भी उसे स्वीकार कर ले और उसके पिरीएड जिन लोगों के कब्जे में है उनको अन-आथोराइज़्ड आँक्युपेन्ट्स की डेफिनिशन में सरकार न रखे और ऐसे लोगों को आँथो-राइज़्ड आक्युपेन्ट्स मानकर जमीन पर और मकानों पर उनको अधिकार दिये जायें।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके अलावा भी आज समस्या जो उत्पन्न है और जो प्राथमिक दृष्टिकोण इस बिल में दिखाई पड़ता है वह मुझे लगता है कि वह प्रोपर्टी के बारे में अपने अधिकार जमाने और अपने अधिकार में लेने का है और इसी दृष्टिकोण से इस सारे बिल को बनाया गया है। मैं समझता हूँ कि सरकार जो अपने आपको समाजवादी की स्थापना करने की इच्छा रखने वाली घोषित करती है वह इस नग्न तरीके से इन्सानियत को बलायेताक रखकर, ह्यूमन फैक्टर को बिल्कुल नजरअंदाज करके पर्टी को सेफ-गार्ड करने के लिए, सरकार की जायदाद को इन्सानों की कीमत पर और उसको बलायेताक रखकर और उसको उजाड़कर जो अपनी प्रॉपर्टी बनाने की चेष्टा में लगी रहती है इस बिल के अन्दर भी वह दृष्टिकोण सामने आ रहा है। टाउन्स में भी आज लोग गांवों से आकर बस रहे हैं। आप कोटा के अन्दर जाकर देखिये। आपका इतना बड़ा भारी इन्डस्ट्रियल एरिया वहां पर बन रहा है, वहां पर हजारों मजदूर गांवों से आकर बसे हैं; तो क्या सरकार ने उन मजदूरों के रहने के लिए कोई इन्तजाम किया है? क्या वहां के इन्डस्ट्रियलिस्ट्स को सरकार ने मजबूर किया है कि इन मजदूरों के रहने के लिए कोई इन्तजाम करे और बस्ती बनाये। उन मजदूरों के लिए न तो सरकार इन्तजाम करे और न इन्डस्ट्रियलिस्ट करे और फिर वह मजदूर अपनी कच्ची झोंपड़ी बनाकर वहां पर उस फैक्टरी के सामने की जमीन पर बस जाये और आप इस कानून के जरिये अपने एस्टेट अधिकारी को यह अख्तियार देना चाहते हैं कि वह एक सबेरे जाये और अपने डंडे को घुमाता हुआ तमाम झोंपड़ियों को उटाकर फैंक दे। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आप जमाने की रफ्तार को समझने की कोशिश करो। लोगों के धैर्य को, लोगों के संयम को, लोगों के कानून मानने की आदत को एप्रीशियेट करने की कोशिश करें। अगर इस तरीके के अहम काले कानून पास करेंगे और इस तरह के अधिकार आप अपने हाथ में लेंगे तो आप देखेंगे कि जो आपके एस्टेट ऑफिसर्स हैं, चाहे पुलिस अधि-कारी हों, चाहे आपके कलेक्टर हों और यह पूरी किताब उनके हाथ में हो, लोग उसको नहीं मानेंगे और लोग उठाकर उन ऑफिसर्स

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

को और कानून को फेंक देंगे। अगर आपने इस तरह ह्यूमन फैक्टर को ध्यान में नहीं रखा और जिस इन्सान से काम लेना है उसको घर चाहिए, उसको जमीन चाहिए रहने के लिए, जगह चाहिए, यह दृष्टिकोण यदि आप अपने दिमाग में नहीं रखेंगे तो तो आप इस काम को, जो करना चाहते हैं करने में सफल नहीं हो सकेंगे। पिछले सदन में जैसा जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि मुख्य मन्त्री जी ने इस बात का आश्वासन दिया था कि जयपुर नगर में किसी भी कच्ची बस्ती से किसी भी आदमी को हटाने से पहले उसको ऑल्टर्नेटिव जमीन दी जायेगी। यह अच्छी बात है 'देर आयद दुरुस्त आयदे" यह भी अच्छी बात है। आखिर इसमें एक सिद्धान्त है और यह जयपुर की ही बात नहीं है, यह सारे राजस्थान में होनी चाहिए और केवल एक मुख्य मंत्री की घोषणा तक सीमित नहीं होनी चाहिए बल्कि वह कानून की शकल में होनी चाहिए जिससे कोर्ट ऑफ लॉ में एन्फोर्स किया जा सके। मंत्रीगण तो बदलते रहते हैं और मंत्रियों के आश्वासन होते हैं और वे यहां तक कह दें कि इस बिल की यह मन्शा नहीं है तो अदालत के अन्दर यह कहा जाये कि मंत्रीजी ने हाउस में यह कहा था कि बिल की यह मन्शा नहीं है तो जो डिस्ट्रिक्ट जज फैसला लिखने वाला है वह मंत्री जी या उप-मंत्री जी के इन्टरप्रिटेशन से अपना इन्टरप्रिटेशन नहीं करेगा। वह तो जो आपका स्टेच्यूट कहता है और जो उसकी बुद्धि कहती है वही वह करेगा। इसलिए लॉ एम्बीगुअस नहीं होना चाहिए और आप लॉ को इस तरह से बनायें कि जिससे सारे आदमी कोर्ट ऑफ लॉ के जरिए अपने अधिकारों को एनफोर्स करा सकें। इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि इस बिल में शहरों में भी ऐसे लोग कि जो काफी अर्से से बसे हुए हैं और जो एक तरह से उस जमीन के मालिक हैं वे किसी भी हालत में हटाये नहीं जाने चाहिए और यह उन लोगों की प्रोब्लम है जो कि टेम्पोरेरी बसे हैं। चाहे वे कुछ अर्से से बसे हुए हों, वह भी एक बड़ी प्रोब्लम है। जहां टाउनशिप क्रियेट हो रही है और जहां औद्योगीकरण हो रहा है उनमें इस प्रकार के टेम्पोरेरी लोगों के बसाने वालों की भी बड़ी तादाद क्रियेट होना स्वाभाविक है।

(समय–समाप्ति-सूचक घंटी)

उन लोगों को हम इसी तरह से सड़कों पर छोड़ दें या चाहे जहाँ फेंक दें, यह इन्सानियत का तकाजा नहीं और इस तरह के कानून को मैं समझता हूँ कि यह सदन कभी कुबूल नहीं करेगा। इसलिए मेरा यह सुझाव है कि आप इस बात पर विचार करें। इस बात पर मैं सुझाव देना चाहता हूं कि आप ३ साल का समय कुबूल कीजिए कि जिसको ३ साल एक जगह पर टैम्पोरेरी रहते हो गये हैं वह यदि वहां पर कोई ट्रेड कर रहा है या व्यापार कर रहा है तो उसको बेदखल नहीं किया जायेगा। अगर आपको बहुत आवश्यक कार्य से उस जमीन की जरूरत है तो उसको हटायें, वरना आप उनको टच मत कीजिए। आप जो कुछ उनसे किराया लेना चाहते हैं वह ले लें वर्ना उन लोगों को आप इस कानून

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

के जरिये जो आपने एस्टेट ऑफिसर को हटाने का अधिकार दिया है उसको वापिस ले लें और उसके बजाय उस आदमी को ऑप्शन दो कि वह उस जमीन की जो भी कीमत आप तय कर दें वह पे कर दे। या फिर उसको आप ऑल्टरनेटिव जगह या जिस धंधे को वह चला रहा है उसके लिए फिट हो, ऐसी जगह उसको दे सकें तो एस्टेट ऑफिसर उसका ऑप्शन दे और उसको वह इविक्ट न कर सके। यह इस कानून में प्रावधान किया जाना चाहिए। उपाध्यक्ष जी, एस्टेट ऑफिसर····

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : 'धंधे' से आपका मतलब क्या है ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : बहुत छोटे लोग हैं। कोई खातेगिरी का काम करता है, बहुत से हमारे यहां सिकलीगर है, लुहारी का काम करते हैं। २, ३, ४, ५ वर्षों से हम देखते हैं कि तकरीबन उन्हीं जगहों पर बस गये हैं और छोटे छोटे धन्धे करके अपना रोजगार कमाते हैं। उपाध्यक्षजी, मेरी मन्शा उन लोगों को प्रोटेक्ट करने की नहीं है जो कि बड़े बड़े लोग हैं, जो किन्हीं निजी प्रभाव से उन पर कब्जा किये हुए हैं, उनको आप जरूर निकालिए। लेकिन मैंने देखा है कि आपके अमल से कि इस कानून के जरिये से आप उनको टच करने वाले नहीं। उनकी माया अलग है और अब आपके और उनके सम्बन्ध निराले हैं। इसलिए उनको प्रोटेक्ट करने का सवाल है नहीं और उन लोगों पर आप और कड़ाई रखना चाहें तो रख दें। उससे मुझे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन मैं समझता हूं कि जिसकी तरफ आपका इशारा है उनके लिए हम हमेशा कहते हैं कि उनके लिए विनोबाजी को भेजते हैं और उनका हृदय-परिवर्तन कराने की कोशिश करते हैं, लेकिन जिन लोगों के लिए यह कानून है उनकी बात मैंने अर्ज की है।

और एक बात कह कर मैं इसको खत्म करूंगा। एस्टेट ऑफिसर्स भी आप ऐसे शख्सों बनाने चलते हैं जो म्युनिसिपैलिटीज़ के, टाउन इम्प्रूवमेंट बोर्ड्स या इम्प्रूवमेंट बोर्ड्स के जो इसी तरीके के पैरेलल पॉवर्स के अधिकारी हैं। उपाध्यक्षजी, अभी तक जिस तरीके से इम्प्रूवमेंट बोर्ड्स चल रहे हैं खास तौर पर उनका बड़े तरीके का बर्ताव है और जो परिपाटी आपकी सरकार की चली आ रही है मैं उसको दोहराना नहीं चाहता। जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने उसका संकेत किया है। मैं केवल उसको एक रेफरेन्स के रूप में ही नहीं कहना चाहता हूं, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस तरीके से उन लोगों को, जिनको कि जनता ने डेमोक्रेटिक इलेक्शन्स में रिजेक्ट किया है, वापिस इस तरह की स्टैच्यूटरी बोडीज़ में रखकर आप डेमोक्रेसी का उपहास कर रहे हैं। मैं आपको इस बात के लिए भी कहना चाहता हूं कि बड़े लोग उन जगहों पर बैठकर बल निकालने की कोशिश करते हैं, बदला लेने की कोशिश करते हैं उन लोगों से जिन लोगों ने उनको चुनाव में वोट्स नहीं दिये हैं। वे उन लोगों के साथ ज्यादती करने की कोशिश करते हैं।

उपाध्यक्षजी, मैं जानना चाहूंगा इस सरकार से—जयपुर का जिक्र माननीय

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

सदस्य ने किया, अलवर के अन्दर टाउन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट बनाया है उसके चैमरमैन पार्लियामेंट के हारे हुए श्री शोभारामजी हैं जिनके खिलाफ हाईकोर्ट के स्ट्रिक्चर्स हैं और दूसरे उसके सदस्य हैं श्री सम्पतरामजी जो कि १२-१३ हजार वोटों से इस पिछले इलेक्शन में हारे हैं और जिनके खिलाफ कितनी ही शिकायतें हैं इस तरह के लोगों को रखा गया है। और तीसरे श्री भोलानाथजी हैं जो इसी पिछले इलेक्शन के अन्दर हारे हैं। उन तमाम लोगों ने जिनको अलवर जिले के लोगों ने रिजेक्ट कर दिया, भारी बहुमत से रिजेक्ट कर दिया, उन लोगों को आप वहां पर बिठाते हैं और उनके हाथ में यह सौंपते हैं तो आप देख रहे हैं कि क्या कर रहे हैं। वहां पर जिन लोगों ने उनके खिलाफ वोट दिये थे उनको एक दम बेदखल करके जमीनों से निकालने का नोटिस दे दिया है और भाई लोगों की जमीनें एक्वायर करली हैं। खुद श्री शोभारामजी की कोठी जहां पर बनी हुई है मैं इस सरकार से पूछना चाहता हूं कि वह एग्रीकलचर लैण्ड के अन्दर बनी हुई है १९५५ में टीनेन्सी एक्ट आया, उसके तहत एग्रीकल्चर लैंड के अन्दर उस कोठी को बनाना वगैर कन्वर्शन के गैर कानूनी था। क्या कदम उठाया इस सरकार ने, क्या एक्शन लिया इस सरकार ने? और उन्हीं शख्स को टाउन इम्प्रूवमेंट बोर्ड का चेयरमैन बनाते हैं और टाउन इम्प्रूवमेंट बोर्ड के हाथ में यह अधिकार है कि इस प्रकार की बातों पर एक्शन ले। वे क्या एक्शन लेंगे?

इसी प्रकार से श्री सम्पतरामजी हैं और मास्टर भोलानाथजी हैं और बराबर लोगों को नोटिस जारी किये हुए हैं। सैकड़ों लोग परेशान हैं और जो उनके कृपा पात्र हैं, एक श्री त्रिलोकीनाथ भार्गव हैं, उन्होंने एक किसान से अभी २०००) रु० बीघे के हिसाब से एग्रीकलचर लैण्ड खरीद ली है और उस जमीन पर कलेक्टर की कोठी के पास इस बात को जानते हुए भी कि कन्वर्शन नहीं होता है और तमाम लोगों की जमीनें एग्रीकल्चर लैंड एक्वायर हो रही है, लेकिन उन श्री त्रिलोकीनाथ जी भार्ग की जमीन को टाउन इम्प्रूवमेंट बोर्ड ने उससे मुस्तस्ना रख दिया।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

जब स्कीम बनी तो इस तरह के लोग इसके अन्दर बैठे हैं। इनके नीचे जो लोग एस्टेट ऑफिसर्स बनेंगे और उनको आप यह अधिकार देना चाहते हैं कि वे अनऑथोराइज्ड ऑक्युपेन्ट्स को इस समेरी तरीके से जमीनों पर से निकाल दें, तो इसका परिणाम होगा, इसका भयंकर परिणाम होगा। उपाध्यक्ष जी, मैं याद दिलाना चाहता हूं कि १९५२ में अलवर के अन्दर एक बहुत बड़ा विद्यार्थियों का आन्दोलन चला था जिसकी लपटें सारे राजस्थान में छा गई थीं और उस विद्यार्थी आन्दोलन की लपटों में उसी शोभारामजी की कोठी जला दी गई थी और कांग्रेस का दफतर जला था—इस तरह की आग लगाना लोग पसन्द नहीं करते हैं लेकिन इसलिए लगाई थी कि डेमोक्रेटिक लाइफ को बिल्कुल स्टेबल कर दें और लोगों को कानून की हुकूमत नहीं बताकर यह बताने की कोशिश की जाय कि यह भी शोभाराम की हुकूमत है कलेक्टर और एस० पी० कुछ नहीं कर सकता है और

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

गवर्नमेंट को भी हम जिस तरीके से चाहेंगे उस तरीके से चलायेंगे। अगर इस तरीके से कदम अभी भी उठाने की कोशिश की गई, जिस तरीके के अधिकार इन बिलों के जरिये देने की कोशिश की जा रही हैं, उपाध्यक्षजी, तो मैं कहना चाहता हूं कि यह सरकार इस तरह के ज्वालामुखी के मुख पर खुद बैठी हुई है कि कब वह बर्स्ट हो जाय, इसका कहा नहीं जा सकता, उसमें यह खुद भस्म होगी और जो दूसरे लोग उसके साथ होंगे वे तो होंगे ही ही। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस सदन में इससे पहले इस पर बहस करें, यह बिल काफी कन्ट्रोवर्शियल है और इसका राजस्थान की सारी जनता पर भयंकर परिणाम पड़ने वाला है। इसलिए मैं गवर्नमेंट से निवेदन करूंगा कि इसमें जल्दबाजी न करें। आपके पास पहला कानून है, पहले कितने ही बरसों से चलता आया है तो ६ महीने और चलाया जाय और इसको जनमत जानने के लिए प्रसारित किया जाय और खुद इस पर पुनर्विचार करे और जो इसके बहुत ही खतरनाक प्रोवीज़न्स हैं, स्वरूप है उनको दुरुस्त करके आये और बराबर जो जेनुइन डिफिकल्टीज़ हैं उनको, मैं समझता हूं, हाउस जरूर कुबूल करेगा और उस रूप में इस बिल को पास करने का प्रयत्न करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मथुरेशबिहारी माथुर। मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि संयमित रूप से बोलें अन्यथा समय नियमित किया जायगा।

श्री मथुरेशबिहारी माथुर (बांदीकुई) : उपाध्यक्ष महोदय, यह मैं जानता था कि जो ज्यादा बोलने वाले सदस्य होते हैं वे समय अधिक ले लेते हैं और उसका प्रभाव हम लोगों पर पड़ता है। इस पर भी, उपाध्यक्ष महोदय, विचार करेंगे। समय नहीं रहता है और घन्टी बजने पर भी माननीय सदस्य बोलते रहते हैं। लेकिन हम किसी चीज पर बोलने के लिए आते है उस वक्त इसका प्रश्न कई मर्तबा आया है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि मुझे जो फैक्ट्स रखने हैं इसके लिए मुझे समय दिया जाय, और मैं जरूर ख्याल रखूंगा कि जहां तक हो समय के अन्दर ही समाप्त कर दूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्यों को स्वयं के सहयोग का भरोसा है और आशा की जाती है कि वे संयमित रहेंगे, लेकिन ज्यादा बोला जाता है तो उसको भुगतना तो माननीय सदस्यों को ही पड़ता है। आशा यह की जाती है कि सभी नियमित रहें।

श्री मथुरेशबिहारी माथुर : अन्य सदस्यों को रेग्युलेट करें और उसकी व्यवस्था आसन से ही होती है। हम लोग तो कुछ नहीं कर सकते हैं। जो इतना समय ले गये हैं वह आपकी निगाह में है।

माननीय उपाध्यक्ष जी, इस विधेयक को गत अधिवेशन में प्रस्तुत किया गया और उस समय इस विधेयक के ऊपर अनेक भाषण हुए और उसके विषय में अनेक जो आपत्तियां कानूनी व फैक्ट्स की थीं वे इस वक्त इंगित की गई थीं, और हमको

(श्री मथुरेशबिहारी माथुर)

उस वक्त में खुशी हुई कि कानून की कद्र करने वाले हमारे उप-मंत्री महोदय ने उस वक्त उन कानूनी आपत्तियों पर विचार करते हुए, उनकी कद्र करते हुए इस बिल को प्रवर समिति के सुपुर्द करने की इस सदन के अन्दर घोषणा की। उसके बाद हमको यह आशा थी कि जो उस वक्त विधेयक पर इस सदन में जो कानूनी आपत्ति उठाई गई थी उन पर प्रवर समिति में अवश्य विचार होगा, लेकिन आज जो सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट आई उसको देख कर पहला अफसोस यह होता है कि, पहले मैं यह अर्ज करूंगा कि जिन लोगों ने इस विधेयक पर गत सत्र में अपने भाषण में कानूनी आपत्ति उठाई थी, जिन्होंने अमेन्डमेंट दिये थे और यहां पर बोले थे उनको प्रवर समिति में स्थान नहीं मिला। मैं इस परम्परा पर ज्यादा प्रकाश नहीं डालना चाहता लेकिन जिस बात पर हम नहीं बोलते, जिसके बारे में हमारा अध्ययन नहीं है उन लोगों की प्रवर समिति बनाते हैं। जिस बिल पर हम अपने विचार प्रकट करते हैं उनको प्रवर समिति में नहीं रखा जाता, इसलिये हमको अवसर नहीं मिलता कि हम वहां जाकर वाद-विवाद में भाग लें। यह आप का डिस्क्रीशन है कि जिस तरह की प्रवर समिति का आप निर्माण करना चाहते हैं वैसा करें, यह आपका काम है, लेकिन मैं यह जरूर कहूंगा कि जो रिपोर्ट आई है उससे यह आभास मिलता है कि प्रवर समिति में गंभीरता से विचार हुआ; यद्यपि इसमें लिखा है :

"The Committee finds the Bill in order"

यह केवल एक लाइन इसमें लिख दी गई, लेकिन इससे यह आभास नहीं मिलता कि इस प्रवर समिति में कानूनी आपत्तियों पर विचार हुआ था या नहीं। यह हमें स्पष्ट नहीं हुआ इस रिपोर्ट को देख कर कि इसमें सारी आपत्तियों पर विचार किया गया था और उन आपत्तियों को किन कारणों से निर्मूल माना गया जब कि सदन में उप-मंत्रीजी ने उनकी कद्र करते हुए उसे वापिस लेकर इस बिल को प्रवर समिति को दिया था।

जयपुर और अलवर से आने वाले माननीय सदस्यों ने इस बिल के कारण अर्बन एरियाज़ पर जयपुर, अलवर या अन्य जगह जो ट्रस्ट्स हैं या बोर्ड्स हैं उन पर इसका प्रभाव पड़ने वाला है या जिन अर्बन एरियाज़ की पोपुलेशन पर इसका प्रभाव पड़ने वाला है उससे अवगत कराया और साथ में यह भी बताया कि इस बिल को लाने की क्या आवश्यकता थी और इसके लिये आधार बताया कि जो सेन्ट्रल एक्ट था वह अवैधानिक डिक्लेयर नहीं हुआ, फिर इनको लाने की क्या आवश्यकता थी? लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ उप मंत्रीजी से कि अर्बन एरियाज़ के बारे में आपने विचार किया, लेकिन रूरल एरियाज़ पर इस बिल के प्रावधानों से जो असर पड़ने वाला है उस पर आपने विचार क्यों नहीं किया? उस पर भी आप विचार करें और उसके लिये अलहदा दो प्रावधान कानून में रखने की क्या आवश्यकता है उस पर आप विचार करेंगे, ऐसी मेरी मान्यता है। जबकि लैंड रेवेन्यू एक्ट का सेक्शन ६१ है वह रिपील नहीं हुई, उसकी तहत जितने अनऑथोराइज्ड ओक्युपेन्ट्स हैं वे

(श्री मथुरेशविहारी माथुर)

सेक्शन ६१ से गर्वन होते हैं और सन् ५६ से ६२ तक अनाधिकार कब्जा जिनका है उनको हटाया जाता है, केवल जमीनों के लिये यह है, ऐसा नहीं कि कोई नहीं हो, बल्कि मैं यह कहूंगा उसमें 'अनआँथोराइज्ड ओक्यु-पेन्ट्स हैं उनके लिये वर्ड 'अनलॉफुल यूज़ किया गया है। इस विधेयक का ड्राफ्ट बनाने वालों ने यहां डेफिनिशन रखी, है "ओक्युपेशन विदाउट ऑथोरिटी" अब 'ओक्युपेशन विदाउट ऑथोरिटी' आपने अर्बन एरिया के लिए विचार किया, लेकिन रूरल एरियाज़ के लिये कहीं लिखा हुआ नहीं है। म्युनिसिपेलिटीज़ या अर्बन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट्स को इन्क्लूड किया है, लेकिन पंचायतों को क्यों नही इन्क्लूड किया, लेकिन पंचायतों को क्यों नहीं इन्क्लूड किया ? आज रूरल एरियाज मिलती है कि बहुत सी जमीन पंचायतें देती हैं लेकिन रेवेन्यू वाले उसको अपनी जमीन मान कर उस पर अपना अधिकार मानते हैं और जिन लोगों को पंचायतों ने जमीन का पट्टा दे दिया और उस पर लोगों ने मकान बना लिया या दूकान बनाली उनके खिलाफ सैक्शन ६१ के अन्तर्गत कार्यवाही करके उनके मकान और दुकान तुडवा दी जाती है और उन लोगों को वहां से हटा दिया जाता हैं यह कह कर कि यह जमीन तो रेवेन्यू विभाग की थी, पंचायत ने पट्टा दे दिया तो हम क्या इसी तरह से पी. डब्लू. डी. वाले अपनी सरहद के ५० फुट के भीतर दुकानें, थड़िये आदि लगाने की इजाजत दे देते हैं और लोगों से रुपये ले लेते हैं, फिर रेवेन्यू वाले और पंचायत वाले उन दुकानदारों से कहते हैं कि आपने इजाजत ली नहीं, पी. डब्लू. डी. वाले कौन होते है इजाजत दे देने वाले ? अगर रेवेन्यू वाले या पंचायत वाले इजाजत देते हैं तो पी. डब्लू. डी. वाले कहते हैं कि ५० फीट के एरिया में हमारी इजाजत बगैर कैसे बना लिया। तो मैं सदन के सामने यह बात दोहरा रहा हूं। गत सत्र में इस विधेयक पर जब मैं बोला था तब भी मैंने ध्यान आकर्षित किया था, लेकिन मुझे दुःख है कि उस दिन आपने इसकी कद्र की थी और आप ही इस प्रवर सीमित के चैयरमैन थे, फिर क्यों नहीं आपने इसको सही माना और फिर क्या कारण है कि इसमें पी. डब्लू. डी. और 'पंचायत' को इन्क्लयूड क्यों नही किया ? मैं समझता हूं, आप इस पर प्रकाश जरूर डालेंगे हालांकि मुझे इसके बारे में आभास नहीं मिलता है। इसके साथ ही मैं यह अर्ज करूंगा कि ओक्यु-पेशन विदाउट ऑथोरिटी कितने वेग और एम्बीगुअस वर्ड्स हैं जिसको आपके ड्राफ्ट करने वाले लाना जस्टिफाइ समझते हैं। जब कि सही लफ्ज है लॉफुल एंड अनलाफुल यूज़ होता है। आपके अन्य एक्टस और सेन्टल एक्ट्स हैं उनमें लाफुल एन्ड अनला फुल शब्द यूज़ किये है। विदाउट आथोरिटी कौन है ? आपके आथोरिटी को डिफाइन कहां किया है। कौनसा पद हैं और कौनसी संस्था है जिसको आपने आथोरिटी मानकर डिफाइन किया है और किसको आपका एस्टेट ओफिसर जायज मानेगा और कौन सी ऑथोरिटी है जिसको या जिनके द्वारा पटने को अनऑथोराइड मानेगा तो जब ये लफ्ज यूज किये थे तो आपके लिए आवश्यक था कि ऑथोरिटी को डिफाइन करते। मेरी मान्यता है कि ये लीगल कॉम्प्लीकेशन्स कोर्टस के लिए पैदा होगी और आपका एस्टेट ऑफिसर जिसके ऑर्डर्स फाइनल रखे गये हैं,

Page No.92

(श्री मथुरेशबिहारी माथुर)

सेक्शन ११ में आपने यह दे दिया कि उसकी ऑथोरिटी फाइनल है—सिविल,क्रिमिनल और रेवेन्यू कोर्ट्स में उसको चैलेन्ज नहीं किया जा सकता, ये निरंकुश पॉवर्स आपने उसको दे दी हैं और वह भी किस स्तर के आदमी को दे रहे हैं आपका लीगल ब्रेन होते हुए ? माना कि इम्पलीमेंटेशन के लिए तो एस्टेट ऑफिसर को कुछ पावर्स दें, लेकिन यदि डिक्लेरेटरी सूट लाकर कोई उसको चेलेज करना चाहता है तो उसके लिए क्यों..डिबार करते हैं ? और उसके लिए इतनी पावर्स क्यों देते हैं ? इसके साथ ही मैं अर्ज करूंगा कि आपने जो डेफीनिशन में दिया है 'विदाउट आथोरिटी', वह बहुत गलत है और इसके द्वारा काम्प्लीकेशन्स पैदा होंगे यह इसके लिए ठीक नहीं होगा।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : आपके विचार में क्या होना चाहिए ? आप सजेशन दीजिये ।

श्री मथुरेशबिहारी माथुर : मैं माननीय सदस्य की आपत्ति पर अर्ज करूं कि गत सदन के अन्दर जिस वक्त मैं इस बिल पर बोला था, उस समय मैं केवल बोला ही नहीं था, मैंने अमेंडमेंट भी दिये थे और उन अमेंडमेंट्स पर विचार करके माननीय उप-मंत्री जी ने प्रवर समिति के सुपुर्द यह विधेयक किया था । मैं आज भी कहता हूँ कि आपका ही यह सदन और सरकार लैंड रेवेन्यू एक्ट में अनआथोराइज़्ड की डेफीनिशन दे चुकी है, उसमें अनलाफुल दिया है और विदाउट आथोरिटी नहीं दिया है । आप इस पर गहनता से विचार कीजिये कि 'अनलाफुल' ज्यादा एप्रोप्रियेट है या 'विदाउट आथोरिटी' ज्यादा एप्रोप्रियेट है, खास तौर से जब कि आपने 'आथोरिटी' की डेफीनिशन नहीं दी है और इस बिल के अन्दर कोई प्रावधान सी. पी. सी. या क्रिमिनल प्रोसीजर कोड या दूसरे एक्ट बने हुए हैं, जिनकी शरण, जिनकी डेफीनिशन की शरण ली जा सकती है उन्हें एप्लाई नहीं किया है म्युटेन्डिस, जब कि लैंड रेवेन्यू एक्ट में है :

"Notwithstanding any provision of this Act. C. P. C. will apply, Cr. P. C. will apply, Limitation Act will apply and other Acts will apply"

लेकिन आप इसमें एस्टेट आफिसर को कितना निरंकुश बनाना चाहते हैं कि आपने इसमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं रखा है । आपका क्लाज ५ की तरफ ध्यान दिलाऊंगा । इस आफिसर को विदाउट आथोरिटी के ऊपर विदाउट एनी डेफीनेशन अनलिमिटेड पावर्स दी हैं जब कि एविक्शन आफ अनआथोराइज़्ड आक्यूपेन्ट्स में है, 'he may use such force as may be necessary." इस सदन के समक्ष इस शब्द के ऊपर गत अधिवेशन के अन्दर काफी आपत्ति उठाई गई थीं । इसमें कहीं रीज़नेबल वर्ड यूज़ नहीं किया है:

"use such force as may be necessary......"

इस "रीज़नेबल" वर्ड को हाई कोर्ट के हजारों फैसलों के अन्दर और विभिन्न एक्ट्स में

(श्री मथुरेशबिहारी माथुर)

डिफाइन किया है, लेकिन वही 'रीज़नेबल' वर्ड को रखने की इसके अन्दर आवश्यकता नहीं समझी। हमारे ड्राफ्ट करने वालों ने और अनलिमिटेड पॉवर्स दे दीं कि जितना वह जरूरी समझे उतनी पॉवर्स यूज़ करे।

आपके सामने मैं उदाहरण दूं कि अगर कोई मर्डर होता है, उसके अन्दर अगर राइट ऑफ डिफेन्स के अन्दर नहीं आता है तभी उसे अनलॉफुल मानते हैं और अगर विदिन लिमिट रहता है और जान माल के लिए मर्डर कर लेता है तो हाई-कोर्ट उसे बरी करती है—यह प्रोवीज़न है। मगर यहां पर उसकी आपने जरूरत नहीं समझी। यह आपके कानून ड्राफ्ट करने वालों की योग्यता को प्रमाणित करने के लिए पिछले सदन में भी कहा था। पता नहीं उनको यह क्यों इतना बुरा लगा कि प्रवर समिति इस विधेयक के लिए बनाई उस प्रवर समिति ने केवल दो लाइन लिखीं :

"The Bill is in order and no change is necessary."

यह कह कर फिर दुबारा विधेयक इस सदन के समक्ष आ गया और इस पर विचार करने के लिए दुबारा समय दिया गया। मैं कहना चाहता हूँ, "my be necessary";

यह वर्ड भी अमेंड होना चाहिये था। आप इसके अन्दर इस अख्तियारात को एस्टेट ऑफिसर्स को दे रहे हैं, इनकी अपील करने के लिए इसके अन्दर कोई स्थान नहीं है। आपने इसके अन्दर केवल पन्द्रह दिन का प्रावधान रखा है, बाकी सब फाइनल है। इसके हाथ में आप इतनी बड़ी पॉवर्स देंगे तो आपके साथ में यही होने वाला है, जैसा कि आज स्ट्राइक्स वगैरह में होता है कि कभी कभी ऑफिसर्स पिटेंगे। आखिर जो तीस वर्ष से, पचास वर्ष से जमीन पर रहने वाले हैं उनको आपका एस्टेट ऑफिसर कह दे कि विदाउट ऑथोरिटी ऑक्युपेशन है। चाहे वह कितने ही अर्से से रहते हों उसके लिए अनलिमिटेड पॉवर्स हैं। दुनिया में किसी भी कानून में बारह साल के बाद मुखालिफाना हक हो जाता है। रूरल एरिया के लिए आपने सेक्शन १५ को कर दिया है। लेकिन दूसरी जगह रेज़िडेन्शियल और दूसरे पर्पज़ का सवाल आता है वहां कोई कानून नहीं है, चाहे सौ साल का रहने वाला हो; आपका एस्टेट ऑफिसर कहेगा कि विदाउट ऑथोरिटी है। आप कहने को कह सकते हैं कि खवासजी बालाबख्स का दिया हुआ पट्टा है वह विदाउट ऑथोरिटी है, इस पट्टे को नहीं मानते हैं, और नाबालिग में दिया हुआ पट्टा है उसको भी नहीं मानते हैं। इसलिए जो उस जगह मकान बना हुआ है, जो बाग बना है उसको खाली करो। अगर खाली नहीं करते हो तो जैसी मर्जी आयेगी फोर्स लेकर इस्तेमाल करेंगे और उस जगह से निकाल देंगे। यह एक हाईहैंडेडनैस का प्रावधान है। इसलिए मेरा आपको निवेदन है कि इस पर गम्भीरता से विचार करना चाहिए क्योंकि यह इस तरह का हाई हैंडेडनैस का प्रावधान है जिसके

(श्री मथुरेशबिहारी माथुर)

द्वारा ऐसे स्तर के लोगों के फैसले का स्टे नहीं हो सकता है, अपील का और स्टे का कोई प्रावधान नहीं रखा गया है। इसके अलावा कई बातें मैंने पहले भी आपको बताई थीं। इसका एविक्शन में भी यूज़ नहीं किया है, हाई हैंडडनैस की पावर्स से जिस वक्त आप एक्शन करते हैं उस वक्त भी उसको कोई जरूरत नहीं है कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की तरह या सी० पी० सी० के समान जिन प्रेमिसेज़ में अगर सामान भरा हुआ है तो उसकी लिस्ट बनाये। मुझे याद पड़ता है, अगर कोई अपील कर देता है, तो जब एक्शन करेंगे या एटेच करेंगे तो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की तरह या सी० पी० सी० के तहत लिस्ट बनायेंगे और उस लिस्ट में सामान दर्ज करेंगे। अगर एक आदमी की थड़ी में चांदपोल बाजार के अन्दर या कानोता सड़क पर थड़ी में पचास हजार का जनरल मर्चेन्ट का सामान पड़ा हुआ हैं उसको वह अनआथोराइज़ड बना सकता है और विदाउट आथोरिटी कह देता है। लेकिन यह प्रावधान नहीं रखा है कि वह पचास हजार के सामान की लिस्ट बनायेगा। यह उसके लिए कम्पलसरी नहीं है, यह उसके गुड सेन्सेज़ पर प्रिवेल करता हैं; अगर वह ऐसा महसूस करता है तो यह उसकी मर्जी है। वर्ना दो आदमियों के दस्तखत काफी हैं और उस थड़ी के सामान की लिस्ट बनायें, यह आवश्यक नहीं है। मैं समझता हूँ कि इस प्रकार का प्रावधान इस बिल में होना अत्यन्त आवश्यक है। इस बिल में ऐसा प्रावधान कहीं नहीं है, कहीं सी० पी० सी० या क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के प्रावधान को एप्लाई नहीं किया है। जनरल क्लॉज़ेज़ के तहत दिये हुए प्रावधान भी एप्लाइड नहीं माने जायेंगे। मैं समझता हूं कि इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए।

इसके साथ ही सेक्शन ७ के अन्दर और भी ऐसे पावर्स हैं, जिनके तहत सारे अन्याय करने के पॉवर्स दिये गये हैं। अगर पचास वर्ष से कोई आदमी कहीं रह रहा है और उसके पास जयपुर नाबालिग के टाइम का कोई पट्टा भी था, वैसे बहुत से लोगों के पास तो कोई पट्टा नहीं है और अगर है तो उसको विदाउट आँथोरिटी मान कर तय कर सकते हैं। अब इस ड्यूरेशन में उस ऑक्युपेशन से जितना भी नुकसान हुआ है वह भी आपका एस्टेट आफिसर असेस कर देगा। लेकिन उसके असेस करने का कोई आधार नहीं है। उसकी मर्जी आवेगी तो पचास साल के कब्जे के लिए दो लाख असेस कर दे, उसकी मर्जी आवे तो दो लाख की जगह दो हजार असेस कर दे। वह असेस कराके लैंड रेवेन्यू के एरियर की तरह वसूल कर लिया। तो मैं आपसे, इस सदन से और उपाध्यक्ष महोदय, आपके जरिये इस सदन से निवेदन करूंगा कि इस तरह का बिल,इस तरह का विधेयक लाये हैं, खास कर उस वक्त जबकि रूरल एरिया के अन्दर सेक्शन ९१ चालू है, उसको कहीं रिपील नहीं किया गया है; अब दोहरा कानून हो गया, एक तो एस्टेट ऑफिसर होगा और दूसरा तहसीलदार, दोनों में से किसकी मान्यता होगी, इसका पता नहीं है। यह सारा तरीका जो आपने अपनाया है और ऐसे प्रावधान रखे हैं; आप चाहे इस

(श्री मथुरेशबिहारी माथुर)

बात पर खुश हो लें कि आपने बिल पास करा लिया है। आपने तो बहुत से कानून पास करा लिये हैं और इस तरह के बिल पास करने के लिए आते हैं कि बिल पास होकर गया और उस पर असेन्ट मिलने के पन्द्रह दिन बाद ही उसमें अमेंडमेंट ले आते हैं। आप लायेंगे। आपको अत्यन्त आवश्यकता होगी भी अमेंडमेंट लाने की और उसके तहत रूल्स बनाने की। लेकिन आपके जो ड्राफ्टमेन हैं जो आपकी आज्ञा से ड्राफ्ट करते हैं और आपके आदेश से एक एक बिल ऐसे पास करने के लिए आते हैं कि जिन बिलों से निरंकुश पॉवर्स मिल जायं, जो डेलीगेटेड आदमी हैं उनको निरंकुश पावर्स मिल जाय और जरूरत आ जाय तो उनका इस्तेमाल कर लें और जरूरत नहीं आये तो जैसे बहुत से कानून ऐसे हैं जो पचास साल से पड़े हुए हैं और जिनको फोर्स में लाने का टाइम नहीं मिला है और जिनका नोटीफिकेशन नहीं हुआ है और कानून आ भी गये हैं तो उन पर अमल नहीं किया गया है और कोई केस नहीं बने हैं। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि आपको इसके लिये क्या जल्दी है? इसको जनमत जानने के लिये भेजा जावे इन सारी बातों पर विचार किया जाना आवश्यक है।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

मैं यह निवेदन करूंगा कि कानून ऐसा बनाया जावे जिसमें रूल्स बनाने की आवश्यकता नहीं हो। सारे प्रोस एण्ड कोन्स को देखते हुए मैं सदन से निवेदन करूंगा कि इस बिल को जनमत जानने के लिए प्रसारित किया जावे क्योंकि इसका असर अर्बन और रूरल एरियाज़ पर पड़ने वाला है; इसलिए जनमत के लिये भेजा जावे और जनमत का इन्तजार किया जावे, तो मैं समझता हूं कि यह ज्यादा उपयुक्त होगा।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द): उपाध्यक्ष महोदय,..........

श्री उपाध्यक्ष: आप संक्षेप में ही बोलें।

श्री गिरधारीलाल व्यास: मैं संक्षेप में ही कहूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान सार्वजनिक भू-गृहादि (अप्राधिकृत अधिवासियों की बेदखली) विधेयक, १६६४ को जनमत जानने के लिये मैंने प्रस्ताव रखा है। पहले जब इस एसेम्बली में यह बिल प्रस्तुत हुआ था उस वक्त भी यह बात कही गई थी कि इस बिल में जो प्रावधान रखे गये हैं उनकी वजह से जिन लोगों पर इसका असर पड़ने वाला है वे इस प्रकार के लोग हैं जो गरीब और नीची श्रेणी के हैं; जो ऐसे स्थानों पर रहते हैं और जिनको प्लॉट्स वगैरह नहीं मिलते हैं। वैसे लोगों ने ही अपनी परिस्थितियों से मजबूर होकर ऐसे स्थानों में जाकर बसे हैं। ऐसे लोगों के लिये लेण्ड रेवेन्यू एक्ट और दूसरे एक्ट्स का प्रावधान है। उसमें एग्रीकल्चरिस्टों की किस प्रकार से सेवा की है, उनकी कठिनाइयां को किस प्रकार से दूर करने का प्रयास किया गया है, वैसे प्रयास इसमें कहीं भी नजर नहीं आते। इसलिये मेरा निवेदन है

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

कि पहले यानी टीनेन्सी एक्ट लागू होने से पहले हमारे काश्तकार लोग जिन जिन सरकारी जमीनों पर बिना नाम भूमि पर उनका कब्जा चला आ रहा था, उनको शिकमी या बापी के अधिकार दिये जावेंगे। इस प्रकार के प्रावधान इसमें होते तो ज्यादा अच्छा होता।

इसके बाद राजस्थान सरकार एक और विचार-धारा लाई। अभी थोड़े दिन पहले हमारी सरकार सन् १९६२ में इस प्रकार का प्रावधान लाई कि सन् ६१ के दिसम्बर से पहले जिन लोगों का कब्जा है उन लोगों का भी अन-ऑथोराइज़्ड पोज़ेशन है उनको रेगुलर कर दिया जावे और उनको इन जमीनों पर अधिकार दे दिया जावे। इस प्रकार हमने रूरल एरियाज़ के लोगों के साथ इन्साफ किया है। इससे यह प्रतीत होता है कि हम हर आदमी के साथ इसी प्रकार का दृष्टिकोण अपनाये तो सभी लोगों को और गरीब काश्तकारों को लाभ होगा इस कानून को, जो हमारे सामने प्रस्तुत किया है, उसकी दफा (२) का जो (ई) है उसमें अनऑथोराइज़्ड ओक्युपेन्ट की डेफिनिशन दी है,उससे महसूस होता है कि जिन लोगों को उस जमीन पर रहते हुये ५० वर्ष हो गये और वे ऐसे स्थानों पर बसे हुए हैं उनको भी इस एक्ट के जरिये से बेदखल कर दिया जावेगा। इसलिये इस प्रकार के प्रावधान से इसका पता नहीं लगता कि १० या २० साल से या १०० वर्षों से या ५० वर्षों से लोग वहां पर बसे हुए हैं हटाया जावेगा या नहीं और अगर उनको हटाया जाता है जो ५० या १०० वर्षों से वहां पर रह रहे हैं तो उनको बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है।

अभी कुछ समय पहले माननीय सदस्य ने कहा था कि जो लोग प्लॉट्स नहीं खरीद सकते हैं और कीमत जमा नहीं करा सकते हैं ऐसे गरीब लोगों को किसी प्रकार को सहूलियतें दी जावें। इसके लिये राजस्थान सरकार ने थोड़े दिन पहले इस प्रकार का निर्णय लिया कि ऐसे लोगों को बसाया जावेगा और उनको प्लाट्स भी दिये जावेंगे। लेकिन जब तक कानून में इसका प्रावधान नहीं हो तो जुबानी आश्वासन से काम नहीं चल सकता। इसलिए यह बात डेफिनिशन में स्पष्ट होनी चाहिये कि अनआथोराइज़्ड आक्युपेन्ट्स होंगे उसके लिये कितने साल का कब्जा हो उसको आप अनआथोराइज़्ड ओक्युपेन्ट मानेंगे, या आप उनको भी ऐसे ही मानेंगे जिनके पास पट्टा नहीं है और वे २०० वर्षों से उस पर काबिज हैं? इस प्रकार की व्यवस्था मेरे खयाल से इसमें नहीं है जिसकी वजह से यह पारित नहीं करते हैं।

दूसरी बात इसी प्रकार से, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जहां पर अनआथोराइज़्ड ओक्युपेशन हो जाता है और वहां पर कोई व्यक्ति अपनी इमारत बना लेते हैं, वहां पर वह आदमी वर्षों से काबिज होता है ऐसे स्थानों पर भी एसेसिंग आथोरिटी या एस्टेट आफिसर ऐसा डिसिज़न ले ले कि उसको बेदखल कर दिया जावे और मुआवजा दे दिया जावे, तो आप उसके लिये किस प्रकार से मुआवजा देना तय करेंगे। आपने इसके लिये लिखा है कि जो जो मकान बनाये गये हैं उनको बेच कर सेल प्रोसीड्स के जरिये सरकार

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

का जो रेन्ट वगैरह बकाया होगा उसको लेने के बाद जो रकम बकाया बचेगी वह उसको दे दी जावेगी। मैं यह निवेदन करूंगा कि इस प्रकार की सेल प्रोसीड्स से जितना पैसा बंटना चाहिये वह कभी नही बंट सकता है और इस वजह से उस व्यक्ति के साथ इन्साफ नहीं होगा। इसलिये जिस प्रकार से दूसरी प्रोपर्टी की कीमत सरकार एसेस कराती है उसी प्रकार से एसेसमेंट के द्वारा ही उसको भी मुआवजा दिलाने का निर्णय हो तब तो यह ठीक बैठ सकेगा वर्ना सेल प्रोसीड्स के जरिये बेची जावेगी तो उसको पूरा पैसा नहीं मिल सकेगा।

दूसरी बात इसमें यह है कि एस्टेट आफीसर यह मान लेगा कि यह अन आथोराइज़्ड ओक्युपेशन है, उसका चाहे जितने सालों का कब्जा हो, इस बात का ध्यान नहीं रखते हुए आज्ञा दे देता है तो वह आदमी किस प्रकार से अपने रहने के लिये व्यवस्था करेगा और कहां जावेगा और किस प्रकार की व्यवस्था बिठाएगा। इसके लिये मेरा यह सुझाव है कि इस प्रकार की व्यवस्था कानून में होनी चाहिये कि जो लोग वर्षों से जिन स्थानों पर बसे हुए हैं उन लोगों के लिए आल्टर्नेटिव प्लाट्स की व्यवस्था होनी चाहिये या उनको मौका दिया जाना चाहिये कि ठीक तरह से रहने के लिए नई व्यवस्था कर सकें।

एक व्यवस्था इसमें और भी की गई है कि एक आदमी अनधिकृत रूप से ऑक्युपेन्ट हो जाता है तो उसके लीगल एयर एपेरेन्ट्स या रिप्रेज़ेन्टेटिव्ज़ से वह रकम वसूल की जायगी। अगर इस प्रकार की व्यवस्था की गई तो कोई आदमी यहां रहता है और उसका लीगल एयर या रिप्रेज़ेन्टेटिव यहां नहीं रहता है, उसमें कोई इस प्रकार की रकम बाकी है तो उसके एयर रिप्रेज़ेन्टेटिव से वसूल करना उचित नहीं होगा क्योंकि इस प्रकार की व्यवस्था से इन लोगों को ज्यादा से ज्यादा तकलीफ होगी।

इसके अलावा सेक्शन १५ में गुड फेथ एक्शन लेने का एस्टेट ऑफिसर को अधिकार रखा है। यह इस प्रकार का प्रावधान है कि कोई भी एस्टेट आफीसर कोई भी मनमाना एक्शन लेना चाहेगा वह ले लेगा और कह देगा कि मैंने यह गुड फेथ में किया है। तो इस प्रकार की व्यवस्था उचित नहीं कहा जा सकती। कोई भी अधिकारी मनमानी न कर सके, जिसे चाहे उसे विक्टिमाइज़ न कर सके, गरीब आदमियों के साथ अन्याय नहीं कर सके, इस प्रकार का चैक अवश्य लगाना होगा।

इसके साथ ही साथ में यह निवेदन करना चाहता हूं कि अपील के लिये १५ दिन की मयाद इसमें रखी है। मेरे ख्याल से और किसी कानून में इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है जिसमें अपील की मयाद ३० दिन से कम रखी हो। इसमें केवल १५ दिन की मयाद अपील के लिये रखी है, यह उचित नहीं है। इसलिये मेरा निवेदन है कि १५ दिन के बजाय ३० दिन की मयाद अपील के लिये होनी चाहिये ताकि ठीक तरह से अपील के लिये हर आदमी व्यवस्था कर सके।

Page No.98

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

एक अर्ज यह है कि इसमें एस्टेट ऑफिसर की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है; इसमें कहा गया है कि एस्टेट ऑफिसर उसी केटेगरी का होगा जिस केटेगरी के अर्बन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट्स में सेक्रेटरी होते हैं; म्युनिसिपल बोर्ड्स में सेक्रेटरी होते हैं। इन जगहों पर बहुत से छोटे लोग रहते हैं जो न आर. जे. एस. होते हैं और न आर० ए० एस० होते हैं। इस प्रकार के छोटे ऑफिसर्स को इस प्रकार के पॉवर्स दे देंगे तो बहुत सम्भव है कि इन अधिकारों का काफी दुरुपयोग होगा। इसलिये एस्टेट ऑफिसर जुडिशियल सर्विस के या राजस्थान एड्मिनिस्ट्रेटिव सर्विस के व्यक्तियों को रखा जाय, जो कि ज्यादा से ज्यादा इन्साफ कर सकें और लोगों को अच्छा इन्साफ दे सकें।

सेक्शन ७ में रेंट और डेमेजेज तय करने के लिए एस्टेट ऑफिसर को अधिकार दिये है। यह ठीक नहीं है; वही अधिकारी बेदखल करे और वही रेंट और डेमेजेज़ तय करे, यह उचित नहीं होगा।....

श्री उपाध्यक्ष : क्लॉज़ बाई क्लॉज़ होगा उस समय ये सब बातें रख सकते हैं।

श्री गिरधारीलाल व्यास : क्लॉज़ बाई क्लॉज़ पर तो मेरे कोई अमेंडमेंट्स नहीं हैं।

तो मैं निवेदन कर रहा था कि एक ही ऑफिसर बेदखल कर दे और वही रेंट और डेमेजेज़ तय करे, यह उचित प्रतीत नहीं होगा; इसलिये रेंट और डेमेजेज़ तय करने के लिये अलग ऑफिसर होना चाहिये ताकि लोगों के साथ न्याय हो सके।

इस प्रकार प्रावधान इसमें होंगे तो ठीक तरह से व्यवस्था बैठेगी। इसलिये मेरा सुझाव है कि इस विधेयक को जनमत जानने के लिये प्रसारित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामकिशन !

माननीय सदस्य स्वतः ही नियन्त्रित करें।

श्री रामकिशन : अब आपने तीसरे नम्बर से कहना शुरू कर दिया है। अक्लमन्द को इशारा काफी है। विरोधी पक्ष में बैठने वाले समझदार हैं, उधर की तरफ मुझे जरूर शक है।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्रस्ताव है, "कि प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित राजस्थान सार्वजनिक भू गृहादि (अप्राधिकृत अधिवासियों की बेदखली) विधेयक, १९६४ को जनमत जानने के लिये प्रसारित किया जाय।"

अब तक जितने माननीय सदस्यों ने, चाहे वे विरोधी पक्ष के हों चाहे कांग्रेस पक्ष के हों, उन्होंने यही राय दी है कि इस कानून से भलाई की अपेक्षा बुराई की ज्यादा संभावना है। सरकार चाहे इसे किसी भी इरादे से लाई हो, सरकार के इरादे के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। पर यह कानून जैसा कि मौजूदा हालत में है उसी रूप में इसका अमल हो तो राजस्थान के गरीबों पर बहुत

(श्री रामाकिशन)

संकट आने वाला है। वैसे देखा जाय तो गैर कानूनी कब्जों का प्रश्न है वे सारे हिन्दुस्थान में है। और यह इन १२ सालों में बहुत बढ़ा है। सरकार अपनी असली जिम्मेदारी से मुकर कर इस प्रकार के कानून लाती है जब कि संविधान में यह प्रावधान रखा गया है कि हर नागरिक को रहने, चलने-फिरने और बोलने की आजादी होगी। बोलने, चलने फिरने की बात को छोड़ भी दिया जाय, रहने के लिये तो कम से कम हर एक को स्थान चाहिये। एक तरफ सरकार चाहती है कि मजदूर शहरों में जाकर कल-कारखानों में, उद्योग-धंधों में काम करें, पर दूसरी तरफ उनके रहने के लिये कोई प्रबन्ध नहीं करती है। यह केवल मकान किराये का मकान मालिक का या किरायेदार का ही प्रश्न नहीं बल्कि यह आवास की पूरी समस्या से जुड़ा हुआ प्रश्न है। यह सरकार इस समस्या का कोई हल नहीं कर पाई है। तीसरी पंचवर्षीय योजना का तीसरा साल समाप्ति पर है, फिर भी इस समस्या का एक आंशिक हल भी यह सरकार नहीं कर पाई है और हम देखते हैं कि तीसरी पंच वर्षीय योजना में इस समस्या के हल के लिये ४२० लाख रुपया रखा गया था कि तीसरी पंच वर्षीय योजना में कम आय वाले, औद्योगिक क्षेत्रों में रहने वाले जो लोग हैं उनकी बस्तियों के निर्माण के लिये यह रुपया लगाने का लक्ष्य था, पर तीसरी पंच वर्षीय योजना के इस तीसरे साल के अन्त तक के आंकड़ों को देखें तो पता चलेगा कि अपने लक्ष्य का ११ प्रतिशत ही यह सरकार इस कार्य पर लगा पाई है। एक तरफ शहरों में उद्योग बढ़ रहे हैं, लोग गांवों को छोड़ छोड़ कर शहरों में आ रहे हैं क्योंकि गांवों में जिंदगी दुखमय हो गई हैं। इन नये आने वाले लोगों के लिये रहने की व्यवस्था करना तो दूर किनार, जो लोग दस-दस बीस-बीस साल से शहरों में रह रहे हैं, जो लोग शहरों में बस गये हैं उनको बसाने के लिये भी सरकार ने अभी तक कोई प्रबन्ध नहीं किया है, नयों को रहने के लिये स्थान देना तो और दूर की बात है।

जो लोग कच्ची बस्तियों में रहते हैं, जो गंदी बस्तियों में रहते हैं उन लोगों को बसाने का प्रबन्ध जब तक नहीं हो जाय तब तक इस कानून का अमल नहीं होना चाहिये; यह कम से कम इस सदन के दोनों और बैठे सदस्यों की राय है। अगर ऐसा नहीं किया गया तो स्किल्ड लेबर, टैक्निकल लेबर की तो दिक्कत है ही, पर जो प्राइवेट संस्थाएं काम कर रही हैं, जो भवन बन रहे हैं उनके लिये बड़ी मुश्किल हो जायगी। अगर इनको शहरों में रहने के लिये स्थान नहीं दिया जायगा, तो क्या आप यह आशा करते हैं कि ये लोग शहरों से तीस-तीस मील, बीस-बीस मील की दूरी से बसेज़ में बैठ कर यहां पर काम करने आयेंगे ? ये सारी संभावनाएं है, इन पर आपको विचार करना होगा; केवल मकान मालिकों की, किरायेदारों की, किराये की समस्या होती तो इसका विरोध नहीं होता, पर आवास की सारी समस्या से इसका सम्बन्ध है। इस कानून से जो समस्याएं खड़ी होंगी उन पर सरकार ने विचार नहीं किया है।

संपदा अधिकारी को जो अधिकार दिया गया है उसे देख कर तो मुझे ऐसा लगता है कि यह ड्राफ्ट किसी लोकतान्त्रिक विचार-धारा के व्यक्ति के द्वारा नहीं बनाया गया, बल्कि

(श्री रामकिशन)

माओ–चाऊ की विचारधारा के व्यक्तियों के द्वारा बनाया गया है ।

आज हम केवल कानून की पर्वाह करके चलते हैं, आपने मानवीय भावना को बिलकुल समाप्त कर दिया है । मनुष्य के लिये कानून है, कानून के लिये मनुष्य नहीं होता है । इस चीज की पकड़ जब तक सरकार के दिमाग में नहीं आयेगी तब तक कानून में इस प्रकार की खामियां रहती रहेंगी ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं कि यह कानून होगा तो अमीरों पर, इसका कोई असर नहीं होने वाला है क्योंकि सरकार के मिनिस्टरों से, कांग्रेस के प्रभावशील एम. एल.एज. से, अधिकारियों से गरीबों की दोस्ती होती है । इसका असर हरिजनों पर होगा, आदिवासियों पर होगा और विधवाओं पर होगा ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : कांग्रेस वालों की तो अफसर परवाह नहीं करते, विरोधी दल वालों की ज्यादा परवाह करते है ।

श्री रामकिशन : यदि यह वात है तो फिर कांग्रेस में क्यों बैठे हो ?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : सिद्वान्त के लिए बैठा हूं । जनता ने हमको राज दिया है इसलिए बैठा हूं, लेकिन यह जरूर है कि सरकारी अफसरों की प्रवृति आप लोगों को खुश करने की है ।

श्री रामकिशन : मुझे बिलकुल विश्वास है कि सरकार कांग्रेसियों की बिलकुल नहीं मानती है । लेकिन मंत्रीगण केवल एक बात मानते हैं । चुनाव के दिनों में उनके क्षेत्रों में चले गए और कहीं सुखाड़िया साहब की कार खराब हो गई तो आपसे धक्का दिलवाएंगे, यह एक चीज तो स्वीकार करेंगे ? मुझे क्यों भटका रहे हो ? सन् १९४८ में हम साथ थे । हमसे कहा कि बाहर चलो, हम तो चले आये और खुद रह गए । तो मैं निवेदन करता हूं कि सरकार इन सारी बातों पर विचार करे । सम्पदा अधिकारी को अधिकार दिए गए हैं । उसके लिए ११ वीं धारा सबसे ज्यादा आपत्तिजनक है । एक हजार का जुर्माना और एक साल की कैद या दोनों साथ साथ भी हो सकते हैं । कोई भी सरकार चाहे माओ हो, चाऊ–एन–लाई हो, वे भी इतने हृदयहीन नहीं हो सकते और यह समाजवादी सरकार है । पेकिंग और शनखाई में बसने वाले बुरुजुवा वर्ग के लिए भी उन शासकों ने मानवता का ध्यान रखा । वहां चीन में एक बुलेटीन निकलती है उसमें आवास सम्बन्धी नियम बताए गए हैं, उनमें भी एक आदमी की निष्ठा का ध्यान रखा है, चाहे कोई भी हो, लेकिन इसका मौजूदा सरकार ने तो ऐसा कानून बनाया है कि इस में आदमी की निष्ठा का कोई ध्यान नहीं रखा गया है । सम्पदा अधिकारी के लिए जो अधिकार दिए गए हैं बेदखली के उसमें बताया गया है कि नोटिस सहगोचर स्थान पर चिपकाया जा सकता है, चाहे नीम का पेड़ हो, चाहे छत हो । मुझे इस सरकार की नीयत के बारे में शक नहीं है लेकिन उनकी बुद्धि के बारे में जरूर शक है । वह बुद्धिहीन, दिशाहीन, कर्महीन, ज्ञानहीन, विवेकहीन और हृदयहीन हैं ।

Page No.101

(श्री रामकिशन)

एक तरफ तो हमारे विधान के डाइरेक्टिव प्रिन्सिपल्स में कहा गया है कि हम आवास की व्यवस्था करेंगे, हम लोगों को घर दिलायेंगे, आजीविका की व्यवस्था करेंगे और उस विधान को तोड़ने केलिये सरकार कानून बनाता है तो यह दिशाहीन है। विवेकहीन तो इसलिए है कि जब मकान टूटेगा। वे बेचारे कहेंगे कि हम लोग बस रहे थे, तुमने हमको क्यों बेघर किया, तो फिर चुनाव में भी हारोगे इसलिए विवेकहीन कहलाओगे। मैं समझता हूँ कि इस सरकार से कोई आशा करना बिल्कुल व्यर्थ है क्योंकि इनके दिल और दिमाग सड़ गए हैं। उनमें कोई तड़प नहीं है। उधर के बैठने वाले भी यह महसूस करते हैं कि फंस गए हैं, हमारी बात को मानते हैं, वे भी चाहते हैं कि यह सरकार खत्म हो, लेकिन उनको कुछ लालच है, नहीं तो जो सरकारी पक्ष में बैठने वाले हैं; हरिजन वगैरह हैं, वे जानते हैं कि इसका क्या असर पड़ने वाला है। जो शुद्ध हैं उनको भी पता है कि हम फंस जायेंगे, लेकिन सरकार अपने बहुमत के बल पर इस कानून को पास कराना चाहती है।

मुझे ऐसा विश्वास है कि उपमंत्री दुबारा इसको देखेंगे क्योंकि उनका खुद का कहना है कि सिलेक्ट कमेटी की मीटिंग नहीं हुई। वे समझदार हैं। इस कानून के वगैर सरकार के टैक्स का नुकसान होने वाला नहीं है, ५-१० दिनों में जयपुर या जोधपुर का शहर गिरने वाला नहीं है, सामान्य स्थिति ही रहेगी। इसमें कुछ धाराए आपत्तिजनक हैं, सरकार की मन्शा पूरी नहीं हो पाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ मेरा निवेदन है कि मैं प्रस्ताव करता हूँ कि इसे जनमत जानने के लिए प्रसारित किया जाय और मैं आशा करता हूँ कि कांग्रेस दल के सभी सदस्य, कम से कम और मामलों में नहीं, लोगों के बसने के मामले में एकमत होकर मेरे प्रस्ताव का समर्थन करेंगे और उसके बाद ही सरकार इस विधेयक को प्रस्तुत करे।

श्री उपाध्यक्ष : मैं माननीय सदस्य को बधाई देता हूँ कि उन्होंने थोड़े से समय में ही समाप्त कर दिया।

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ—कि. राजस्थान सार्वजनिक भू-गृहादि (अप्राधिकृत अधिवासियों की बेदखली) विधेयक, १९६४ और इसकी रिपोर्ट जो प्रवर समिति की ओर से प्रस्तुत हुई है उसको जनमत जानने के लिए तीन माह के लिए प्रसारित किया जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, यह कानून जल्दबाजी में ड्राफ्ट हुआ है और इसी कारण इस सदन ने उसकी कमियों को दूर करने के लिए प्रवर समिति में विवेचनार्थ भेजा था कि उसमें संशोधन के साथ अपनी रिपोर्ट पेश करे लेकिन दुर्भाग्य से प्रवर समिति को भी पर्याप्त समय नहीं मिला और जल्दबाजी में उन्होंने रिपोर्ट पेश कर दी और इस आशय से पेश कर दी कि जो कानून है वह यथावत् स्वीकार कर लिया जाय।

इस कानून की धाराओं को यदि हम पढ़े तो ऐसा मालूम होता है जैसे कोई नादिरशाह की राज है। एक दफे का किस्सा है कि नादिरशाह

(श्री राधाकृष्ण गोयल)

के जमाने में घोंसले में १०० उल्लू बैठे हुए थे। एक दूसरे से पूछा कि तुम कितने गांव बेटी के दहेज में दोगे

श्री उपाध्यक्ष : यह नादिरशाह के वक्त हुआ था ?

श्री राधाकृष्ण गोयल : दूसरे ने कहा तुम कितने गांव दहेज में दोगे। उसने जवाब दिया कि अगर नादिरशाह जिंदा रहा तो १०० गांव दूंगा, क्योंकि वह जहां से होकर निकलते हैं, वह गांव बरबाद हो जाता है, इसलिए गांवों की कमी नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : शायद महमूद गजनवी की बात है।

श्री राधाकृष्ण गोयल : मेरे ख्याल से उपमंत्री महोदय अपने को नादिरशाह के स्थान पर समझते हैं और सोचते हैं कि जो कच्ची बस्तियों में रहते हैं उनको नाश किया जाय और निर्जन बस्तियां कायम की जायं।

उपाध्यक्ष महोदय, इस कानून को जितनी बार पढ़ा जाय दिल को उतना ही धक्का लगता है और यह प्रतीत होता है कि इस कानून बनाने वालों ने न मानवता दिखायी है और न ही अपनी बुद्धि का परिचय दिया है। संविधान की जो भावना है उसको भी वे कतई भूल गये।

संक्षिप्त में कुछ बातें मैं बताता हूं। पहले छोटी छोटी रियासतें थीं। मैं जयपुर और टोंक रियासत के सम्बन्ध में तो अधिक जानता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : Kindly try to confine yourself to legal points only.

श्री राधाकृष्ण गोयल : बिल्कुल लीगल पोइन्ट पर ही कहूंगा।

तो मैं कह रहा था कि इन रियासतों में हके रियायशी का हक था कोई भी आदमी जिसको रहने का मकान नहीं है. कहीं भी अपने रहने के लिए मकान बना सकता था और सिर्फ रेगुलराइज़ कराता था, लेकिन दूसरों को किरायेदार नहीं रख सकता था।

श्री मोतीलाल चौधरी : कौनसा कानून था, किस कानून में यह था।

श्री राधाकृष्ण गोयल : जयपुर रियासत के वक्त में ये स्टेंडिंग रूल्स थे। शहरों, कस्बों और गांवों में कोई भी व्यक्ति बिना किसी से इजाजत लिये रेगुलर कोर्स में अपने रहने के लिये कच्चा मकान बना सकता था; यदि पक्का बनाये तो उसको नजराना देना पड़ता था और कच्चा मकान रहन–बे नहीं कर सकता था। ये रूल्स कॉन्स्टीट्यूशन लागू होने तक लागू रहे हैं। हके रियायशी मकान परम्परा से मान्य हैं। जयपुर और अन्य कस्बों और गांवों में इस प्रकार के रूल्स होने से सैकड़ों, हजारों और लाखों घर बने हुए हैं। उनके पास कोई पट्टा नहीं है। कच्चे मकान जितने बने हुए हैं। उनका कोई किसी प्रकार का पट्टा नहीं दिया जाता था, कोई लिख कर नहीं दिया जाता था। यदि उनको कन्वर्ट

Page No.103

(राधाकृष्ण गोयल)

करके कोई पक्का बनाता तो उसकी ओर से नजराना दिया जाता था और उसके लिये पट्टा दिया जाता था। कच्चे मकान को कोई रहन-बे नहीं कर सकता था। मलवे का हक मालिक का और जमीन सरकार की समझी जाती थी। संविधान के लागू होने के पश्चात् इसमें परिवर्तन हुआ। एक भी रूल ऐसा नहीं कि जिसका इतने दिनों से कब्जा है उसमें कोई परिवर्तन कर सकते हैं। जिसको अधिकार है वर्षों से उसके अधिकार को छीन कर उसमें कैसे परिवर्तन कर सकते हैं ? आज राजस्थान सरकार संविधान के होते हुए इस प्रकार का सख्त कानून लाने जा रही है, इस प्रकार का सख्त बना रही है। जब से गांव बसे पीढ़ियों से जो लोग आबाद हैं उनकी सम्पत्ति छीनने के लिये, उनको बेघरबार करने के लिये सरकार इस प्रकार का काला कानून बना देती है। कानून भी कैसा ? जो बड़ा एम्बीगुअस है, वेग है और जिसमें समझ में नहीं आता कि किस शब्द का प्रयोग है। जयपुर रियासत में ही नहीं सभी रियासतों में टाउन सर्वे के कानून बने हुए थे और मिलाकयत की बात होती थी। राज्य की ओर से टाउन सर्वे अधिकारी नियुक्त किये जाते थे, वे सर्वे करते थे, नक्शे बनाते थे कि इस मकान में यह रहता है। जयपुर का टाउन सर्वे निकाल कर देखिये। कस्बों का निकाल दीजिये। उनमें यह लिखा हुआ मिलेगा पक्के मकान के लिए फलां आदमी, कच्चे मकान के लिये फलां आदमी; मकान मालिक और मिलकियत सरकार। टाउन सर्वे को यह अधिकार दिया हुआ था, इसके खिलाफ कर देते थे तो काम्पीटेन्ट कोर्ट आफला से डिक्री हासिल कर सकते थे, यह उनको अधिकार था; लेकिन आज यह कानून बना है उसमें ऐसी बात नहीं।

अनआथोराइज़्ड आक्युपेशन क्या है ? इसकी कोई डेफीनिशन नहीं दी गई है और जो डेफीनिशन दी हुई है वह वेग होने के साथ साथ एम्बीगुअस भी है। पीढ़ियों से कच्चे मकानों में लोग रह रहे हैं, लोग इस कानून की पकड़ में आ सकते हैं क्योंकि उनके पास कोई पट्टे नहीं, पट्टों का रिवाज था ही नहीं कच्चे मकानों के लिये, जैसा मैंने अभी निवेदन किया।

दूसरी बात विचारणीय है कि एस्टेट आफीसर कार्य करेगा किस प्रावधान के अनुसार, यह इसमें कहीं नहीं बताया गया है। वह समेरी प्रोसीडिंग्ज़ करेगा। वह मनचाही कार्यवाही करेगा या पर्टीकुलर कार्यवाही काम में लायेगा, यह इसमें कुछ नहीं बताया गया है। यह एक जबरदस्त कमी है। उपाध्यक्ष महोदय, यह एक नादिरशाही कानून बनाया गया है और एस्टेट आफिसर को नादिरशाही पावर्स दिये गये हैं। जैसा व्हिम में आया इसमें दिया अनआथोराइज़्ड आक्युपेन्ट्स। जब प्रोसीजर लेड डाउन नहीं है तो अपील होगी, तो उससे क्या लाभ होगा ? अपीलेन्ट आथोरिटी निर्णय रेकार्ड के आधार पर ही तो दे सकती है कि एस्टेट आफिसर ने जो फैसला दिया है वह न्याययुक्त है या नहीं। १५ दिन का लिमिटेशन रखा है वह भी गैर वाजिब है।

सबस्टेन्टिव ला बड़ा डिफेक्टिव है और प्रोसीजरल ला इग्नोर किया गया है। तीसरा एस्टेट आफीसर एक पार्टी का रिप्रेज़ेन्टेटिव है

(राधाकृष्ण गोयल)

चाहे वह स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे म्युनिसिपेलिटी हो और चाहे वह कार्पोरेशन हो और जो आदमी उस पार्टी में इन्टरेस्टेड है उसको ही जज बना दिया गया, यह हमारे न्याय के सिद्धांतों के विपरीत है। इन्डिपेन्डेन्ट ट्रिब्यूनल बनाना चाहिये। टाउन सर्वे, विलेज सर्वे करवाते और अनऑथोराइज्ड ओक्युपेशन क्या २ हैं उनको प्रकाशित कराते कि फलां फलां अनऑथोराइज़्ड ऑक्युपेशन है। उनको अधिकार दिया जाना चाहिये। अगर नोटिस दे दिया गया, एस्टेट आफिसर ने नादिरशाही हुक्म दे दिया और रिकॉर्ड पूरा न होने से अपीलेट ऑथोरिटी ने अपहेल्ड कर दिया तो उसके पास कोई चारा नहीं है कि वह किसी सक्षम न्यायालय में चाराजोई कर सके। इसी तरह से एस्टेट ऑफीसर के मन में आया कि वह सात पीढ़ियों से ट्रेस्पासर था इसलिये दो रुपया मुरब्बा भी इस पर लगा दे तो हजारों और लाखों रुपये बन जाते हैं। कोर्ट में जाने का अधिकार नहीं है और वह रुपया किराये के तौर पर डेमेजेज़ के रूप में वसूल होगा....

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : सात पीढ़ियों से अनऑथोराइज्ड कैसे हुए ?

श्री राधाकृष्ण गोयल : यह पूछना चाहते हैं। अनऑथोराइज़्ड की डेफीनिशन दी है वह इतनी वेग है, इतनी अस्पष्ट है जिसमें किसी को भी कुछ पूछा जा सकता है। आप जरा इसको गौर से पढ़ लीजिये। आपके इसको पढ़ने में त्रुटि रही होगी। इसमें बताया है :

"'unathorised occupation' in relation to any public premises meaas the occupation by any person of the public premises without authority for such occupation, and includes the continuance in occupation by any person of the public premises after the authority..."

इसके दो क्लॉजेज़ हुए। पहले क्लाज़ में है, विदाउट ऑथोरिटी किसी भी प्रेमीसेज़ पर कब्जा है; अब उनसे पूछा जाय कि तुम्हारे पास क्या अधिकार है, क्या सबूत है, वह कहेगा कि मैं जब से जयपुर बसा है इन कच्ची झोंपड़ियों में उसी दिन से रह रहा हूँ, मगर उसके पास पट्टा नहीं होने से, क्योंकि कच्चे मकानों का कोई पट्टा नहीं दिया जाता था, उसको अनधिकृत कब्जा किए हुए ही कहा जायगा और एस्टेट ऑफीसर के यह जंच जाय कि यह अनधिकृत कब्जा है तो उसको मना करने के लिये इस कानून में कुछ भी रेमेडी नहीं है। इसलिए अनऑथोराइज़्ड ऑक्युपेशन के लिए साफ रूप से डेफीनिशन करनी चाहिए कि रीसेन्टली कब्जा कर लिया है, मर्जर के बाद कब्जा कर लिया है या संविधान लागू होने के बाद से कब्जा कर लिया है, निश्चित तारीख बता दी जाय, उसके बाद से कब्जा कर लिया है तो वह अनऑथोराईज़्ड कब्जा है।

मोतीलालजी चौधरी ने प्रश्न उठाया था कि रियासत के जमाने में हके रिहायशी अमल था या नहीं, यह कहां लिखा है ? जैसे आप यह बात कह रहे हैं वही एस्टेट ऑफीसर के दिमाग में यह बात आ गयी कि जो कच्ची झोंपड़ियों में रह रहे हैं उनको ऑथोराइज़्ड ओक्यूपेन्ट्स समझा जायगा तो बड़ी बेरहमी की बात होगी। इस कानून में

(राधाकृष्ण गोयल)

इस प्रकार का प्रावधान नहीं कि इस पर चैक किया जावे। इसलिए मेरा नम्र निवेदन है कि जो कानून जिस भावना से बनाया गया है वह भावना पूरी नहीं हुई, बल्कि उसके विपरीत असर हुआ है।

(४.०० म. प.)

इसमें हर एक बात अस्पष्ट है। इसके नियम, प्रावधान संकुचित ही नहीं बल्कि दुखदायी भी हैं और ज्यादातर उन पर असर डालेगा जिन गरीबों के पास रहने को मकान नहीं है, खाने को भी मुश्किल है क्योंकि वे कच्चे मकानों में रहते हैं। पक्के मकान वालों के पास तो पट्टे होंगे, सभी कुछ होगा, पर इन करीब कच्चे मकानों में रहने वालों के पास कुछ नहीं मिलेगा। जिस जमाने में उनको बसाया गया वह राजाओं का जमाना था और उन लोगों ने जुबानी हुक्म से इनको बसाने की जगह बसा दी और ये लोग तब से वहीं बसते आ रहे हैं; तो इनके पास लिखित पट्टे आदि मिलना सम्भव ही नहीं है। उन पर इससे लिटिगेशन होगा, और बेरहमी से यह कानून उनके साथ पेश आवेगा। इसलिए इसको आप चाहे तो इन स्पष्टीकरणों के साथ पुनः प्रवर समिति में भेज दें और नहीं तो फिर जनमत जानने के लिए इसे प्रसारित कर दिया जावे।

राजस्थान में इस मतलब का कानून पहले से है भी, उसे निरस्त नहीं किया गया है, इसलिये इसमें शीघ्रता करने की आवश्यकता नहीं है। इसमें जल्दी न बरती जावे।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं वैसे तो घंटी सुन रहा हूं और दूसरी ओर विधेयक को भी देख रहा हूं और तीसरी ओर मंत्रीजी की क्या मंशा है, उसको भी समझ रहा हूं। परन्तु मैं ऐसा सोच रहा हूं कि यह इस प्रकार का कानून है जिसको हम पास करने की बात करते हैं कि अगर हमने इसमें थोड़ी बहुत भी जल्दीबाजी की और घास काटने की तरह से पास करने का दृष्टिकोण अपना लिया तो भविष्य में यह दुखदायी होगा। हुकूमत के लिए भी दुखदायी होगा।

हमारी एक ओर तो योजनाओं के द्वारा यह मंशा है कि लोग मकान बनावें, अपने पैसे से बनावें, सरकार से लें, लोन लें और औद्योगिक बस्तियां भी बनाने की बात करते हैं; पर दूसरी ओर हम ऐसे कानून भी बनाते जा रहे हैं कि जिसमें बने-बनाये मकान उजाड़े जा सकें।

तो मैं सबसे पहले कहना चाहता हूं खास करके मंत्री जी से कि हमें राजस्थान के हमारे ढांचे को पहले ठीक तौर से देखना होगा। राजस्थान में पहले अलग अलग राज्य थे, रियासतें थीं और उनके अपने अपने कानून थे। उनके अनुसार राजाओं की मर्जी के कानून थे, जहां उन्होंने अपनी मरजी से कह दिया; जमीन दे दी, लोग वहीं बस गये। इसके लिए न उनको पट्टा दिया, न कुछ दिया। इस तरह से सदियों से बसते चले आ रहे हैं।

अब इस कानून के द्वारा उन लोगों से भी कहा जावेगा कि या तो प्रमाण दो इस

(श्री राधाकृष्ण गोयल)

बात का कि यहां तुम कैसे बसे, पट्टा बताओ या बेदखल होओ। इसके सिवाय और कोई दूसरा रास्ता उस अधिकारी के पास इस कानून के रहते नहीं हो सकेगा जो इस कानून के मातहत काम करेगा। मुझे मालूम है, जैसे अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा, वैसे बीकानेर में भी मकान लोगों के बने हुए हैं, बस्तियों की बस्तियां बसी हुई हैं। राजाओं ने जहां कहा वहां बसगये, जहां से हटाया हट गये, फिर दूसरी जगह जहां बताया बस गये। कोई पट्टा नहीं, कुछ नहीं। तो आपके कानून से तो वे अनऑथोराइज़्ड हो जावेंगे?

श्री मोतीलाल चौधरी (डीडवाना) : वे अनऑथोराइज्ड नहीं हैं।

श्री मुरलीधर व्यास : कैसे नहीं होंगे, क्योंकि उनके पास पट्टा आदि कोई सुबूत नहीं है। जुबानी कहना आप उनका मानोगे क्या? आपका अधिकारी मानेगा क्या? ऐसी कौन सी क्लॉज़ इसमें है, आप बता दीजिये कि जिसके आधार पर वह अधिकारी उन पुराने समय से बसे लोगों को वहां से नहीं हटा पावेगा।

नादिरशाही तो है नहीं कि अधिकारी जिसको इन्कार कर दे वह फिर रह ही नहीं सके या जिसको कह दिया कि तुम रहो तो वह रह जावेगा। आप बता दीजिये मुझे कि इस कानून में यह प्रावधान है जिससे ये लोग वहां से नहीं हटाये जा सकेंगे? जब नहीं है तो फिर तो कानून अपना काम करेगा। आपका अधिकारी तो कहेगा कि मैं कुछ नहीं जानता, यह कानून है और आपके पास चूंकि प्रमाण नहीं है, पट्टा नहीं है इसलिए मैं तो हटाऊंगा, मैं बेदखल करूंगा, तुम नहीं रह सकते यहां पर। आप बता दें, आपके इस कानून में इसका क्या जवाब है, क्या इलाज है?

हो सकता है, कुछ लोगों ने सरकारी जमीन पर अनधिकृत कब्जा कर लिया हो। मैं यह नहीं कहता, नहीं किया होगा। पर उनको हटाने का प्रावधान रखिये, न कि जो अर्से से रह रहे हैं उनको भी हटा दें। आपको पहले एक मन्त्री महोदय ने, रेवेन्यू मिनिस्टर जो थे घोषणा की थी कि ५६ के पहले कोई मकान है तो उसके मालिक को बेदखल नहीं किया जावेगा। अब हमारे लोकल सेल्फ मिनिस्टर हैं उन्होंने मौखिक घोषणा यह जरूर कर दी कि पांच साल पहले के जो बसे हैं वे नहीं हटाये जावेंगे। पर आप इसे इस कानून में क्यों नहीं ले आते? ये चीजें अगर आप कानून में नहीं लावेंगे तो इसका परिणाम वही होगा जो मैं बता चुका हूं; और भी मेरे से पूर्व वक्ता बता गये हैं। यह कानून गरीब लोगों पर एक जबर्दस्त प्रहार होगा।

इस कानून के अन्तर्गत जिसको आप अफसर मुकर्रर करेंगे वह इतना पॉवरफुल बन जावेगा कि जिसके पास हजारों लोग पहुंचेंगे। वह जिसको अनऑथोराइज़्ड समझेगा उसको हटा देगा, जिसको नहीं समझेगा रहने देगा। यह तो एक तरह का नादिरशाही तरीका होगा; जैसे रूस-चीन में कानून होते हैं, बिल्कुल स्टालिन की तरह से। हमने कह दिया सो कानून। वैसी व्यवस्था आपके इस कानून से स्थापित हो जावेगी। यह राजस्थान का एक अहम सवाल है। अगर आप

(श्री मुरलीधर व्यास)

इसमें संशोधन नहीं करेंगे तो यह एक बहुत बड़ा आन्दोलन का रूप ले लेगी। मैं यह धमकी की बात नहीं कह रहा हूं। आप अपने आप अपनी कब्र खोदें, यह अलग बात है। इस पर हुकूमत को विचार करना चाहिए। मुझे आश्चर्य है कि जब इस तरह का कानून मौजूद है तो फिर इसकी क्या आवश्यकता पड़ी ?

बीकानेर में चार-पांच महीने पहले सिंघवी मजिस्ट्रेट थे। उन्होंने उस कानून के मातहत न जाने कितने मकान, दूकानें तोड़ीं, उन पर पाटे लगाये हुए, छप्पर लगाये हुए थे वे तोड़े जब कि वे म्यूनिसिपैलिटी को माहवारी किराया देते थे तब भी तोड़े-फोड़े गये, बेदखल किये गये। शेड गिरवा दिये गये कइयों के तो, पाटे तुड़वा दिये। इतना ही नहीं कोर्ट में बुलाकर उन पर जुर्माना भी किया गया। तो इससे मालूम पड़ता है कि आपके पास वर्तमान में वैसा कानून है। अगर नहीं है तो फिर ये सब कैसे तुड़वाये गये, बेदखल किये गये, जुर्माने किये गये ?

कानून है और जुर्माने हुए हैं तो फिर मेरी समझ में नहीं आता कि जिस कानून के अन्तर्गत जुर्माने हो रहे हैं तो फिर यह नया कानून क्यों ला रहे हैं ? इसमें भी यही बात है कि म्युनिसिपल बोर्ड के अन्दर और अर्बन इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट के अन्दर जो जमीन है और जिसके ऊपर नाजायज़ कब्जे हैं उसके लिये कानून बना रहे हैं। जब कानून है और ऐसा हो चुका है तो फिर नया कानून लाने की क्या जरूरत है ? या तो वह कानून नहीं है कि जिसके अन्तर्गत सारी कार्यवाहियां हुई हैं और अगर है तो फिर इसकी क्या जरूरत है ? मैं मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि यह बड़ा अहम सवाल है और इसमें गरीब लोग मारे जायेंगे; जिनकी पहुंच नहीं होगी वे बेचारे मारे जायेंगे।

एक ओर तो आप प्लानिंग की बात करें और लोगों के बसाने की बात करें, तो जो लोग बसे हुए हैं आपके इस कानून से तो वे उजड़ेंगे। मैं ज्यादा लम्बी-चौड़ी बहस में नहीं पड़ना चाहता क्योंकि उपाध्यक्ष महोदय का आदेश है, लेकिन मैं इतना जरुर कहना चाहता हूं कि यह कानून जिन परस्थितियों में आप पास कर रहे हैं ये राजस्थान के करोड़ों गरीब किसान, मजदूर और जो शहरों के अन्दर आकर बस गये हैं और जिन्होंने अभी थोड़े ही अर्से में छोटे-मोटे मकान बना लिये हैं और यह बात आपको मालूम भी है कि राजस्थान में बीच में ऐसीपरिस्थिति आ गयी थी कि जमीन देने का अधिकार न तो म्युनिसिपैलिटी को था और न अर्बन इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट्स को था और चूंकि लोगों को बसाना था इसलिए उन्होंने मकान बना लिये। यह राजस्थान के अन्दर स्थिति पैदा हुई थी कि कोई कानून नहीं था और जमीनें बिकना बिलकुल बन्द था और कोई मकान नहीं बना सकता था। ऐसी परिस्थिति में जब लोगों के रहने के लिए मकान नहीं था तो काफी तादाद में उन लोगों ने मकान बनाये थे। तो अब जो आप कानून बना रहे हैं वह ऐसा बनायें कि जो मकान लोगों ने बना लिये हैं उनको उजाड़ा न जाये।

(श्री मुरलीधर व्यास)

दूसरी बात यह है कि मैं अभी हनुमान गढ़ में था। वहां पर जहां रावण मारा जाता है वहां पर अभी चुनावों के दौरान कहा गया कि जो चाहे यहां मकान बना ले। तो वहां पर धड़ाधड़ मकान बनते चले जा रहे हैं। मैंने पूछा कि अभी ये मकान किसके कहने से बन रहे हैं? मैंने इसकी शिकायत कलेक्टर को भी की। मकान बनें, उसमें किसी हरिजन का मकान बने या किसी और का मकान बने, मुझे खुशी है। आपने हुक्म दिये और मकान बने। लेकिन दुख इस बात का है कि चुनावों के मौके पर इस तरह के काम हों तो मैं इसको भ्रष्टाचार समझता हूं और इस तरीके का काम चाहे कोई हुकूमत करती है तो यह उसके लिए शर्म की बात है। यह काम बहुत तादाद में हुआ है और मैं इसको ठीक नहीं समझता। लेकिन जिन लोगों ने मकान बना लिये उनको आप थोड़े समय बाद कहोगे कि उनको हटाओ। एक ओर तो जब उन्होंने मकान बना लिये जिसकी रिपोर्ट मैंने, ढाबरियाजी ने और ५ एम०एल०एज़० ने कलेक्टर को की और कहा कि देखिये ये अनऑथोराइज्ड मकान बने हैं और अब आप इसके ऊपर क्या कार्यवाही करते हैं।

श्री मोतीलाल चौधरी (डीडवाना): आप तो मकान नहीं बने, इसका विरोध करने गये थे।

श्री मुरलीधर व्यास: यह तो कलेक्टर खुद गवाही दे देगा। हमने उनसे यही कहा कि आप बाद में उनको उखाड़ोगे। मैं यह इसलिए कह रहा हूं कि आप इस प्रकार का काम न करें क्योंकि मैंने खुद ने देखा कि मेरे खुद के चुनाव में आपने क्या किया! जैसे २५ तारीख को चुनाव है तो २४ तारीख को रातोंरात मोहल्ले में नल लगवाये और वादा किया कि आप हमको वोट देंगे तो हम अभी नल लगवा देते हैं। एक मोहल्ले में तो पोलिंग चल रही थी तो उन्होंने क.ा कि पानी आयेगा तो हम वोट देने जायेंगे। हालांकि उस दिन छुट्टी का दिन था लेकिन वहां पर उस दिन भी पानी चलवाया। तो यह व्यवस्था तो आपकी हुकूमत में की जाती है। इससे काम होता है तो कोई एतराज नहीं है, लेकिन इतना जरुर कहता हूं कि यह भ्रष्टाचार है।....

श्री मोतीलाल चौधरी: आप पूरी जानकारी कर लें। वे लोग श्योपतसिंह की तरफ से उकसाये गये थे कि बनाओ। हमने नहीं कहा था।

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक): इस विषय को दूर ही रहने दें।

श्री मुरलीधर व्यास: हमने कलेक्टर से कहा तो उसने कोई कार्यवाही नहीं की, यह भी नई बात आप सुन लो।

श्री रामप्रसाद लड्ढा (उप-मंत्री, राजस्व): जितने भी मकान बनाये गये हैं उसके बारे में कार्यवाही की गई है। चुनाव की वजह से था या क्या था, वह सब जानते हैं।

श्री मुरलीधर व्यास: क्या बात करते हैं? हमने तो शिकायत की थी। मैं आपको

(श्री मुरलीधर व्यास)

और बात बता दूं; चूंकि नहर के अन्दर पम्प लगा कर पानी नहरों के अन्दर डाला जा रहा था और आपने कहा कि पानी डालो। वहां कांग्रेस के झण्डे लगाये गये थे कि पानी आ रहा है, आपके कारनामे तो यहां तक हैं। आपने चुनाव में कम से कम २० लाख रुपया खर्च किया। १२० तो गाड़ियां चलाईं; बसें चलती थीं, ट्रक्स चलते थे और हुकूमत को जो कुछ करना था वह उसने किया। मैं तो समझता हूं कि लोकतंत्र के लिए और ऐसी हुकूमत के लिए शर्म की बात है। मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि आज आप कम से कम कानून बनाते समय जहां तक समाजवाद का लक्ष्य है कि लोगों को बसाया जाय उसका ख्याल आप रखें और खास करके दलित लोग जो इस प्रकार से बसे हुए हैं—आपकी कानूनी खामियों की वजह से मारे न जायें इसलिए अर्ज करना चाहता हूं कि इसकी धारायें बड़ी विचित्र हैं और इसको काला कानून भी कह दें तो कोई गलत बात नहीं होगी। आप इसकी पहली धारा को देखें। जो ऑफिसर आप नियुक्त करेंगे कि किसी का अनऑथोराइज़्ड मकान है तो वह वहां पर जायेगा और मकान पर पर्ची लगा देगा; चाहे उस मकान का आदमी मिले या नहीं मिले। और यदि १० दिन के अन्दर उसका जवाब नहीं आये तो उसके खिलाफ कार्यवाही शुरू हो जायेगी। अगर उसने किसी के मकान को तोड़ने की आज्ञा दे दी और उस आदमी को एक साल की सजा हो गई, इसके अलावा आपने इसमें यहां तक और कर दिया कि उसके सम्बन्धित व्यक्तियों को सूचना दी जायेगी। अब मेरी तो समझ में नहीं आता कि आपको कैसे पता चलेगा कि इस मकान का यह सम्बन्धी है। किसको आप नोटिस देंगे? यह प्रारम्भ से ही विचित्र कानून है और आखिर तक सारे कानून में अव्यवस्थायें हैं जिससे बहुत से लोग तकलीफ पायेंगे।

पहले राजस्थान में अलग अलग रियासतें थीं और सब लोग तरह तरह से बसे। इस कानून से बहुत से लोगों को दिक्कतें होंगी, इसलिए मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि यह कोई जिद का सवाल नहीं है, अगर आप जायज़ समझते हैं कि लोगों को वाकई दिक्कत होगी तो दो-चार दिन की कोई बात नहीं है, इसको बाद में ले लें; नहीं तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जिस हालत में यह कानून है यह गरीबों को मारने वाला कानून है. उनकी झोंपड़ियों को उजाड़ने वाला कानून है और एक मात्र अधिकारी इतना भ्रष्टाचारी बन जायेगा कि जिसको चाहेगा उसी व्यक्ति को परेशान कर सकेगा और चूंकि यह उसी के अधिकार में होगा कि चाहे जिसको ऑथोराइज़्ड और नॉन-आथोराइज़्ड आक्युपेन्ट डिक्लेयर कर सकता है, तो उस पर लोगों की घूंस पहुँचेगी और इससे एक ही आदमी इतना मालदार बन जायेगा कि जिसका कोई अन्त नहीं होगा। इसलिए सारे मुद्दे पर ख्याल करके उप-मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे इसकी गंभीरता से लें।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

वर्ना जैसा चल रहा है कि इस कानून को इसी तरीके से पास करना चाहते हैं तो मैं कहता हूं कि हम तो इसका पूरा विरोध

(श्री मुरलीधर व्यास)

करेंगे और इस कानून को कतई ठीक नहीं समझते हैं। इसलिए अर्ज करना चाहता हूं कि इसको दो-चार रोज बाद ले लें और इस पर और गम्भीरता से विचार कर लें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री दुर्गालाल बाढ़दार।

(अनुपस्थित)

श्री अब्दुलजब्बार।

श्री अब्दुलजब्बार (निम्बाहेड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय....

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : उपाध्यक्ष महोदय, इनकी पार्टी के श्री सतीशचन्द्र जी काफी टाइम ले चुके हैं।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : ले चुके हैं तो फिर इसका क्या मतलब ?

श्री रघुनाथ बिश्नोई : एक स्पीकर डेढ़ घन्टा लेते हैं तो राइट औरों का भी होना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : Order Please ! अब तक जितने भी माननीय सदस्य बोले हैं वे काफी सहयोग से बोले हैं और काफी संक्षेप में बोले हैं।

(विराम)

श्री अब्दुलजब्बार।

श्री अब्दुलजब्बार (निम्बाहेड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, आज इस सम्बन्ध में विधान सभा में काफी जोरों से चर्चा हो रही है कि राजस्थान पब्लिक प्रेमिसेज़ एविक्शन (आफ अनऑथोराइज़्ड आक्युपेन्ट्स) बिल-१९६४ का विरोध किया जाय; तो मुझे दो लाइनें याद आती हैं

"माली आवत देखिके कलियन करि पुकार।
फूली फूली चुन लयी काल हमारी बार ॥"

बगीचे में जब माली घुसा तो कलियां और फूल दोनों ही थे। जो फूल खिले हुए थे उनको वह चुनने लगा तो कलियां बोली कि देखो कितनी बेरहमी के साथ खिले हुए फूलों को तोड़कर कुचल रहा है और कल हम भी खिलेंगे तो कल हमारी भी बारी आयेगी। इसी प्रकार से स्वार्थी महोदयों ने हमारे प्रान्त में जो बड़े बड़े प्लॉट्स थे उन पर बंगले बना लिये और जो कलियों के रूप में गरीब इन्सान अपनी झोंपड़ी बनाकर अपने जिस्म को और अपने बच्चों की जिस्मों को कड़ाके की सर्दी, धूप और बारिश से बचाने के लिए रह रहा है, जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स उसने बना रखे हैं उनके ऊपर ऑफिसर माली की तरह से चला आ रहा है और कलियों की तरह से कल ही हमारी बारी है। इसलिए यहां यह बिल आया है।

उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में राजस्थान टाउन म्युनिसिपैलिटीज़ एक्ट बना हुआ है। उसमें पूर्ण रूप से अधिकार है। उसमें ओपन स्पेस को डिक्लेयर कर रखा है। उसमें एन्क्रोचमेंट का प्रोवीज़न है। अगर कोई एन्क्रोचमेंट करता है तो हटाया जा सकता है। किसी प्रकार का कहीं पर अनऑथोराइज्ड कन्स्ट्रक्शन होता

(श्री अब्दुलजब्बार)

है तो उस एक्ट के अन्दर रोका जा सकता है। साथ ही साथ म्युनिसिपैलिटीज़ एक्ट के तहत स्ट्रीट्स, बाजार, मार्केट, जो कुछ भी हों रेग्युलेट किया जा सकता है। उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रकार इस बिल से हमारी सरकार मांगती है कि वे प्रेमिसेज़ जो कि म्युनिसिपल बोर्ड को बिलोंग करते हैं उनके ऊपर स्टेट ऑफिसर का अधिकार होगा, नियन्त्रण करेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, मैंने भी बहुत से कानून पढ़े हैं, लेकिन ऐसा कोई कानून देखने में नहीं आया जो इस तरह से एक कानून को वायोलेट करता है। कोई भी अदालत इस बात को स्वीकार नहीं करती है कि जो म्युनिसिपैलिटीज़ एक्ट बना हुआ है उसमें अन्नेसेसरी इन्टरफियरेन्स हो। इस कानून के तहत जो म्युनिसिपल प्रोपर्टीज़ हैं, जिन प्रोपर्टीज़ को घोषित करने का उसमें प्रोवीज़न है, म्युनिसिपल एक्ट जब प्रोपर्टी को घोषित करवाता है तो उसको अधिकार होता है। उसके डेमजेज़ होते हैं। उसके लिये प्रोवीज़न है और म्युनिसिपल एक्ट में साफ लफ्ज़ों में लिखा है कि उसको नुकसान नहीं कर सकता है और अगर नुकसान करता है तो उसके लिए पनिशमेंट का प्रोवीज़न है। ऐसी सूरत में, उपाध्यक्ष महोदय, यह साफ तौर से जाहिर होती है, खुले रूप से वह गरीब इन्सानों को, जिनकी जमीन दस्तयाब नहीं हो सकती हैं उनके ऊपर कब्जा करने के लिए यह बिल लाया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस सम्बन्ध में आपका ध्यान डेफिनिशन्स की ओर ले जाना चाहता हूं। पब्लिक प्रेमिसेज़ और प्रेमिसेज़ लैण्ड रिज़म्प्शन बिल जो आने वाला है उसमें लैण्ड कुछ और बताया है। इस तरीके से और डेफिनिशन्स की हैं। लैण्ड को ओपन स्पेस बताया है, और इस बिल में 'प्रेमिसेज़' और पब्लिक प्रेमिसेज़ दोनों डेफिनिशन्स साथ साथ में आती हैं। अब सवाल आता है है पब्लिक प्रेमिसेज़ का जो प्रेमिसेज़ के साथ साथ म्युनिसिपल गार्डन्स, पब्लिक स्ट्रीट्स, ओपन स्पेस जो घर के सामने, मकान के सामने है, उसका यह क्या नियत्रंण करेंगे ? अगर होशियार चेयरमैन हुआ तो सरकार को कभी एलाउ नहीं करेगा कि वह दखल दे और कोई भी कानून इस बात की इजाजत नहीं दे सकता कि सरकार म्युनिसिपैलिटी प्रोपर्टी में दखल दे।

एक चीज सामने आती है कि ट्रान्सफर ऑफ प्रोपर्टी जिस प्रकार से होता है, म्युनिसिपैलिटीज़ को रिक्वेस्ट करेंगे कि वे प्रोपर्टी को ट्रान्सफर कर दें, और ट्रान्सफर करने के बाद अपने अधिकार में ले लें। उसके बाद में यह लॉ लाते हैं तो रीज़नेबल तो होता है। म्युनिसिपैलिटी की प्रोपर्टी को नियत्रंण में करने का अधिकार आप कैसे लेते है ? क्या यह मान लें कि जो म्युनिसिपैलिटी इलेक्टेड बॉडी है उस पर सरकार अंकुश लगाना चाहती है ? पहले ही अंकुश काफी लगे हुए हैं और काफी पक्षपात हो रहा है। अगर इस बिल में साफ तौर से यह प्रोवीज़न लाना चाहते हैं कि अगर स्टेट की बिल्डिंग, स्टेट के जो बंगले हैं या स्टेट के और स्ट्रक्चर्स हैं उनके सामने जो ओपन स्पेस है और जो पब्लिक की प्रोपर्टी है उस पर कब्जा कर लिया है तो उसको बेदखल करने का सवाल माना जा सकता है, लेकिन म्युनिसिपैलिटी में इन्टरफियरेन्स किसी भी सूरत में

(श्री अब्दुल जब्बार)

बर्दाश्त नहीं किया जा सकता और हर व्यक्ति जो इलेक्टेड बोडीज़ में विश्वास रखता है जो जनतन्त्र में विश्वास रखता है वह इस काले कानून को किसी भी सूरत में बर्दाश्त करने को तैयार नहीं हो सकता है ?

उपाध्यक्ष महोदय, मैं नम्र शब्दों में यह नक्शा बतलाना चाहता हूं कि जिस वक्त म्युनिसिपैलिटी बनती है तो उसका एरिया घोषित किया जाता है, उसकी प्रोपर्टी घोषित की जाती है, उसका नक्शा होता है। क्या म्युनिसिपैलिटी इतनी ना अहल है, क्या सरकार का वह प्रतिनिधि जिसको कि एक्ज़ीक्यूटिव कहते हैं वह इतना ना अहल है कि जो उसकी उस प्रोपर्टी को सेफ़गार्ड नहीं कर सकते हैं वे उसकी चौकीदारी नहीं कर सकते हैं ? नाजायज़ कब्जे हुए हैं यह सब जानते हैं और खाली भी कराते हैं। गरीब इन्सानों के कब्जे में जो जमीनें हैं उनको बेदखल कराने के बजाय उनको रेग्युलेट करें, उनमें स्ट्रीट्स वगैरह बना दें। केवल यह जयपुर का ही मसला नहीं है। यहां की सारी बस्तियां मेरी देखी हुई हैं और उनकी बहुत बुरी हालत है। हर जगह गरीब इन्सान को जिन्दगी बसर करना दुश्वार हो रहा है। उसके पास खाने को रोटी नहीं है, पहिनने को कपड़ा नहीं है और रहने को मकान नहीं है और भीख मांगने के अलावा कोई चारा नहीं है। हमारी सरकार भीख मांगना बन्द करने के लिए भी कानून ला रही है। इस किस्म के कानून बनायें कि लोग भीख नहीं मांगे तो सरकार से मैं निवेदन करूंगा कि वह उनके खाने की व्यवस्था करे। जिस सरकार में ५५। १०९ में चालान होता है वह सरकार हरगिज़ मुंह दिखाने के काबिल नहीं है, जो सरकार यह गारन्टी नहीं दे सकती है कि हम धन्धा देंगे, जो सरकार व्यक्तियों को बसाने की गारन्टी नहीं दे सकती है वह सरकार किसी भी सूरत में ऐसे कानून को विधान सभा में पास नहीं करा सकती है। हम कैसे इस पर भरोसा करें कि आप उनको भगा नहीं देंगे। राष्ट्र के हर नागरिक का अधिकार है, उसका कांस्टीट्यूशनल राइट है कि सरकार उसको रहने के लिए जमीन दे। कुदरतन जो उसका हक होता है उस नेचुरल जस्टिस के आधार पर उसका यह हक है और अधिकार है। उस हक को कोई भी सरकार नहीं छीन सकती है।

ऐसी सूरत में, उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें कई खामियां हैं। एक नेचर की दो-दो क्लॉजेज़ चल रही हैं। एक तो जो है उसमें साफ कहा जाता है कि एस्टेट ऑफिसर जो है वह इसकी बाउन्ड्री डिक्लेयर करेगा ? कौन सी बाउन्ड्री डिक्लेयर करेगा ? बाउन्ड्री तो म्युनिसिपैलिटी ने डिक्लेअर कर रखी है। इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट को जमीन दे दी तो उसने अपना बोर्ड लगा दिया है कि यह इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की प्रोपर्टी है। ऐसी सूरत में कौन सी प्रोपर्टी है जिसका एस्टेट ऑफिसर लिमिटेशन करेगा, उसकी बाउन्ड्री डिक्लेयर करेगा, उसको वहां तक महदूद करेगा।

"बिगड़ती हैं जब जालिम की नीयत।
नहीं काम आती हैं कोई दलीलो हुज्जत॥"

जब जुल्मी रवैया अख्त्यार किया जाता है तो कोई भी इन्सान कैसी भी दलील रखे वह नहीं मानी जाती है। इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपना यह संशोधन कि राजस्थान सार्वजनिक भू-गृहादि (अप्राधिकृत अधिवासियों की बेदखली) विधेयक, १९६४, जो प्रवर समिति द्वारा पास करके भेजा गया है उसके लिए मेरा यह निवेदन है, आपके द्वारा सरकार

(श्री मुरलीधर व्यास)

को, कि उसमें जल्दबाजी नहीं करें और गरीबों राहत पहुंचाने की मन्शा आपकी है, हजारों आदमियों को घर देने की मन्शा आपकी है तो महरबानी करके इस बिल को पुनः प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय ताकि सही ढंग से इस पर विचार किया जाय और जिस तरह के वायोलेशन दूसरे एक्ट्स के, म्युनिसिपल एक्ट्स के हुए हैं इसमें वे बर्दाश्त नहीं किये जा सकते हैं। सिलेक्ट कमेटी पुनः इस पर पूरी तरह से विचार करके, डेफिनिशन वगैरह की कायदे से स्टडी करके पुनः इसे सदन में लाया जा सके ताकि जो मुफलिस है, जो छोटे लोग बड़ी रकम देकर प्लॉट नहीं खरीद सकते, अपना मकान नहीं बना सकते उनको राहत देनी चाहिए। मुझे इतना ही निवेदन करना है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रघुनाथ बिश्नोई।

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : उपाध्यक्ष महोदय, कई माननीय सदस्यों ने इस बिल के बारे में आपत्तियां उठाई कि इस कानून की आवश्यकता नहीं है, इसको फालतू लाया गया है और सदन का टाइम फालतू खराब किया जा रहा है। मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं कि जो सेन्ट्रल कानून १६५८ का है और ६३ में तारमीम हुआ है उसको यह हूबहू कॉपी है और इस पर पार्लियामेन्ट के दोनों हाउसेज़ में-लोक सभा में और अपर हाउस में-काफी चर्चा की जा चुकी है....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : अपील की मयाद क्या है?

श्री रघुनाथ बिश्नोई : यह दलील देना कि इस पर बिल्कुल विचार नहीं किया गया, यह सही नहीं है पालियामेन्ट के दोनों हाउसेज़ में इतने बड़े बड़े सोचने वाले बैठे हैं, उन्होंने इस पर विचार किया है। इसमें लेटेस्ट अमेन्डमेन्ट्स वहां पर हुए हैं। जिस चीज को लेकर पार्लियामेन्ट जैसी बोडी जो हिन्दुस्तान के कॉस्टीट्यूशन में अमेन्डमेन्ट्स करती है और सारे देश के लिये कानून बनाती है जो सेन्टर में लागू होते हैं और स्टेट्स भी लागू होते हैं और स्टेट्स भी उनको एडॉप्ट करती है उन लोगों ने जिस कानून को बनाया है उसकी हूबहू कॉपी राजस्थान विधान सभा के सामने पेश है, तो उसके बारे में इतनी ज्यादा तकलीफ और परेशानी की आवश्यकता माननीय सदस्यों को नहीं होनी चाहिये।

दूसरा प्रश्न यह आता है कि इसको क्यों लाया गया, इसकी क्यों आवश्यकता पड़ी, इसके बारे में निवेदन है कि सेन्ट्रल एक्ट के खिलाफ कई फैसले हुए, कलकत्ता और पंजाब हाई कोर्ट्स ने होल्ड किया कि कॉस्टीट्यूशन के सेक्शन (१) (एफ) के अन्तर्गत जो राइट्स दिये हैं उनका इन्फ्रिन्जमेन्ट होता है इसलिये सेन्ट्रल एक्ट की धारा ३ को अल्टावायर्स करार दे दिया था और उसकी पैरेलल धारा हमारे यहां के सन् ४६ के (Ordinance) की धारा ११ थी उसमें पैरेलल प्रोविज़न वैसा का वैसा था इसलिये जब हाईकोर्ट के जरिये वह धारा अल्टावायर्स होती है तो हमारे यहां की धारा ११ को भी तब्दील करना आवश्यक था, इसलिये यह संशोधन लाने की आवश्यकता प्रतीत हुई। पंजाब हाईकोर्ट और कलकत्ता हाईकोर्ट ने होल्ड किया कि कॉम्पीटेन्ट ऑथोरिटी को वेग और अनलिमिटेड पॉवर्स हैं, राइट टू पर्ज़ेस प्रोपर्टी का इन्फ्रिन्जमेंट होता है और डिस्क्रीशनरी

(श्री रघुनाथ बिश्नोई)

पॉवर्स को देखते हुए सिटिज़न्स के राइट्स का इन्फ्रिन्जमेन्ट का सवाल है इसलिये यह अल्टावायर्स है; इसलिये अनडिफाइन्ड एस्टेट ऑफिसर के पोवर्स को डिफाइन किया गया है और उसके बाद एस्टेट ऑफिसर किस तरह इन्क्वायरी होल्ड करेगा उसका प्रावधान है, रूल्स ऑफ प्रोसिजर ले डाउन किया है। किस तरह नोटिस दिया जायगा, कैसा उसका फोर्म होगा, रीज़नेबल ऑपोर्चुनिटी को देखकर एविडेन्स ली जा सकती है, कितने साल का पज़ेशन है इस तरह की रीज़नेबल ऑपोर्चुनिटी का प्रावधान है और एविडेन्स ले की जा सकती हैं।

उसके बाद दूसरा प्रावधान अपील का नहीं था, अब डिस्ट्रिक्ट जज को फर्स्ट अपील सुनने के पॉवर्स दिये हैं। आर्बिट्रेरी पॉवर्स यूज़ करने की ऑथोरिटी नहीं है। हेपहेज़ार्ड वे में कोई ऑर्डर पास किया है तो एस्टेट ऑफिसर के ऑर्डर के खिलाफ अपील डिस्ट्रिक्ट जज के सामने की जा सकती है।

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों द्वारा विरोध करने का कारण मालूम नहीं पड़ता। एक तरफ तो वे कहते हैं कि जुडिशियरी को ज्यादा पॉवर्स देनी चाहिये और दूसरी तरफ इसका विरोध करते हैं। यदि एस्टेट ऑफिसर के बाद इमिजियेटली अपील होती है डिस्ट्रिक्ट जज के पास, यदि एस्टेट ऑफिसर ने रोंग ऑर्डर पास किया है तो उसको फर्स्ट अपील करके दुरुस्त कराया जा सकता है। इसके बाद स्टे करने का भी प्रावधान है....

श्री अब्दुलजब्बार (निम्बाहेड़ा) : स्टे करने का प्रावधान नहीं है।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : पैन्डिंग अपील में स्टे लगाया है। आप पढ़ लीजिये; हां डिस्क्रीशनरी जरूर है फेक्ट्स को देखते हुए स्टे करना जरूरी है या नहीं, लेकिन जुडिशियल ऑथोरिटी को यह पॉवर दी जा रही है। जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने पहले दलील दी थी कि जयपुर सिटी का प्लान बिगड़ रहा है, अनऑथोराइज़्ड पज़ेशन हो रहे हैं, सरकार इसको क्यों नहीं रोकती ? पहले इसके लिये लॉ नहीं था, वेल डिफाइन्ड लॉ नहीं था, इसलिये नहीं रोका जा सकता था। अब हैपहेज़ार्ड वे में नहीं किया जा सकता। सारे इंडिया में प्लान में करोड़ों रुपये लगा कर डेवलपमेन्ट किया जा रहा है, उस पर भी रात-दिन एन्क्रोचमेन्ट बढ़ता जा रहा है, उसको रोकने के लिये वेल डिफाइन्ड लॉ की आवश्यकता थी, इसलिये यह लाया गया। इसके लिये इतना मुख्य मंत्रीजी ने जरूर कहा था कि सन् ५७ से पुराने जिनके कब्जे हैं इनके लिये इसमें ऐसा प्रावधान है जिसके अंतर्गत उनको रेमेडी दी जा सकती है।

इसके अलावा मैं मंत्रीजी का ध्यान कुछ और बातों की ओर आकर्षित करूंगा। कलकत्ता और पंजाब हाईकोर्ट ने जो डिफेक्ट बताये थे उनकी दुरूस्ती कर दी है, लेकिन इलाहबाद हाईकोर्ट ने जो होल्ड किया था कि कांस्टीट्युशन की धारा १४ से डिस्क्रीमेटरी लेजिस्लेशन है उसके बारे में सारे बिल को पढ़ने से भी इसमें ऐसा प्रावधान नहीं दिखता जो हाईकोर्ट की रूलिंग को सुप्रीम कोर्ट ने अदर-

Page No.115

(श्री रघुनाथ बिश्नोई)

वाइज़ डिक्लेयर नहीं किया है; तो इलाहाबाद हाईकोर्ट के रूलिंग की पूर्ति करने की ओर मैं मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करूंगा कि कौनसा प्रावधान है जिसके अनुसार यह अल्टावायर्स होने से बच सकता है। इस हालत में जब कि क्लीयर रूलिंग उस हाईकोर्ट का है और उसके ऊपर दूसरा रूलिंग नहीं हुआ है और इलाहाबाद हाई कोर्ट का रूलिंग as it is आज भी स्टेन्ड करता है तो ऐसी हालत में (It should de well-defined-) ऐसा वेल डिफाइन्ड और क्लीयर प्रोविज़न होना चाहिये ताकि आगे खतरा न हो और हाई कोर्ट के जरिये फिर अल्टावायर्स न हो जाय और फिर अमेन्डमेन्ट लाने की जरूरत न पड़े। इसलिये इसमें यह एक एम्बिग्विटी जरूर है।

दूसरा उपाध्यक्ष महोदय, एस्टेट ऑफिसर को एडमिनिस्टेटिव, रेवेन्यू और सिविल पॉवर्स एक ही आदमी को दे दी हैं, इसलिये मैं आपके जरिये ध्यान आकर्षित करूंगा कि तीन तरह के पॉवर्स एग्ज़ीक्यूटिव रेवेन्यू और सिविल देना उचित नहीं है, इसके मिसयूज होने का खतरा है....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैंने ५ मिनट लिये हैं, दो मिनिट और लेना चाहता हूँ।

दूसरा जो स्टे का प्रोविज़न है उसमें डिस्क्रीशनरी पॉवर्स दी हैं। मेरे विचार से इसे मेन्डेटरी बना दिया जाय, डिस्क्रीशनरी देने के बजाय तो विरोधी सदस्यों को और इधर के सदस्यों को भी संतोष हो जाय और उनका शक दूर हो सके कि मिस यूज़ कोई नहीं होगा क्योंकि फर्स्ट अपील होगी, रिविज़न का कोई प्रावधान नहीं है इसलिये फर्स्ट अपील का फैसला न हो तब तक स्टे ऑर्डर हो जाय ताकि लोगों को हेरेसमेन्ट न हो। इन चीजों को देखते हुए कि कितने साल का पज़ेशन है उसके लिये ऑर्डर पास किया जा सकता है, पर्टिकुलर ईयर लगाना जरूरी है ऐसे मेजर्स और होंगे तो शंकाएं दूर हो सकती हैं क्योंकि यदि जायज़ पजेशन किसी कारण से म्युनिसिपल बोर्ड या सिटी कौंसिल ने मंजूर कर लिया है, इन्डाइरेक्ट वे में लीगेलीइज़्ड किया गया है तो ऐसे केसेज़ को हल किया जा सकता है और उनको लीगेलाइज़ किया जा सकता है। इसलिए इन मुद्दों का म्बिग्विटी मद्देनजर रखते हुए मैं निवेदन करूंगा कि ये मुद्दे ऐसे हैं कि थोड़े अर्से के लिए, कितने ही टाइम के लिए इसको नई सिलेक्ट कमेटी को रेफर किया जाय, ताकि इन मुद्दों पर लॉ डिपार्टमेंट की सलाह ली जा सके, एडवोकेट जनरल की सलाह ली जा सके और यह हाई कोर्ट में एजीटेट होकर अल्ट्रा वायर्स नहीं हो। इसके अन्दर क्योंकि कॉन्स्टीट्यूशन के दो आर्टीकल्स का सवाल है, इसलिए इन चीजों पर मैं मंत्री महोदय से अगर ऐसा है तो इसे सिलेक्ट कमेटी में रख दिया जाय ताकि मेरे विचार से यह एक अच्छा कानून बन जाय।

श्री परसराम मदेरणा (उप-मंत्री,विधि) : उपाध्यक्ष महोदय,

श्री उपाध्यक्ष : Shri Dunga Ram Please finish within five minutes, पांच मिनट में समाप्त करें।

इसके पहले पूर्व निश्चित भावना के अनुसार मैं समझता हूं कि आपकी सबकी अनुमति होगी कि जब तक इसकी कार्यवाही न हो जाय, सदन का समय बढ़ाया जाय।

(स्वीकृत)

सदन का समय बढ़ाया गया।

श्री डूंगाराम राजोरिया :(जमवा-रामगढ़) उपाध्यक्ष महोदय, यह राजस्थान सार्वजनिक भू-गृहादि (अप्राधिकृत अधिवासियों की बेदखली) विधेयक, १९६४ पहले सेशन में भी मंत्रीमहोदय ने पेश किया था; उस समय इस पर काफी वाद्-विवाद हुआ था। उस वाद्-विवाद में मंत्री महोदय, बहुत कुछ कहने-सुनने के बाद भी इस बात पर डटे रहे कि इस विधेयक को उसी सेशन में पास करेंगे। लेकिन दो रोज की बहस के बाद भगवान ने मन्त्री महोदय को आखिर में सद्बुद्धि दी और उन्होंने इस विधेयक को प्रवर समिति को भेजने की अनुमति दी। तब मैंने आशा की थी कि यह प्रवर समिति में विधेयक जा रहा है, वहां पर इस पर मन्त्री महोदय और प्रवर समिति के सदस्य उन गरीबों के हित में, जिनके लिए कानून बनाया जा रहा है और रहने की कोई न कोई व्यवस्था करेंगे। लेकिन मुझे बड़ा दुःख है कि जिन मंत्री महोदय ने इस सदन में खड़े होकर यह आश्वासन दिया था कि मैं इन गरीबों के हित में इस बिल में ऐसा संशोधन करूंगा जिससे कि उनकी किसी प्रकार से हानि नहीं होगी और उनके रहने की व्यवस्था भी सुचारू रूप से हो सकेगी। लेकिन मैं मंत्री महोदय से यह निवेदन करूंगा कि कोई भी साधारण व्यक्ति अपनी कही हुई बात से नहीं मुकरेगा। मैं तो यह कहूंगा कि यह अच्छी और प्रतिष्ठा योग्य बात नहीं है कि जो आप आश्वासन दें उस अपने आश्वासन से ही पीछे हट जायं।

इसके अलावा दूसरी बात मैं निवेदन करना चाहूंगा।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं पांच-सात मिनट निवेदन करूंगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : सभी दलों के सदस्य बोल चुके हैं। स्वतन्त्र पार्टी की तरफ से कोई नहीं बोला है।

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : दो बोले हैं।

श्री डूंगाराम राजोरिया : स्वतन्त्रपार्टी की तरफ से अभी तक किसी को समय नहीं मिला है। पांच-सात मिनट का समय मिल जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, जिस वक्त यह बिल प्रवर समिति के सुपुर्द हुआ था उस समय जो प्रवर समिति के सदस्य रखे गये थे, तो जैसा अवस

(श्री डूंगाराम राजोरिया)

किसी विधेयक पर बोलने वाले ही सदस्य प्रवर समिति में लिये जाते हैं उस तरह न लेकर दूसरे सदस्यों को प्रवर समिति में लिया गया था। उस विधेयक पर तो आपत्ति मैंने भी की थी, अगर मुझे प्रवर समिति में लेते तो मैं कुछ सुझाव देता। लेकिन उन लोगों को लिया गया जिनका इससे सम्बन्ध नहीं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री उपाध्यक्ष : आप इस विषय पर बोलें।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : अपनी पार्टी का क्यू रखना चाहते हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : कानूनी विषय पर कुछ प्रकाश डाल दीजिये।

श्री हीराभाई (कुशलगढ़) : जो जानते नहीं उनको लेकर क्या करेंगे ? यह भुगती हुई बात है।

श्री डूंगाराम राजोरिया : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह विधेयक प्रवर समिति में गया और वहां से वापिस आ गया और जैसी कि जनसंघ के नेता ने इस विधेयक पर टिप्पणी की है उसके बावजूद भी इस विधेयक को उसी तरह लाकर पेश कर दिया है।

अन्त में मैं निवेदन करूंगा कि जो आपने शहरों की सुन्दरता के लिए इस विधेयक को सदन में पेश किया है, वह शहरों की सुन्दरता आप इन गरीबों को परेशान करके बढ़ाना चाहते हैं जिनको सरकार न खाने को दे सकती है और न उनको रोजगार दे सकती है, न उनको किसी प्रकार के धन्धों में लगा सकती है; न वे आप अपने दिमाग से ऐसी बात सोच सकते हैं कि इन गरीबों का भी किसी प्रकार पालन होगा, किसी प्रकार इनकी दो चार रुपये की रोजी और इन्कम का हिसाब लगायें। आप इसी तरह न सोच कर गरीबों पर गलत कानून लागू करें, यह गरीबों को इधर से उधर और उधर से उधर फेंकते रहे। यह करने की आपकी और सरकार की नीति रही है। उपाध्यक्ष महोदय मैं निवेदन करूंगा कि यह जो कानून इस तरह लाया गया है इस कानून पर पिछले सेशन में तीन-चार दिन का समय लिया और इस सैशन में भी एक दिन का समय लिया जा रहा है; इसके बजाय अगर उन गरीबों को रोजगार देने के बारे में सोचते और विचार करते तो मेरे ख्याल से उनके लिये नया कोई न कोई आपके दिमाग से हल निकलता, उद्योग धन्धों की बात सोचते तो मेरे ख्याल से उन गरीबों के लिए रहने की व्यवस्था हो जाती और उनके रोजगार की भी व्यवस्था हो जाती।

दूसरी बात मैं निवेदन करूंगा कि जिस तरह से आप उन लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर फेंक रहे हैं, क्योंकि मैं जयपुर का रहने वाला हूं इसलिए मैंने देखा है कि जयपुर में जिन जगहों पर गरीब लोग रहते आये हैं जिनकी बहुत बुरी हालत रही है उनको वहां से फेंक कर आपके जो अधिकारी है, सम्बन्धी हैं, नजदीकी रिश्तेदार हैं उनको वहां पर बसाया गया है, और उन गरीबों को एक को एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से

(श्री डूंगाराम राजोरिया)

तीसरी जगह और तीसरी जगह से चौथी जगह भटकाना कहां तक उचित है, कहां तक यह सरकार की नीति ठीक है ?

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि आप उन गरीबों के लिए, जिनके पास रहने के लिये जगह नहीं है, भले ही खाने-पीने को न दीजिये, जिनकी आर्थिक स्थिति खराब है, जिनके पांच-सात बच्चे हैं, जो किसी तरह रोजगार करके अपना पेट पालते हैं, उनको कम से कम रहने की जगह तो दीजिये।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

एक सैकिंड।

उपाध्यक्ष महोदय मैं निवेदन करूंगा कि इस बिल के अन्दर आप गरीबों के लिए व्यवस्था करेंगे। जिन गरीबों के विरुद्ध मंत्री जी ने इस बिल में प्रावधान किया है उनके ठीक रहने की व्यवस्था नहीं है, जहां पर वे रह सकें।

(समय-समाप्त-सूचक घंटी)

मैं समय कम होने की वजह से, उपाध्यक्ष महोदय, समाप्त करता हूं और आशा करूंगा कि इसे प्रवर समिति को दुबारा सुपुर्द किया जाय ताकि वहां पर फिर विचार करके अच्छी प्रकार दुबारा इस सदन में रखें।

श्री परस राम मदेरणा (उपमंत्री, विधि) उपाध्यक्ष महोदय....

श्री विजय सिंह झाला (नाथद्वारा) : आज पास होगा नहीं।

श्री परसराम मदेरणा : पहले जब प्रवर समिति को सुपुर्द करने के प्रस्ताव पर बोल रहा था ....

श्री विजयसिंह झाला : दस मिनट में क्या जवाब देंगे ? एक दिन और मुकर्रर कर दें।

श्री परसराम मदेरणा : उस समय अपने वक्तव्य में मैंने विस्तार से जाहिर किया था कि यह बिल इसलिए नहीं लाया जा रहा है कि हम गरीब आदमियों को, होमलेस आदमियों को एविक्ट करना चाहते हो; इस बिल का प्राइमरी आबजेक्ट है कि गवर्नमेन्ट प्रेमिसेज हैं, जमीन हैं, मकान हैं और म्युनिसिपल कमेटी की जमीन या ट्रस्ट की जमीन हैं जिन पर हजारों आदमियों ने अनआथोराइज्ड वे में कब्जा कर लिया है, जिसका नतीजा यह है कि हम सिटीज का प्लान्ड डेवलपमेंट करना चाहते हैं वह बहुत सी जगह हेल्ड अप हो गया है। यहां तक स्थिति है कि ट्रस्ट ने अभी जमीनें एक्वायर की हैं और एक्वायर करने के बाद भी बहुत से लोग उन जमीनों पर बैठे हुए हैं। इससे ट्रस्ट के सामने डिफिकल्टी आ रही है कि इन स्क्वेटर्स को एविक्ट करके प्लान्ड वे में कोलोनी को कैसे डेवलप किया जाय। मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा, जैसा कि इस सदन के सभी माननीय सदस्य जानते हैं कि राज्य सरकार द्वारा कोई नई पावर्स नहीं ली जा रही हैं। १९४९ के आर्डि- में इस तरह के पावर्स राज्य सरकार के पास में थीं। यह तो सही है कि राजस्थान हाई कोर्ट

(श्री परसराम मदेरणा)

ने उस ऑर्डिनेन्स के सेक्शन ११ को अल्ट्रा-वायर्स डिक्लेअर नहीं किया है। लेकिन उस ऑर्डिनेन्स का सेक्शन ११ है, वह पब्लिक प्रेमिसेज़ (एविक्शन) एक्ट, १९५०, उसके सेक्शन से एनोलोगस होता है। साथ ही कलकत्ता हाई कोर्ट और पंजाब हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया है। लेकिन ये जो पावर्स हैं ये नये नहीं है; पहले से ही स्टेट गवर्नमेन्ट के पास इस प्रकार के पावर्स हैं और कोम्पीटेन्ट ऑथोरिटी के पास इस प्रकार की भूमि पर उन ऑथोराइज्ड़ ओक्युपेशन को एविक्ट कराने के पॉवर्स थे। उनके पास इतने वास्ट पॉवर्स थे कि वे किसी भी अननोन पर्सन को जमीन दे सकते थे और किसी को आर्बिट्रेरी वे में रिजेक्ट कर सकते थे। इससे कॉन्सटीट्यूशन के आर्टिकल १९ का इन्फ्रिन्जमेन्ट है क्यों कि संविधान में किसी भी व्यक्ति को राइट है कि वह अपनी प्रोपर्टी बेच सकता है और अगर उसके राइट को रेस्ट्रिक्ट करे तो यह फन्डामेन्टल प्रिंसिपल्स ऑफ राइट पर आघात करता है। इसलिये यह डिफिकल्टी पैदा होती है। यह मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यह डिफिकल्टी राज्य सरकार को भी थी। इसके अतिरिक्त इस सम्बन्ध में डिफरेन्ट हाई कोर्ट्स के जजमेंट भी हुए जो अपनी परसुएसिव वेल्यू रखते हैं और उन जजमेंट्स को लेकर राज्य सरकार ने एक कमेटी बिठाई जिसमें गवर्नमेंट एडवोकेट सदस्य थे, जो अब हाई कोर्ट के जज हो चुके हैं, लॉ सेक्रेट्री और लीगल रिमेम्ब्रेन्सर इसके सदस्य थे। इन तीनों सदस्यों की राय थी कि यह मामला राजस्थान हाई कोर्ट में जावे और वहां से इस क्लॉज़ ११ को स्ट्रक डाउन करें, इससे पहले यह ठीक होगा कि इस बिल को पास किया जाए क्योंकि दूसरी हाई कोर्ट्स ने इस सेक्शन की एनेमोलीज़ को अल्टावायर्स माना। इसलिये यह उचित समझा गया कि इस बिल को सदन में लाया जावे और यह बिल लाया गया।

जैसे सांचोर से आने वाले माननीय सदस्य ने बताया कि यह बिल सेन्ट्रल एक्ट की वर्बेटिम कॉपी है, मगर मैं यह कहूँगा कि यह उसकी वर्बेटिम कॉपी तो नहीं है लेकिन डेफिनिशन में चेन्ज किया गया है। यह बिल टेक्नीकल फ्लॉ है और जिस पर विभिन्न हाई कोर्ट्स ने अपना निर्णय लिया उसको मीट आउट करने के लिये यह बिल सदन में लाया गया है और यह कॉन्सटीट्यूशन के नये प्रोवीज़न्स की रिक्वायरमेंट को मीट करता है।

इस बहस के दौरान में खास कर एक मुद्दे पर बहुत स्ट्रेस दिया गया और वह यह कि यह बिल पुराने कब्जे जिन लोगों के हैं या जो लोग कई सालों से उस जमीन पर बसे हुए हैं उन लोगों को इससे बहुत परेशानी होगी क्योंकि इससे वास्ट पॉवर्स एस्टेट ऑफिसरों के पास जा रहे हैं और हैं और उनसे उन लोगों को हैरासमेंट होने वाला है। बहुत से लोगों को इससे तकलीफ होगी। लेकिन मैं इसके लिये माननीय सदस्यों से निवेदन करूगा कि यह सिर्फ प्रोसीजरल लॉ है। सब्स्टेन्शियल लॉ नहीं बना रहे हैं। जहां तक नियम है वहां तक सेल डीड या लैन्ड रेन्ट डीड वेलिड है या नहीं, यह जनरल लॉ से डिसाइड होता है। मगर यहां पर हम जो प्रोवाइड करने जा रहे हैं वह प्रोसीजरल लॉ है और अधिकार पहले सिविल

(श्री परसराम मदेरणा)

कोर्ट को था, उसके लिये हमने इसमें प्रोविज़न रखा है और वह इसलिये रखा है कि गवर्नमेंट की प्रोपर्टी और प्रोमिसेज़ हों और उन पर यदि कोई व्यक्ति अनऑथोराइज़्ड कब्जा कर रखा हो तो उसके लिए स्पीडी एक्शन लिया जा सके, इसके लिए यह रखा गया है। यह पब्लिक इन्ट्रेस्ट में है। यह प्रोसीजरल लॉ है और इससे कोई ट्रान्सफर और टाइटल डिस्टर्ब नहीं होने वाली है। यह तो सिर्फ प्रोसीजरल लॉ है। इसलिए माननीय सदस्य को यह ट्रान्सफर ऑफ प्रोपर्टी एक्ट या लिमिटेशन एक्ट या सेल डीड या लाइसेन्स को या ट्रान्सफर ऑफ लैन्ड में कोई दखल करते हों, ऐसी बात नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, पहले ओल्ड ऑर्डिनेन्स के अन्दर आर्बिट्रेरी पॉवर्स थे उसकी जगह हमने इफेक्टिव जुडिशियल मशीनरी प्रोवाइड की है जिससे समेरी डिस्पोज़ल हो। एविक्शन तो होगा ही, लेकिन इससे नागरिकों के राइट्स हैं उनको सेफ गार्ड करने के लिये उनको पूरे राइट्स दिये है। स्टेट ऑफिसर जिस व्यक्ति को समझेगा कि इसने अनऑथोराइज़्ड ओक्यूपेशन किया है तो सबसे पहले वह उसको नोटिस देगा जिसका इसमें प्रोवीज़न है। इसके बाद शो कॉज़ नोटिस का वह एक्सप्लेनेशन देगा और अगर वह व्यक्ति उसमें किसी प्रकार की कोई एवीडेन्स प्रोड्यूस करना चाहता है तो उसको एवीडेन्स प्रोड्यूस करने का पूरा मौका दिया जावेगा। उसके बाद हियरिंग की उसको ऑपोर्चुनिटी दी जावेगी और उसके बाद जो भी फैसला होगा उस फैसले में उसको वहां से हटाने के रीज़न्स दिये जावेंगे और उसके बाद उसको ३० दिन का मौका दिया जावेगा वहां से हटाने के लिए। उसको ऑर्डर के खिलाफ अपील करने का भी अधिकार है पब्लिकेशन के १५ दिन तक डिस्ट्रिक्ट जज के पास। हमने जो यह प्रावधान किया है वह इसलिये किया है कि जो टैक्निकल फ्लॉ हाई कोर्ट ने बताया उसको कवर अप करके चलते है।

उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर यह भी बात जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य द्वारा कही गई कि जो किरायेदार हैं, ऑथोरिटी एक्सपायर हो जावेगी, इसका मतलब पर्सन से समझ रहे हैं, अलॉटमेंट आफ लैन्ड के रूल्स हैं। कोई भी ऑथोरिटी टर्म्स एण्ड कन्डीशन्स में सब लेट करने की नहीं है, फिर भी उन्होंने जाकर दूसरों को सब लेट कर देते हैं, क्या उसका लीज़ आप डिटमिन कर लेंगे, कोई प्रोपर्टी को तोड़ फोड़ कर देता है और कब्जा कर लेता है तो क्या उसको आप डिटर्मिन करेंगे? इसका मतलब यह कि हम दो प्रकार के स्क्वेटर्स लेना चाहते हैं एक तो प्रेस हों और दूसरे उनको लेना चाहते है जो पहले के थे और उनकी ऑथोरिटी एक्सपायर हो गई और जिन्होंने टीनेन्टस की कन्डीशन्स को तोड़ दिया और दूसरों को सब लेट कर दिया या डेमेज कर दिया; तो ये डिफिकल्टीज़ हैं वे इसमें कवर होंगी।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर): ऑथोरिटी आप रखना चाहते है ५७ से बाद या पहले?

श्री परसराम मदेरणा : यह कहा जाता है कि झुग्गी झोपड़ियों को लेकर गरीब आदमियों को बेदखल कर दिया जावेगा। यह बिल इसलिए लाया जा रहा है कि जो शहरों के अन्दर होमलेस पीपल बसे हैं और कुछ बस्तियों में बसे हैं उनको बेदखल करने के लिए यह बिल लाया जा रहा है; मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए यह निवेदन करूंगा कि होमलेस पीपल को होम देने का या रूरल हाउसिंग स्कीम के लिए यह बिल नहीं हैं। रूरल हाउसिंग स्कीम और उसके बाद में रेन्टल हाउसिंग स्कीम है उसके लिए अलग स्कीमें हैं। लेकिन यह जो बिल लाया जा रहा है वह पब्लिक प्रेमिसेज़ पर अन-ऑथोराइज्ड कब्जा लोग करके बैठे हुए हैं और बहुत से आदमियों ने दूसरों को सब-लेट कर दी है और आगे से आगे सब लेट करते जा रहे है, उसके लिए है। मैं आपको जोधपुर का उदाहरण देना चाहता हूं कि वहां पर जसवन्तसराय है; वहां पर एक व्यक्ति ने दूसरे को सब-लेट किया और दूसरे ने तीसरे को सब-लेट किया और उसका नतीजा यह है कि आज वे उसका रेन्ट भी गवर्नमेंट को नहीं दे रहे हैं।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : वे तो एक या दो ही होंगे।

श्रीसतीशचन्द्र अग्रवाल (जोहरी बाजार, जयपुर) : Have you filed suits against anyone ?

क्या आपने किसी के खिलाफ अभी तक दावा किया है ? मैं समझता हूं कि आपने अभी तक किसी पर दावा नहीं किया होगा।

श्री परसराम मदेरणा : कुछ लोगों के खिलाफ सिविल कोर्ट में जसवन्तसराय के दावे किये गये हैं। मगर उसमें बहुत लम्बा समय लग जाता है। इसलिए हम यह समेरी प्रोसीजर लेना चाहते हैं। यह कई दूसरी स्टेटों में है और यह इसलिए लिया जाता है कि गवर्नमेंट के प्रेमिसेज़ हैं और उनसे उनको हटाया जावे।

मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूं कि जहां तक कच्ची बस्तियों का सवाल है, जैसे कि माननीय स्वायत्त शासन मन्त्रीजी ने और माननीय मुख्य मन्त्रीजी ने आश्वासन दिया था, ५७ से पहले के लोगों को हम हटाने नहीं जा रहे हैं, वह आश्वासन इम्प्ली-मेंट किया जायगा।

जहां तक मानवीय दृष्टिकोण, ह्यूमन कन्डीशन, ह्यूमन फीलिंग का सवाल रहेगा वहां हमेशा गवर्नमेंट वेटेज ह्यूमन कन्सिड-रेशन को देगी। आज तक ह्यूमन कन्सीड-रेशन को वेटेज दिया है और ऐसा ही किया है। पिछले महीनों में गवर्नमेन्ट ने डिसीज़न लिया है कि लो इन्कम वाले लोगों की दो केटेगरीज़ की हैं। पहली कैटेगरी वह है जिसकी १००)रु. से नीचे मन्थली इन्कम हो और दूसरी ओर वे जिनकी मन्थली इन्कम १००)रु० से२५०)रु. तक है। पहली कैटेगरी के लोग हैं उनके लिये यह तय किया है कि गवर्नमेंन्ट की रिकमन्डेशन्स को अर्बन इम्प्रूमेंट ट्रस्ट इन टोटो वर्बेटिम स्वीकार किया है। टेनेमेंट्स को बढ़ाना पड़ेगा, १०० रुपया तक की जिनकी मन्थली इन्कम है वे २५ साल में मन्थली इन्स्टालमेन्ट्स से जमीनों की कीमत का रुपया दे सकेंगे, जो लोग मकान बना कर रहना चाहते हैं उनको २ रुपया पर स्क्वेअर यार्ड में जमीन

(श्री परसराम मदेरणा)

देंगे, हालां, कि लो इन्कम वालों के लिये ३ से लेकर ५ रुपये तक की स्क्वेयर यार्ड के भाव से जमीन देने का प्रावधान है, पर हम इन्हें और भी रिड्यूस करके दे रहे हैं। यह निर्णय लिया गया है कि चाहे कोई स्कीम बने; १००) से २५०) तक की मन्थली आय वालों के लिये ५० प्रतिशत प्लॉट्स रिज़र्व रखेंगे। लो इन्कम ग्रुप और एल०आइ०सी० से लोन मिलते हैं उनके लिये इन फर्स्ट केटेगरी वाले लोगों को फर्स्ट प्रिफरेंस दिया जायगा।

यहां फ्लड्स आये थे, उनसे लोगों को नुकसान हुआ, उनको रिलीफ पहुंचाने के लिये इमिजीयेट एक्शन यह लिया गया कि कहीं ड्रेनेज रुक गया है या और कोई गड़बड़ी है तो उसके लिये एक कमेटी बैठाई गई, सर्वे इन्वेस्टिगेशन के बाद उस कमेटी की रिपोर्ट आने वाली है। जो लोग लो लाइन एरिया में रहने वाले हैं, ५०० प्लाट्स ऐसे लोगों को नारी के नाके पर अलाट किये जायेंगे। वहां मैं देख कर आया हूं कि बुलडोज़र्स चल रहे हैं। पाइप लाइन्स लग रही है; तो जहां तक लोगों को बसाने का सवाल है राजस्थान सरकार ने हमेशा इस प्रकार का एक्शन लिया है कि गरीब लोगों को जमीन देकर बसाया जाय।

बारां से आने वाले माननीय सदस्य कह कह रहे थे कि गांवों के लोग शहरों में आ रहे हैं, शहरों में लोग बढ़ते जा रहे हैं, उनको मकानों की आवश्यकता है, इस तरह से लोगों के लिये मकान की आवश्यकता शहरों में बढ़ती जा रही है।

जयपुर राजस्थान की केपिटल है, यहां पर लैंड की सबसे बड़ी समस्या है। हम यहां की हाइजिनिक कन्डीशन्स अच्छी रखना चाहते हैं। ऐसी सूरत में यहां स्लम्स तो क्रियेट नहीं होने चाहिये। गवर्नमेंट ने फैसला किया है कि ५२ से ५७ तक जो लोग इन बस्तियों में आबाद हैं उनको उन्हीं एरिया में रखेंगे। पर प्लॉट्स ईयर मार्क करने के बाद, रोड्स और डेवलपमेंट के लिये जमीन निकालने के बाद यदि इतनी ही जगह रह जाती है कि वहां कम लोग बस सकते हैं तो बाकी बचे हुए लोगों को दूसरी जगह जमीनें दी जायेंगी।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : On a point of information, Sir, यह जो पॉलिसी सरकार द्वारा अख्तियार की जा रही है उसके लिये तो सारे सदन की तरफ से एप्रेसियेशन है, पर जिन लोगों ने खेती की जमीनों के ऊपर जिन जमीनों की टीनेन्सी के कानून के अनुसार मालिकी सरकार में आ गई है, उन खेती की जमीनों पर बंगले बना लिये हैं, उनको रेगुलराइज़ तो इसके द्वारा नहीं किया जायगा ? वे स्क्वेटर्स हैं, टीनेन्सी एक्ट के माफिक खेती की जमीनों की मालिक सरकार है, उन खेती की जमीनों में जिन लोगों ने बंगले बना लिये हैं वे स्क्वेटर्स हैं, क्योंकि खेती की जितनी जमीन है उसकी मालिक सरकार है इसलिये जिन लोगों ने खेती की जमीनों में बिना उन्हें आबादी लैंड में कन्वर्ट कराये बंगले बना लिये हैं क्या इस कानून के अनुसार उनको स्क्वेटर्स मानेगी ? गरीबों को २) रु. स्क्वेयर यार्ड के हिसाब से सरकार जमीनें दे देगी, इस कानून से गरीबों को फायदा हो सकता है, नुकसान नहीं है तो सरकार यह भी विश्वास दिलाये कि इस सदन

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

को कि जो आपके कानून के माफिक खेती की जमीन रहने की जमीन में परिवर्तित नहीं की गई है with in the radius of ten miles, जिन जमीनों की मालकियत सरकार में वेस्ट करती है, उन जमीनों में जिन लोगों ने बड़े बड़े बंगले बना लिये हैं, उन लोगों को सरकार स्क्वेटर्स डिक्लेयर करने को तैयार है कि नहीं, जो बाजार की कीमत है वही कीमत उन जमीनों की इन बड़े बड़े लोगों से वसूल करने को सरकार तैयार है कि नहीं ? इस कानून से इस सरकार को आमदनी होती है तब तो हम इस कानून को पास करने के लिये तैयार हैं।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : मुख्तसर बात पूछने का मौका दिया जाना चाहिये, ये तो बड़ा लम्बा-चौड़ा भाषण करने को तैयार हो गये।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : आप लम्बा-चौड़ा भाषण मत दीजिये, मुख्तसर एक ही सेंटेन्स में पूछ लीजिये कि राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष, श्री हरिदेव जोशी ने खेती की जमीन में बंगला बनाया है, वह भी कंजरों और सासियों की जमीन में; उनके खिलाफ इस कानून के तहत आप एक्शन लेने को तैयार हैं क्या ?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, मेरी रक्षा की जाय।

श्री उपाध्यक्ष : Order please !

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : तो मैं इन कम्पेरिज़न यह बताना चाहता हूं कि क्या उन बड़े बड़े आदमियों के खिलाफ भी इस कानून को काम में लाया जायगा या जो लोग प्राइवेट आदमी सरकारी मकानों में घुस गये हैं केवल उन्हीं के खिलाफ यह काम में लाया जायगा ? मेरी यह निश्चित मान्यता है कि जिन लोगों ने खेती की जमीनों पर बंगले बना लिये हैं वे स्क्वेटर्स हैं, खेती की जितनी भी जमीन है उसकी मालिक टिनेन्सी कानून के अनुसार सरकार है। मुआवजा दे देने के बाद अब सरकार के सिवा और कोई खेती की जमीन का मालिक नहीं। उन लोगों के खिलाफ इस कानून के तहत कार्यवाही की जायगी या नहीं ?

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : आपका मतलब सुखाड़िया साहब से है क्या ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा (उप-मंत्री, राजस्व): खेती की जमीनों पर जो मकान बनाये जाते हैं नाजायज़ तौर पर इसके लिये क्या कार्यवाही की जाय, इसके लिये लैंड रेवेन्यू एक्ट की सेक्शन ९१ के तहत प्रावधान है, इसका इस कानून से कोई सम्बन्ध नहीं। एग्रीकल्चरल लैंड पर जितने हिस्से पर कानून के अनुसार जितना कन्स्ट्रक्शन कराने का अधिकार है उससे अधिक कोई बनाये तो सेक्शन ९१ लैंड रेवेन्यू एक्ट के तहत कार्यवाही की जा सकती है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मैं कानून इतना नहीं जानता, पर लैंड रेवेन्यू एक्ट का सेक्शन ९१ आज भी मौजूद है, कल भी मौजूद था, इससे पहले भी मौजूद था, क्या आप उसके तहत इन्क्वायरी करवाते हैं ? क्या आपने उस सेक्शन के तहत एक भी ऐसे आदमी के खिलाफ एक्शन लिया है ? क्यों

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

नहीं यह सेक्शन ६१ इन लोगों के खिलाफ काम में लाये ? क्या आप इस सेक्शन ६१ को अपनी जेब में रख कर सो गये थे ?

आप कहते हैं कि इस कानून की पर्व्यू में नहीं आता, जो गरीब किराया देकर रहते हैं उनको मकान नहीं मिलते, वे स्क्वेटर्स हैं और वे इस कानून की पर्व्यू में आते हैं और जो लोग खेती की जमीनों पर नाजायज तौर पर बंगले बनाये हुए बैठे हैं, उनके लिये यह कानून नहीं, सेक्शन ६१ लैंड रेवेन्यू एक्ट का है, मैं कहता हूं वे स्क्वेटर्स हैं और इस कानून में आते हैं। आपका सेक्शन ६१ सो गया। सेक्शन ६१ को नहीं सोने देना चाहिये और इस कानून को भी नहीं सोने देना चाहिये। अमीर और गरीब सबके साथ बराबर बर्ताव होना चाहिये।

श्री परसराम मदेरणा : जहां एग्रीकल्चरल लैंड पर जनरल ट्रेस्पासर्स ने नाजायज़ कब्जा कर लिया है तो ऐसे ट्रेस्पासर्स को इजेक्ट करने का प्रावधान लैंड रेवेन्यू एक्ट के दफा ६१ में है और जब इस प्रकार का प्रावधान है तो जिस एग्रीकल्चरल लैंड का हवाला आप दे रहे हैं, मेरे पास वे फेक्ट्स नहीं हैं कि एग्रीकल्चरल जमीनों पर उन लोगों का किस हद तक कब्जा हुआ है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : वह तो वेस्ट (Vest) हो गई गवर्नमेंट में, गवर्नमेंट की प्रोपर्टी हो गई। खाली कब्जे का हक है। किसान इस एक्ट के अनुसार अन-ऑथोराइज़्ड ऑक्यूपेशन जो आपने कहा है...........

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : जो प्रेमिसेज़ की डेफीनिशन दी है :

" Premises' means any land... Land Abadi or Agriculture........."

श्री परसराम मदेरणा : एग्रीकल्चरल जमीन के लिए टिनेन्सी एक्ट, दफा ६१, में प्रावधान है।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : इससे कवर नहीं होगा ?

श्री परसराम मदेरणा : वह इससे भी कवर होता है और दफा ६१ से भी कवर होता है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : इससे भी ?

श्री परसराम मदेरणा : हां, इससे भी कवर होता है। वह स्पेसीफिक लॉ है और यह जनरल लॉ है। वह सिर्फ जमीनों के लिए है और यह बिल्डिंग्ज़, इलेक्ट्रिक चार्जेज़, डेमेजेज़ वगैरह के, पब्लिक प्रेमिसेज़ और सभी प्रकार के प्रेमिसेज़ इसमें आती हैं, वे इसकी पर्व्यू में आती हैं। जिन लोगों ने गवर्नमेंट की एग्रीकल्चरल लैंड पर, जो उसने किसी को अलॉट नहीं की है या उसको आबादी के लिए कन्वर्ट नहीं किया और उसके अभाव में जिन लोगों ने मकान बनाए हैं और गवर्नमेंट के रूल्स की खिलाफत की है तो जहां तक इस बिल का सवाल है, यह जी.ए. डी. से ऑपरेट होगा और इसमें किसी प्रकार की नरमी नहीं बरती जायगी। जो लोग ट्रेस्पासर्स या स्क्वेटर्स बन गए हैं, गवर्नमेंट की जमीन पर बैठे हैं, उन के साथ में कोई रियायत नहीं बरती जायगी।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : जो गवर्नमेंट ने इस प्रकार का सक्यूलर निकाला है कि एग्रीकल्चरल लैंड के अन्दर १/५० वें हिस्से में कोई भी आदमी मकान बना सकता है वह किस तरह से है ?

श्री परसराम मदेरणा : वह गवर्नमेंट लैंड है। जिस किसी को अलाट हो जाती है, टिनेन्सी राइट्स एप्रूव हो जाते हैं, उसके बाद में वह मकान बनाना चाहे तो उसमें लागू होता है, लेकिन यहां बात दूसरी है। गवर्नमेंट की फैलो लैंड है, उसमें उन्होंने मकान बना लिया है तो वह ट्रेसपासर है। ऐसे ट्रेसपासर्स को इजेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट किसी प्रकार से नरमी का नहीं, बल्कि सख्त रुख अपनाएगी।

जहां पर कहीं भी कच्ची बस्तियों में रहने वाले लोगों को प्लॉट्स देने का, लोन देने का या उनको रिहेबिलिटेट करने का सवाल आता है तो सरकार लीनियेंट और जेनेरस मैनर के अन्दर उनको प्लॉट्स दे रही है और बसाने की कोशिश की है। मैं आज भी आश्वासन दे सकता हूं कि भविष्य में भी ऐसे लोगों को प्लॉट्स अलॉट करने के लिए, ऑल्टरनेटिव साइट्स देने के लिए, जो लोग लम्बे अर्से से जयपुर या दूसरे शहरों में रह रहे हैं, क्योंकि यह कानून सिर्फ जयपुर के लिए नहीं बल्कि सारे राजस्थान के लिए लागू होगा, उनके साथ उदारता बरती जायगी। कुछ माननीय सदस्यों का, खास तौर से जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा, कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के मन्त्रीजी ने आश्वासन दिये थे, उन आश्वासनों को इन्कोर्पोरेट क्यों नहीं किया गया। वह इसलिए नहीं किया कि जो लॉ बनाते हैं वह आगे जाकर मैटर ऑफ इन्टरप्रेटेशन रहता है कोर्ट्स के लिए। इसलिए हम जहां लॉ बना रहे हैं वहां आश्वासन को इन्कोर्पोरेट नहीं कर सकते। इस प्रकार का आश्वासन पार्लियामेंट के एक लॉ पर १९५१ के अन्दर गाडगिल साहब ने दिया था कि पर्टीक्यूलर डेट से पहले जो लोग सरकार की जमीनों पर बैठे हैं वहां से उनको एविक्ट नहीं करेंगे और करेंगे तो ऑल्टरनेटिव साइट्स देंगे। जब १९५८ में इसी प्रकार का एक बिल पार्लियामेंट में और कौंसिल ऑफ स्टेट्स में डिस्कस हो रहा था तो इस आश्वासन की पाइन्ट को लेकर उसमें उस आश्वासन के इन्कोर्पोरेट करने की बात आई। अन्त में यह निर्णय लिया गया कि आश्वासनों को इन्कोर्पोरेट करना गुड लॉ नहीं होता। लेकिन हम गवर्नमेंट आश्वासनों पर अमल करते जा रहे हैं। जैसे मैंने निवेदन किया, जब बिल आया तो सदन में जिस समय डिबेट हुआ उसके बाद फ्लड्स आई, फ्लड सफरर्स के लिए ५०० प्लाट्स अलाट करने का सरकार ने इमीजियेट निर्णय लिया तो मेरे कहने का मतलब है कि आश्वासन जो हैं उनको लैटर और स्प्रिट में इम्प्लीमेंट किया जायगा।

अब सवाल रहता है, आप इन्टेन्शन को डाउट करते हैं। इन्टेन्शन के बारे में मैं कह रहा था कि आपको आशंका नहीं होनी चाहिए। पहले भी प्लाट्स देते रहे हैं और दूसरी भी जो स्कीम्स बनी हैं उनके अन्तर्गत जो प्लॉट्स दिए गए हैं उनमें वहां के रहने वालों को प्रिफरेंस दिया है। कई जगह तो वहां ही उन लोगों को बसाया है, जमीन नहीं है तो दूसरी बात है।

(श्री परसराम मदेरणा)

अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि जब राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट में ९१ में इसका प्रावधान है फिर दूसरा बिल क्यों आ रहा है? वह प्रावधान है जैसा मैंने निवेदन किया वह एग्रीकल्चरल और नजूल लैंड्स के लिए और दूसरे प्रकार के पब्लिक प्रेमिसेज, जिसमें बिल्डिंग्ज़ भी इन्कलूड हो सकती हैं, उसके साथ में दूसरे एरीयर्स ऑफ रेंट और राइट के वसूल नहीं कर सकते। यह प्रेक्टीकल डिफीकल्टी राज्य सरकार के सामने है। उसको रिमूव करने के लिए यह सब मशीनरी सेटअप कर रहे हैं ताकि जो अनऑथोराइज्ड लोग हैं वहां से उनको एविक्ट किया जा सके।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : एग्रीकल्चरल लैंड पर कन्करेंटली दो प्रोवीजन्स लागू होंगे? you can take action under this Act or uhner the Land Revenue Act.

श्री परसराम मदेरणा : एग्रीकल्चरल लैंड के लिए जो ट्रेस्पासर्स हैं सरकार की पड़त जमीन पर तो उसमें समेरिली उनको सेक्शन ९१ के अंदर बेदखल किया जाता है। एग्रीकल्चरल लैंड को एक्सक्लूड नहीं करते हैं, लेकिन एग्रीकल्चरल लैंड के लिए एक जनरल कानून बना हुआ है और उस कानून के अन्तर्गत वे इजेक्ट होंगे। लेकिन ये दूसरे प्रकार के प्रेमिसेज़ हैं। नगरपालिकाओं या ट्रस्ट्स के हैं, गार्डन और बिल्डिंग्ज़ के एप्टेंनेन्ट जो लैंड है, उस पर स्क्वेटर्स बैठ गए हैं और फर्दर डेवलपमेंट होल्ड अप हो गया है उनको हटाने के लिए यह बिल ला रहे हैं। मैंने जनरल डिबेट के समय जो कानूनी मुद्दे उठाए गए थे उस समय उत्तर दिया था।

अब एक बात अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने कही। आपने कहा कि लिमिटेशन ऑफ टाइम फिक्स कर दिया जाय। मैं निवेदन करूं कि लिमिटेशन, इंडियन लिमिटेशन एक्ट में डिफाइन्ड है और वह पूरे हिन्दुस्तान में लागू है। लिमिटेशन एक्ट के अन्दर रद्दोबदल करना, मैं समझता हूं, हमारे अधिकार में नहीं है। उसमें साफ प्रोवीज़न है। जहां तक प्राइवेट कोऑपरेटिव्ज़ का प्रश्न है यदि वह १२ साल से पज़ेशन में है तो एडवर्स पज़ेशन हो जाता है। जहां तक गवर्नमेंट प्रोपर्टी का सवाल है उसमें पहले तो इंडियन लिमिटेशन एक्ट के सेक्शन ४९ के अन्तर्गत ७ साल के बाद एडवर्स पज़ेशन हो जाता था लेकिन वह अमेंड किया गया है जिसके अनुसार ३० साल के बाद एडवर्स पज़ेशन हो जाता है, लेकिन ऐसा मामला राजस्थान में आने वाला नहीं है। जहां तक सरकार की जमीनों या ट्रस्ट की जमीनों पर जो गरीब लोग बसे हुए हैं, उनका संबंध है, उस बारे में मैंने निवेदन किया कि सरकार ने डिसीज़न लिया है, यह डिसीज़न मंत्रीजी के आश्वासन की लाइट में लिया गया है।

मैं पहले भी निवेदन कर चुका हूं कि गवर्नमेन्ट हमेशा से लीनियेन्ट रही है और ह्यूमन मैनर में और ह्यूमन कन्सीडरेशन को वेटेज देकर जहां तक होगा कोशिश की जायगी। केटेगरी बना दी है। १९५२ से पहले के लोगों को इग्नोर किया है और ५२

(श्री परसराम मदेरणा)

से ५७ के बीच लोगों को ऑल्टरनेटिव साइट और ५७ के बाद के लोगों को इजेक्ट करेंगे। गवर्नमेन्ट ने यह फैसला किया है और पुराने लोगों को किसी प्रकार से इजेक्ट नहीं करेंगे। कहा यह गया कि जो ७५ साल से, ५० साल से रह रहे हैं उनको नोटिस दिये जायेंगे, टाइम इम्मेमोरियल से बैठे हैं, जिनके पास टाइटल डीड नहीं है उनको यदि नोटिस भी दिया जाय तो एविडेन्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। टाइटल डीड उसके पास हो ही यह जरूरी नहीं है। एविडेन्स के लिए प्रोवीज़न रखा है, नेचुरल जस्टिस होगा आर्बिट्रेरी नहीं। पहले जो कॉम्पिटेन्ट ऑथोरिटी थी उसकी क्वालिफिकेशन निर्धारित नहीं थी। हमने यह क्वालिफाई किया है कि गजेटेड ऑफिसर होना चाहिये और उसके लिए रिजिड रूल्स बना दिये हैं, उसमें से उसको पास होना पड़ेगा। अपील में क्या प्रोसीजर होगा, यह उसमें नहीं है; रूल्स में प्रोवाइड किया जावेगा। किन ग्राउन्डस पर अपील होगी यह प्रेस्क्राइब करेंगे। रूल्स मेकिंग पॉवर्स गवर्नमेन्ट ने अपने पास लिये हैं। रूटीन नेचर के होते हैं। सब प्रकार के नियम रखेंगे जिससे फौरन अपील की जा सकती है; हाइकोर्ट के इन्टरप्रिटेशन की गुंजाइश रखी है। कोई पार्टी एप्रोच कर सकती है और हाईकोर्ट किसी समय इन्टरफियर कर सकती है। मैं समझता हूं, माननीय सदस्यों को शंकाएं नहीं रहनी चाहिये। जहां तक शिड्यूल्ड कॉस्ट और कच्ची बस्तियों में रहने वालों का सवाल है सरकार ने ऐसे लोगों की हमेशा मदद की है, सरकार ने उनको रिहेबिलिटेट करने के लिए, उनके रिजर्वेशन के लिए, उनके बच्चों को छात्रवृत्ति आदि के लिए हर प्रकार से मदद दी है और सरकार की हमेशा यही कोशिश रही है कि समाज का गरीब तबका समाज के दूसरे तबके के मुकाबले में आवे, उसके लिए इस प्रकार की सहूलियतें पैदा की जाय, उनको इस प्रकार से मदद की जाय, उनको हर प्रकार से सरकार ने प्रिफरेन्स दिया है और जब मैं इस पर स्ट्रेस देता हूं तो मैं नहीं समझता कि माननीय सदस्यों के दिमाग में इस प्रकार की शंकाएं होनी चाहिये कि हम इस प्रकार का कानून गरीबों को इजेक्ट करने के लिए ला रहे हैं। जिनको भी इजेक्ट किया जावेगा उनको पब्लिक इन्ट्रेस्ट में किया जावेगा, न कि किसी इन्डीविजुअल इन्ट्रेस्ट में। सिटीज़ का प्लान्ड डेवलपमेन्ट न रुके; साथ ही जो कच्ची बस्तियां हैं उनमें लाइट, रोड्स का इन्तजाम हो, उनमें हाइजिनिक कन्डीशन्स हों ताकि वे भी अच्छे नागरिक की तरह से अपना जीवन व्यतीत कर सकें।

इन शब्दों के साथ, माननीय उपाध्यक्षजी, जो मोशन जनमत जानने हेतु एवं प्रवर समिति को सुपुर्द करने के लिए माननीय सदस्यों ने प्रस्तुत किये हैं उनको स्वीकार करने में असमर्थ हूं।

श्री **रघुनाथ विश्नोई** (सांचोर): इलाहबाद हाईकोर्ट के बारे में जानकारी नहीं दी। कौनसा सेफगार्ड रखा है जिससे अल्टावायर्स न हो?

श्री **गिरधारीलाल व्यास** (आसीन्द): १५ दिन की अपील की मयाद का टाइम रखा है, बहुत कम है।

श्री परसराम मदेरणा : उपाध्यक्ष महोदय, सांचोर से आने वाले माननीय सदस्य ने कानूनी मुद्दा उठाया था और यह उठाया था कि कलकत्ता और पंजाब हाइकोर्ट ने डिसीज़न्स दिये हैं। पब्लिक प्रेमिसेज़ एक्ट, १९५८ है उसके सेक्शन ३ और यहां तक कि पूरे एक्ट को ही अल्ट्रा-वायर्स करार दे दिया। कॉम्पीटेन्ट ऑथोरिटी के पास इस प्रकार के आर्बिट्रेरी पॉवर्स फन्डा-मेन्टल अधिकारों को रेस्ट्रिक्ट करता है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौंहरी बाजार, जयपुर): इलाहबाद जज के फैसल को डिसएप्रूव किया है, सेक्शन १४ एप्लाई नहीं होता है। ९१ ए से हटे हों, उनको इलाहबाद समझ जाइये और आप पंजाब बन जाइये।

श्री परसराम मदेरणा : आपको जान-कारी है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मेरे पास सब है।

श्री परसराम मदेरणा : जिस क्लास ऑफ लेजिस्लेशन और क्लासिफिकेशन का सांचोर से आने वाले माननीय सदस्य ने जिक्र किया, सुप्रीम कोर्ट ने १९५८ में जजमेन्ट दिया था। क्लॉस लेजिस्लेशन में या दूसरे में रेशनल ऑब्जेक्ट किसी स्टेच्यूट लाने का तो है, इस तरह का लेजिस्लेशन लाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पढ़ कर सुना सकता हूँ। मैं समझता हूँ कि उसकी आवश्यकता नहीं है। दूसरी कोर्ट्स ने इसको अल्ट्रावायर्स नहीं माना है और हमारी आर्डिनेन्स की धारा ११ को भी। आर्टिकल १४ का जहां तक सवाल है सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना है। सेन्ट्रल एक्ट भी वर्षों से लागू है और वह मुल्क में किसी जगह चैलेन्ज नहीं हुआ है और ऐसी स्थिति होती तो हो सकता था। सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्लीयर है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : ४९ का राज-स्थान मे ऑर्डिनेन्स चला और ५२ में एक्ट बना। यही की यही बिल था और जिसका सेक्शन ११ अमेन्ड कर रहे हैं। राजस्थान हाईकोर्ट ने फैसला दिया है।

श्री परसराम मदेरणा : मैंने पहले ही निवेदन कर दिया था। आप उस वक्त बाहर पधार गये थे और आ भी गये थे जब जिक्र किया था। राजस्थान हाईकोर्ट का फैसला नहीं हुआ था।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इस एक्ट के बारे में है।

श्री परसराम मदेरणा : मेरी जानकारी में नहीं है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं बता देता हूं।

यह है A. I. R. 1952 Rajasthan 137.

(Jodhpur Bench)

WANCHOO C. J. AND BAPNA J.

Jeewan Ram, applicant V. United State of Rajasthan and another, Opposite Party.

(श्री सतीसचन्द्र अग्रवाल)

Rajasthan Premises (Requistion and Eviction) Ordinance XI (11 of 1949).

यह है :

"Rajasthan Premises (Requisition and Eviction) Ordinance XI (11 of 1949) S. i—Validity of Ordinance-Provisions of Art. 31 (2) of Constitution have been fully complied with by Ordinance-

यही वह ऑर्डिनेन्स हैं जिसको अवोइड कर रहे हैं ।

"Ordinance is not void-"

फिर आगे लिखा है :

"We are further of opinion that there is no force in the second contention that the Ordinance is an unreasonable restriction on the right given to the applicant under Art. 19 (1) (f) of the Constitution. That Article guarantees the fundamental right of acquiring, holding and disposing of property. The restrictions which can be imposed on that right are mentioned in Art. 19 (5). Restrictions can be placed on this right, provided they are reasonable restrictions in the interests of the general public or for the protection of the interests of any Scheduled Tribe. Item 36 of List II (State List) of the Seventh Schedle specifically provides for requisitioning of property by a State for all purposes except for the purposes of the Union. Item 42 of List III (Concurrent List) also provides for legislation with respect to principles on which compensation for property requisitioned for the purposes of the Union or of a State or for any other public purpose is to be determined, and the from and the manner in which such compensation is to be given. It is, therefore, within the competence of the State Legislature to pass a law relating to requisitioning of property. The preamble to Ordinance No. XI (11) shows that the Ordinance has been passed by reason of the shortage of accommodation in Rajasthan, and power has been given to requisition any premises for any public purpose. It can not, in our opinion, be said that such requisition is an unreasonable restriction on the right to acquire, hold or dispose of property.

It has been urged that the Ordinance is a permanent Ordinance, and therefore, the State can requisition any premises for ever. The fact, however that the Ordinance is a permanent law does not mean that the requisition would always be made permanent, as the preamble itself shows that the law has been passed because of the shortage of accommodation in Rajasthan and as and when the shortage disappears, the law will, in all probability, be repealed. Further S. 9 of the Ordinance provides for release of property when it is no

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

longer required. It follows, therefore, that requisition is only for such period as there is necessity for accommodation, and it cannot be said that it is acquisition of property by the State in the guise of requisition. We are, therefore satisfied that Ordinance No. XI (11) of 1949 is valid, because it only places reasonable restrictions on the right to acquire, hold or dispose of property in the interests of the general public."

और आखिर में लिखित में माना है। रेजिस्ट्रक्शन नहीं माना और आखिर में कहा कि यह जो आर्डिनेन्स है :

"This is not hit by Article 31 of the Constitution of India."

यह आपके राजस्थान के हाईकोर्ट का डिसीज़न है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा (उप मंत्री, राजस्व) : Which is this judgment ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : Rajsthan High Court 1952 Page 137

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : There is a judgment of Calcutta and......

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : Not abinding, under the constitution.

हमारे हाईकोर्ट के डिसीजन से ही हम बाईडिन्ग हैं, अन्य किसी कोर्ट से नहीं; चाहे उन दूसरे हाई कोर्टों ने हमारे पक्ष में ही निर्णय दिये हों या हमारे कोर्ट ने हमारे विपरीत ही दिया हो। सुप्रीम कोर्ट का भी निर्णय बाईडिन्ग है। तो जब १६५२ में हाईकोर्ट ने हमारे यह निर्णय दे दिया तो हमारे लॉ विभागी ने फिर क्या एग्ज़ामिन किया। आपने जो कमेट बनाई उसने इस ऑथोरीटी को नहीं देखा ? और इन सबको ओवरलुक करके आप लेजिस्लेशन सदन में ले आये।

श्री परसराम मदरेणा : उपाध्यक्ष महोदय, यह इन्टर प्रिटेशन का सवाल है। इस इन्टरप्रिटेशन में एक हाईकोर्ट दूसरे से कॉन्ट्रेरी व्यू रखते रहे हैं। पिछले सत्र में यहां पर पैसेन्जर्स गुड्स टैक्सेशन एक्ट के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने एक ही मुद्दे पर दो सालों में दो निर्णय दिये हैं।

अब हमारे हाईकोर्ट के निर्णय की बात कहीं गई। वह १६५२ की बात है। उसके बाद में हिन्दुस्तान के डिफरेन्ट हाई कोर्टों ने अल्ट्रा वायर्स डिक्लेअर किया है। तो इन्टर प्रिटेशन के मामलों रिजिड व्यू ऐसा नहीं ले सकते। आर्ग्यमेंट के लिये ले सकते हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : This is under the Constitution. No judgtmen of any High Court can be a binding in view of our own Highcourt's judgment.

श्री परसराम मदेरणा : बिगिनिंग में निवेदन किया कि हमने कमेटी बैठाई ही इसीलिये थी। निश्चित तौर से उसने यह फैसला देखा है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कमेटी के सामने यह फैसला होता तो लॉ डिपार्टमेन्ट जरूर इसका जिक्र करता। इस पर मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि कमेटी को इसकी कोई जानकारी नहीं थी।

श्री परसराम मदेरणा : कमेटी ने सब फैसला देखा है और वह इस व्यू की थी कि इसको अगर लागू करते हैं तो निश्चित तौर पर फन्डामेन्टल राइट का इन्फ्रिन्जमेन्ट होगा। इसलिये यह अमेन्डमेन्ट लाया जावे। दूसरी स्टेटों ने भी नया बिल इसके लिये लेजिस्लेशन से पास करवाया है? इसलिये राजस्थान में भी गवर्नमेन्ट को पॉवर्स लेने चाहिये; नहीं तो ओल्ड एक्ट के तहत कार्यवाही की गई तो वह चैलेन्ज होगी। इस कमेटी ने चार-पांच पेज की इसी तरह की रिपोर्ट दी गवर्नमेंट को।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : इसका मतलब यह हुआ कि हाईकोर्ट की ओपीनियन को हमने कम वेल्यू दी और अपने लीगल डिपार्टमेंट को अधिक दी।

Will this be a good precedent for the Government ?

श्री परसराम मदेरणा : दूसरा फैसला नहीं हुआ था उस वक्त।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल :

Just for a second. Under the const tution and under so many judgments of High Court, it has been held.

एक हाई कोर्ट इस स्टेट का है, हम उसके निर्णय से बंधे है और दूसरे सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से कॉन्स्टीट्यूशन में बाइन्डिग हैं। बाकी की स्टेटों के हाई कोर्टों के निर्णयों से हम बंधे हुए नहीं है। हमारा हाई कोर्ट का निर्णय हमारे लिये मान्य है, बाकी इलाहाबाद, पंजाब, कलकता आदि कुछ भी कहें। जब हमारे हाई कोर्ट का निर्णय है कि यह कानून फण्डामेन्टल राइट्स को हिट नहीं करेगा तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए।

दूसरा यह High Curt judgment is not bindingupon us.

अभी था इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक निर्णय उसके लिये पंजाब ने यह कहा कि that is a not binding upon us. We disapp rove of it. This is not at all binding

The decision of the Rajasthan Government or of our High Court is abinding.

हमारा हाई कोर्ट का यह डिसीज़न है कि यह फण्डामेंटल राइट को कान्ट्रावीन नहीं करता। तो आपकी कमेटी ने इसे इस लाइट में देखा? मैं निश्चित रूप से कहता हूँ कि नहीं देखा। देखा होता तो स्टेटमेंट ऑफ

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

ऑब्जेक्ट्स और रीज़न्स में उसका उल्लेख अवश्य किया गया होता। चूंकि यह उल्लेख नहीं किया इसलिए मैं दावे से कह सकता हूं कि उसे लॉ विभाग ने यह बात नहीं बताई और नहीं बताई तो यह सारी बात सदन को एडवान्स में बतानी चाहिए थी आपको ।

श्री परसराम मदेरणा : जो रिपोर्ट पेश की है निश्चित तौर से उसमें लिखा है कि जहां तक फण्डामेन्टल राइट्स के रेस्ट्रिक्शन का सवाल है डेवलपिंग युग में उसके डिफरेन्ट इन्टरप्रिटेशन रहे हैं। जो फैसला ५२ में किया गया है वह काफी अर्से पहले किया गया, अब उसके डिफरेन्ट इन्टरप्रिटेशन किये जा रहे हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप तो इसको डेफर कर दीजिये और अच्छी तरह से इस पर विचार कर लीजिये। आप इसे प्रेस्टिज पॉइन्ट न बनाइये।

श्री रामानन्द अग्रवाल : Can you say positively that your committee knew it and your committee examined this decision of the High Court.

(श्री मोतीलाल चौधरी के बोलने को खड़े होने पर)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह कानूनी बात है, कोऑपरेटिव की नहीं है मोतीलालजी।

श्री परसराम मदेरणा : सब मुद्दों पर कमेटी ने स्क्रुटिनी की थी और उसके बाद उसकी यह राय रही।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : माफ कीजिये, मैं कहता हूँ लॉ डिपार्टमेंट के यह नोटिस में निश्चित रूप से नहीं थी, नहीं थी; होता तो इसका जिक्र जरूर आता।

श्री परसराम मदेरणा : आप बार बार कोर्ट के फैसले पर जोर दे रहे हैं। जहां तक रेस्ट्रिक्शन इम्पोज़ करने का सवाल है डिफरेन्ट इन्टरप्रिटेशन हमेशा रहे हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : You did not bring this High Court's judgment to the notice of the committee or before this House and, therefore you have played a fraud with this House. You should have brought it to the notice of the House.

श्री रामप्रसाद लड्ढा (उप-मन्त्री, राजस्व): मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपने जो यह हाई कोर्ट राजस्थान की रूलिंग क्वोट की है वह तो एविक्शन के बारे में ही था और जो कानून यह था वह रिक्विज़ीशन और एक्विज़ीशन दोनों के बारे में था। यह हमारा कानून जो लाये हैं वह है सिर्फ एक्विज़ीशन का। रिक्विज़ीशन में नोटिस वगैरह का प्रोवीज़न था, एक्विज़ीशन में नहीं था।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : एक्ट तो वही चैलेन्ज हुआ था ५२ में।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : किस गारन्टी को हिट करता है यह देखना है। जो केस हियरिंग में था हाई कोर्ट में वह रिक्विज़ीशन का था, एक्विज़ीशन वाला नहीं था।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : ऐसा है, लड्ढा साहब, कि सवाल इस बात का है कि अपने हाई कोर्ट की डिसीज़न सरटेन मैटर की बताते हुए कोर्ट की और इस सदन में पेश इश्यू से उसे एक्सक्लूड करके यह शो करने की कोशिश की है कि आप का यह कन्टेन्शन है। पर इस सबका जिक्र स्टेटमेन्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स में न देना, न मैंशन करना, हाउस में उसका हवाला न देना, न एन्लाइट्न करना यह फ्रॉड है हाउस के साथ इस लेटर स्टेज पर।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : So far as this case is concerned, there is no provision......

श्री रामानन्द अग्रवाल : So for as section (II) is concerned...

(शोरगुल)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : Absolutelty nothing.

श्री उपाध्यक्ष : Now I put the motion.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : The Government is legally bankrupt.

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन प्रस्तुत विधेयक को जनमत जानने के लिए प्रस्तुत हुए हैं उन्हें स्वीकार किया जाये ?

(हां एवं ना की ध्वनियों के पश्चात्)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : Ayes have it.

श्री उपाध्यक्ष : मैं इसे पुनः रखता हूं; प्रश्न यह है। जो संशोधन प्रस्तुत विधेयक को जनमत जानने के लिए प्रसारित करने के लिए आये हैं, उन्हें स्वीकार किया जाये ?

(हां एवं ना की ध्वनियों के पश्चात्)

अनेक माननीय सदस्य : डिवीज़न चाहते हैं ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : Yes, sir

(विभाजन घंटी के पश्चात पुनः)

श्री उपाध्यक्ष : I again put the Question-प्रश्न यह है कि जो संशोधन प्रस्तुत विधेयक को जनमत जानने के लिए प्रसारित करने के आये हैं उन्हें स्वीकार किया जाये।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गए।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सचोर) : मैं अपना सिलेक्ट कमेटी का प्रस्ताव वापिस लेने की इजाज़त चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन प्रस्तुत विधेयक को प्रवर समिति में पुनः देने के लिए आये हैं, उन्हें स्वीकार किया जाये ?

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गये।

(श्री उपाध्यक्ष)

(विराम)

प्रश्न यह है कि प्रस्तुत विधेयक को विचारार्थ लिया जाये

(स्वीकृत)

प्रस्तुत विधेयक विचारार्थ लिया गया ।

(विराम)

क्लॉज़ :

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सारा बिल ही रख दें ।

श्री परसराम मदेरणा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित राजस्थान पब्लिक प्रिमिसेज़ (एविक्शन ऑफ अनऑथोराइज़्ड ऑक्यूपेन्ट्स) बिल, १९६४ पारित किया जाये ।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : What about our amendments ?

श्री उपाध्यक्ष : You did not object before and everybody had agreed to this procedure......

श्री रामानन्द अग्रवाल : We can sit more if it is so desired.

श्री उपाध्यक्ष : Well, I am doing according to the wishes of the House. They had agreed.

प्रश्न यह है कि राजस्थान पब्लिक प्रिमिसेज़ (एविक्शन ऑफ अनऑथोराइज़्ड ऑक्यूपेन्ट्स) बिल, १९६४ पारित किया जाय ।

(मत-दान के पश्चात)

हां पक्ष जीता ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : Noes have it.

श्री उपाध्यक्ष : डिवीज़न चाहिए ?

(विभाजन घंटी)

ऑर्डर, मैं पुनः प्रश्न प्रस्तुत करता हूं ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि प्रस्तुत विधेयक पारित किया जाये ?

(स्वीकृत)

विधेयक पारित हुआ ।

शासकीय संकल्प

(निम्नलिखित शासकीय संकल्प अध्यक्ष-पीठ की अनुमति से प्रस्तुत हुआ :

श्री मथुरादास माथुर (सहकारिता मंत्री) द्वारा प्रस्तुत:—

"Whereas the Central Warehousing Corporation and the State Warehousing Corporations established under the Warehousing Corporations Act, 1962 (Central Act 58 of 1962), are empowered to run wharehouses for the storage of agricultural produce, seeds, manures, fertilisers, agricultural implements and any other notified

(श्री सहकारी मंत्री)

commodity, being a commodity with respect to which Parliament has power to make laws by virtue of entry 33 of List III in the Scventh Schedule to the Constitution;

And whereas it is desirable that legislation should be undertaken to enable the said Corporations to storage in their warehouses other commodities also in addition to those mentioned in the aforesaid Central Act;

And whereas legislation for the purpose mentioned above is relatable to matters enumbered entry 26 and entry 27 of List II in the Seventh Schedule to the Constitution with respect to which Parliament has no power to make a law for the States except as provided in articles 249 and and 250 thereof;

And whereas it appears to this Assembiy to be desirable that such legislation suould be undertaken by Parliament;

Now, therefore, in pursuance of clause (1) of article 252 of the Constitution, this Assembly hereby resolves that storage of commodities other than those covered by the Warehousing Corporations Act, 1962 Central Act 58 of 1962) in the Warehouses run by the Corporations established under that Act shall be regulated in this State by Parliament or by law."]

श्री भीमसिंह (उप-मंत्री, सहकारिता): उपाध्यक्ष महोदय, यह जो संकल्प प्रस्तुत किया गया है यह इसलिए प्रस्तुत किया गया है कि अपने यहां पर स्टेट वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन है यह सेन्ट्रल एक्ट, के तहत है। उसके तहत जो जो माल रखे जा सकते हैं वेयरहाउसेज़ के अन्दर वह एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हैं, उसमें कुछ चीजें जो कि अपने यहां प्रोडक्शन में आती हैं उनको रखने की आवश्यकता होती है और जो इससे अलाइड चीजें होती हैं वे नहीं रखी जा सकती हैं, उस दिक्कत को हम मिटाना चाहते हैं और इसीलिए यह संकल्प रख रहे हैं ताकि इसके पारित होने के बाद उस सेन्ट्रल एक्ट के अन्दर संशोधन लाया जा सके और इसी नियत से यह प्रस्तुत किया गया है और मैं निवेदन करूंगा कि यह सर्व सम्मति से पास किया जाये।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: मेरे दो अमेन्डमेन्ट्स हैं, चूंकि मैंने एश्योरेन्स दिया था कि हम आज की कार्यवाही टाइम पर खत्म कर देंगे इसलिए मैं उन्हें रखना नहीं चाहता।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि जो संकल्प सदन के सामने प्रस्तुत किया गया है उसे पारित किया जाये ?

(स्वीकृत)।

संकल्प पारित हुआ

सदन की कार्यवाही कल प्रात: ११ बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

[तदन्तर सदन की बैठक म०प० ५.५० बजे कल दिनांक २२ अक्टूबर, १६६४ के म० पू० ११ बजे तक के लिये स्थगित हुई]

परिशिष्ट १

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ५१२ का उत्तर देखिये)

पंचायत समिति, बडगांव में तकावी दिये जाने के मामलों की सूची

क्रमांक	नाम
१.	श्री धन्ना
२.	श्री नाथू
३.	श्री जोधसिंह
४.	श्री बाला
५.	श्री हीरा
६.	श्री मोतीसिंह
७.	श्री अम्बालाल
८.	श्री भैरा

परिशिष्ट २

(समयाभाव के कारण प्रश्न समय में न लिये जा सकने वाले तारांकित प्रश्नोत्तर)

बीज भंडारों का निर्माण

५१६. श्री चतुर्भुज उपाध्याय (चितौड़गढ़) : क्या सहकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि चितौड़गढ़ एवं राशमी की सहकारी समितियों को बीज भण्डारों के लिये कोई अनुदान दिया गया है ? अगर हां, तो कितना और कब ?

(२) क्या इस अनुदान से बीज भण्डारों का निर्माण हुआ है ? अगर हां, तो कितने और नहीं, तो क्यों ?

(३) क्या दस-दस या पांच-पांच सहकारी समितियों के केन्द्रों में ऐसे बीज भण्डार कायम करने का सरकार विचार रखती है ? अगर हां, तो वे कब तक खोल दिये जावेंगे ?

उत्तर

(१) जी हां, चितौड़गढ़ व राशमी पंचायत समितियों की ४ सहकारी समितियों को गोदाम बनाने के लिए अनुदान दिया गया है जो निम्न है:—

क्रमांक	नाम पंचायत समिति	नाम समिति	अनुदान दिया गया दिनांक	रकम
१	२	३	४	५
१	चित्तौड़गढ़	अरानिया पंथ बृहत	२२–१२–५८	५००
		कृषि ऋण दात्री सह०	१६–४–६१	४००
		समिति लि०	१०–८–६१	१००
२	,,	सांवा ग्राम सेवा		
		सहकारी समिति लि०	२२–१२–५८	५००
३	,,	घोसुण्डा ग्राम सेवा		
		सहकारी समिति लि०	३०–३–६४	२५००
४	राशमी	प्रकाश बहुधन्धी		
		सहकारी समिति लि०	२६–३–६०	१५००

(अ) अरनिया पंथ बृहत कृषि ऋण दात्री सहकारी समिति लि० एवम् प्रकाश बहुधन्धी सहकारी समिति के द्वारा गोदाम निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है।

(ब) सांवा ग्राम सेवा सहकारी समिति लि० के द्वारा गोदाम निर्माण का कार्य छत तक पूर्ण हो चुका है।

(स) घोसुण्डा ग्राम सेवा सहकारी समिति लि० को अनुदान मार्च, ६४ में स्वीकृत हुआ था लेकिन वर्षा ऋतु प्रारम्भ हो जाने के कारण से निर्माण कार्य अभी तक प्रारम्भ नहीं किया जा सका है।

तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्त तक के लिए तो ऐसा कोई निर्णय नहीं है।

रेवदर में बिजली

५१७. श्री दलपतसिंह (आबू) : क्या विद्युत्-मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि सिरोही डिस्ट्रिक्ट में रेवदर तहसील में रेवदर में बिजली का इंजन लग कर इसी वर्ष अगस्त के अन्त तक ग्राम विद्युतिकरण होने का निश्चय था?

(२) अगर हां, तो क्या रेवदर में बिजलीघर के लिये मकान तैयार हो गया है?

(३) अगर नहीं, तो कब तक सब कार्य हो जायगा और कब तक ग्राम विद्युतिकरण हो जायगा?

उत्तर

(१) जी हां।

(२) जी नहीं।

(३) ३१–१–६५ तक।

आयुर्वेदिक औषधालय

५१८. श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) : क्या आयुर्वेदिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे;—

(१) राज्य में सरकार द्वारा कुल औषधालय किस किस श्रेणी के कितने कितने किस किस जिले में खोले गये हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(२) प्रत्येक श्रेणी के औषधालय पर कितना खर्चा स्टाफ तथा कितना दवाइयों पर किया जाना चाहिये तथा कितना होता है?

(३) क्या औषधालयों में सब जगह निश्चित कांटे के अनुसार औषधियां समय पर पहुंच जाती हैं?

उत्तर

(१) राज्य सरकार ने दिनांक ३१–३–६४ तक कुल १३४९ औषधालय खोले हैं इनमें से "ए" श्रेणी के १८, "बी" श्रेणी के १२२ और "सी" श्रेणी के १२०९ औषधालय हैं इनकी जिलेवार सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

"सी" श्रेणी के औषधालय पर प्रतिवर्ष ६००) रु० की औषधि, "बी" श्रेणी पर ६००) रु० की और "ए" श्रेणी के औषधालयों में ५०००) रु० से लेकर ३००००) रु० तक रोगी संख्या के अनुपात से खर्च की जाती है। "सी" श्रेणी में १ वैद्य १ कम्पाउंडर १ नर्स व १ चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी स्वीकृत हैं।

(२) "बी" श्रेणी में १ वैद्य, १ कम्पाउंडर १ नर्स व १ चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी स्वीकृत हैं।

(३) 'ए' श्रेणी औषधालय में वैद्यों, वैद्य १ 'ए' श्रेणी १ 'बी' श्रेणी वैद्य १ 'सी' श्रेणी वैद्य २३ कम्पाउडर और ३ नर्स ६ चतुर्थ श्रेणी

कर्मचारी स्वीकृत हैं। जहां रोगी संख्या अधिक है वहां नर्स कम्पाउंडर और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की संख्या इससे भी अधिक है।

यथासम्भव वैद्य द्वारा प्रेषित मांग-पत्र के अनुसार सभी स्थानों पर औषधियां भेजी जाती हैं।

(सूची विस्तृत होने से विधानसभा पुस्तकालय में रखी गई)

बीकानेर शहर को दिल्ली एवं गंगानगर से जोड़ने हेतु सड़क

५१६. श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या राज्य सरकार प्रशासनिक एवं आर्थिक दृष्टिकोण से बीकानेर शहर को क्रमशः दिल्ली एवं गंगानगर से, सबसे कम दूरी से, सड़क द्वारा जोड़ने का विचार रखती है? अगर हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार कितने अर्से में उक्त सड़कों को सम्पूर्ण कर देगी?

उत्तर

जी हां। आशा है

चतुर्थ योजना के अन्त तक।

पंचायत समिति, डीडवाना द्वारा ट्रेक्टर की खरीद

५२०. श्री अब्दुल जब्बार खां (निम्बाहेड़ा) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि पंचायत समिति, डीडवाना ने सन् ६१—६२ में कोई ट्रेक्टर मेसर्स राजस्थान कॉमर्शियल कारपोरेशन, जयपुर से खरीदा था? यदि हां, तो उसका ट्रेड मार्क और मेक क्या था?

(२) अब वह ट्रेक्टर कहां है? उक्त कॉमर्शियल कारपोरेशन को इस ट्रेक्टर खरीदने हेतु कितनी रकम एडवान्स दी गई थी? तथा उक्त एडवान्स दी गई रकम का चुकारा किस प्रकार पंचायत समिति को किया गया?

(३) क्या यह भी सही है कि पंचायत समिति, प्रतापगढ़ ने सन् १९६३ में इसी कारपोरेशन से एक ट्रेक्टर और ट्राली २६,०००) रु० में खरीदा था? यदि हां, तो उसका ट्रेड मार्क और मेक क्या था और अब वह किस हालत में है?

(४) अब राजस्थान कामर्शियल कारपोरेशन पंचायत समिति डीडवाना और प्रतापगढ़ पर कितना रुपया मांगती है?

(५) क्या यह सही है कि जो ट्रेक्टर पंचायत समिति डीडवाना ने रिजेक्ट किया है वही ट्रेक्टर पंचायत समिति, प्रतापगढ़ ने खरीदा है?

उत्तर

(१) एक जिटर सुपर ५० होर्स पॉवर का ट्रेक्टर खरीदने का सौदा तय हुआ था।

(२) ट्रेक्टर फर्म ने समिति को दिया था जो वापस लौटा दिया है। फर्म को २०,००० रु० की रकम बतौर एडवान्स दी गई थी। यह रकम पंचायत समिति ने फ्री फन्ड व अपनी निजी आय से दी।

(३) जी हां। जिटर सुपर ५० होर्स पॉवर का ट्रेक्टर खरीदा था जो चालू हालत में है।

(४) पंचायत समिति, डीड़वाना को ट्रेक्टर सप्लाई ही नहीं किया गया है। पंचायत समिति, प्रतापगढ़ में कोई रकम बकाया नहीं है।

(५) एसी सूचना मिली है कि वही ट्रेक्टर फर्म ने प्रतापगढ़ को बेच दिया है जिसकी कि जांच की जा रही है।

बयाना-हिन्डौन सड़क

५२१. श्री श्रवणलाल (हिन्डौन) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(१) क्या यह सच है कि हिन्डौन से भरतपुर जाने वाली सड़क बहुत खराब हो चुकी है?

(२) क्या यह भी सच है कि इस सड़क पर यातायात अधिक रहता है और यह सड़क यू० पी० से मिलती है?

(३) क्या यह भी सच है कि भरतपुर से बयाना तक डामर रोड बन चुकी है।

(४) यदि हां तो क्या सरकार बयाना से हिन्डौन तक डामर रोड बनाने का विचार रखती है? यदि हां तो कब तक?

उत्तर

(१) हिन्डौन-कामां-भरतपुर जाने वाली सड़क के कुछ मील खराब है।

(२) जी हां।

(३) जी हां।

यह, कार्य योजना में स्वीकृत नहीं है।

पेपर व पल्प उद्योग, आबू

५२२. श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत (भीम) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि आबू में पेपर व पल्प बनाने का उद्योग खोलने के लिये लाइसेंस दिया जा चुका है?

(२) यदि हां, तो लाइसेंस कब दिया, किस पार्टी को दिया तथा उद्योग खुला या नहीं?

उत्तर

(१) जी हां।

(२) लाइसेन्स दिनांक ६ मई, १९६३ को मैसर्स अरावली पेपर मिल्स, आबू रोड को

दिया गया। उद्योग प्रारम्भ की तैयारियां चल रही हैं।

(२) सूचना एकत्रित की जा रही है।

तहसील बसवा में बिजली

५२३. श्री मथुरेशबिहारी माथुर (बांदीकुई) : क्या विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) तहसील बसवा में बांदीकुई कस्बे में बिजली लगाने की मंजूरी कब हुई और बांदीकुई में बिजली की लाइन कहां से व कितनी लम्बी लाइन डाली गई? बांदीकुई के लिये बिजली की लाइन देने का कार्य वास्तव में कब शुरू हुआ और कब समाप्त होकर बिजली देने के लिए उद्घाटन बांदीकुई में हुआ व उस पर कितना खर्च हुआ?

(२) बसवा में बिजली लगाने की योजना स्वीकृत होने के बाद, किन किन स्थानों व कसबों में बिजली लगाई गई व उनकी स्वीकृति कब हुई?

उत्तर

(१) (अ) सन् १९६१-६२।

(ब) २४ मील लम्बी लाइन दौसा से बांदीकुई तक खींची गई थी।

(स) अक्टूबर, १९६१ में शुरू हुआ और २३-२-६२ में यहां बिजली दे दी गई। राजकीय विद्युत् मंडल से कोई उद्घाटन नहीं हुआ। खर्चे का प्रश्न नहीं उठता।

पंचायत समिति क्षेत्र चित्तौडगढ़ में नये आयुर्वेदिक औषधालय

५२५. श्री चतुर्भुज उपाध्याय, (चित्तौडगढ) : क्या आयुर्वेद मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(१) क्या पंचायत समिति क्षेत्र, चित्तौड़गढ़ में नए आयुर्वेदिक औषधालय खोले जाने की कोई योजना है? अगर हां, तो कहां और नहीं, तो क्यों?

(२) क्या यह सही है कि मगरी सुविनिया पालका, साटास एवं मंडया पंचायतों ने जिला परिषद् चित्तौडगढ की मारफत औषधियों की मांग की है?

(३) क्या यह भी सही है कि तहसील गंगरार में भी केवल २ ही आयुर्वेदिक औषधालय हैं जो स्थानीय जनता की तादाद के लिहाज से नाकाफी है?

(४) सरकार इस क्षेत्र की जनता को आयुर्वेदिक चिकित्सा सहज रूप में उपलब्ध कराने के लिए क्या क्या कदम उठा रही है।

उत्तर

(१) जी हां, मगरी ग्राम में औषधालय खोलने के प्रस्ताव जिला परिषद् से प्राप्त हुए हैं जो विचाराधीन हैं।

(२) केवल मगरी के लिए जिला परिषद् चित्तौड़गढ़ के द्वारा औषधालय खोलने का प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ है ।

(३) जी हां ।

(४) आर्थिक साधनानुसार जिला परिषद् की सिफारिश पर योजना अनुकूल प्रयास होगा ।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना और सड़क निर्माण कार्य

५२५. **श्री नत्थीसिंह** (गोविन्दगढ़) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) राजस्थान में प्रत्येक जिले में द्वितीय पंचवर्षीय योजना में नवीन सड़कें कुल कितनी मील बनी और कितना कितना द्रव्य खर्च हुआ ? सूची सदन की मेज पर रखी जावे ।

(२) सड़क निर्माण कार्य में जिलेवार प्राथमिकता किस आधार पर दी गई है ?

उत्तर

(१) सूची (अ) प्रस्तुत है ।

(२) जिलेवार प्राथमिकता का कोई आधार नहीं थी ।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

उदयपुर डिवीजन में बिजली

५२६. **श्री जोधसिंह चौहान** (गिरवां): क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(१) तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत उदयपुर डिवीजन में कहां २ बिजली लगाई जायेगी ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(२) क्या उदयपुर नगर के आस पास जितने भी गांव ८ मील के एरिया में आते हैं उनमें किसानों के कुओं से पानी निकालने के लिये मोटरें लगाने में बिजली का प्रावधान किया जायेगा ? अगर हां, तो इसमें शहर के पास कौन कौन से गांव आजावेंगे ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(१) निम्नलिखित गांवों में:—

बड़ी सादड़ी, भीनडर, कानोड़, कुशलगढ़, गलियकोट, गढ़ी प्रतापपुर, सलुम्बर ।

(२) (क) जी हां ।

(ख) :

खेमली, मावली, फतेहनगर, सनवाड, देवगढ़, आमेट, बरार, भीम, दरोली लुणडा, फआजी, हन्ता, खेरड़, गोवबाल, चन्देफरा, अमना, मेडा, ओडी, बेडलाककुडा, सहरोडा, नाथद्वारा-कालेरिया, उपलोधन, नाथूवास ।

परिशिष्ट ३

(कृपया अतारांकित प्रश्न संख्या ११४ का उत्तर देखिये)

सूची

नाम राडी आमदनी पचसाला सन्	१९५९--६०,	१९६०--६१,	६१--६२,	६२--६३,	६३--६४,	कुल रुपये
कोटा, फोरेस्ट डिवीजनः—						
राडी, खडगांव	६०१)	५५१)	८००)	१५१६१)	१५२५७)	३२४७०)
राडी, राजगढ़, मण्डिता	१५२)	१५२)	११५)	१९६)	१८५)	८००)
राडी, राजगढ़, अत्रालिया गाडरवाडा, मोहीखुर्द,	—	२०)	२०)	५०)	१८०)	२७०)
झालावाड डिवीजनः—						
राडी, कमोलर, पातडा, बबूल	६०१)	२०१)	४५१)	५२६)	२७५)	२०५४)
राडी, खडिया, कूप बबूल	—	—	२०२५)	४०६०)	—	६०८५)

———

परिशिष्ट ४

(कृपया अतारांकित प्रश्न संख्या १२४ का उत्तर देखिये)

पंचायत समिति, चित्तौड़गढ़ को ग्रामीण कुटीर उद्योगों के लिए दिये गए अनुदान की सूची।

क्रमांक	वर्ष	रकम
१.	१९५९--६०	२८२०
२.	१९६०--६१	६५००
३.	१९६१–६२	२१६००
४.	१९६२–६३	१११७५
५.	१९६३--६४	१३५५०

————

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
१	२	३	४
१३१	१८	श्री सतीशन्द्र	श्री सतीशचन्द्र
१३१	२२	बेदली	बेदखली
१३५-२६४	शीर्षक	सार्वजनिक भू-गृहादि का अ.अ. की बेदखली विधेयक, ६४	सार्वजनिक भू-गृहादि (अ. अ. की बेदखली) विधेयक, ६४
१४३	शीर्ष	—	(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)
१६५,१६७ व १६६	,,	(श्री रामान्द	(श्री रामानन्द
१६७	,,	(श्री रामाकिशन)	(श्री रामकिशन)
२०५,२०७ व २०६	,,	(राधाकृष्ण गोयल)	(श्री राधाकृष्ण गोयल)
२१८	अन्तिम से ४	समय-समत्ति	समय-समाप्ति
२३५	४	समयस-माप्ति	समय-समाप्ति
,,	२०	समाप्त	समाप्ति
,,	अन्तिम से २	मदरेणा	मदेरणा
२३६	३	मदरेणा	मदेरणा
२४१	२८	sults	suits
२४५-२४६	शीर्षक	२४६-२४५	२४५-२४६
२५१व२५३	शीर्ष	मदेरण	मदेरणा
२५७	,,	अग्रवाल	अग्रवाल
२५८	शीर्षक	२५७	२५८
२६०	१२	मदरेणा	मदेरणा
२६१	१,१० व २८	मदरेणा	मदेरणा
२६६	शीर्ष	(श्री सहकारी मंत्री)	(श्री मथुरादास माथुर)
२७०	अन्तिम से ४	तदन्तर	तदनन्तर
२७५	११	(करणसर)	(लूणकरणसर)
,,	१२	यह ताने	यह बताने
२७७	शीर्षक	परिशिंप्ट	परिशिष्ट
२८०	४	५२	५२४
२८३	शीर्षक	२८६	२८३

* विस्तृत शुद्धि-पत्र बाद में पृथक से मुद्रित करवाया जावेगा ।

* शुद्धि-पत्र

(बुधवार, दिनांक २१ अक्टूबर, १९६४)

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
१	२	३	४
८	५	(आसमपुर)	(आसपुर)
१५	शीर्ष	(श्री कुमारी	(कुमारी
३१	१	बोहारा	बोहरा
३४	४	(श्री मथुरा प्रसाद माथुर)	(श्री मथुरादास माथुर)
३७	१४-१५	(श्रीचन्दनमल) वैद:	(श्री चन्दनमल वैद) :
४१	शीर्षक	प्रश्तोत्तर	प्रश्नोत्तर
४६	१२	श्री उद्योग मंत्री	उद्योग मंत्री
५१	५	लनाने	बनाने
५२-५६	शीर्षक	तारांकित प्रश्नोत्तर	स्थगित प्रश्न
६८	१०	श्री जौधसिंह	श्री जोधसिंह
७६	शीर्षक	अतापांकित	अतारांकित
७७-८२	,,	तारांकित प्रश्नोत्तर	अतारांकित प्रश्नोत्तर
८७	,,	अनुपस्थित	अनुपस्थिति
,,	२	अनुपस्थिति हेतु अनुमति	अनुपस्थिति हेतु अनुमति
१०३	शीर्ष	श्री मुरलीधर व्यास)	(श्री मुरलीधर व्यास)
,,	३	चोथी	चौथी
१०५	शीर्षक	वियरिंग	त्रियरिंग
१०७-१०८	,,	अक्टुबर	अक्टूबर
११४	१२	श्री भीखामाई	श्री भीखाभाई
,,	१६	श्री रामानन्द	श्री रामानन्द अग्रवाल
१२०	२४	समप्ति	समाप्ति
१२८	शीर्षक	स्थगग-प्रस्तान	स्थगन-प्रस्ताव
१३०	,,	स्थगन-प्रस्ताव	स्थगन-प्रस्तावों
१३१	९-१०	भू-गृहादि अप्राधिकृत	भू-गृहादि (अप्राधिकृत